चौधरी रणबीर सिंह शोधपीठ

1 फरवरी, 2009 को अंतिम सांस लेने वाले कर्मयोगी और महान स्वतंत्रता सेनानी चौधरी रणबीर सिंह की याद में महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक ने शोधपीठ को स्थापित किया। चौधरी रणबीर सिंह हरियाणा क्षेत्र में जन्में एक महान स्वतंत्रता सेनानी, देशभक्त एवं तपे हुए राजनीतिज्ञ थे। इस पीठ का मूल उद्देश्य राष्ट्र के प्रति समर्पित उनके जीवन, व्यक्तित्व एवं कृत्तित्व का मूल्यांकन करना है। पीठ उनकी अनूठी एवं अनुकरणीय सोच, संकल्प और साहस को जीवन्त बनाए रखने और स्वराज की भावनाओं को निरन्तर प्रकाशमान बनाए रखने का विनम्र प्रयास है।

चौधरी रणबीर सिंह शोध पीठ
महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक

द्वितीय लोकसभा में चौधरी रणबीर सिंह भाग–1 सम्पादन : ज्ञान सिंह

द्वितीय लोकसभा में चौधरी रणबीर सिंह

भाग–1

सम्पादन : ज्ञान सिंह

पुस्तक

महान स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय चौधरी रणबीर सिंह द्वितीय लोकसभा (1952–57) के लिए निर्वाचित हुए। वे इससे पहले संविधान निर्मात्री सभा, अन्तरिम संसद और प्रथम लोकसभा के लिए भी चुने गए थे। उन्होंने द्वितीय लोकसभा में भी आम जनता से जुड़े विभिन्न मुद्दों को पुरजोर से उठाया तथा गरीबों, पिछड़ों, किसानों और मजदूरों के हितों की संसद में डटकर पैरवी की। चौधरी साहिब देहात को खुशहाल बनाने के लिए सतत तत्पर रहे।

चौधरी रणबीर सिंह ने द्वितीय लोकसभा में भी देहात से जुड़े मुद्दों को देश के सर्वोच्च सदन के समक्ष बड़ी बेबाकी के साथ रखा। उनके भाषणों का यह संकलन समय की रफ्तार को समझने में सहायक है।

द्वितीय लोकसभा
में
चौधरी रणबीर सिंह
(भाग-एक)

द्वितीय लोकसभा
में
चौधरी रणबीर सिंह

लोकसभा (1957-62) में
दिये भाषणों का संकलन

(भाग-एक)

संपादन
ज्ञान सिंह

चौधरी रणबीर सिंह शोध पीठ
महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक

© प्रकाशक

संस्करण: 2014

प्रकाशक
चौधरी रणबीर सिंह शोध पीठ
महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक

मुद्रकः
महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय प्रेस, रोहतक

विषय सूची

सन्देश xi
चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा,
मुख्यमंत्री, हरियाणा

सन्देश xiii
इंजी. एच.एस. चहल
कुलपति

आभार xv

प्रस्तावना स्वरूप xvii
ज्ञान सिंह
अध्यक्ष, चौधरी रणबीर सिंह शोधपीठ

1. शपथ 01
2. भारतीय तार (संशोधन) विधेयक 02
3. दिल्ली विकास विधेयक 04
4. दिल्ली विकास विधेयक 08
5. आम बजट जनरल चर्चा 12
6. आम बजट जनरल चर्चा 13
7. अनुदान मांगें 19
8. अनुदान मांगें 24
9. वित्त विधेयक 31

10. सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक 33
11. उपहार टैक्स विधेयक 35
12. चीनी निर्यात संवर्धन अध्यादेश और चीनी निर्यात संवर्धन बिल 39
13. औद्योगिक विवाद (बैंकिंग कंपनी) निर्णय संशोधन विधेयक 44
14. जन-प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक 47
15. लोक परिसर विधेयक 49
16. दिल्ली किराया नियंत्रण विधेयक 51
17. पूरक अनुदान मांग 55
18. अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम (स्थिति, उन्मुक्ति तथा विशेषाधिकार) विधेयक 59
19. उच्च न्यायालय के न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) विधेयक 63
20. संसद (निरर्हता निवारण) विधेयक 67
21. कंपनी (संशोधन) विधेयक 72
22. संसद (निरर्हता निवारण) विधेयक 78
23. हिमाचल प्रदेश विधान सभा (संविधान और कार्यवाही) सत्यापन विधेयक 81
24. प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक 83
25. सिख गुरुद्वारा विधेयक 88
26. पूरक अनुदान मांगें 92
27. अयोग्यता रोकथाम (संशोधन) विधेयक 95
28. दिल्ली पंचायत राज (संशोधन) विधेयक 97
29. पूरक अनुदान मांगें 101
30. भारतीय आयकर (संशोधन) विधेयक 106
31. भारतीय आयकर (संशोधन) विधेयक 108
32. अनुदान मांगें 114
33. अनुदान मांगें 119
34. वित्त विधेयक 124
35. वित्त विधेयक 128
36. बंदरों का निर्यात 130
37. प्रस्ताव : रेल समिति की सिफारिशें 134
38. भारतीय स्टेट बैंक (सहायक बैंक) विधेयक 140
39. बंगाल वित्त (बिक्री कर) 146

40. समान वेतन बिल 151
41. विस्थापित व्यक्ति (मुआवजा और पुनर्वास) संशोधन विधेयक 155
42. जनगणना (संशोधन) विधेयक 160
43. संस्कृत आयोग की रिपोर्ट 162
44. संघ लोक सेवा आयोग की रिपोर्टें 166
45. भारतीय विद्युत (संशोधन) विधेयक 170
46. भारतीय जीवन बीमा निगम की रिपोर्ट 173
47. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (संशोधन) विधेयक 176
48. बैंकिंग कंपनी (संशोधन) विधेयक 179
49. पूरक अनुदान मांगें 183
50. पशु क्रूरता निवारण 186
51. अविलंबनीय लोक महत्व पर ध्यानाकर्षण 192
52. राजभाषा पर संसदीय समिति की रिपोर्ट 194
53. कर्मचारी राज्य बीमा निगम की वार्षिक रिपोर्ट 199
54. भाखड़ा बांध दुर्घटना 202
55. भारतीय दंड संहिता (संशोधन) विधेयक 206
56. आपराधिक प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक 208
57. केरल राज्य विधान (शक्तियों का प्रत्यायोजन) 211
58. न्यूनतम मजदूरी (संशोधन) विधेयक 214
59. मणिपुर भूमि राजस्व और भूमि सुधार विधेयक 216
60. दिल्ली लैंड होल्डिंग्स (सीलिंग) विधेयक 222
61. गन्ना और चीनी मूल्य 228

Section-II
(Writter Questions & Answers)

1. C.P.W.D. 235
2. Property Rights for Scheduled Castes and other Backward Classes 237
3. Electricity Consumption 238
4. Welfare Board for P & T Employees 240

5. Report of Telegraph Enquiry Committee 241
6. P & T Building at Jammu and Kashmir 242
7. P & T Building, Chandigarh 243
8. Building for C.T.O. Amritsar 244
9. Posts and Telegraphs Buildings 246
10. P and T Building at Secunderabad 247
11. P and T Building at Salem 248
12. P and T Building at Jaipur 249
13. Building for D.T.O., Calcutta 250
14. Telegraph Staff Quarters at Kozhikode 251
15. New Flag Station 252
16. Railway Siding 253
17. Acquisition of Land for Government Servants House Building Society Ltd. 254

भूपेन्द्र सिंह हुड्डा
BHUPINDER SINGH HOODA

सत्यमेव जयते

D.O. No. CMH-2014/....SSS....
मुख्य मन्त्री, हरियाणा,
चण्डीगढ़।
CHIEF MINISTER, HARYANA
CHANDIGARH.

Dated : 23.07.2014

सन्देश

मुझे यह जानकर खुशी हुई कि महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक में स्थापित चौधरी रणबीर सिंह शोध केन्द्र महान स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय चौधरी रणबीर सिंह द्वारा दूसरी लोकसभा (1957-62) में दिये गये भाषणों का संकलन दो भागों में प्रकाशित करने जा रहा है। चौधरी रणबीर सिंह ऐसी अनूठी शख्सियत थे, जिन्होंने सात सदनों में जन-प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने हमेशा एक गरीब और आम आदमी के सरोकारों से जुड़े मुद्दों को जोरदार ढ़ंग से उठाया। वे जमीन से जुड़ी अनूठी शख्सियत थे।

चौधरी रणबीर सिंह को संविधान निर्मात्री सभा के सदस्य चुने जाने के बाद अन्तरिम सरकार में भी शामिल होने का मौका मिला। इसके बाद वे देश की प्रथम लोकसभा (1952-57) के चुनावों में जीतकर संसद पहुँचे और फिर दूसरी लोकसभा (1957-62) में भी जनता ने उन्हें चुनकर भेजा। चौधरी साहब ने हर बार देहात के गरीबों, मजदूरों, पिछड़ों, दलितों, किसानों एवं मजदूरों की आवाज को बुलन्द किया। इसके साथ ही उन्होंने देहात में खुशहाली लाने के लिए पुरजोर आवाज उठाई

चौधरी रणबीर सिंह ने देहात के दर्द को समझा और सदन में बड़ी बेबाकी से सवालों को रखा। अखण्ड लोकतंत्र की महता स्पष्ट की, टैक्सों में भेदवभाव व उनमें मौजूद पेचिदगियों को उजागर किया। धर्मनिरपेक्षता की पुरजोर वकालत की। पंचायतों को हर स्तर पर सुदृढ़ करने के लिए जोर दिया। पशुधन की समस्याओं को उठाया। क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ावा

देने और राजभाषा हिन्दी पर बखूबी जोर दिया। महिला-पुरूष समान वेतन जैसे अनेक महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए।

मुझे उम्मीद है कि शोध केन्द्र का यह प्रकाशन चौधरी रणबीर सिंह के व्यक्तित्व को समझने में उपयोगी साबित होगा और सुधी पाठक इसे पसन्द करेंगे।

(भूपेन्द्र सिंह हुड्डा)

H.S. Chahal
Vice-Chancellor

Dated : 12.08.2014

सन्देश

हमारे लिए बेहद खुशी का विषय है कि महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक में कार्यरत 'चौधरी रणबीर सिंह शोधपीठ' द्वारा महान स्वतंत्रता सेनानी स्व. चौधरी रणबीर सिंह द्वारा द्वितीय लोकसभा (1957-62) में दिये गये भाषणों का संकलन दो भागों में प्रकाशित किया जा रहा है।

चौधरी रणबीर सिंह जमीन-स्तर से जुड़े आदर्श व्यक्ति थे। उन्होंने सड़क से लेकर संसद तक गरीबों, नि:सहायों, दलितों और पिछड़ों की आवाज बड़ी बेबाकी से बुलन्द की। जब भी सदन में देहात से जुड़ा कोई भी मुद्दा आया, चौधरी साहिब ने उसमें अग्रणीय भूमिका निभाई।

द्वितीय लोकसभा में भी चौधरी साहिब ने ग्रामीण भारत की आवाज को बुलन्द किया। उन्होंने किसानों, खेतीहर मजदूरों, पशुधन, बिजली, पेयजल, दैवीय आपदा, शिक्षा, भाषा, संस्कृति, गरीबी, सिंचाई, टैक्स आदि से जुड़े हर मसलों पर न केवल वास्तविक स्थिति से सदन को अवगत करवाया, अपितु आम आदमी के हित में अनेक अनुकरणीय सुझाव एवं प्रस्ताव भी रखे। उन्होंने कभी अपने सिद्धान्तों से समझौता नहीं किया। सदन में जो भी कहा, बेहद जिम्मेदारी और बेबाकी के साथ कहा।

प्रस्तुत प्रकाशन में चौधरी साहिब के व्यक्तित्व का सहज बोध होता है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह प्रकाशन जहां सुधी पाठकों को चौधरी रणबीर सिंह के व्यक्तित्व एवं कृतित्व को समझने में सहायक सिद्ध होगा, वहीं शोधार्थियों एवं विश्लेषकों के लिए भी उपयोगी सिद्ध होगा।

हर सरूप चहल

(हर सरूप चहल)

MAHARSHI DAYANAND UNIVERSITY, ROHTAK-124001, (HARYANA) INDIA
(NAAC 'A' Accredited)
A State University, established under Haryana Act No. 25 of 1975
Off : 01262-393548 Res : 01262-274710 E-mail : vcmdu@hotmail.com, vc@mdurohtak.ac.in Website : www.mdurohtak.ac.in

आभार

द्वितीय लोकसभा (1957-62) में प्रख्यात स्वतंत्रता सेनानी चौधरी रणबीर सिंह के भाषणों का यह दो भागों में संकलन सुधी पाठकों एवं शोधकर्त्ताओं के हाथों तक पहुँचाने का यह एक प्रयास है। पूर्ण विश्वास है यह संकलन सभी के लिए एक रूचिकर और उपयोगी साबित होगा

पीठ हरियाणा के मुख्यमंत्री चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा और महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के कुलपति श्री हर सरूप चहल की बेहद आभारी हैं, जिन्होंने इस संस्करण के लिए 'सन्देश' भेजकर हमें अनुग्रहित किया।

इसके साथ ही इस संकलन को सुचारु रूप से तैयार करने एवं आपके हाथों तक पहुँचाने में सराहनीय योगदान देने के लिए पीठ के अपने सहयोगियों श्री राजेश कुमार 'कश्यप', श्री धर्मबीर हुड्डा, श्री स्नेह कुमार व श्री सुरेन्द्र सिंह का भी धन्यवाद है।

चेयरमैन
चौधरी रणबीर सिंह शोध पीठ

प्रस्तावना स्वरूप

एक अनूठा व्यक्तित्व

स्वतन्त्रता संग्राम के प्रख्यात योद्धा, चौधरी रणबीर सिंह अपने समय के कर्मठ एवं निर्भीक सांसद रहे। यहां उन्होंने अपने काम को एक मिशनरी की तरह लिया। दूसरी लोक सभा (1957–1962) में भी उन्होंने अपनी सजग सक्रियता उसी तरह बनाये रखी जहां वे शासक कांग्रेस दल से नामित उम्मीदवार के बतौर रोहतक चुनाव क्षेत्र के प्रतिनिधि चुने गए थे। इससे पहले संविधान सभा (1947–1949), संविधान सभा (विधायी), अस्थायी संसद (1949–1952) एवं प्रथम लोक सभा (1952–57) के अपने कार्यकाल में वे इसी मिशनभाव के चलते सक्रिय सांसद के बतौर जाने गए, जिसपर स्वतन्त्रता आन्दोलन से अर्जित मूल्यों की छाप देखी जा सकती है। यह उनकी खूबी रही कि केन्द्र में शासक दल का अभिन्न अंग रहते हुए उन्होंने उसकी नीतियों को अपने आईने से देखा, परिभाषित किया और उसपर अडिग रहे, कहीं झिझक नहीं दिखाई। संसदीय जीवन के बाहर भी उनका जीवन उन मूल्यों से मेल खाता चला जिसकी झलक हम यहां उनके भाषणों में भी देखते हैं।

दूसरी लोक सभा में उनके ये संकलित भाषण और प्रश्नकाल में पूछे गए सवाल इस बात के साक्षी हैं कि उनकी दृष्टि स्पष्ट थी कि सरकार की कार्यप्रणाली कैसी हो। जिसे वे देशहित में स्वीकारते थे, उसके लिए नि:संकोच अपना मत संसद में रखने से वे नहीं चूके, तर्क से सवाल उठाते और आग्रह करते। पहली पंच वर्षीय योजना काल (1951–1956) में अधिक अन्न उपजाने की मुहिम पर ध्यान था ताकि अपनी जरूरत के लिए बाहर की ओर न देखना पड़े। उसको सफल बनाने में कहां दिक्कते हैं? वे सरकार को सचेत करते दिखे, कमजोरी नजर आई तो भिड़ गए। दूसरी लोक सभा के कार्यकाल में दूसरी पंच वर्षीय योजना (1956–1961) पर काम चल रहा था और तीसरी योजना (1961–1966) के प्रारूप पर चर्चा उठने लगी थी। देश की भावी तस्वीर में कहां रंग फीका है, सरकार को बताने अथवा कहां रंग गाढ़ा करने की जरूरत है कहने से नहीं रहे।

आजादी आन्दोलन के दौरान पंख लगी जनाकांक्षाओं को धरती पर उतारने की एक ओर उस समय बेताबी थी तो दूसरी ओर चुने गए विकासपथ की सीमाएं उजागर होने लगीं थीं तो उस पथ पर उगने वाले कांटे मनचाही को पूरा करने में रूकावटें बन कर उभरने लगीं। यह एक खास तरह की कशमकश का काल था। दूसरे महायुद्ध (1939-45) के बाद की दुनियां में देशों की आपसी मोर्चेबंदी का चित्र पूरी तरह से बदल गया था। विश्व बाजार पर वर्चस्व के लिए यह मोर्चेबंदी आपसी खींचतान में बदल चुकी थी। प्रभावी राष्ट्र अपनी दृष्टि गड़ाये चल रहे थे कि किस कोने में अपने वर्तमान तथा भावी हितों को साधने हेतु किस को कैसे पटाया जाए या बांध कर रखा जाए? माना जाता है कि अमेरिका चाहता था भारत पूंजी-केन्द्रित औद्योगिकरण का रास्ता ग्रहण करे। उधर, सोवियत संघ की विकास गाथा इसी औद्योगिक प्राथमिकता पर टिकी हुई थी और चारों ओर आकर्षक बन कर धमक रही थी। तीसरी पंच वर्षीय योजना में इसका असर दिखायी भी दिया। भारत ने उद्योग व व्यापार को बढावा देना अपनी प्राथमिकता बना ली थी। ऐसे में खेती की उपेक्षा अथवा कहा जाए उसकी भूमिका को पलटने से होने वाली क्षति को चौधरी साहिब देख रहे थे। उनका बल पारिवारिक श्रम पर टिकी खेती व दस्तकारी को मजबूती देने पर था ताकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था बच सके।

दूसरे महायुद्ध के दो सहयोगी अमेरिका व सोवियत संघ कोरिया युद्ध (1950-1953) के दौरान एक-दूसरे के सामने आ खड़े हुए। वहां सन् 1953 में अन्ततः युद्ध विराम के बाद से विश्व स्तर पर देशों के बीच की यह आपसी टकराहट अधिक तीव्र हो चली थी, जिसका स्वरूप सन् 1991 में जाकर बदला और इस मोर्चेबंदी का नया चेहरा उभरा। देश-विदेश के इस माहौल में भारत अपने पिछडेपन से मुक्ति पाने के संघर्ष में था और आगे बढने को लालायित था, जब दूसरी लोक सभा में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ करने की आवाज चौधरी रणबीर सिंह लगातार उठाते जा रहे थे। वह बेचैनी संसद कें उनके भाषणों में झलकती है।

सरकार उद्योग व व्यापार को तरह तरह के प्रोत्साहन देकर सुदृढ कर रही थी। विकास के लिए बजट राशि के बंटवारे से लेकर विभिन्न योजनाओं पर अमल में धनवान नगरीय क्षेत्रों को एक पर एक रियायत अथवा प्रशासनिक या कानून बनाने में जहां यह भेद दिखता, वहीं चौधरी साहिब उसपर आवाज लगाते। अपने एक भाषण में वे सदन को भी सचेत करने से नहीं चूके। पहली अगस्त, 1961 को सदन में उनका यह कथन देखिए :

''जो कायेदे-कानून हम बनाते हैं, उनसे ऐसा टपकता है कि हमारे कानून बनाने वालों की किसानों से दुश्मनी है।'' उसी भाषण में आगे चलकर वे कहते हैं कि जब आप जमीन लेना चाहते हैं तो उसका भी रिश्ता मार्केट वैल्यू से बनाइये। मिसाल पेश करते हुए कहते हैं : ''....जब इम्पीरियल बैंक को स्टेट बैंक बनाया गया उसके हिस्सेदारों के शेयरों की फेस वैल्यू का पांच गुना मुआवजा दिया गया। लेकिन यहां अजीब हालत है कि आप कोई मार्केट वैल्यू से 20 फीसदी, 30 फीसदी, 40 फीसदी या 50 फीसदी का कोई रिश्ता कायम नहीं करना चाहते। पता नहीं आप किस ढंग से चलना चाहते हैं?''

चौधरी साहिब जब किसानी अथवा देहात के प्रति सरकार की भेदभावपूर्ण नीतियों को चलता देखते हैं तो समझते हैं कि इससे देश के विकास को नुक्सान होगा। जनतन्त्र व जनतान्त्रिक प्रणाली का निरन्तर हवाला देकर कहते हैं कि हमें अपने मार्ग से नहीं भटकना चाहिए और आग्रह करते हैं कि बहुमत वाले इन मेहनती लोगों के हितों को संरक्षण मिलना जनतन्त्र में उनका हक है। लगातार सरकार को अपने भाषणो में याद दिलाते चलते हैं कि स्वतन्त्रता आन्दोलन में उनके दल का यह वायदा रहा है। वे सदा जमीन से जुड़ी हकीकत को सामने रख कर चलने का सरकार से आग्रह करते रहे।

जिस अर्थशास्त्र के चौधरी रणबीर सिंह अनुयायी थे और गांधी दर्शन पर आस्था रख कर ग्रामीण अथवा खेती-किसानी पर टिकी जीवनशैली के वे मुरीद थे, उसका उद्योग-व्यापारिक प्रणाली को पोषित करने वाले प्रचलित अर्थशास्त्र से मेल नहीं बैठता था और न उस अर्थशात्र से उपजे मैल का केन्द्र बनी नगरीय जीवनशैली के वे कद्रदान थे। इस संकलन में उनके भाषणों में इसकी झलक मौजूद है, तर्क हैं, जब वे इन अर्थशास्त्रियों की बखिया उखेड़ते चलते हैं। मिसाल के तौर पर 12 दिसम्बर, 1957 को दिल्ली विकास विधेयक पर चर्चा में वे सवाल उठाते हैं :

''माननीय मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूँ कि वे इसे डेवेल्पमैन्ट बिल कैसे कहते हैं? आखिर मकानों से ही तो इन्सान जिन्दा नहीं रहता है। इन्सान के लिए, इन्सान की तरक्की के लिए खुराक भी चाहिए। क्या आपने खुराक देने का इन्तजाम किया? या उससे उल्टे जा रहे हैं।.....''

सरकारी काम अथवा किन्हीं योजनाओं हेतु जमीन अधिग्रहण का सवाल सदा खींचतान का विषय रहा है। कारण भी है: जमीन देश के बहुसंख्यक लोगों की जीविका का आधार है। उस आरम्भ काल में भी जब सरकार द्वारा प्रोजेक्टस् के लिए

किसानों को बेघर करती है तो उसपर इसी सदन में उनका तर्क देखिए :

''जब सरकार खुद लोगों को बेघर बना रही है, उनको बसाने की जिम्मेवारी किसके ऊपर है ? जिन आदमियों को सरकार अपनी कलम से उजाड रही है, उनको बसाने की जिम्मेवारी भी उसी की है।''

उसी तरह, 14 मार्च, 1958 को आम बजट पर बोलते हुए वे एक जगह कहते हैं :

> "The agricultural sector or cottage industry sector does not require much foreign currency. I am sure the agriculturists of this country shall not lag behind as they have already shown their potentialities. The agriculturists made this country surplus in wheat, rice, cotton, jute, sugar etc to the extent that at one point it became a problem to maintain the reasonable price levels of these commodities. The government, I think, reluctantly had to resort to a price support policy in order to safeguard the interests of growers."

एक जगह वे लोगों को राहत देने हेतु कानून बनाने की अहमियत को स्वीकार करते हुए आगाह करते हैं कि ''सभापति जी, यह बात सही है कि बहुत सारी बातों की तकलीफ कानून बनाने से हट जाती हैं। लेकिन, अगर खाली कानून बनाने से तकलीफ हटने वाली होती तो हमने इस देश में पिछले 12, 13 साल में इतने कानून बना दिये हैं कि शायद यहां अब कोई दु:खी ही नहीं रहता।''

दूसरी लोक सभा में चौधरी रणबीर सिंह जब जब प्रतिपक्ष के आक्षेपों से अपने दल के बचाव में आते हैं, तब भी अपनी आस्था के सवालों पर अपनी ही सरकार को जमीनी स्थिति से रू-ब-रू कराते हुए जोरदार ढंग से इन समस्याओं को उठाते चलते हैं।

जब देश के ये अर्थशास्त्री मजदूरों को उचित वेतन देने तथा विकास पर खर्च से मुद्रास्फीति बढने जैसे तर्क उठाने लगते है तो चौधरी रणबीर सिंह उस अर्थशास्तरीय ज्ञान से अपने को अलग कर उलट अर्थशास्त्र को सामने लाते हैं। देहात के प्रति प्रशासन की उपेक्षापूर्ण बातों को गिनवाते हैं तो लगता है कि उनका कलेजा पीडितो के साथ है और वे उनके अर्थशास्त्र को तरजीह देते हैं। उनकी दिलचस्पी केवल खेती अथवा देहात तक नहीं, सदन में आने वाले किसी भी विषय पर वे एक सचेत विधायक का नजरिया अपनाते हैं और कहीं कमजोरी पाते है तो उसे ठीक

करने का आग्रह करते हैं। किन्तु, यह सही है कि उनकी चिंता सदा ग्रामीण भारत की अर्थव्यवस्था अथवा उसके मूल्यों को सुदृढ करने पर रही। अपने एक भाषण में तो वे ब्रिटिश काल की प्रशासन प्रणाली को हू-ब-हू ग्रहण कर लेने को संविधान सभा की गलती गिनाते हैं। ऐसे बहुत दृष्टान्तों से उनके भाषण भरे हैं, चाहे पीड़ित व्यक्ति दिल्ली के हों अथवा उडीसा के रहने वाले हों। वे अपने क्षेत्र से लगाव रखते चलते हैं, किन्तु उनका दृष्टिकोण क्षेत्रीयता से मुक्त सदा राष्ट्रीय है। अपने क्षेत्र की समस्याओं, चाहे मामला बाढ़ का या फिर ड्रेन न.8 या रोहतक सहकारी चीनी मिल का, उनको समय पर सदन में उठाने में कहीं कोताही नहीं हुई। सदन की कार्यवाही में पूरे देश के विकास की चाह तथा पूरे ग्रामीण आंचल की व्यथा उन्हें मथती लगती है। सरकारी आंकडों में छिपे रहस्य से वे परिचित रहते हुए, उनसे सीखने की चाह भी रखते थे। दस्तावेजो पर टिके तथ्यों की बारीकी से परख उनकी आदत का हिस्सा रहीं।

स्वतन्त्रता आन्दोलन में जमींदारी प्रथा उन्मूलन के प्रति जिस तरह देश का पूरा जनमानस विरोध में खड़ा हो गया था, चौधरी रणबीर सिंह आजादी के बाद भी इस प्रथा की समाप्ति चाहते थे। किन्तु, पारिवारिक श्रम पर आधारित खेती का उन जैसा प्रबल हिमायती बिरला ही था, जिसे वे देश की विकास यात्रा का आधार मानते थे। उसी को मिशन मान कर अपने पूरे संसदीय जीवन में लगे रहे। आजादी के बाद वाले कार्यकाल में अधिकतर जब निजी हित साधना को सूत्र मानकर सत्ता के गलियारों में विचरते हों, वहां चौधरी रणबीर सिंह संसद में लोकहित के विचार से ग्रामीण भारत की ताकतवर आवाज बन कर सामने आते हैं।

यह प्रकाशन दो भागों में है। साथ ही, सदन में पूछे गए सवालों को सम्बंधित भाग में अलग एक जगह कर दिया गया है। आशा है चौधरी रणबीर सिह जी द्वारा दूसरी लोक सभा में दिए उनके भाषणों को एक जगह पाकर पाठकों को सुविधा होगी और उनकी सामाजिक देन को समझने में उपयोगी लगेगी।

ज्ञान सिंह
अध्यक्ष,
चौधरी रणबीर सिंह शोध-पीठ

द्वितीय लोकसभा

शुक्रवार, 10 मई, 1957 *

शपथ

अध्यक्ष महोदय : जिन सदस्यों को शपथ लेनी है या प्रतिज्ञान करना है उनके नाम अब सचिव द्वारा एक एक करके पुकारे जाएंगे। पहले प्रधानमंत्री को बुलाया जाएगा और उसके बाद श्री अनन्तशयनम् अय्यंगार को। तत्पश्चात् मंत्रियों और उपमंत्रियों के नाम पुकारे जाएंगे। उसके बाद सभापति तालिका के सदस्यों के और फिर अन्य सदस्यों के नाम राज्यवार वर्णानुक्रम से पुकारे जाएंगे। जो सदस्य पहली बार पुकारे जाने पर शपथ न ले सकेंगे या प्रतिज्ञान न कर सकेंगे, उनको अन्त में बुलाया जाएगा।

Members Sworn

Shri Chuni Lal (Ambala-Reserved- Sch. Castes)

Shri M.C. Jain (Kaithal)

Chaudhry Ranbir Singh (Rohtak)

Ch. P.S. Daulta (Jhajjar)

Shri Ram Kishan (Mahendergarh)

** संसदीय बहस (कार्यवाही लोकसभा 1957-62), 10 मई, 1957, पृष्ठ 15-16*

द्वितीय लोकसभा

वीरवार, 5 दिसम्बर, 1957 *

भारतीय तार (संशोधन) विधेयक

Chaudhry Ranbir Singh (Rohtak) : The provisions of the Bill do not call for many comments. I know many of the arbitrary actions of the department, but I do not rise to complain against them.

The department is being handled by the Central Government. A large number of people in this country live in the rural areas, and the Government has some responsibility for these rural folk also. Although there many be some complaints against the arbitrary actions of the department, I wish to remind the hon. Members that we look for the day when the telephone system reaches the villages of this country, where 80 per cent of the population remains.

As my friend, Shri Bhakt Darshan, has just now pointed out, there are many markets where there are no telephone connections and the villagers are not able to get the proper price for their produce. There is a complaint and there is fear that the lower agricultural production of the country may upset the targets of our Second Plan. One of the reasons for lower production is that the agriculturists are not able to get a proper price, and for that I presume the telephone can make some contribution. If telephones are set up in the villages, I presume the villagers will get knowledge and will be able to get a proper price for their produce, and they will get an incentive to produce more foodgrains and other agricultural commodities.

** संसदीय बहस (कार्यवाही लोकसभा 1957-62),5 दिसम्बर 1957, पृष्ठ 3794-3795*

I would request the hon. Minister to examine that aspect and see that telephones reach the villages as early as possible.

द्वितीय लोकसभा

वीरवार, 12 दिसम्बर, 1957 *

दिल्ली विकास विधेयक

चौधरी रणबीर सिंह (रोहतक) : उपाध्यक्ष महोदय, इस विधेयक का नाम दिल्ली डेवलपमेंट विधेयक है। लेकिन, जहां किन्हीं लोगों के लिये यह डेवेलपमेंट बिल है, इसको किन्हीं दूसरे लोगों के लिये विनाशक बिल नहीं होना चाहिये। विकास का एक पहलू ख्याल में रहे और दूसरा ऐस्पेक्ट दिमाग से हटा दिया जाए, मैं समझता हूँ कि यह कोई स्वस्थ विकास नहीं है। डेवेलपमेंट के माने सिर्फ यही नहीं हैं कि सिर्फ इस शहर के अन्दर मकान पर मकान खड़े कर दिये जाएं। डेवलपमेंट के माने यह भी है कि यहां जितनी जनता रहती है, उस जनता के खाने पीने के लिये भी कुछ किया जाए। दिल्ली शहर के बढ़ते बढ़ते, दिल्ली के रहने वालों को अनाज की भी जरूरत होगी। अनाज की कमी होती जा रही है तब मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूँ कि वह इसे डेवेलपमेंट बिल कैसे कहते हैं? आखिर मकानों से ही तो इन्सान जिन्दा नहीं होता है। इन्सान के लिये, इन्सान की तरक्की के लिये, खुराक भी चाहिये। क्या आप ने खुराक देने का इन्तजाम किया? या उस से उल्टे जा रहे हैं? मालूम ऐसा होता है कि एक ही तरह के, एक ही ख्याल के आदमियों का पक्ष दिमाग में रक्खा जाता है और जो दूसरे लोग दिल्ली में बसते हैं, उनके खयालात को, उन की बातों को दिमाग से भुला दिया जाता है। इसीलिये कितनी दफा हमारी पालिसियों का फैसला होते हुए बेतुकी पालिसी हो जाती है और वह हेल्दी डेवेलपमेंट नहीं होता।

आप जानते हैं कि दिल्ली के आप पास रहने वालों की बहुत दिन से एक मांग थी कि उनके ख्यालात भी आ सकें। लेकिन, हालात ऐसे हुए जिन की बिना पर इस

** संसदीय बहस (कार्यवाही लोकसभा 1957-62), 12 दिसम्बर, 1957, पृष्ठ 5001-5005*

सभा ने इस मांग को कबूल नहीं किया और इस मांग को ठुकरा कर के, जो देश के हित में था वैसा इन्तजाम करने की कोशिश की। मैं यह अवसर उपयुक्त नहीं समझता कि फिर उस बात की कहानी कहूँ। लेकिन, मैं एक बात जरूर कह देना चाहता हूँ कि आपने जिन आदमियों के अधिकार छीने थे, आप जिन के संरक्षक बने थे उनका भी ख्याल आप को दिल में रखना चाहिये। मैं पूछना चाहता हूँ कि जो भाई यहां पर खेती करता है, जो दिल्ली में रहने वालों के लिये सस्ता अनाज पैदा करता है, सिर्फ इसलिये, कि किसी भाई को शौक हुआ है कि वह दिल्ली में आ कर बसे, उस के मकान खड़े हों, उस को उस से रोका जाए? जो यहां पैदावार हो रही थी, उसे रोका जाए, क्या यह सही पालिसी है? जहां हम इस बिल को पास करेंगे, उस के साथ-साथ मेरी प्रार्थना है कि मंत्री महोदय इस पक्ष को भी ध्यान में रक्खें। जिन आदमियों को मजबूरी के कारण हमें उठाना पड़ता है, उनको बसाने के लिये, उन को पैसा देने के लिये, जिस तरह आप शहर वालों को सुविधायें देते हैं, उसी तरह उन को भी देना चाहिये। जैसा राजा साहब ने कहा .....

उपाध्यक्ष महोदय : राजा साहब ने आप का बताया हुआ ही यहां बताया है।

चौधरी रणबीर सिंह : नहीं सरकार, मैंने उन को ऐसी कोई बात नहीं बतलाई। मैंनें तो उन्हीं से सीखा है, वह तो मेरे बुजुर्ग हैं।

मैं अर्ज़ कर रहा था कि दूसरे शहरों में बड़े-बड़े कई मंजिल के मकान हैं, यहां भी कई बस्तियां हैं जहां एक एक मंजिल के मकान हैं। वहां भी कई-कई मंजिलों के मकान बनाये जाएं। एक तरफ तो प्रतिबन्ध लगाया जाता है कि नई दिल्ली में दूसरी मंजिल नहीं बनेगी, दूसरी तरफ जो जमीन 25 साल पहले ली गई थी वह बसी नहीं है। तीसरी तरफ आप और जमीन लेने को तैयार हैं। आखिर यह क्या नीति है? यह ठीक है कि उन लोगों की आवाज में दम नहीं है। हमारे राधा रमण जी दिल्ली शहर के रहने वाले हैं। वे कह रहे थे कि हमें दिल्ली शहर का ज्यादा इल्म नहीं है। लेकिन, मैं कह सकता हूँ कि दिल्ली के देहातों की जनता का हमें उनसे ज्यादा इल्म है वे दिल्ली के देहात को भूल बैठे हैं। वे उन को इस संसद में रिप्रेजेन्ट भी नहीं करते। इस वास्ते वह सिर्फ दिल्ली शहर के लोगों के पक्ष को ही यहां रखते हैं। लेकिन, सरकार के लिये यह उचित नहीं है। सरकार तो दिल्ली शहर को ही रिप्रेजेन्ट नहीं करती है, भारत सरकार तो सारे हिन्दुस्तान को रिप्रेजेन्ट करती है। उस के अन्दर 80 फीसदी नुमान्दे देहातों के हैं। अगर किसी नुमाइन्दे द्वारा ऐसी चेष्टा होती है, जिस से देहात और शहर का भेद पैदा होता है। वह ठीक नहीं है। इस तरह की बातों में हमें बड़ी एहतियात

से चलना चाहिये। यहां बड़ी-बड़ी हुकूमतें आईं, वह भी देहातों को नहीं उखाड़ सकीं, उनकी तहज़ीब और तमछुन को नहीं मिटा सकीं। लेकिन, आज आप उसकी तहज़ीब और तमद्दून को मिटाने के लिये तैयार हैं। इस सभ्य दुनिया में, ऐसे समय में बड़ी धीरज से काम करना चाहिये, सिर्फ इसलिये, कि कुछ भाई जिन के हाथ में अख्त्यार हैं, जिनके हाथ में मोटरें हैं .....

उपाध्यक्ष महोदय : जिस मंजिल पर हम हैं, अगर उसका ख्याल रक्खा जाए। तकरीरें ऐसी हो रही हैं, जो न सिर्फ पहली रीडिंग की हैं, न दूसरी रीडिंग की है, बल्कि तीसरी मंजिल आने वाली है, उस के लिये की जा रही है। इस लिये मेरी विनती है कि जो 15 क्लाज़ है, उस में से जो अथारिटी बनाई गई है, डेवेलपमेंट के लिये जमीनें लेने के बारे में हैं। वह जमीनें लेने के बारे में हैं। वह जमीनें किन शरायत पर ली जाएंगी, यह बात दी गई है। इस वास्ते अब उन चीजों को फिर से खोलना मुनासिब नहीं होगा जिन को हाउस ने तय कर दिया है। डेवेलपमेंट आथारिटी बन गई। उस को जमीन लेने का अख्तियार दे दिया गया। वह सब कुछ हो गया। जब वे क्लाज़ेज आये। कोई साहब बोले नहीं। अब सवाल यह है कि एक्वीज़शन किस ढ़ंग से होगा, कैसे मुआवजा दिया जाएगा, उस पर आप बोल रहे हैं।

चौधरी रणबीर सिंह : इस सदन को मौका मिला उन बातों पर बोलने का। लेकिन, मैं यह मानता हूँ कि मैं इस धारा के मुताबिक बोल रहा हूँ। यह ठीक है कि सरकार को और धाराओं के मुताबिक जमीन लेने का अख्तियार होगा। लेकिन, इस बारे में तो मैं बोल सकता हूँ कि आप जमीन सही तौर पर लेते हैं या सारे देश को ले कर खाली डालने के लिये लेते हैं। अगर खाली डालने के लिये जमीन ली जाती है। यह नीति देश के लिये अच्छी नहीं होगी। हमने कितनी ही बातें पास कर ली हों, लेकिन, हम इस पर बोल सकते हैं और बहस कर सकते हैं कि जमीन सही तौर पर ली जा रही है या नहीं। यह सवाल नहीं है कि जमीन ली जाए या नहीं। मैं जमीन लेने के खिलाफ नहीं हूँ। लेकिन, मैं इस बात को कह सकता हूँ कि जो जमीन लें . . . . . .

उपाध्यक्ष महोदय : अब मेरी विनय ही मान ली जाए। बजाए यह कहने कि आप इस पर बोल सकते हैं या नहीं जो आप कहना चाहते थे उस को कह कर मुख्तसिर में खत्म करें।

चौधरी रणबीर सिंह : मैं आप की आज्ञा को मानता हूँ।

मैं अर्ज़ कर रहा था कि जहां डेवेलपमेंट का एक पहलू है वहां उसका दूसरा

पहलू भी है। यहां लोगों को हमें धन्धा भी देना है। वरना, जो मकान बनाने का इरादा है वह मेरे ख्याल में बिलकुल फिजूल हो जाएगा। जैसा अभी राजा साहब ने बतलाया, देश में बहुत सारे मकान है जो खाली पड़े हैं, क्योंकि, वहां पर कोई धन्धा नहीं है। अगर आप की नीति यह है कि यहां मकान बना कर उन को खाली रखना है तब। मैं यह समझ सकता हूँ और उस के लिये आप चाहे जितनी जमीन ले लीजिये। लेकिन, अगर यह नीति है कि मकान बना कर उन में जिन लोगों को बसाना है उनके लिये रोजगार भी मुहय्या करना है। हमें सोचना होगा और समझना होगा और बड़ी गम्भीरता से सारे पक्षों को ध्यान में रखना होगा। मेरी अर्ज यह है कि हम को सोचना चाहिये कि हम कितना बड़ा शहर बसाना चाहते हैं। हमारे राष्ट्र पिता की राय थी कि बड़े-बड़े शहर नहीं बनने देना चाहिये। लेकिन, जो बेसिस है उस को मैं इस वक्त चैलेंज करने नहीं जा रहा हूँ। मैं यह समझता हूँ कि शहर को बहुत ज्यादा नहीं बढ़ने देना चाहिये। बेशक जितने मकानों की जरूरत है आप बनायें। लेकिन, साथ ही साथ जो दिल्ली में रहने वालों की दूसरी जरूरियात हैं जैसे प्रोफेशन आदि उनका भी ध्यान रखना चाहिये।

जो लोग देश का बंटवारा होने के कारण, चाहे बंटवारा अंग्रेज़ ने कराया या मुस्लिम लीग ने बेघर हो कर यहां आये, उन को फिर से बसाने के लिये करोड़ों रुपया सरकार ने खर्च किया। लेकिन, अब सरकार खुद लोगों को बेघर बना रही है। उन को बसाने की जिम्मेवारी किसके ऊपर है? जिन आदमियों को सरकार अपनी कलम से उजाड़ रही है उन को बसाने की जिम्मेवारी भी उसी की है।

द्वितीय लोकसभा

वीरवार, 12 दिसम्बर, 1957 *

दिल्ली विकास विधेयक

चौधरी रणबीर सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, इस धारा में मुआवजा देने का सवाल है। मुआवजा देने के साथ-साथ इस देश के संविधान में एक बात और लिखी है कि किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। मैं पूछना चाहता हूँ कि इस दिल्ली शहर के अन्दर क्या यह सही नहीं है कि आज भी जब मकान किराये पर लेते हैं। पगड़ी के रुपए देने होते हैं और जब सवाल उठाया जाता है। कहा जाता है कि जब वह नोटिस दे देगा, उस के बाद कोई कीमत नहीं बढ़ेगी। क्या यह सच नहीं है कि हमारे देश के कुछ भाई जो हमारी सरकार का इन्तजाम करते हैं, मैं नहीं कहता कि सब ऐसे हैं। लेकिन, कुछ जरूर ऐसे हैं जो ईमानदारी से काम नहीं करते हैं और अपनी पोजीशन का फायदा उठाते हैं। अब वह बेचारा नोटिस देगा, उस के बाद 8 या 9 साल में उस को कुछ मिलेगा। जितना रुपया मिलेगा वह नोटिस के छुड़ाने की कोशिश में ही लग जाएगा। उसे हमेशा यह फिक्र रहेगी कि इस नोटिस से किस तरह मेरा पिंड छूटे और वह भागता फिरेगा, अफसरों की खोज करता रहेगा। इसके लिए पता नहीं कितना रुपया खर्च कर देगा।

ठीक है, एक आदमी को बिन मेहनत कमाई न दीजिए। लेकिन, क्या यह सच नहीं है कि दिल्ली में कुछ लोगों ने 1 रु. और 7 आ. गज जमीन खरीदी और उस के बाद 50, 50 रु. गज बेची। उस की बिन मेहनत कमाई के लिए आप ने क्या किया? अगर वह अनअर्न्ड इनकम करता है तो हमें कोई गिला नहीं है। जब तक आप ने उसका कोई इन्तजाम नहीं किया, जिन्होंने देश के अन्दर रुपये से खेल खेला

** संसदीय बहस (कार्यवाही लोकसभा 1957-62), 12 दिसम्बर, 1957, पृष्ठ 5023-5027*

है, तब तक आप किस तरह से उनसे यह कहेंगे कि वह अनअर्न्ड इनकम के मुस्तहक़ नहीं, जिन्होंने आप की सुविधा दी है। किस मारला बैकग्राऊंड से आप उस से यह कह सकते हैं? मैं पूछना चाहता हूँ कि जब वह शहर के अन्दर नहीं बसे हैं, वे देहात के इलाके में बसे, उन्होंने कई राज्यों का मुकाबला किया है, कई राज्य आए और कई राज्य गए, इसके बावजूद भी वह अपनी तहजीब और तमदुन को कायम रख सके, तब आप कैसे कह सकते हैं कि वह अन्अर्न्ड इनकम के मुस्तहक नहीं? चाहे वह एक एकड़ का मालिक हो, चाहे आधे एकड़ का मालिक हो वह तो मुस्तहक नहीं। लेकिन, जो यहां जमीन खरीदने के लिए आते हैं, 4, 4 आ. से ले कर 1, 1 रु. गज तक जमीन खरीदते हैं और 50, 50 रु. गज बेचते हैं उन्हें अनअर्न्ड इनकम कमाने का अधिकार है, क्या यह भेदभाव नहीं है? अगर है तो आप का जो मुआवजे का कानून है मुझे मालूम नहीं उसे सही माना जा सकता है या नहीं, या कोई गरीब आदमी अदालत पहुंच सकता है या नहीं और कोई न्याय अपने लिए हासिल करा सकता है या नहीं। लेकिन, मैं यह जानता हूँ कि दिल्ली की संसद् के अन्दर, जो बड़ी जिम्मेदार मानी जाती है किस को दिल्ली की बात कहने का हक दिया गया है। इस संसद् के अन्दर अगर दिल्ली के लिए कोई बात कहनी हो। दिल्ली शहर के जो तीन चार भाई यहां हैं वही लोग दिल्ली की आवाज को सही तौर पर रख सकते हैं, ऐसा माना जाता है। क्या हम लोगों पर दिल्ली के लोगों की जिम्मेदारी नहीं है? सिर्फ इसलिए कि राधारमण जो एक बात कहते हैं या दूसरे हमारे दिल्ली शहर के भाई कहते हैं, किसी बात को सही समझ लिया जाए? अगर ऐसा है तो मैं समझता हूँ कि उन भाईयों के साथ जिन से अधिकार ले लिया गया था अन्याय है और हम उनके ऊपर एक और चोट कर रहे हैं। सदन में इस कानून को बनाते हुए सोचना चाहिये कि 55 में जो बात है, भले हो उस में छोटे आदमियों की बात कही जाती है। लेकिन, उसमें छोटे के साथ कोई रियायत नहीं है यह रियायत सिर्फ बड़े के लिए है। हमारे दिल्ली शहर के अन्दर एक कालोनी बनी थी। मुझे पता है उस के अन्दर शायद ही कोई आदमी लखपति से कम रहा हो। मुझे कोई ऐसी मिसाल बता दे कि जिस आदमी की जमीन ली गई हो वह 5, 10 एकड़ से ज्यादा का हो या जिस की आमदनी 1000 रु. सालाना से ज्यादा की हो। उन आदमियों की जमीन ली गई और किसके लिए ली गई? जिन की आमदनी 1, 1 लाख रु. से ऊपर है। चाहे वह पाकिस्तान छोड़ कर आए, चाहे भारत के हों। यह बात सही है कि तमाम कुछ छोड़ कर चले आने के बाद भी वह जिन लोगों से जमीन ली गई उनसे अच्छे थे, उनसे ज्यादा अच्छी हालात में थे। मैं समझ

सकता हूँ अगर किसी हरिजन कालोनी को बसाने के लिए जमीन ली गई। मैं समझ सकता हूँ अगर उसे 4 आने भी मुआवजे के रूप में दे दिए जाएं उसका मुझे ज्यादा गिला नहीं होगा। लेकिन, जो जमीन ली जाती है वह बड़े-बड़े कारखानेदारों को बसाने के लिए बड़े-बड़े साहूकारों को बसाने के लिए एक्सपोर्ट इम्पोर्ट पर्मिट लेने वालों के लिए जिन्होंने ब्लैक मार्केट में रुपया कमाया। उन लोगों की जमीन ली जाती है जिन से इस हाउस ने अधिकार छीना था जिन देहात वालों की असेम्बली छीनी थी। क्या सदन को मालूम नहीं कि उनसे हम क्या छीन रहे हैं और किसके लिए हम जहर बो रहे हैं यहां के कौन रहने वाले हैं? जितने भी हैं दिल्ली में ज्यादातर सरकार के नौकर हैं। उनका क्या वास्ता है इस इलाके के लोगों से? कितने आदमी हैं जो दिल्ली में पैदा हुए हैं? बहुत थोड़े से हैं। लेकिन, बड़े-बड़े सरकारी आदमी कोई बम्बई से आता है कोई यू.पी. से आता है कोई पंजाब से आता है। यहां के लोगों को उनसे कोई वास्ता नहीं है न अफसर उनके हैं न असेम्बली उन की है। आप जरा सोचिए तो सही वह उनके फायदे के लिए क्या कर सकते हैं? मैं सोच समझ कर शान्ति और धैर्य के साथ आप से कहता हूँ कि आप अनअर्न्ड इनकम का सवाल उनके बारे में न उठाएं। मुझे जरा भी अफसोस नहीं है अगर आपने पचास और तीस एकड़ वालों की जमीन ले ली है। आप उसे किसी को भी दे दीजिए, मुझे जरा भी एतराज नहीं है। आप पच्चीस एकड़ वाले की जमीन ले लीजिए। किसी को भी दे दीजिए उस पर भी मैं एतराज नहीं करूंगा। लेकिन, अगर आप पांच एकड़ वाले की जमीन लेते हैं, एक या दो एकड़ वाले की जमीन लेते हैं और ले कर देते हैं किसी बड़े साहूकार को तो आप खुद ही बताइए कि यह गरीबों का ख्याल है या अमीरों का ख्याल है या किसकी भलाई की बात आप करते हैं? इसकी एन्क्वायरी कराई जाए कि यहां जो इस किस्म की बातें होती हैं आया बड़े-बड़े आदमियों के साथ उनका वास्ता नहीं होता है। जो आदमी अखबार निकालते हैं, वह आदमी उनके पास गए जो पांच और छः रूपये देने के लिए तैयार थे।

लेकिन जब उन्होंने इन्कार किया आर एक दो रूपया और ज्यादा मांगा तो वे लोग कार लेकर अफसरों के पीछे गये और चार एक्कायर हुई। जब यह इतिहास हो और हम यह बात कहें कि जिस वक्त ली जाये उस वक्त की भी कीमत न दी जाये तो मैं समझता हूँ कि उन बेचारों के साथ बहुत बड़ी बेइन्साफी होगी और उनका इस सदन के खिलाफ गिला होगा और उनको रोष होगा। वे कुछ कह नहीं सकते। उनके पास अखबार नहीं है, उनके पास नेता नहीं हैं, उनके पास कोई यूनियन नहीं है,

उनके पास कोई झण्डा खड़ा करने वाला नहीं है। लेकिन, वे आपके प्रति वफादार हैं। वे आपके लिए लड़ेंगे। वे देश को आजाद कराने के लिए लड़े थे, जेलों में गये थे और उन्होंने दिल्ली के इतने नजदीक रहते हुए भी देश के तमद्दन को कायम रखा। इतनी सल्तनतें चली गयीं, उनका दिल्ली के दूर-दूर असर हुआ। लेकिन जो आदमी यहां से चार-पांच मील दूर बसे थे, वे वैसे के वैसे ही रहे। हजारों साल का इतिहास उनको बदल नहीं सका।

आज जो आप सन 1955 की बात कहते हैं, इससे उनको बड़ा नुकसान होगा। उनके साथ न्याय नहीं हुआ। आप सोचिये और जैसे पहले था, उसी तरह रहने दीजिये। इस अमेंडमेंट को छोड़ दीजिये।

द्वितीय लोकसभा

वीरवार, 13 मार्च, 1958 *

आम बजट जनरल चर्चा

Chaudhry Ranbir Singh (Rohtak) : Mr. Deputy-Speaker, Sir, several sepeakers who preceded me used several adjectives for the Budget. I am not going to use any further adjectives for the Budget.

An Hon. Member : Use an adverb.

Chaudhry Ranbir Singh : There are several friends who are against lowering the taxable minimum of incomes; there are some friends who are against taxes. There are still some other friends who are against deficit financing. They do not spare any cause either here in the House or outside when they do not raise their voices against realising taxes for the development of this country and for the implementation of the Plan. But, still, they express lip sympathy for the implementation of the Plan.

My friends like Shri Vajpayee and several others who do not spare any opportunity to incite people either in the name of language or in the name of States or in the name of no tax realisation slogans, day in and day out, have been trying to stand in the way of the implementation of the Plan. They have quoted several statistics to suit their political slogans. He should also like to quote some statistics to prove that we are going in the right direction and that we are proceeding cautiously.

Mr. Deputy Speaker : The House will hear the hon. Member tomorrow. We many take up the discussion now.

** संसदीय बहस (कार्यवाही लोकसभा 1957-62), 13 मार्च 1958, पृष्ठ 4810-4811*

द्वितीय लोकसभा

वीरवार, 14 मार्च, 1958 *

आम बजट जनरल चर्चा

GENERAL BUDGET - GENERAL DISCUSSION - contd.....

Mr. Speaker : The House will now resume further discussion of the General Budget for 1958-59. Out of 20 hours allotted for general discussion, 11 hours and 54 minutes have already been availed of. Eight hours and 6 minutes now remain.

Chaudhry Ranbir Singh (Rohtak) : Mr. Speaker, yesterday I was saying that if reliance is to be given to the statistics mentioned by the Members of the various groups of the Opposition, the laymen in this country will be obliged to feel that everything is wrong with the Government. I do not claim that everything is O.K. with the administration but I must say that everything is not wrong with the administration.

I would like to mention some statistics to prove my contention. This is the seventh year of the Plan period. We started with an expenditure of Rs. 259.54 crores for implementing the Plan in 1951-52, while, according to the Budget estimates presented for the next year, 1958-59, the Plan expenditure is expected to come to about Rs. 1017 crores, which is almost four times the expenditure which was incurred in 1951-52, almost equal to 50 per cent of the expenditure of the First Plan.

Similarly, if one looks at the pace of net capital formation by and

---

** संसदीय बहस (कार्यवाही लोकसभा 1957-62), 14 मार्च, 1958, पृष्ठ 4973-4979*

through the Central Government under direct and indirect heads, it was Rs. 511 crores in 1956-57 while it is expected to be Rs. 700 crores in 1958-59. The increase in net capital formation will be more than 50 per cent in the year 1958-59 in comparison to 1956-57. Similarly, if one compares the potentialities of the revenues of the Central Government, one will be amazed to find that in 1948-49, it was Rs. 371.70 crores while in 1958-59, it is expected to be of the orderof Rs. 768.99 crores, which is more than double that of the year 1948-49.

As regards the pace of expenditure of the Central Government out of the Revenue Budget estimate, it was Rs. 320.87 crores in the year 1948-49, while it is expected to be Rs. 796 crores in 1958-59, which is also more than double that of 1948-49. It clearly denotes that the economy has expanded 100 per cent more in the last 10 years. The total expenditure of the Central Government exclusive of the operating expenses of departmental commercial undertakings was Rs. 1091 crores in 1956-57 while the same is expected to be Rs. 1609 crores in 1958-59. Here also, the increase is more than 50 per cent.

The pace of development of the country and the success of the First Five Year Plan have created confidence in the people in the country and also in foreign countries which is clearly depicted in the response shown by increase of net borrowings of the Central Government under the various loan heads. It was Rs. 186 crores in 1956 while the same is expected to be Rs. 537 crores in 1958-59. This includes a credit of Rs. 380 crores as foreign aid. The Framers of the Second Five Year Plan expected external assistance of the order of Rs. 600 crores for the implementation of the Plan. A sum Rs. 570 crores has already been committed as foreign aid for the Second Five Year Plan, leaving a margin of Rs. 230 crores which also, I believe, will be forthcoming. Many speakers, instead of being jubilant, developed a fear complex that probably the country may not be able to repay the loan according to the schedule. I am sure, not only the Planning Commission must have looked into the matter minutely, but the creditors also must have taken due care of their interest more than our critic friends in this House. I do not know why some friends here have started advocating the interests of the creditors rather than for the development of this country although the help is coming

from different blocks of the world. The creditors must have advanced it after due scrutiny. I can understand the anxiety of the Members of this House for a proper expenditure of the aid while I fail to understand the other aspect, that is, the paying capacity of the country. It can safely be left to the creditors.

Any way, I may submit that we would be paying something about Rs. 23 crores in the year 1958-59. The peak year in this respect is expected to be 1961-62 in which we will be required to pay Rs. 123 crores. God willing, the country shall cross that hurdle also as we have already crossed many hurdles in the past in our development era.

It is complained that the Government have resorted to deficit financing to the tune of Rs. 1,076 without any proper authority. I would like to present this fact in a slightly different way. I feel that it shows the soundness of the financial condition of this country as inflation has not been allowed to creep in spite of the deficit financing to the extent referred to above. Personally I feel that the limitation of the expansion of the currency should not be allowed to stand in the way of progress, and deficit financing will not harm the interests of the people at large provided agricultural production and cottage industry production expand with the required speed.

The agricultural sector or the cottage industry sector does not require much foreign currency. I am sure the agriculturists of this country shall not lag behind as they have already shown their potentialities. The agriculturists made this country surplus in wheat, rice, cotton, jute, sugar etc., to the extent that at one time it became a problem to the country to maintain the reasonable price levels of these commodities. The Government, I think, reluctantly had to resort to a price support policy in order to safeguard the interests of the growers.

I am sure if the required cheap credit is provided and a reasonable price level is guaranteed by the State, the agriculturists and the artisans will not allow the evil of inflation to spread, even though the country may resort to deficit financing to more than double the extent envisaged in the Second Five Year Plan.

I do not know the reason why road development and social services are not expedited with the speed and to the extent that people

demand today in the rural areas.

As regards agricultural credit, I would like to draw the attention of the Finance Minister to the demand made by the conference of Central and State Ministers of Agriculture held at Mussoorie in 1956. The conference demanded that an additional credit of Rs. 116 crores be placed at the disposal of the agriculturists to achieve the desired target of agricultural production. The agriculturists of the country are pained that the country which advanced Rs. 1,300 crores for import of foodgrains can not afford the necessary credit facility for the agricultural sector. On an average we have been spending Rs. 130 crores every year for import of food. Even today, I am fully convinced, if the Government decides to advance Rs.200 crores credit a year, the country will need no further import of foodgrains.

The credit requirements of the agricultural sector is about Rs. 750 crores a year for the existing level of productive operation. The peasant is obliged to accept finance even at about 30 per cent interest under the existing system. You can easily imagine how one can increase production with such dear capital and with the primitive methods prevailing.

The country will have to resort to more intensive utilisation of land in order to increase production, that is through better seeds, more water, more fertilisers, better techniques of cultivation, which will require extra finance in addition to Rs. 750 crores. About Rs. 250 crores finance has been allotted for the agricultural sector in the Second Five Year Plan. I am surprised to note that the borrowings from the Reserve Bank by the State co-operative banks on the last Friday of December, 1957 was only Rs. 34.66 crores and the total advances by the State co-operative banks was also Rs. 41.27 crores, while in a totalitarian country like China the target of agricultural finance for their First Five Year Plan was Rs. 640 crores and Rs. 560 crores had been carried out by August, 1958. Not only that the total outlay of government expenditure by way of loan and other investments in the agricultural sector has been kept at Rs. 1680 crores in the First Five Year Plan in China while the corresponding figure in a demoratic country like India was only Rs 758 crores in the in the First Five Year Plan. One can easily imagine the limitation of the Indian

agriculturist.

It is very easy to fix the target for production, and it is also very easy to blame the agriculturists for not reaching the targets, or to complain against Nature or the environments in which he lives, but I am sure that if the facilities which are provided under totalitarian rule in China are provided to the Indian agriculturists, they will not only come up to our expectations, but will also place the financial condition of the country on a sound footing and increase the potentialities of development to a higher pitch than envisaged in the Second or the Third Five Year Plan.

Many friends have complained against the lowering of the minimum of the taxable income. I would like to submit that this country is composed not only of wage-earners, officers, shop-keepers and industrialists. More than 80 per cent of the people depend on land. The principle of taxation for 80 per cent of the population is different from the principle of taxation the 20 per cent. How long this discrimination will continue, and where it will end, I do not know.

The agriculturists on the one hand are obliged to pay land revenue, even if do not get Rs. 190 from their holdings; they are not allowed to get more than Rs. 3,600 income under our reorganised contemplated scheme, while on the other hand, the taxable minimum for the rest of the population is Rs. 3,600. On might say that land revenue is a rent, or it is a State subject, but I would like to submit that in a Republic no one can call land revenue as rent. It is a tax. Every one living in this country has the same rights and privileges as anybody else. The Punjab and Andhra Governments expressed their desire to exempt land revenue to the extent of Rs. 5 and Rs. 10, respectively, but I am told that the Planning Commission of the Government of India has not allowed them to do so. It is really very strange that on the one hand every pie, or even less, is being taxed while on the other hand people complain of the lowering of the minimum taxable limit. I am sure the country will have to rationalise the land revenue system on the income-tax basis at some stage or other. We can no longer depend on the outmoded system of land revenue.

According to the report of the Taxation Enquiry Commission, the income from land revenue used to be 69 per cent of the total revenues of the Centre and the States in 1793-94. It came down to 8.6 per cent

in the year 1953-54. The percentage of the receipts from land revenue to the total tax revenues of the erstwhile Part A States used to be 54.8 per cent in the year 1922, while it has dwindled down to 26.6 per cent in the year 1954. I am sure the Planning Commission can remove this discrimination in the principle of taxation of income from land and other sources if it makes up its mind to do so. I would urge the Planning Commission and the Government of India to help the State and the Central territories to remove this discrimination in the principle of taxation of the agricultural population and the rest of the population.

द्वितीय लोकसभा

वीरवार, 3 अप्रैल, 1958 *

अनुदान मांगें

Chaudhry Ranbir Singh : Mr. Deputy-Speaker, the Community Projects Administration was established in this country to change the face and the surface of the rural area and to increase the income potential of the people. As regards the face and surface, I presume the Community Projects Administration has been successful to some extent. In January, 1958 there were 2,152 blocks, which covered 2,76,000 villages.

Shri Feroze Gandhi (Rai Bareli) : How many blockheads were there?

Chaudhry Ranbir Singh : I do not know.

Mr. Deputy Speaker : If the hon. Member gets advice here, he will be taken astray.

Shri Braj Raj Singh (Ferozabad) : He is not a good adviser.

Chaudhry Ranbir Singh : On the eve of independence of this country, the total investment under major irrigation schemes stood at Rs. 110 crores. While during the First Five Year Plan period Rs. 110 crores were invested for minor irrigation works alone and Rs. 400 crores were invested for major irrigation projects, during the First and Second Plan period something like Rs. 1,796 crores will be spent for the benefit of the rural areas. Still the condition today is that after independence this country was obliged to import foodgrains to the extent of something about Rs.

** संसदीय बहस (कार्यवाही लोकसभा 1957-62), 3 अप्रैल 1958, पृष्ठ 8234-8238*

1,335 crores worth and we were obliged to give subsidy to the extent of about Rs. 200 crores to sell that grain at cheaper rate for the urban population.

Any amount of propaganda with jeeps or any other equipment will not produce more food for this country. We require cheap finance and a price support policy to induce the grower to produce more food for the country. I wanted to interrupt and suggest while the hon. Minister of Food and Agriculture was replying to the Budget discussion to saythat a Committee, whatsoever may be the personnel, to deal with the agricultural problems of this country may be sent to China. I said it for a certain purpose. I remember the day when agriculturists of this country were able to produce food in surplus and the price went down. Big people in the Food and Agriculture Ministry were of the view that it is not possible for this poor country to give price support. Well, some big officers when they went to China, changed their opinion. In this connection I would like to draw your attention to the Report of the Indian Delegation to China on agricultural planning and technique:

"Provision of the necessary finance for agriculture, price policy, technical assistance, supply of producers' goods like fertilisers etc., in accordance with the approved plan for production, and in some cases contracts for purchase of the produce at a predetermined price and supply of requisites against that contract are the principal means through which the Chinese authorities are inducing Chinese farmers now organised into producers' co-operatives to conform to the national plan"

They were further of the view that

"The targets for agricultural credit proposed tentatively in the Second Five Year Plan need to be revised upward in substantial measures and early steps should be taken to ensure an adequate provision of credit through co-operative channels whenever possible and through Government agencies elsewhere. The administrative procedures relating to the grant of credit by co-operatives as well as by Government agencies should be re-examined so that farmers can receive financial assistance within a week or at the most two weeks and without having to depend upon the favour of the petty officer."

They further remark :

"Like China, our surplus is marginal, temporary and manageable. If China can handle this problem, there is no reason why we should not be able to do so. As long as our problem continues to be one of the shortages and our main problem is to organise for increasing production we should not be worried that the policy of price stabilisation will lead to overproduction."

My friend was referring to the Credit Survey Committee's Report and its figures. He said 3 per cent of the credit was being supplied through co-operatives. I say now it has gone up. At that time the credit which came through the co-operative societies was Rs. 24 crores, while this year it is expected to be Rs. 100 crores, and next year it is expected to be Rs. 140 crores. But the Reserve Bank has helped the agriculturists only to the extent of Rs. 35 crores, while, on the other hand, the Reserve Bank, under the advice of the Finance Ministry, forced the other banks to withdraw finance to the extent of Rs. 25 crores in order to keep the prices low. If we proceed in this manner, I am not very sure whether the Community Development administration or any other administration will help the country to produce more food in this country.

I do not know about the break-up of Rs. 227 crores which at present is provided according to the Second Five Year Plan, but according to the draft of the Second Five Year Plan, Rs. 200 crores were provided for the community projects administration and the break-up was : Rs. 52 crores for personnel, equipment of block headquarters, and if certain other items under social education, housing for projects, rural housing, community development, miscellaneous centres are to be added, I presume it comes to about Rs. 104 crores, which means that out of Rs. 200 crores, Rs. 104 crores are likely to be paid as emoluments to some officers or personnel irrespective of the fact whether they are serving as agricultural, educational or other personnel.

Shri Feroze Gandhi : Of what?

Chaudhry Ranbir Singh : In the Community Project administration.

Mr. Deputy Speaker : If the hon. Member wants to proceed, he shall have to be impervious to these interruptions.

Chaudhry Ranbir Singh : The rest, hardly Rs. 38 crores, is to

be given as grant. Whatever balance remains will be advanced as loan. I presume that if that grant can be given through the Panchayats, probably we can achieve more.

An Hon. Member : How?

Chaudhry Ranbir Singh : I have got some figures regarding our own State, to show the way things are going on, I presume it will not be possible for us to go ahead.

Shri B.S. Murthy : Which is the State?

Chaudhry Ranbir Singh : Punjab State. The State of the Deputy-Speaker and myself.

Sh. D.C. Sharma (Gurdaspur) : That is my State also.

Chaudhry Ranbir Singh : The Panchayats Department sponsored schemes to increase the income potential of the Panchayats, worth about Rs. 18,22,150. Out of that the Panchayats, were to contribute Rs. 5,95,150. If the schemes had been implemented, they would have increased the income of the Panchayats to Rs. 14,02,591 a year. The schemes were ment for 1957-58, but actual sanction has not been given to the Panchayats Department to this day. So, the difficulty is in the method of releasing funds and the working of various departments which are concerned with the agriculturist.

As far as the block development officers are concerned, I have seen that they visit the villages during day and at night generally they go back to their houses. The jeep which would have served a very useful purpose for moving about and for doing service is generally being used by them for going back to their headquarters at night. If an inquiry is held, I am sure my contention will come out to be true that out of thirty nights in a month, on about twenty-five nights, they stay at their houses. I am of the view that it should be impressed upon the block development officers that they should spend at least twenty nights in the community development blocks in the villages.

Mr. Deputy-Speaker : No complaint about the day?

Chaudhry Ranbir Singh : I have no objection if they stay at their headquarters during day-time, because they may have to attend to some official routine, and hence I have no objection if they have to go

back to their headquarters during day-time.

There are also other complaints of a serious nature. I have not seen any block in any village where every farmer has started sowing improved seed, what do talk of other developments. I shall be happy if in each block intensive work is carried out in ten or twenty villages where every farmer is persuaded to sow improved seed. If that is done, even then we can sufficiently go ahead.

As regards the report of the Mehta Committee, I am sure they have mentioned many facts which do not go to the credit of the administration. Whether it be in regard to co-operatives or in regard to the agricultural sector, the position is not very encouraging or creditable for the department. Under the reorganised scheme, we propose that that there should be 2,50,000 primary multipurpose societies with as many panchayats to make arrangements for provision of cheap finance to the agriculturist as possible all over the country. If the target is achieved fully in the block areas, then I feel that during the remaining three years much can be done by the villager himself.

द्वितीय लोकसभा

सोमवार, 14 अप्रैल, 1958 *

अनुदान मांगें

चौधरी रणबीर सिंह (रोहतक) : अध्यक्ष महोदय, विरोधी सदस्यों ने यह आरोप लगाया है कि कहीं पर। लाठियां चलती हैं और कहीं पर गोलियां चलती हैं, इसलिये, गृह मंत्रालय का जो इंतिजाम है वह सत्य और अहिंसा के तरीके पर नहीं चल रहा है। जहां उन्होंने अपने तरीके से कहा है वहां मैं भी अपने ही तरीके से कहना चाहता हूँ और अपने विचार इस सदन के सम्मुख रखना चाहता हूँ।

आज हमारे देश के अन्दर आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक क्रांतियां हो रही हैं और बड़ी तेजी से हो रही हैं। आज से दस साल पहले जिस बात का आदमी ख्याल भी नहीं करता था और सोच नहीं सकता था कि ऐसी क्रांतियां होंगी, वे आज हो रही हैं। जहां हमने पांच सौ के करीब रजबाड़े और राजे महाराजे खत्म किये हैं वहां लाखों जागीरदार और जमींदार भी खत्म किये हैं, जमींदारियों और जागीरों को खत्म किया है। पिछल जमाने से मैं इसका मुकाबला करना नहीं चाहता। मैं आपको बतलाना चाहता हूँ कि हमारा पड़ोसी देश चीन है और वहां पर क्या हो रहा है? वहां पर कोई दूसरी पार्टी मैदान में नहीं है। वहां पर लोगों को बरगलाने के लिये तथा लोगों को गलत रास्ते पर ले जाने के लिये कोई भी पार्टी नहीं है। इसके बावजूद भी वहां की हकूमत ने लाखों आदमियों के खून से अपने हाथ रंगे हैं।

हमारे देश के अन्दर, हमारे नेतागण, हमारी कांग्रेसी सरकार, हमारी सूबाई सरकारें, हिन्दुस्तान के राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक नक्शे को बदलने में लगी

** संसदीय बहस (कार्यवाही लोकसभा 1957-62), 14 अप्रैल 1958, पृष्ठ 9875-9883*

हुई है। कौन नहीं जानता कि इन पिछले दस बरसों के दौरान में कैसी कैसी घटनायें घटी हैं। तेलंगाना के वाकयात से कौन वाकिफ़ नहीं हैं। कौन नहीं जानता कि मजदूरों के नाम पर लोगों को भड़काया गया है। कौन नहीं जानता कि भाषा के नाम पर लोगों की भावनाओं को उकसाया गया है। पिछले दिनों मेरे सूबे पंजाब के अन्दर बहुत से दोस्तों ने भाषा के नाम पर लड़ाइयां शुरू की हैं। कभी तो पंजाबी के नाम पर लोगों को उकसाया गया और दस हज़ार के करीब भाइयों को जेल भेजा गया और कभी हिन्दी के नाम पर आन्दोलन शुरू किया गया। लेकिन, मैं पूछता हूँ कि क्या यह सत्य नहीं है कि आज भी एक एक विद्यार्थी वहां पर पंजाबी पढ़ता है और एक एक विद्यार्थी हिन्दी पढ़ता है। इसके बावजूद भी हिन्दी जो हमारी राष्ट्र भाषा है, उसका लेकर झगड़ा किया गया। आज के दस साल पहले हिन्दी का सवाल पैदा हुआ था और उसका हल सोचा गया था। आज भी आसाम में जो यहां से एक हजार मील दूर है, हिन्दी पढ़ाई जाती है और भाषाओं के साथ साथ, उड़ीसा में हिन्दी पढ़ाई जाती है, बंगाल में हिन्दी पढ़ाई जाती है। हमारे यहां पंजाब के अन्दर कुछ भाइयों ने आवाज उठाई और कहा कि लोगों को आजादी नहीं दी जाती है भाषा को पढ़ने की। मुझे पता नहीं हमारे भाई आजादी का क्या मतलब लगाते हैं? मैं अपनी पार्टी के लोगों की बात नहीं करता हूँ, मैं जो मुखालिफ पार्टियां हैं, उनकी बात करता हूँ। अजय घोष साहब पंजाब गये, उन्हें बोलने नहीं दिया गया, गोपालन साहब गये जो यहां इस हाउस के एक सदस्य हैं, उन्हें बोलने नहीं दिया गया और मेरे जिले के साथी श्री प्रताप सिंह दौलता जो मेरे पास वाले हल्के को रिप्रेज़ेंट करते हैं, उनको बोलने की इजाजत नहीं दी गई।

श्री फीरोज गांधी (रायबरेली) : कहां बोलने की इजाजत नहीं दी गई?

चौधरी रणबीर सिंह : मैं पंजाब का ज़िक्र कर रहा हूँ।

मैं पूछना चाहता हूँ कि आखिर ये मेरे दोस्त किस तरह की आज़ादी चाहते हैं? कौन सी आज़ादी का नक्शा इनके सामने हैं? क्या ये लोग उस किस्म की आज़ादी चाहते हैं जिस में उनके जैसे ख्यालात रखने वाले लोगों को ही बोलने का अधिकार हो और दूसरे ख्यालात वाले लोगों को बोलने का अधिकार न हो और उन्हें चुप रहने का ही अधिकार हो?

यहां पर हमारे गृह मंत्री महोदय बैठे हुए हैं जिन के हाथ में बहुत बड़ी शक्ति है जिन को कितने ही अधिकार प्राप्त हैं। लेकिन, इसके बावजूद भी उन्होंने 50 रुपये के एक मुलाज़िम को रखने का अधिकार भी अपने पास नहीं रखा है और उसको

अपनी मर्ज़ी से नहीं रखते हैं। उस अधिकार को उन्होंने यूनियन पब्लिक सर्विस कमिशन या सिलेक्शन बोर्ड को सौप दिया है। दूसरी तरफ यह हालत है कि जिन भाइयों को कोई अधिकार नहीं है जो कानून और विधान के खिलाफ जा कर काम करना चाहते हैं और करते हैं वे जिस किस्म के हालात पैदा कर देते हैं उन हालात का मुकाबला करने के लिए अगर गवर्नमैंट का कहीं लाठी चार्ज करना पड़ता है, गोली चलानी पड़ती है मजबूर हो कर। उस सूरत में हम यह सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आया वह सही चली या गलत चली। मैं इस सिलसिले में एक जस्टिस की रिपोर्ट का जो हाल ही में जस्टिस खोसला ने पंजाब के वाकयात की जलंधर की एन्क्वायरी के सिलसिल में लिखी है हवाला देना चाहता हूँ। किस ढंग से किस तरीके से हमारे लोग आदमियों को बहकाते हैं वे क्या तरीके इस्तेमाल करते हैं और उनका अपना तरीका कार क्या रहता है इसके बारे में मैं दो तीन पैराग्राफ पढ़ना चाहता हूँ।

श्री स.म. बनर्जी (कानपुर) : उसके बाद पटने वाला मामला भी पढिये़गा।

चौधरी रणबीर सिंह : वह तो आप लोग पढ़ेंगे मुझे तो जो पढ़ना है वही पढ़ूंगा।

"It almost seems as if the five leaders, who were examined, had taken care not to be present at the place of the firing. I say this not in a spirit of carping criticism but because I feel that if these leaders had shown the courage and imagination, which are the necessary attributes of a leader of men, this tragic occurrence might well have been avoided. But instead of this, they appear to have been concerned with questions of prestige and personal safety."

आगे के पैराग्राफ में उन्होंने लीडरों के बारे में लिखा है कि वे कहां किस तरह से छिपे जीप गाड़ी में थे और फिर गैरहाजिर हुए।

कुछ माननीय सदस्य : वह भी पढ़िये।

चौधरी रणबीर सिंह : अच्छा।

"Amar Nath Dogra, the chief organiser of the procession, stated that he had assigned specific places in the procession to the leaders and he ran up and down the procession several times to see that the procession was orderly and the leaders were in position. We, however, find that L. Jagat Narain, Parkash Vir and Tilak Raj Suri, three of the leaders, did not accompany the procession at all but were making sudden hops from

one point of the route to another, so that they, particularly Parkash Vir, should be able to see the entire procession. In this manner they hurried to Chowk Panj Pir and then to Chowk Imam Nasir. Prof. Sher Singh sat in his jeep and then went away to a house in a lane where he remained till the firing was over. Lal Chand Sabharwal went from one shop to another and was conveniently absent when the firing took place."

Then there is another paragraph which says :

"The mob in the street became rapidly more violent and a number of policemen were injured. The assembly was then declared unlawful by Fateh Singh, Magistrate, who was on duty, and tear-gassing began. This proved ineffective and the District Magistrate was summoned to the spot. Soon after his arrival some of the processionists set fire to a shack in front of the Gurdwara. The fire-brigade was called and the processionists attacked the firemen in order to prevent them from existinguishing the fire. The mob became more violent and the District Magistrate, fearing that unless the mob were dispersed by force, loss of life and properly might result, decided to fire upon the crowd."

Shri Narayanankutty Menon (Mukandapuram) : Read the next paragraph.

Chaudhry Ranbir Singh : That is more damaging for the opposition. I will read that also.

Mr. Speaker : Too many extracts are not read. The whole speech ought not to be an extract.

Chaudhry Ranbir Singh : They desire, Sir, that I should refer to a particular paragraph.

Mr. Speaker : He may stop at that and make his own observations - there is no time. Hon. Member need read only what he wants to read and not guided by others.

चौधरी रणबीर सिंह : यह जो पैराग्राफ मैंने पढ़े वह इस लिये पढ़े थे कि मैं यह बता सकूं कि किन हालात के अन्दर आज ऐडमिनिस्ट्रेशन या पुलिस मजबूर होती है कि वह गोली या लाठी चलाये। मैं अब से पहले अर्ज कर रहा था कि भाषा के सवाल पर हिन्दी के सवाल पर पंजाब के अन्दर बड़ा बावेला उठा। जहां एक तरफ हिन्दी की एक बड़ी सन्तोषजनक तरक्की हो रही थी इस बावेला का नतीजा यह हुआ

कि बंगाल की असेम्बली ने एक प्रस्ताव पास किया कि अंग्रेजी को भी जारी रक्खा जाए। यही नहीं कम्यूनिस्ट पार्टी और दूसरे लोगों में हिन्दी के खिलाफ एक आवाज उठी। (अन्तर्बाधा)

Shri Tangamani (Madurai) : Read the newspapers and resolutions.

चौधरी रणबीर सिंह : दूसरे सवालों पर जो आवाज उठाई जाती है उस से जो नतीजा वह चाहते हैं उससे उल्टा होता है। मैं आप से अर्ज कर रहा था कि इस देश के अन्दर जहां शान्ति से देश को आगे ले जाए जा रहा है हमारे नेता इस देश को आर्थिक संसार में तथा सामाजिक संसार में आगे ले जा रहे हैं वहां कई भाइयों ने जिक्र किया कि बहुत सारी जगह हैं जिनमें आज भी हरिजनों को कुओं तक नहीं पहुंचने दिया जाता, रहने के लिये उनके पास मकान नहीं हैं। लेकिन, मैं अपने जिले की ओर अपने हल्के की बात आप से कहना चाहता हूँ कि लोगों ने 20 लाख रुपये की मालियत की जमीन हरिजनों को मुफ्त में दी ताकि वह मकान बना सकें। यही नहीं हजारों एकड़ जमीन हरिजनों को खेती करने के लिये मुफ्त दी गई और आज जहां हरिजनों की तरक्की के लिये कोशिश हो रही है, सामाजिक ढांचे को बदलने की कोशिश हो रही है उसी के साथ साथ आर्थिक ढांचे को भी बदलने की कोशिश हो रही है।

इसके साथ साथ मैं एक सुझाव देना चाहता हूँ कि आज गृह मंत्रालय की सरकारी नौकरियों पर कंट्रोल समझा जाता है। आज एक और सिलसिला देश के अन्दर समाजवादी ढांचे को लाने के वास्ते पैदा हुआ है। मेरा मतलब सरकारी कंपनियों और कारपोरेशनों से है। एलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, सीवेज बोर्ड है, दामोदर वैली प्रोजेक्ट है या दूसरी प्रोजेक्ट्स हैं उन की नौकरियों का जहां तक ताल्लुक हैं उनको भी जिस तरह से आप दूसरी नौकरियों को भरती कमिशन की मारफत करते हैं उसी प्रकार सरकारी कम्पनियें या कारपोरेशन की नौकरियों की भरती भी यू.पी.एस.सी. या दूसरे सर्विस सलैक्शन बोर्ड या कमीशन की मार्फत होनी चाहिये और भर्ती कम्पनियां या कारपोरेशन के चेयरमैन या सदस्यों पर न छोड़ी जाए।

सरदार अजित सिंह जी ने बताया था कि पंजाब के अन्दर पिछले 9-10 सालों के अन्दर कितनी तादाद जरायम की कम हुई है। उसके साथ ही साथ मैं यह भी बतलाना चाहता हूँ कि अगर हम सन् 1948 के आंकड़े लें तो पंजाब के अन्दर जो कत्ल की वारदातें सन् 1948 में हुई वह 1134 थीं और सन् 1947 में 602 हुई। इसी

तरह से जहां तक मुल्जिमों को बरामद करने का सवाल था सन् 1948 में उसका परसेन्टेज 71.7 था और सन् 1947 में वह परसेन्टेज 81.7। दूसरे जितने जरायम हुए हैं उनकी भी यही कहानी है। मैं आप से डकैतियों का जिक्र करूं सन् 1948 में 435 थीं और सन् 1947 में वह कुल 10 हैं। यही हाल राबरी वगैरह का है। आप दूसरे भी कोई जुर्म ले लें हर एक की तादाद सन् 1948 से तकरीबन आधी हो गई है। जहां तक मुल्जिमों की बरामदगी का ताल्लुक है उसका रेशियो भी बढ़ा है। शान्ति और अमन से आगे बढ़ने का यह नतीजा हुआ है। हमारा देश आगे बढ़ रहा है। और दूसरी स्टेटों से भी पीछे नहीं है। एक भाई साहब ने जिक्र किया कि पंजाब में कांग्रेस पार्टी का क्या हाल हुआ। मैं बतलाना चाहता हूँ कि आप कांग्रेस पार्टी के हालात को हमारे ऊपर छोड़ दीजिये। मैं आप से कहता हूँ कि पंजाब विधान सभा के अन्दर अपोजीशन के 36 मेम्बर हैं। लेकिन, आज तक राज्य सभा के अन्दर वह एक भी मेम्बर नहीं भेज सके। आप अपनी बात देखिये हमारा घर बहुत ठीक है। यह ठीक है कि जहां हम देश के अन्दर डिक्टेटरशिप नहीं चाहते वहां हम पार्टी के अन्दर भी डिक्टेटरशिप नहीं चाहते।

हमारी पार्टी के अन्दर भी डेमोक्रेसी है और इस देश के अन्दर भी हम डेमोक्रेसी को कायम रखना चाहते हैं। हमारे आपस में इख्तलाफात हो सकते हैं। पंजाब गवर्नमेंट की किसी नीति को ले कर मतभेद हो सकता है। लेकिन, इसके बावजूद यह बात सही है कि जनरल एलेक्शन के बाद पंजाब में जो बाई एलेक्शन हुआ उसमें कांग्रेस की जीत रही। इसके अलावा यह भी सही है कि राज्य सभा के चार उम्मीदवारों में एक भी गैर कांग्रेसी कामयाब नहीं हुआ और चारों की चारों सीटें कांग्रेसी उम्मीदवारों को मिलीं। हालांकि अपोजीशन पार्टीज़ के पास एक मैम्बर को कामयाब करके भी 6 राय फालतू थीं। लेकिन, वह आधा मेम्बर भी एलेक्ट नहीं करा पाये। इसलिये, मेरा कहना है कि हमारे दोस्त हमारे बारे में क्यों फिक्र करते हैं बल्कि मैं तो उनसे कहूँगा कि वे खुद अपनी व अपने दोस्तों की फिक्र करें।

अध्यक्ष महोदय : पंजाब के बारे में मेरा कहना यह है कि शायद हमारे में कुछ कमजोरी है और सरदार अजित सिंह को वह इसलिये, चुप करा सकें क्योंकि,, सरदार अजित सिंह को जरा पार्टी के मामलात का काफी ज्ञान नहीं था और वह आंकड़ों में कुछ फंस से गये थे। इसलिये, उसका जवाब देना मैं जरूरी समझता हूँ।

मैं समझता हूँ कि यह अकेले पंजाब की ही कहानी नहीं है। डाकुओं के सवाल को ले लीजिये। सन् 1948 में झांसी के इलाके में इस सम्बन्ध में क्या हालत

थी और आज क्या हालत है? राजस्थान के सम्बन्ध का जिक्र कर रहे थे। वे बड़े उतावले थे। जोधपुर के रहने वाले इस बात को भली भांति जानते होंगे कि सन् 1952 में जोधपुर डिवीजन की क्या हालत थी और आज क्या हालत है। उस समय जोधपुर डिवीजन के अन्दर लोग एलेक्शन में जा नहीं सकते थे। सन् 1952 में लोगों केा अपने जान व माल का खतरा था। लेकिन, आज हम देखते हैं कि वहां की स्थिति में बहुत सुधार हुआ है और डाकुओं का आतंक बहुत कुछ खत्म हो गया है और लोगों की जान और माल की काफी सुरक्षा हो गयी है।

अध्यक्ष महोदय, मैं तो समझता हूँ कि देश में एक आध जगह जहां लाठियां अथवा गोलियां चली हैं वे हमारे देश की तरक्की के लिये ही चली हैं। मैं तो समझता हूँ कि अगर जालंधर जेल कांड की जिस तरह से जुडिशियल एनक्वायरी की गई उसी तरह से बम्बई के गोली कांड के सम्बन में भी जुडिशल एनक्वायरी की जाती। मुझे पूरा विश्वास है कि वहां पर भी जो फैसला मेरे साथियों के खिलाफ एक जज ने दिया वैसा ही फैसला बम्बई के बारे में भी होता।

द्वितीय लोकसभा

बुधवार, 23 अप्रैल, 1958 *

वित्त विधेयक

Chaudhry Ranbir Singh : (Rohtak) : Mr. Chairman, the two speakers from the opposition who preceded me come from the same block. But, if the speeches are taken together, both of them seem to be contradictory to me. When one complained of an expanding economy, the other one complained of the extra expenditure for the expanding economy.

Shri Feroze Gandhi : What do you stand for?

Chaudhry Ranbir Singh : I stand for an expanding economy and more expenditure for development purposes. The preceding speaker complained of less collection by direct taxes and more realisation by indirect taxes and said that it will be better if the direct taxes are increased. We must consider its effect. Shall we increase indirect taxation on the vested interests or direct taxation on the people? This is the crux of the problem. If the realisation through indirect taxation is increased, it is increased for the benefit of the people, for expanding the economy of the country to remove the povert of the poor people, not of the rich.

My hon. friend, Shri Mulchand Jain, referred, and referred rightly, to the improved conditions of rural areas. He also comes from the same area from which I come. We do not know about the other rural areas. But I am sure everyone who has visited Punjab or who has visited Punjab

---

** संसदीय बहस (कार्यवाही लोकसभा 1957-62), 23 अप्रैल, 1958, पृष्ठ 11,186-11,188*

or who comes from Punjab will agree that during the last ten years the rural populace and its financial position has been bettered. I can safely say that the pucca houses which existed in 1947 have at least been doubled in each and every village during the last ten years. Not only that whatever expenditure was incurred prior to independence say - about Rs. 150 crores were spent for irrigation projects, after independence during the First Five-Year Plan about Rs. 600 crores were spent for irrigation projects - the expenditure of course will be increased and has increased during the Second Five Year Plan but it will be for the development of the country. Rs. 200 crores, no doubt, are being spent during 1958-59 but most of the part of this expenditure will be for manning commercial undertakings or State undertakings which were not in existence before the independence of the country.

Similarly, two aspects of the same problem are stressed in this House. There are some friends who want to raise the taxable minimum while on the other hand there are some people like my hon. friend who preceded me, who are of the view that direct taxation should be increased. I am of the view that direct taxation can be increased provided we adopt the line which we have already taken. Several speakers in this House tried their best to plead that the taxable minimum should be raised and should be Rs. 4,200 rather than Rs. 3,600. I am of the view that in this country a very large population, say 75 per cent of the people, pay direct taxes not only on their income but sometimes on their losses too. I mean to say that land revenue is one of the direct taxes. It can not be said that it is rent in an independent country. If that taxation is taken into account then we shall have to agree that the taxable minimum should be lowered. I am of the view that if it can not be lowered to the extent of Rs. 500 it should be lowered to Rs. 1,000 so that everybody in the country may be able to contribute something for the success of the Second Five Year Plan or for the development of the country.

द्वितीय लोकसभा

शुक्रवार, 2 मई, 1958 *

सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक

चौधरी रणबीर सिंह (रोहतक) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूँ कि जहां तक इस एमेंडिंग बिल के प्रिंसिपल्स का ताल्लुक है वे बहुत अच्छे हैं। आप जानते हैं कि पंजाब के अन्दर आज से तकरीबन 60 साल पहले एक कानून बना था और उस कानून का नाम लैंड ऐलिनेशन ऐक्ट था। उस कानून की वजह से आपको भी मालूम है और हमको भी मालूम है कि कितनी काश्तकारों की रक्षा हो सकी। यह ठीक है कि पूरी हद तक शायद रक्षा न हो सकी हो क्योंकि, उस के अन्दर जो लूपहोल्स थे उनका नाजाएज फ़ायदा उठाया गया। उन लूपहोल्स को हमें बन्द करने की कोशिश करनी चाहिए थी। उस कानून के प्रिंसिपल्स में यह खराबी थी कि कुछ जातिपांति का सिलसिला उसके अन्दर दर्ज था और जब हमारा नया संविधान लागू हुआ। उस क़ानून को असवैधानिक समझा गया और उसको हटा दिया गया। लेकिन, यह बात सही है कि क़र्जदारों की रक्षा करने के लिये काश्तकार की ज़मीन को ऐंग्ज़ेम्ट् करना चाहिए और उसकी ज़मीन कुर्क नहीं होनी चाहिए। आखिर जितने भी जमींदारी एबालिशन ऐक्ट हमारे वहां पास हुए उनकी सब की एक ही मंशा थी कि काश्तकार के पास उसकी जमीन रह सके और आज अगर उसी मंशा को हम दूसरे तरीके से जैसे एक चीज को दायें हाथ से देकर बायें हाथ से लेना चाहते हैं। बात दूसरी है वरना यह मानना ही चाहिए कि चाहे वह 20 एकड़ हो और चाहे वह 10 एकड़ हो इससे मुझे कोई बहुत ज्यादा झगड़ा नहीं है। लेकिन, एक लिमिट ज़रूर होनी चाहिए जिस लिमिट की ज़मीन कोई साहूकार क़र्ज के बदले में कुर्क न कर सके। जैसा मैंने

** संसदीय बहस (कार्यवाही लोकसभा 1957-62), 2 मई, 1958, पृष्ठ 12,994-12,995*

कहा जातिपांति की बीमारी उसमें थी और अन्य कुछ खराबियां थीं। लेकिन, यह बात सही है कि पिछले 30, 40 वर्ष के दौरान में जहां दूसरे सूबों के अन्दर काश्तकारों को एक तरीके से गुलाम बनाया गया था वहां पंजाब के काश्तकारों में खुशहाली थी और उस खुशहाली का एक कारण वह क़ानून था। यह दूसरी बात है कि वह क़ानून सोलह आने ठीक था या नहीं, अच्छा था या बुरा। लेकिन, इसमें कोई शक नहीं है कि पंजाब के काश्तकारों में खुशहाली लाने में इस क़ानून का बहुत बड़ा हाथ रहा है। मैं इस बात को बड़े फ़ख्र के साथ कह सकता हूँ कि देश के दूसरे सूबों की अपेक्षा पंजाब के काश्तकारों की हालत अच्छी रही है और उस सादी हालत को अच्छा रखने में वहां की नहरों का बहुत बड़ा हाथ है और नहरों के ऊपर वहां सरकार ने करोड़ों रुपये लगाये हैं। दूसरे पंजाबी किसानों की खुशहाली की वजह यह भी रही है कि वहां के काश्तकारों की ज़मीनों को साहूकारों के पास नहीं जाने दिया गया।

मुझे इस बात के लिये कोई ज़िद्द नहीं है कि यही एमेंडिंग बिल पास हो। अगर इस में कोई खामी महसूस की जाए। बेशक़ इसको न पास किया जाए। लेकिन, मैं उम्मीद करता हूँ कि मन्त्री महोदय इस बिल के प्रिंसिपल्स को ज़रूर मंजूर फ़रमायेंगे।

द्वितीय लोकसभा

मंगलवार, 6 मई, 1958 *

उपहार टैक्स विधेयक

चौधरी रणबीर सिंह : उपाध्यक्ष महोदय हमें बड़ी आशा थी कि इस पेचीदा कानून की पेचीदगियों को कुछ कम किया जाएगा। लेकिन, जब ऐसा नहीं हुआ तो हमारी आशा कुछ निराशा में तबदील हो गई और पेचीदगियां कम होने के बजाए कुछ बढ़ अवश्य गई हैं।

पहली पेचीदगी तो यही है जैसाकि भरूचा साहब ने कहा कि जमीन के तबादले के बारे में कानून बनाने का इस सदन को अधिकार है या नहीं ? अच्छा होता कि जिन के बारे में कुछ शक हो सकता है उनको छोड़ दिया जाता वर्ना जितनी मेहनत और जितना वक्त और जितना रुपया इस देश को इस कानून के बनाने में खर्च किया जाएगा वह शायद फिजूल जाए। हो सकता है कि हिन्दुस्तान की अदालतें इसको रद्द कर दें और सब रुपया फिजूल खर्ची में तबदील हो जावे।

दूसरी चीज जिसके बारे में मैं अर्ज करना चाहता हूँ वह यह है कि इस देश के अन्दर जल्दी या कुछ देर के बाद हमें एक बात सोचनी पड़ेगी कि यहां पर हम किस तरह का सामाजिक ढांचा चाहते हैं। एक तरफ हमारा अंदाजा है कि इस देश के अन्दर जो खेती की पैदावार से आमदनी हासिल करते हैं उनकी आमदनी ज्यादा से ज्यादा 3600 रुपया साल हो। उस 3600 सालाना आमदनी के अन्दर ही हम उनके बच्चों की शादी चाहते हैं, उसके अन्दर ही हम चाहते हैं कि उनके बच्चे पढ़ें और दूसरी तरफ हम कुछ लोगों को 3600 से ज्यादा आमदनी की ही इजाज़त नहीं देते बल्कि टैक्सों के अन्दर भी उनको रियायत करना चाहते हैं कि वे 10,000 रुपया शादी

** संसदीय बहस (कार्यवाही लोकसभा 1957-62),, 6 मई, 1958, पृष्ठ 13,420-13,424*

पर खर्च कर सकते हैं और इस पर उनको छूट मिल सकती है। साथ ही साथ हम उनके बच्चों की तालीम के लिए किये जाने वाले खर्चे में भी उनकी रियायत करना चाहते हैं। मैं यह भी अर्ज़ करना चाहता हूँ कि जो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके बारे में जहां तक छूट का ताल्लुक है या। हम यह मानते हैं कि देश के पास जो रुपया आता है उसका खर्च सही तौर पर नहीं हो सकता या उसका उतना फायदा नहीं उठाया जा सकता है। जितना कि चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस की मार्फत उठाया जा सकता है जो भाई इस तरह का ख्याल रखते हैं, उनसे मैं सहमत नहीं हूँ। अगर एक मिनट के लिए इस चीज़ को मान भी लिया जाए कि शायद नान-आफिशल एजेंसीस (गैर-सरकारी एजेंसी) की मार्फत हम ज्यादा काम कर सकते हैं। मैं समझता हूँ कि बजाए इसके कि उनको छूट दीं जाए यह अच्छा होगा कि हम टैक्स लें और टैक्स ले करके उन इंस्टीट्यूशंस को ग्रांटस दे दें। इससे कानून की जो पेचीदगी है वह कम हो जाएगी।

पंडित ठाकुर दास भार्गव जी जब बोल रहे थे। उन्होंने यह साबित करने की कोशिश की कि कुछ घोस्ट कमिश्नर होते हैं जो गैरहाजिरी में कुछ करते हैं। अगर इसको सादा शब्दों में कहा जाए तो यों कहा जा सकता है कि यह जो कानून है यह पेचीदा कानून है इससे दो वर्गों को फायदा पहुंचा है। एक वर्ग तो अफसरान का है जिन को बहुत ज्यादा अधिकार इस कानून के मातहत दिये जा रहे हैं कि जैसा वे चाहें करें और दूसरा वर्ग वुकला साहिबान का है, लायर्स का है, जिनको अपनी आमदनी बढ़ाने का एक और ज़रिया मिल जाएगा। हमारा ख्याल था और हम सोचते थे कि आज़ाद होने के बाद इस देश में सादा कानून बनेगे और एक ऐसा निज़ाम होगा जिसके अन्दर वकीलों की कोई बहुत ज्यादा पूछताछ नहीं होगी। लेकिन, आज भी हम देखते हैं कि जो भी कानून बनता है वह इतना पेचीदा बनता है कि किसी को सुप्रीम कोर्ट की शरण लेनी पड़ती है। किसी को हाई कोर्ट की और इस तरह से वह वकीलों की आमदनी को बढ़ाने वाला सिद्ध होता है, उनके धंधे को चमकाने वाला सिद्ध होता है।

श्री रघुनाथ सिंह (वाराणसी) : आजकल बहुत डिप्रेशन है।

चौधरी रणबीर सिंह (रोहतक) : दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूँ कि बजाए इसके कि इस कूनन का नाम गिफ्ट टैक्स रखा जाए, यह अच्छा होता कि इस कानून का नाम हम जाएदादों का तबादला टैक्स बिल रखते। यह सीधी सी बात है कि जिस किसी ने भी जाएदाद इस देश में बनाई है या रुपया कमाया है वही किसी दूसरे को दे सका है। इस प्रकार की चीज तभी सम्भव हो सकी है जबकि इस देश में

कानून का राज्य रहा और उस कानून के राज्य को कायम रखने के लिये बहुत ज्यादा रुपया देश को खर्च करना पड़ा। उस रुपया का जो भार है वह उन्हीं को उठाना चाहिये जिन को उससे फायदा होता हो या हुआ हो। इस वास्ते मैं चाहता था कि आप साधारण सा कानून बनाते और उसमें आप कुछ भी सीमा रखते मुझे एतराज नहीं था। मेरी राय में यह लिमिट 3600 से ज्यादा नहीं होनी चाहिये थी। आप देश की एक बहुत बड़ी आबादी को 3600 से ज्यादा आमदनी करने की इजाजत नहीं देते। जब उनको आप इजाजत नहीं देते। दूसरों को आप क्यों देते हैं चाहे वे प्राइवेट कम्पनियां हों या पब्लिक लिमिटिड कम्पनियां हों कि कम्पनियों के नाम से वे जो चाहें कर सकते हैं। मेरी अभी राजा साहब से बात हो रही थी। जो बड़ी बड़ी कम्पनियों वाले हैं वे कोठियां बनाते हैं, मकान बनाते हैं और यह सभी कम्पनियों के नाम से होता है। बात कोई दूसरी नहीं होती, आदमी वही रहते हैं, कम्पनियां भी वहीं होती हैं और कम्पनियां के नाम पर वे छूट पा लेते हैं, खुद ही उनमें रहते हैं। क्यों कम्पनियों के नाम पर छूट दी जाती है, यह मेरी समझ में नहीं आया है। चाहे कम्पनी हो, चाहे इंडिविजुअल (व्यक्ति) हो और चाहे इंस्टीट्यूशन हो, मैं समझता हूँ कि सरकार के पास जो रुपया जाएगा उसका भी। देश के लिए ही उपयोग होगा। आज की जो सरकार है वह लोगों की नुमाइंदा सरकार है और जो खर्चा वह करती है, उसकी एक एक पाई के ऊपर इस हाउसका कंट्रोल है और यह हाउस उस पर टीका टिप्पणी कर सकती है। जब ऐसी बात है तो फिर हम क्यों न विश्वास करें कि जितनी भी इंस्टीट्यूशंस हैं उनसे ज्यादा अच्छे ढ़ंग से यहां पर रुपया खर्च होगा और सरकार के पास भी रुपया आएगा] वह सारे का सारा देश की भलाई के लिए खर्च होगा और ज्यादा से ज्यादा रुपया सरकार को मिलाना चाहिये। जैसा मैंने कहा कुछ लिमिट रख दी जाती और उस लिमिट से ऊपर जो भी रुपया ट्रांसफर होता चाहे मरने से कुछ दिन पहले होता, दो साल पहले होता या किसी भी वक्त होता, उस पर टैक्स लगता। फिर चाहे वह लड़की की शादी के लिए हो, चाहे बच्चों की तालीम के लिए हो, चाहे बीवी को एक लाख रुपया देने के लिए हो। होना यह चाहिये था कि कोई आसान सा कायदा होता। श्री अजीत सिंह सरहदी ने कुछ संस्थाओं पर जो रोक लगती है उसका ज़िक्र किया है। मैं नहीं समझता हम इसके ज़रिये से उन संस्थाओं पर कोई रोक लगा रहे हैं। वे संस्थायें आज की तरह से चलती रह सकती हैं। हां, एक बात जरूर है। उनके पास जो रुपया जाए वह टैक्स पे करने के बाद ही जाए इतना सा ही इस कानून की मंशा है। मैं किसी खास संस्था की बात नहीं कर रहा।

मैं चाहता हूँ कि यह कानून इतना सादा होता कि कोई इसमें पेचीदगी न होती। हम कह सकते थे कि इसके बाद जितना भी तबादला होगा, चाहे वह जाएदाद की शक्ल में हो, चाहे रुपये की शक्ल में हो, उस पर इस दर से इस प्रोग्रेसिव रेट आफ टैक्स से, टैक्स लिया जाएगा। उस सूरत में न किसी वकील की जरूरत होती, न घोस्ट कमिश्नर होते, न किसी अधिकारी के पास यह अखत्यार होता कि वह जिस किसी के साथ चाहे रियायत करे और जिस किसी के साथ चाहे न करे। पंडित ठाकुर दास भार्गव ने कहा कि उनके खिलाफ स्टेट ने एक अपील सुप्रीम कोर्ट में की। इस तरह की अपीलों की जरूरत ही नहीं होती, अगर कानून जितने ज्यादा सादा से सादा हो सकते थे उतने सादा आप बनाते और आपको चाहिये था कि आप उस कानून को भी जितना सादा बना सकते हैं, बनायें।

द्वितीय लोकसभा

सोमवार, 26 मई, 1958 *

चीनी निर्यात संवर्धन अध्यादेश और चीनी निर्यात संवर्धन बिल

चौधरी रणबीर सिंह (रोहतक) : उपाध्यक्ष महोदय, कई मित्रों ने अध्यादेश जारी करने पर आपत्ति जाहिर की है। लेकिन, मुझे तो ऐसा मालूम होता है कि कुछ दोस्तों की। नीति ही यही है कि अध्यादेशों का विरोध किया जाए। कुछ लोगों ने कहा है कि सरकार ने मिल मालिकों के दबाव से यह अध्यादेश जारी किया है। लेकिन, मैं मानता हूँ कि सरकार ने किसी खास मतलब से ही इसे जारी किया है। इस सरकार ने जब अखबार के मालिकों के दबाव से अध्यादेश को नहीं रोका फिर इस सरकार पर यह आरोप लगाया जाता है कि चीनी के मिल मालिकों के दबाव में आकर उसने यह अध्यादेश जारी किया है।

उपाध्यक्ष महोदय : अखबार से तो मिल ज्यादा भारी होता है।

चौधरी रणबीर सिंह : मैं अर्ज कर रहा था कि बात दर असल क्या है। अध्यादेश जारी करने पर मैं भी आपत्ति कर सकता था अगर मुझे यह पता हो कि मेरे लायक दोस्त जो आपके बायें बाजू बैठे हैं उनमें इतनी शक्ति है कि जो विधेयक सरकार लाये या जो अध्यादेश जारी करे उसे वे नामंजूर करवा सकते हैं।

श्री ब्रजराज सिंह : उस वक्त। सरकार इधर आ जाएगी।

चौधरी रणबीर सिंह : वह तो आपका अन्दाजा है।

सच्चाई। यह है कि आज सरकार जिस विधेयक को लाती है, वह पास हो

** संसदीय बहस (कार्यवाही लोकसभा 1957-62), 26 मई, 1958, पृष्ठ 3005-3012*

जाता है चूंकि सरकार के साथ जनता का विश्वास है और संसद् के सदस्यों का विश्वास है। इसलिये, अध्यादेश जारी करने पर जो आपत्ति है वह मेरी समझ में नहीं आती।

कई दोस्तों ने इस विधेयक और अध्यादेश पर बड़ी आपत्तियां जाहिर की हैं। मुझे भी कुछ आपत्ति हो सकती है। लेकिन, एक बात मुझे बहुत साधारण सी दिखायी देती है जिसको बहुत पेचीदा बनाने की कोशिश की गयी है। साधारण बात यह है कि इस देश में पिछले साल इतनी चीनी पैदा की गयी थी कि डेढ़ लाख टन चीनी बाहर भेजी जा सकी। मेरे एक दोस्त ने यह बतलाने की कोशिश की कि साहब इस साल पैदावार कम है। यह ठीक है। अगर इस कमी का अन्दाजा न लगाया जाता। मैं समझ सकता था कि सरकार की तरफ से कोई गलती हुई है। लेकिन, उस कमी का अन्दाजा लगा लिया गया है। सरकार ने केवल 50 हजार टन भेजने का फैसला किया है। अगर इस साल की पैदावार का अन्दाजा ठीक है। हम एक लाख टन तक भेज सकते थे। लेकिन, सरकार ने वैसा नहीं किया। उसने यह खयाल रखते हुये कि बाहर चीनी भेजने से कोई खराबी न हो। आबादी की बढ़ोतरी को ध्यान मे रखते हुये केवल 50 हजार टन भेजने का फैसला किया है और उसके लिये यह विधेयक लाया गया है। मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं दिखाई देती।

लेकिन, एक बात है कि यहां व्यापारी वर्ग है और जिसको मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास कहा जाता है उसमें से बहुतों का दिमाग इस बात पर लगता है कि किसी न किसी तरह से, किसी कानून से कोई नाजाएज फायदा उठाया जाए और जो गरीब का हक है उसे छीना जाए। यही कारण है कि चीनी के भाव बढ़ गये। जब पिछले साल डेढ़ लाख टन चीनी बाहर भेजी गयी। भाव नहीं बढ़ा फिर आज 50 हजार टन के कारण ही कौनसा भारी वजन आ गया कि जिसकी वजह से भाव बढ़े।

मैं उन लोगों का मशकूर हूँ जिन्होंने किसानों के लिए दो चार बातें कही हैं। जो बात गन्ना उत्पादकों के हक में कही गयी हैं मैं उससे सहमत हूँ। लेकिन, लोग यह भूल जाते हैं कि डिमांड और सप्लाई का सवाल है। अगर चीनी बाहर न भेजी जाए। उसका भाव वहां बाजार में गिर जाएगा और उसका नतीजा यह होगा कि अगले साल के सीजन में गन्ना उत्पादकों पर उसका असर पड़ेगा। यह तो एक मामूली बात है। आज हम जिस इकानिमक उसूल के तहत चल रहे हैं यह कदम। उसके तहत ही उठाया गया है। लेकिन, सरकार की एक बात मेरी समझ में नहीं आती है। सरकार

जानती है कि इस देश का बहुत बड़ा व्यापारी वर्ग और कारखानेदार वर्ग का हिस्सा कितने ईमानदार हैं। इसलिए, इस सिलसिले में उसको कुछ सोच समझ कर कदम उठाना चाहिए। ऐसी हालत में मैं यह समझने से मजबूर हूँ कि उनकारखानेदारों के हिस्से यह क्यों छोड़ा गया है कि वे एक्सपोर्ट करेंगे। हमारे सामने रखें और कहें कि वे यह काम नो प्रोफिट नो लास के बेसिस पर करेंगे – उतनी कटौती करेंगे, जितना कि खर्च होगा। मैं यह अर्ज करना चाहता हूँ कि कौन इस बात का पता लगायेगा कि कितने अफ़सर रखने चाहिएं और कितने रखे गए हैं। यह भी मुमकिन हो सकता है कि उस संस्था में कारखानेदारों के रिश्तेदारों को भर दिया जाए और खर्चा बढ़ा दिया जाए और हमारे देश की जो बारह, तेरह को-आपरेटिव मिल्स हैं वह खर्चा अप्रत्येक्ष रूप से उन पर पड़े। आखिर इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? मेरी समझ में नहीं आता कि सरकार ने उन लोगों पर विश्वास करने का क्यों सोचा है। फिर वे कौन दोस्त हैं? आज से नौ साल पहले फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री की स्टैंडिग कमेटी में मई, जून में यह बताया गया कि इस देश में चीनी बहुत ज्यादा है और उसको एक्सपोर्ट किया जाएगा। लेकिन, उसके डेढ-दो महीने ही बाद इस देश में चीनी की कमी को जाहिर किया गया और सरकारी तौर पर पचास हज़ार टन की इज़ाजत दी गई, जैसे कि आज दी गई है। इस देश के व्यापारी वर्ग और कारखानेदारों की यह हालत है कि एक नया पैसा बढ़ने पर उपभोक्ता के लिए तीन रुपए का इज़ाफ़ा होता है। इसमें सरकार की थोड़ी बहुत जिम्मेदारी हो सकती है। लेकिन, बहुत बड़ी जिम्मेदारी यहां के लोगों की है, या व्यापारी वर्ग की है।

मेरे दोस्त श्री झुनझुनवाला ने कहा कि सब कहते हैं कि काश्तकार को और पैसा दो। लेकिन, यह कोई नहीं कहता कि काश्तकार ज्यादा क्यों नहीं पैदा करता, ऐसी फ़सल क्यों नहीं पैदा करता, जिस का सुक्रोस कन्टेन्ट ज्यादा हो। श्री रंगा इस विषय के विशेषज्ञ हैं, उन्होंने कहा और श्री वाजपेयी ने भी कहा कि अगर शूगर एक्सपोर्ट करेंगे। गेहूँ के बोने पर उसका असर पड़ेगा। थोड़ा बहुत असर पड़ सकता है। लेकिन, मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि काश्तकार की कुछ सीमाएं होती हैं कि कितनी ईख पैदा कर सकता है, कौन सी ज़मीन में ईख बोनी चाहिए, जो उसके लिए और देश के लिए फायदेमन्द हो। इस मामले में कहना और प्रचार करना तो बड़ा आसान है। बड़े व्यापारी, सेठ साहूकार यह भूल जाते हैं कि मार्जनल प्राडक्शन के लिए फ़ालतू खर्च चाहिए। हर चीज के लिए, जिसकी कि आप मार्जनल प्राडक्शन बढ़ाना चाहते हैं, आप गुंजाएश रखते हैं, आपका अर्थशास्त्र गुंजाएश रखता है। लेकिन,

यह उम्मीद रखते हैं कि काश्तकार ऐसे ही एक एकड़ में एक मन, एक टन बढ़ा दे। आप ज़रा इस बात पर गौर करें कि कितना रुपया आपने उस की मदद के लिए दिया है। मैं कहना चाहता हूँ कि इस हाउस में सही तौर पर उस बारे में गिला किया गया है।

गुजरात के एक साथी से मेरी बातचीत हुई, जो पंजाब जा रहे थे। मैंने उनसे कहा कि आपको पंजाब और गुजरात में क्या फर्क दिखाई दिया। उन्होंने कहा कि शायद यहां पर कुछ इन्सान की और कुछ भगवान की मेहरबानी है। मैंने उनसे कहा कि गुजरात के मुकाबले में शायद पंजाब के ऊपर भगवान की उतनी मेहरबानी नहीं है, जितनी कि इन्सान की मेहरबानी है, इसलिए, कि यहां पर खेती के लिए ज्यादा रुपया लगाया गया है। अकेले भाखड़ा डैम पर सिंचाई बढ़ाने के लिए 120 करोड़ रुपया लगाया जाएगा। कुदरती बात है कि आप खेत में जितना लगाना चाहते हैं, उसके मुताबिक ही आपको मिलेगा – जितना गुड़ आप डालेंगे, उतना ही मीठा होगा। गुड़ नहीं डालेंगे तो मीठा नहीं हो सकता हैं, प्रचार चाहे आप कितना करते फिरें।

उपाध्यक्ष महोदय : अब आप शुगर से पीछे गुड़ की तरफ चलने लगे हैं।

चौधरी रणबीर सिंह : 1953–54 में शुगर बहुत बड़ी मिकदार में आयात होती रही। इस मंत्रालय के कुछ विशेषज्ञ सोचते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। इस देश के किसानों ने इतना गन्ना पैदा किया कि गुड़ आठ रुपए मन पर भी नहीं उठा। एक वक्त था कि किदवई साहब सोचते थे कि गुड़ से चीनी बनायेंगे। यू.पी. का किसान बचेगा। इस देश में उन्हीं किसानों के रहते हुए बाहर से चीनी आई। पिछले साल हमने बाहर चीनी भेजी और आज भी बाहर भेजने के लिए मजबूर हैं। मैं यह बताना चाहता हूँ कि यह ठीक है कि यहां के किसान बहुत बड़ी तादाद में अनपढ़ हैं। लेकिन, फिर भी उनको कुछ समझ है। आप ज़रा आंकड़े देखिए। 1953–54 में गन्ने और चीनी की पैदावार बढ़ी, गुड़ की पैदावार बढ़ी। क्यों ? उसकी वहज यह है कि 1953, 1954, 1955 में गेहूँ के दाम गिरा दिए गए और गेहूँ नौ रुपए मन नहीं बिका। किसान समझता है कि आप उसकी इमदाद नहीं करते हैं, उसका रुपया नहीं दिलाते हैं। यह देख कर वह कम से कम जानबूझ कर भूखा मरने के लिए तैयार नहीं है। ज्यादा न सही, कम सही। लेकिन, उसके पास जितनी भी समझ है, उसको वह इस्तेमाल करता है। मुझे पता नहीं कि इस मंत्रालय के विशेषज्ञ और प्लानिंग कमीशन के लोग यह सोचते हैं या नहीं कि इस देश में एक साइकिल बन गई है। हम जानते हैं कि 1947 के बाद इस देश के किसानों ने इतनी मिकदार में गन्ना, कपास और पटसन और दूसरा गल्ला पैदा किया, जितना कि यहां जरूरत नहीं थी। मुझे वह दिन याद है कि मंत्री

महोदय ने कहा कि उनके पास कोई मशीनरी नहीं है, कि किसानों के गेहूँ, धान और बाजरे वगैरह को खरीद कर रख सके। उनके पास इस काम के लिए रुपया और गोदाम नहीं है। मंत्री महोदय को मालूम है कि उस स्टेट में, जहां गन्ना पैदा होता है, आज गेहूँ बीस, बाईस रुपए मन के हिसाब से बिक रहा है? इसका असर आज। नहीं पड़ेगा। लेकिन, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि अगली फ़सल में आप उस असर को नहीं रोक सकते हैं। गुड़ का आज जो भाव है, उसका असर इसी सीजन में पड़ने वाला है। वह ज्यादा गुड़ पैदा करने की कोशिश करेगा और मिलों को कम से कम देने की कोशिश करेगा। अगर एक पैसा भाव बढ़ने से तीन रुपया मन बढ़ा दिया जाता है और पंजाब-यू.पी. के बार्डर पर एक मील इधर पांच रुपए मन कम गेहूँ बिक रहा है और एक मील इधर छ : रुपए मन ज्यादा बिकता है और इस बारे में सरकार कुछ नहीं कर सकती है। मुझे यकीन है कि आप में जितनी भी शक्ति हो, किसान कितना ही ग़रीब हो। लेकिन, इतना। वहां भी कर सकेगा कि जब गुड़ से उसका फ़ायदा होता है। वह गुड़ बनाएगा और आप उसको रोक नहीं सकेंगे। इसका नतीजा यह होगा कि आने वाले साल में आपको चीनी इम्पोर्ट करनी पड़ सकती है।

मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि अगले साल भी चीनी का उतना ही उत्पादन हो जितना इस बार हुआ है या आप यह चाहते हैं कि वह और भी अधिक हो। आपको चाहिये कि आप गन्ने की कीमत को बढ़ायें। अगर आपने गन्ने की कीमत को नहीं बढ़ाया। मैं आपको आज ही चेतावनी देना चाहता हूँ कि आठ महीने के बाद आप देख लेंगे कि शूगर की जो पैदावार है वह इसी फ़सल में गिर जाएगी और उसके बाद अगली फ़सलों में और भी गिर जाएगी। अगले साल आपके पास जो एक एक लाख टन चीनी है उसके एक्सपोर्ट किये बगैर यदि आपने काम चला लिया तो ठीक। लेकिन, अगर आप उसके बगैर काम नहीं चला सके। खाण्ड की कमी महसूस हो जाएगी। जो इलाका इस वक्त गन्ना उगाने में जाता है उसमें से जितना गेहूँ उगाने में जा सका चला जाएगा और इसका नतीजा यह होगा कि जिस तरह से आपको सन् 1953-54 में करोड़ों रुपये की चीनी बाहर से इम्पोर्ट करनी पड़ी थी, उसी तरह से आगे भी दो तीन साल में आप इम्पोर्ट करने पर मजबूर हो जाएंगे।

श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह (औरंगाबाद-बिहार) : गेहूँ तो सस्ता हो जाएगा।

चौधरी रणबीर सिंह : गेहूँ भी सस्ता नहीं होगा।

द्वितीय लोकसभा

वीरवार, 28 अगस्त, 1958 *

औद्योगिक विवाद (बैंकिंग कंपनी) निर्णय संशोधन विधेयक

चौधरी रणबीर सिंह (रोहतक) : उपाध्यक्ष महोदय, देश के आर्थिक जीवन में बैंकिंग का तथा बैंकों का महत्व बहुत बढ़ गया है और बैंक बड़ी अहमियत रखते हैं। अगर बैक दो चार दिन के लिये भी बन्द हो जाते हैं। उसके कारण देश के आर्थिक जीवन में काफी मुश्किलात पैदा हो जाती हैं। मैं समझता हूँ कि इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए माननीय मंत्री महोदय ने यह कोशिश की है कि जो छ : महीने का इंटरवल रखा गया था उसको घटा दिया जाए और जो प्वाइंट्स हैं उनको भी घटा दिया जाए ताकि कभी इस देश के अन्दर बैंकों के कर्मचारी हड़ताल न कर सकें और बैंकों का जो काम है वह ठीक प्रकार से चलता रह सके।

हमारे साथियों ने इस विधेयक के बारे में अपने जो विचार प्रगट किये हैं उनको मैंने ध्यान से सुना है। मुझे जो दलील दी थीं, वे कुछ अजीब सी लगीं। हमारे भाइयों का ऐसा ख्याल है कि जो तनख्वाहें हैं वे बढ़ती ही रहनी चाहियें, जो भत्ते हैं वे बढ़ते ही रहने चाहियें तथा उनका जो घटना है, वह सही नहीं है। मैं उनकी बात से सहमत हो जाता अगर इस देश के अन्दर आम आदमी की आज जो 250 रुपये साल आमदमी है वह इतनी न हो कर और ज्यादा होती तो मुझे कोई एतराज नहीं है अगर किसी का भत्ता बढ़ा दिया जाए तो यह अच्छी बात है। लेकिन, जितना बड़ा हमारा देश है और जितनी बड़ी आबादी गरीब आदमियों की है, उसको देखते हुए हमें कुछ सोच

** संसदीय बहस (कार्यवाही लोकसभा 1957-62), 28 अगस्त, 1958, पृष्ठ 3520-3523*

समझ कर चलना होगा। मुझे याद है वह वक्त जिस वक्त कि एक तरफ तनख्वाहदार हुआ करते थे और दूसरी तरफ खेती में काम करने वाले तथा दूसरे जो अपना आजाद काम करते हैं वे हुआ करते थे और तनख्वाहदार बहुत मजे़ में रहते थे। एक आदमी जो फौज में भरती हो जाया करता था तो 17 रुपये माहवार पाता था, वह उस कुनबे के मुकाबले में जो 50 या 100 बीघा खेती करता था, ज्यादा अच्छी तरह से जीवन व्यतीत कर सकता था। जो खेती करने वाला हुआ करता था वह पूरे तौर पर अपना लैंड रेवन्यू भी अदा नहीं कर सकता था। लेकिन, आज ज़माना कुछ बदला है, चाहे यह मजबूरी में ही क्यों न बदला हो। समाजवाद की तरफ इसका झुकाव है और गरीब का जीवन स्तर यह ऊंचा उठाना चाहता है। अगर आम गरीब आदमी से मतलब केवल पढ़े लिखे ही आदमी से है। मेरे साथियों का जो तर्क है, वह मेरी समझ में आ सकता था। लेकिन, अगर एक हिन्दुस्तानी के नाम पर 36 करोड़ हिन्दुस्तानियों को हमें लेना है। उनके तर्क को समझने के लिये हमें कुछ थोड़ी सी बुद्धि लगानी होगी। मैं यह मानता हूँ कि जहां तक भत्ते के घटने बढ़ने का ताल्लुक है, यह तो जैसे जैसे भाव घटें बढ़ें, उनके मुताबिक ही होना चाहिये।

एक और बात मेरे साथी ने कही है । उन्होंने कहा है कि यह जो कास्ट आफ लिविंग इंडक्स है, यह सही नहीं है। मुझे भी इसमें कुछ एतराज हो सकता है। मैं भी जिस हिसाब से उसको नापा जाता है, उससे सहमत नहीं हूँ। मुझे भी उस तरीके से तसल्ली नहीं है। लेकिन, मैं बतलाना चाहता हूँ कि जो भाई आज इस लिविंग इंडक्स पर एतराज़ करते हैं इसी इंडक्स के नाम से इस देश के अन्दर कई सत्याग्रह और कई लड़ाइयां चलाई गई थीं। अगर उस वक्त यह जो इंडक्स था यह सही था उनके विचार से तो आज यह कैसे गलत हो सकता है? अगर उस रोज यह गलत था। आज भी गलत है। मैं इस बात को मानता हूँ कि जो हिसाब लगाने का तरीका है, उसकी अच्छी तरह से जांच होनी चाहिये, उसका अच्छी तरह से पड़ताल होनी चाहिये। हो सकता है जिस वक्त इसको बनाया गया था, उस वक्त ठीक ढंग से न बनाया गया हो और उनके दिमाग में कुछ ऐसी चीज़ें थीं जो आज की बदली हुई परिस्थितियों में नहीं होनी चाहिये और उनको आज बदलने की आवश्यकता महसूस हो रही हो। जिन चीज़ों की उस वक्त एक आदमी को जरूरत थी या जो इंडक्स बनाने वालों के दिमाग में थी, हो सकता है उनकी आज के बदले हुए समाज में जरूरत न रह गई हो, इस वास्ते इसकी जांच होनी चाहिये। अगर इसकी जांच की गई। इसके अच्छे नतीजे निकलने की ही आशा की जा सकती है। लेकिन, यह तर्क मेरी समझ में नहीं आया कि कभी

इसके नाम पर लड़ाइयां लड़ी जाएं और कभी उसको एकदम से बुरा भला और गलत समझा जाएं।

आज हमारे देश के आर्थिक जीवन के अन्दर बैंकों का बड़ा महत्व है। बैंकों में करीब 1385 करोड़ के करीब रुपया लोगों का जमा होता है। इस तरह से बहुत बड़ी मात्रा में रुपये का लोगों में प्रसार होता है। मुझे खुशी है कि हमारा श्रम मंत्रालय यह चाहता है कि लोगों में रुपये का प्रसार हो। लेकिन, जो वित्त मंत्रालय है जिससे मुझे गिला भी है, वह इस देश के अन्दर आर्थिक तरक्की होने के बावजूद, पैदावार के बढ़ने के बावजूद, इसके खिलाफ है। रूरल बैंकिंग के बारे में जो कमेटी बैठी थी उसने सिफारिश की थी कि रुपये के प्रसार को बढ़ाया जाए। लेकिन, आज रिज़र्व बैंक तथा स्टेट बैंक इसके हक में नहीं जान पड़ते हैं। इसको इन्होंने घटाया ही है। पिछले साल जब काश्तकारों की फसल बाज़ार में आई और उसके बिकने का सवाल पैदा हुआ। पिछले वर्षों के मुकाबले उस वर्ष 35 करोड़ रुपया कम रिज़र्व बैंक द्वारा दूसरे बैंकों को इस काम के लिये दिया गया। श्रम मंत्रालय छ : छ : महीने और महीने महीने का हिसाब रखना चाहता है। लेकिन, जो वित्त मंत्रालय है तथा जिसके तहत देश के 75 प्रतिशत आदमियों के जीवन का सवाल है वह उतनी तेज़ी से उसका ध्यान रखना नहीं चाहता है। मैं चाहता हूँ कि जो वित्त मंत्रालय है वह श्रम मंत्रालय की इस मामले में नकल करें।

द्वितीय लोकसभा

शक्रवार, 5 सितम्बर, 1958 *

जन-प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक

चौधरी रणबीर सिंह : सभापति महोदय, मैं इस बिल का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। मैं समझता हूँ कि वर्तमान कानून के तहत चुनाव हो चुके हैं और उनके नतीजे के तौर पर जो पैटिशंस दाखिल होनी थी वे दाखिल हो चुकी है और कुछ पर तो फैसले भी हो चुके हैं और बाकी जो बची है उनके बारे में भी जल्दी फैसले हो जाएंगे। बीच में ही कोई कानून बदलना में समझता हूँ ठीक नहीं है। मैं खासतौर पर उस धारा का अवश्य विरोध करता हूँ जो चाहती है कि इस बीच में नैया की दिशा बदले।

मैं समझ नहीं पाया हूँ कि हमने जो इजाजत दे रखी है कि अगर कोई चाहे तो दस दिन पहले अपना नाम वापस कर ले, आया वह सही है या गलत है। यह सोचने वाली बात है। मैं ब्रज राज सिंह जी से इस बात में सहमत हूँ कि एक लास्ट डेट मुकर्रर हो और उसके बाद बजाए इसके कि लोग उम्मीदवार को बिठाने में अपनी ताकत लगायें, वोटर्स के पीछे जाएं। उम्मीदवारों को बिठाने की परेशानी में उनको नहीं फंसना चाहिए। आमतौर पर यह होता है कि, चाहे यह कोरप्ट प्रेक्टिस हो या न हो, बहुत से लोग इसी बात की कोशिश करते हैं कि किसी को बिठा दिया जाए ताकि वे आसानी के साथ इलेक्शन लड़ सके। विपक्ष वाले आपस में सौदेबाजी करते हैं कि यहां पर तुम बैठ जाओ, वहां पर हम बैठ जाएं, यहां तुम लड़ो, वहां पर हम लड़ें इत्यादि। इस तरह से होता है यह कि –

श्री जगदीश अवस्थ (बल्हौर) : आपकी पार्टी वाले भी ऐसा करते हैं।

** संसदीय बहस (कार्यवाही लोकसभा 1957-62), 5 सितंबर, 1958, पृष्ठ 5111-5113*

चौधरी रणबीर सिंह : हो सकता है कि हमारे साथी भी ऐसा करते हो, इससे मुझे इन्कार नहीं है।

लेकिन, मैं समझता हूँ कि यह सबके लिए बेहतर है कि एक दफा नाम वापसी की तारीख बीत जाए। फिर बाद में किसी के लिये भी नाम वापसी करने का सवाल पैदा न हो ताकि जिनको इलेक्शन लड़ना है वह और जो एलेक्टारेट है वह दोनों कोई फैसला कर पायें। वरना आप जानते है कि कितना बड़ा हमारा देश है और इस देश के अन्दर बहुत से आदमी, 70, 75, 80 फीसदी आदमियों से भी ज्यादा ऐसे हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं, और पढ़े लिखे आदमियों में से भी बहुत थोड़े ऐसे हैं जो अख़बार पढ़ते हैं। लोगों के पास खबरें पहुंचती ही नहीं, उनको यह भी पता नहीं लगता कि कौन उम्मीदवार है, कौन नहीं। उस तारीख के खत्म होने के बाद भी मैंने कई दफा ऐसा देखा है कि जब वोटर अपनी वोट देने आता है। उसका पता नहीं होता कि कौन उम्मीदवार है। वह सिर्फ पार्टी का नाम सुनकर आता है। इसीलिये जब पहले चुनाव हुए तो इलेक्शन कमिशन ने और इस हाउस ने जरूरी समझा था कि निशान लगाया जाए क्योंकि, यह देश बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोगों का नहीं है। आदमियों का नाम याद रखना आसान नहीं है। देश की तमाम मुश्किलात को समझकर ही यह कानून बना था, उसको बदलने के लिये अब यह बिल आया है। जिन आदमियों के पास अखबार नहीं पहुंचते, जो अखबार नहीं पढ़ते हैं, जिनके पास रेडियो से सारी बातें जानने के साधन नहीं हैं, उनके हितों के खिलाफ यह बिल जाता है, क्योंकि, कोई आदमी आपस में मिलकर तय कर लें और एक आदमी खड़ा रह जाए, बाकी हट जाएं तो यह अच्छा ही है। मैं समझता हूँ कि नाम वापसी के लिये जो आखिरी तारीख रखी गई है, वह रहनी चाहिये।

जब हम इस बिल का विरोध करते हैं। उससे हमारी पूरी दिक्कतें हल नहीं होतीं। इसलिये, मैं माननीय मंत्री महोदय से चाहता हूँ कि बेशक वह इस बिल की मुखालिफत करें, इसे गिरा दें। लेकिन, और तब्दीलियां इस ऐक्ट में लाने के लिये वह कोई बिल ले आयें ताकि यह जो परेशानियां है वोटरों को भी और चुनाव लड़ने वालों को भी, वे दूर हों।

द्वितीय लोकसभा

मंगलवार, 9 सितम्बर, 1958 *

लोक परिसर विधेयक

चौधरी रणबीर सिंह (रोहतक) : उपाध्यक्ष महोदय, गायकवाड़ जी ने जो संशोधन रखा है, उसके साथ मुझे पूरी हमदर्दी है। जैसा उन्होंने कहा है, अगर इस बात को लिखा नहीं जाएगा तो कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि, कानून के साथ मंत्री महोदय के आश्वासन नहीं जाएंगे। लेकिन, आप जानते हैं कि यहां जो कानून को चलाने वाला है, वह कोई जज नहीं है, वह तो एस्टेट आफ़िसर है और अस्टेट आफ़िसर मंत्री महोदय का सरकारी नौकर है। मंत्री महोदय 'जेन्टली' शब्द के जो मायने निकालना चाहें, निकालकर वह उसके पास भेज सकते हैं और उसी के मुताबिक एस्टेट आफ़िसर कानून को चलायेगा। हमारे बहुत सारे दोस्त कानून की खामी समझते हैं। लेकिन, गरीब आदमी खामी नहीं समझते हैं। गरीब आदमी के हक में इस कानून का फ़ायदा भी उठाया जा सकता है, बशर्ते कि मंत्री महोदय इस कानून की धाराओं को हरिजनों को ग़रीब लोगों के लिये 'जेन्टली' इस्तेमाल करायें, जैसाकि उन्होंने आश्वासन दिया है। वह कानून में संशोधन बेशक न करें। लेकिन, अच्छा हो अगर वह एस्टेट आफ़िसर को भेजे जाने वाले सर्कुलर में यह दर्ज कर दें कि इस कानून के मातहत हरिजनों और गरीब आदमियों के साथ नरमी का व्यवहार किया जाए। जैसाकि गायकवाड़ जी ने कहा है – और जैसाकि आम तजुर्बा है – बाहर से जो मकान बनाने वाले मजदूर वगैरह आते हैं, वे कोई पर्मानेंट नेचर का मकान नहीं बनाते हैं, बल्कि वे एक टेम्पोरेरी किस्म का एबोड बना लेते हैं। जब मंत्री महोदय और उनके आफ़िसर समझें कि उन लोगों को उठाया जाना चाहिये। यह जरूरी है कि

** संसदीय बहस (कार्यवाही लोकसभा 1957-62), 1958, पृष्ठ 5536-5537*

उनको जिस वक्त उठाया जाए – उस वक्त ही उनको शो–काज नोटिस भेजा जाए, जबकि दरअसल नया मकान बनाने के लिये उस ज़मीन की जरूरत हो। उनके सामान की सरकारी खर्च पर किसी ऐसी जगह पहुंचाया जाए, जो हमेशा के लिये उनको दी जा सके और अगर यह मुमकिन न हो सके, और उस ज़मीन की बहुत जल्दी जरूरत हो और उन लोगों को पर्मानेंट तौर पर दूसरी जगह न दी जा सके। फिर उनको ऐसी ज़मीन दे दी जाए, जहां जल्दी ही कोई कंस्ट्रक्शन न होनी हो। साथ ही लिखकर उनको बताया जाए कि तुमको यहां रहने का पर्मानेंट हक नहीं दिया जा रहा है, बल्कि यहां भी पहले की तरह की टेम्पोरेरी एबोड बनाइये और जब सरकार कोई दूसरी जगह पर्मानेंट तौर पर या कोई मकान बना कर देगी। उस वक्त आपको यहां से जाना होगा। अगर मंत्री महोदय दरअसल अपने आश्वासन को पूरा करना चाहते हैं। वह संशोधन को चाहे न मानें। लेकिन, जैसा कि मैंने अभी कहा है, जब वह कानून पास हो जाए। सर्कुलर भेजकर अपनी इच्छाओं को एस्टेट आफ़िसर के पास भेजें।

द्वितीय लोकसभा

वीरवार, 11 सितम्बर, 1958 *

दिल्ली किराया नियंत्रण विधेयक

चौधरी रणबीर सिंह : सभापति महोदय, दिल्ली भाड़ा नियंत्रण विधेयक का मैं समर्थन करता हूँ। लेकिन, इसके साथ साथ मैं चाहता हूँ कि सिलेक्ट कमेटी इसमें दो तीन चार नई चीजें दाखिल करें।

दिल्ली शहर में यह चीज़ किसी से छिपी नहीं है कि जब कभी भी मकान के मालिक को मौका मिला है एक किरायेदार से दूसरे किरायेदार को मकान देने का। उस वक्त उसने पगड़ी ली, नाजाएज तौर पर उससे हजार दो हजार नकद की शक्ल में रुपया लिया गया। यह पगड़ी वगैरह न ली जा सके कमेटी को यह करना चाहिये कि सिवा उस सूरत के जबकि मालिक अपनी जरूरत के लिये मकान चाहता हो, मकान खाली न कराये जा सकें। जो भी मकान किराये के लिये खाली हों उनमें किरायेदार बिठाने का हक मकान मालिक को न रहे बल्कि उस कंट्रोलर को यह हक रहे। अगर ऐसा किया जाएगा। पगड़ी देने लेने का सवाल ही पैदा नहीं होगा। एक चीज़ तो सिलेक्ट कमेटी को इस बिल में यह बढ़ानी चाहिये।

इसके अलावा एक दूसरी चीज़ मैं चाहता हूँ। हिन्दुस्तान के आजाद होने के 11 सालों के अन्दर बहुत सी तबदीलियां आयीं। यह माना है कि हम इस देश में समाजवादी ढांचा बनाना चाहते हैं। यहां पर दो किस्म के मालिक हैं, एक मालिक हैं काश्त करने लायक जमीन के, और दूसरे मकानों के मालिक हैं। इसी तरह से दो किस्म के टिनेन्ट हैं। एक टिनेन्ट मकान का किरायेदार हैं और दूसरा टिनेन्ट काश्त करने लायक जमीन का है। मुझे काश्त करने वाली जमीन के मालिक से कोई खास हमदर्दी नहीं है, जो खुद अपनी जमीन पर काश्त नहीं करता है और उसको हटाने के

** संसदीय बहस (कार्यवाही लोकसभा 1957-62), 11 सितम्बर, 1958, पृष्ठ 6064-6070*

लिये जितने कायदे और कानून बनाये हैं मैं उन सबकी ताईद करता हूँ। वह जरूरी थे और सही तौर पर हिन्दुस्तान की मुख्तलिफ विधान सभाओं ने खेती करने वाली जमीन के ऊपर से निट्ठले मालिकों को हटाने के लिये कायदे और कानून बनाये। लेकिन, यह मेरी समझ में नहीं आता कि हमारी समाजवादी सरकार मालिकों के बारे में दो ढंग से क्यों सोचती है। उसे मकानों के मालिकों और खेती की ज़मीन के मालिकों को एक ही दृष्टि से देखना चाहिये। इसी तरह से जो टिनेन्ट है, चाहे वह खेती करने वाली जमीन का टिनेन्ट हो या रहने वाले मकान का टिनेन्ट हो, उसको भी एक ही दृष्टि से देखना चाहिये। जो सहूलियतें मुज़ारे को दी गयी है, जमीन की मिल्कियत हासिल करने की, वहीं सहूलियतें मकानों के किरायेदारों को मिलनी चाहियें ताकि वे भी मालिक बन सकें। जब वाजपेयी जी बोल रहे थे तो उन्होंने यह कहा और कुछ दूसरे दोस्तों ने भी कहा, इधर से राधारमण जी ने भी कहा और माना कि जो मकानों के मालिक हैं उन्होंने बड़े-बड़े जुल्म किये हैं। यह किसी से छिपा नहीं है कि इन्होंने केवल किराया ही नहीं लिया बल्कि पगड़ी भी ली और कपड़े भी उतारे। ऐसे आदमियों से हम हमदर्दी क्यों रखें ? हम क्यों न उनको भी उसी तोल से तोलें जिससे कि हम दूसरे मालिकों को लते हैं। बाबू ठाकुर दास जी ने कहा था कि मकान मालिक सही तौर का रवैया टिनेन्ट के साथ रखें जैसा कि सरकार रखती है.

Shri S.M. Banerjee (Kanpur) : There is absolutely no quorum; there should be at least 30 or 35 Members.

Shri Braj Raj Singh : Why not 50?

Mr. Chairman : The Bell is rung — there is now quorum.

चौधरी रणबीर सिंह : सभापति महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि इस बिल के अन्दर मकानों के किरायेदारों को भी मालिक बनाने की स्कीम होनी चाहिये।

इसी तरह से तीसरी चीज़ है। खेती वाली ज़मीन के मालिक के बारे में नहीं सोचा जाता कि तीन या चार साल के बाद उसके कितने लड़के होंगे और उनको कितनी जमीन खेती करने के लिये चाहिये। इसी तरह से इसमें जो अपने लिये मकान खाली कराने की व्यवस्था रखी गयी है उस पर मुझे आपत्ति है! मैं यह मानता हूँ कि आखिर जब किसी आदमी को जरूरत नहीं रही रहने की तभी उसने किराये पर मकान दिया। हो सकता है कि बाद में उसके तीन चार बच्चे हो जाएं या उसके छोटे बच्चे जवान हो जाएं। जिस तरह से कि खेती की जमीन के मालिक की इस जरूरियात का ख्याल नहीं किया जाता उसी तरह मकान मालिक का भी ख्याल नहीं

रखा जाना चाहिये। इसलिये, उसे भी यह अधिकार नहीं होन चाहिये। हां, किसी खास वजूहात में इस तरह मकान खाली कराने की इजाजत दी जा सकती है, जैसे अगर कोई आदमी गवर्नमेंट सर्विस में है, या फौज में या पुलिस में है। और जब वह वापिस आता है और अपना मकान चाहता है। बेशक उसको इस तरह की छूट दे दी जाए कि वह अपने इस्तेमाल के लिये मकान खाली करा सके। लेकिन, जो बराबर दिल्ली में रहता आ रहा है, अगर वह चाहे कि अपने लिये मकान खाली करा ले। उसको मैं यह सहूलियत देना जाएज नहीं समझता। आप अन्दाजा लगायें। मालूम होगा कि 11 या 12 सालों में काफी आदमी गुजर गये होंगे, बहुतों की मिल्कियत भी बदल गयी होगी, बहुत लोग अलग अलग रहने लगे होंगे। इसलिये, मैं उनके लिये मकान खाली कराने का अधिकार ठीक नहीं समझता।

कई दोस्तों ने यह साबित करने की कोशिश की है कि इस तरह का कानून बनने से मकानों की समस्या हल नहीं हो सकती। मैं मानता हूँ कि सरकार ने केवल कानून नहीं बनाया है, बल्कि सरकार ने पहली पंच साला प्लान के मातहत 38 करोड़ रुपया इस देश के अन्दर मकानों की तादाद बढाने के लिए खर्चा है और 13 लाख मकान नये बनाये हैं। इसी तरह से दूसरी पंच साला योजना के अन्दर 120 करोड़ रुपया मकानों पर खर्चने का इरादा है जिससे 19 लाख मकान बनाने है, यह तो नहीं है कि सिर्फ किराये के कानून के जरिये ही सरकार ने मकानों की समस्या का हल करने की कोशिश की है। यह बात सही है कि कई दफा हम सोचते हैं कि हालत में शायद कुछ फर्क पड़ा है और हमें कुछ मालिक की भी सोचनी चाहिये। उसकी वजह से हम इस कानून में तबदीली लाना चाहते हैं। लेकिन, मैं समझता हूँ कि अक्सर इस तरह के कानूनों का फायदा किरायेदारों के बजाए मकान मालिक ही उठा लेते हैं। बहुत थोड़े किरायेदार फायदा उठा पाते हैं। मेरा दावा है कि आप आज किरायेदारों की गिनती कर लें और फिर एक साल या दो साल के बाद गिनती करें। आप काफी किरायेदारों को बेघर पायेंगे। यही हाल खेती की जमीन के बारे में भी मैंने तजरबें से देखा है। बहुत सारे राज्यों के अन्दर मजारे की रक्षा के नाम पर कानून बने पर उन्हीं कानूनों के जरिये मुजारों को जमीनों से निकाला गया। यह ठीक है कि सरकार ने और इस हाउस ने यह फैसला किया है कि हम इस देश में एक समाजवादी ढांचा बनाना चाहते हैं। लेकिन, उस फैसले को कार्य रूप देते हुए एक आदमी और दूसरे आदमी में भेद नहीं किया जा सकता है। कई दोस्तों ने और वाजपेयी जी ने खासतौर पर गिला किया कि इससे न तो किरायेदार राज़ी हैं और न मालिक मकान राज़ी है। यह बात सही है। जिस आदमी को न्याय करना है – जिसके हाथ में न्याय की कलम

है, वह जो कुछ करता है, हो सकता है कि दोनों ही पार्टियां उससे राज़ी न हों। इस मामले में किरायेदार अपने लिये ज्यादा से ज्यादा सहूलियत और रियायत चाहते हैं और मालिक-मकान चाहते हैं कि उनको ज्यादा से ज्यादा हकूक मिलें। जिसने इसका फैसला करना है और कानून बनाना है, कुदरती तौर पर उसको इस बात का ख्याल रखना पड़ता है कि न तो मालिक-मकान को ज्यादा नुक्सान पहूँचे और किरायेदार को भी कुछ सहूलियत पहुंच जाए।

आज मकानों की बहुत कमी है, इसलिये, इस बात का ख्याल भी रखना है कि मालिक-मकान किसी वजह से मकान बनाना ही बन्द न कर दें। सरकार समझती है - और मैं समझता हूँ कि सही तौर पर समझती है - कि अभी तक उसके पास इतनी शक्ति नहीं है कि वह हर आदमी को सरकारी मकान बना कर दे सके। जब तक उसकी यह शक्ति नहीं बढ़ जाती, उस वक्त तक नये मकान बनाने वालों के लिये थोड़ी बहुत रियायत रखनी होगी। लेकिन, श्री राधारमण के विचार के मैं विरुद्ध हूँ। वह चाहते हैं कि जिन दिल्ली वालों ने पगड़ी का रुपया लिया है और जो सैंकड़ों सालों से किरायेदारों की निहायत बुरी तरह से लूट रहे हैं, उनके साथ कोई रियायत नहीं होनी चाहिये। इस बारे में मेरी तो साफ़ राय है कि जहां तक उन मालिकों का ताल्लुक है, एक स्कीम बनाई जानी चाहिये कि किस तरह किरायेदार मकानों के मालिक बन सकते हैं। जिस 120 करोड़ रुपये की रकम का मैंने जिक्र किया है, उसमें कर्ज़े की रकम भी शामिल है। सरकार उस रकम को किरायेदारों को दे, ताकि उसके अदा करके वे उन मकानों के मालिक बन सकें। जहां तक नये मकान बनाने वालों का ताल्लुक है, उनको चार पांच सासल तक हम किराये के बारे में रियायत दे सकते हैं। उसके बाद हम फिर देख लेंगे। आखिर में मैं यह अर्ज़ करना चाहता हूँ कि इस सारे मामले में पगड़ी का लूपहोल नहीं होना चाहिये। मालिक-मकान को यह अख्तियार नहीं होना चाहिये कि वह जिसको चाहे मकान किराये पर दे दे। इस बिल के मुताबिक अगर कोई शख्स दोबारा डीफ़ाल्ट करता है और किराया नहीं देता है। मकान का हक इससे छिनकर मालिक-मकान के पास पहुंच जाएगा। मालिक-मकान दो, चार, छ : हजार रुपये पगड़ी लेकर किसी को मकान किराये पर उठा सकता है। इसकी रोकथाम इसी सूरत में हो सकती है कि मकान मालिक बेशक मकान खाली करा दे, अगर किरायेदार कानून की खिलाफ़वर्ज़ी करता है। लेकिन, उसके बाद कौन किरायेदार आये, इसका अख्तियार मालिक-मकान को न ही कर कंट्रोलर को हो।

द्वितीय लोकसभा

मंगलवार, 23 सितम्बर, 1958 *

पूरक अनुदान मांगें

चौधरी रणबीर सिंह : मेरा निवेदन यह है कि आप इस गैस से संबंध स्थापित करें, क्योंकि, पैसा आपके पास है। यह एक इतिहास की बात है कि मसूरी में कृषि मंत्रियों की जो कांफ़रेंस हुई थी, उसमें वे लोग 116 करोड़ रुपये चाहते थे, लेकिन, वह रकम उनको नहीं मिली। कृषि और खुराक का मंत्रालय एक ऐसा मंत्रालय है, जिसके साथ सौतेली मां जैसा सलूक किया जाता है। मैं चाहता हूँ कि मेहरबानी करके हमारी इस गैस को भी आप ही ले लें, ताकि इसमें कुछ तरक्की हो। वह गैस ऐसी है, जो सारे हिन्दुस्तान में मिलती है और उससे सारे देश को फायदा हो सकता है।

गैस के बाद मैं नमक पर आना चाहता हूँ। हिन्दी रिज़न में रेवाड़ी के इलाके में पहले बहुत ज्यादा नमक पैदा होता था। अंग्रेज के राज में इस देश में कुछ ऐसे हालात पैदा हो गये कि नमक की पैदावार कम हो गई। रेवाड़ी जैसे पिछड़े हुये इलाके में, जहां न कोई नहर पहुंची है और न तरक्की का कोई काम हुआ है, नमक निकालने का इंतजाम किया जाना चाहिये। सरकार की नीति है कि इस देश में को-आपरेटिव सोसायटियां तरक्की करें। अगर वह नीति सिर्फ कागज पर ही रहनी है, तब। बात दूसरी है, वर्ना नमक जैसी चीज का वितरण सिर्फ को-आपरेटिव सोसायटियों की मारफत ही कराया जाना चाहिये। इससे को-आपरेटिव सोसायटियों को भी थोड़ा बहुत बढ़ावा मिलेगा।

मुझे कुछ कर्ज के बारे में भी कहना है। इस सदन में लगातार तीन चार दिन

** संसदीय बहस (कार्यवाही लोकसभा 1957-62), 23 सितम्बर, 1958, पृष्ठ 8135-8139*

प्लानिंग के ऊपर बहस हुई और उससे पहले खुराक के बारे में बड़ी बहस हुई। खुराक इस देश के लोगों को देनी होगी, चाहे उसको यहां पैदा किया जाए, चाहे उसको बाहर से मंगाया जाए। जहां तक बाहर से अनाज मंगाने का ताल्लुक है, उस पर इस देश का 1360 करोड़ रुपया खर्च किया गया है। सवाल यह है कि आया हम खुराक बाहर से मंगाकर लोगों को देंगे या इस देश में पैदा करेंगे। हर एक भाई यह चाहता है और सरकार भी यह चाहती है – और उस की बड़ी कोशिश है – कि हम अपने देश में ही अनाज पैदा करें। इसके लिये मेरे छोटे से जिले में 17 के करीब सरकारी जीपें प्रचार के लिये रखी हुई हैं। इस सिलसिले में मैं यह कहना चाहता हूँ कि राज्य सरकारों को कम से कम उतना रुपया दिया जाए, जितना कि कुंए, तालाब और माइनर इरिगेशन के तहत आपने सैंकड फाइव यीअर प्लान में रखा है। आपने प्लान की री-एपरेजल में बताया है कि तकरीबन साठ फीसदी खर्च कर पाये हैं। मैं चाहता हूँ कि आने वाले छ : महीनों में आप स्टेट्स को सारा रुपया दे दीजिये, ताकि उनको यह बहाना न रहे कि चूंकि हमारे पास रुपया देर में आया, इसलिये, हम कुंए और तालाब नहीं बना सके। इस प्रोग्राम के लिये आपने जितना रुपया रखा है, अगर वह कर्ज़ के तौर पर आप स्टेट्स को इस साल में नहीं दे सकते हैं। कम से कम दूसरे पांच-साला प्लान में जितना रुपया रखा गया है, उसमें जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है, इस साल में दे दें ताकि इस देश का अनाज का मसला हल हो और बाहर से अनाज आना बन्द हो।

इसके बाद मैं यह अर्ज करना चाहता हूँ कि इस किताब में इस बात का जिक्र है कि सरकार को कुछ रुपया डिग्रीयों के नतीजे के तौर पर देना पड़ रहा है। उसमें कुछ रुपया अफसरों की तन्ख्वाह के झगड़े का है और कुछ ठेकेदारों के झगड़े का है। सफा 10 पर एक केस का जिक्र किया गया है कि एक ठेके की कुछ रकम के बारे में गवर्नमेंट और ठेकेदार में इख्तलाफ-राय हुआ। इसे अलावा उसी ठेकेदार का दूसरे ठेके का रुपया सरकार के पास था। अगर अफसर लोग कोशिश करते। उस झगड़े का समझौता हो सकता था। जो ठेकेदार सही तरीके से काम न करें, उसके लिये एडमिनिस्ट्रेशन के पास बगैर किसी अदालत में गये हुये काफी अख्यितार हैं। ऐसे ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट में रखा जा सकता है, जिसके डर से वह काफी समझ से काम कर सकता है। बजाए इसके कि उस ठेकेदार को समझाया जाता कि वह इसको छोड़ दे, वह मामला आरबिट्रेशन को दे दिया गया और उसने साढ़े छ : हजार रुपये सरकार से ठेकेदार को दिलाये।

इसके अलावा इसमें अफसरों की तनख्वाहों का भी कुछ जिक्र है और

उनके बारे में कुछ झगड़ों का जिक्र भी किया गया है। इस सिलसिले में मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि अफसरों की तनख्वाहों के बारे में वित्त मंत्रालय जिस नुक्तेनिगाह से देखता है, वह अच्छा ख़ासा पेचीदा है। बहुत लम्बी चौड़ी उसके अन्दर पत्र-व्यवहार होती है। केस इतना पुराना हो जाता है और इतनी ज्यादा कारेसांपांडेंस इकट्ठी हो जाती है कि जिस अफसर का उससे ताल्लुक होता है, उसको भी बहुत ज्यादा उसके बारे में पता नहीं होता है। वह उसकी समझ में भी बहुत कम आता है। इसका नतीजा यह होता है कि कई बार वह केस अदालतों में जाता है ओर तब जाकर उसका कुछ नतीजा निकलता है। यही नहीं, जहां तक छोटे-छोटे क्लर्कों का ताल्लुक है चार पांच रुपये उनकी तनख्वाह बढ़ाने का जब सवाल आता है। उसके लिये पे कमिशन बिठाई जाती है। लेकिन, जब कभी अंडर सैक्रेट्री या और बड़े अफसर की तनख्वाह बढ़ाने का सवाल आता है। उसका इसी तरह से फैसला कर दिया जाता है। अंडर सैक्रेट्री से लेकर ज्वाइंट सैक्रेट्री तक तथा सैक्रेट्री तक जितने भी बड़े-बड़े अफसर हैं उन सबको किसी न किसी नाम से 300 रुपया महीना फालतू मिलता है। अभी पिछली दफा हमने देखा कि नेशनल सेविंग्स स्कीम के अन्दर जो आई.ए.एस. अफसर लगाया जाता है उसको अपनी तनख्वाह के अलावा 300 रुपया ज्यादा दिया जाता है। एक तरफ तो आप लोगों से यह कहते हैं कि वे और अधिक बचावें और गवर्नमेंट को देवें और दूसरी तरफ आप अफसरों को इस तरह से और ज्यादा रुपया देते जाते हैं। आई.ए.एस. का एक ग्रेड मुकर्रर है और उस ग्रेड में जो तनख्वाह वह पाता है उसके अलावा उसको यह रुपया दिया जाता है। मैंने अन्दाजा तो नहीं लगाया है कि कितना रुपया इस तरह से अफसरों को दिया जाता है। लेकिन, मैं समझता हूँ कि यह काफी ज्यादा होगा। काश्तकारों के लिये तो आप यह कहते हैं कि 3600 रुपया साल से ज्यादा न पावें। लेकिन, आई.ए.एस. अफसर को जिसका ग्रेड 1800 तक जाता है, उसको जब किसी दूसरे काम के लिये लगाया जाता है चाहे वह नेशनल सेविंग्स स्कीम के तहत ही क्यों न लगाया जाता हो, उसको 300 रुपया अलावा तनख्वाह के दिया जाता है। इसी तरह से पी.सी.एस. के ग्रेड के आदमी को जब लगाया जाता है तो 150 रुपया अधिक उसको दिया जाता है। मैं चाहता हूँ कि वित्त मंत्रालय अन्दाजा लगावें कि कितना रुपया इस तरह से उन लोगों को दिया जा रहा है और मेरा अन्दाजा तो यह है कि स्पेशल एलाउंस के नाम से या डेपुटेशन एलाउंस के नाम से इस देश के अन्दर साल में करोड़ों रुपया उनको दिया जाता है। यह रुपया उनको देने के लिये कोई भी पे कमिशन नहीं बिठाया गया है। इसके विपरीत जब कभी किसी क्लर्क को

पांच रुपया या एक रुपया या आठ आने महीना ज्यादा देने की बात आती है। कमिशन बिठाया जाता है। एक तरफ तो यह कोशिश की जाती है कि अफसरों को ज्यादा से ज्यादा तनख्वाह दी जाए और दूसरी तरफ यह कोशिश की जाती है कि दूसरों को कम से कम दी जाए। एक तरफ वित्त मंत्री महोदय के लिये यह कहा जाता है कि उनको कम से कम तनख्वाह दी जाए और दूसरी ओर जो उनका सैक्रेट्री है और जिसके लिये यह कहा जाता है कि उसकी तनख्वाह 1800 से अधिक न हो, स्पेशल एलाउंस के रूप में कितना ही रुपया दे दिया जाता है।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर (पाली) : 22:50 तक उनका ग्रेड है।

चौधरी रणबीर सिंह : आई.ए.एस. का ग्रेड 350 से 1800 तक है और जब उसको ज्वायंट सैक्रेट्री लगाया जाता है तो उसको कम से कम 2250 देना पड़ता है।

द्वितीय लोकसभा

बुधवार, 24 सितम्बर, 1958 *

अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम (स्थिति, उन्मुक्ति तथा विशेषाधिकार) विधेयक

चौधरी रणबीर सिंह (रोहतक) : उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन के अन्दर कुछ ऐसा हो गया है कि जहां कहीं विदेशी पूंजी की बात आती है या विदेशी सहायता की बात आती है तो उनको एक किस्म का बुखार सा हो जाता है। मैं समझता हूँ कि इस देश के अन्दर कोई आदमी भी विदेशी सहायता या विदेशी पूंजी नहीं चाहता, अगर उसके बगैर इस देश की तरक्की हो सकती हो। यह बात भी सही है कि यह देश काफी सालों दूसरे देशों का गुलाम रहा है। उस गुलामी के वक्त में इस देश के अवाम पर कुछ हीन-भावना छा गई। लेकिन, आज तो हमारा देश 11 साल से आजाद है। इन 11 सालों के इतिहास में हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो अपनी विदेशी मामलों के अन्दर नीति रखी वह एक बड़ी आजाद नीति रखी और चाहे रैड इंटरनेशनलिज्म हो चाहे यलों इंटरनैश्नलिज्म हो या कोई और देश हो, उन्होंने सारे देशों से इस देश के लिए सहायता हासिल की है।

मुझे याद है जब 1958 के बजट पर बहस हो रही थी। कई दोस्तों का ख्याल था कि जितना रुपया विदेशी सहायता का आने का अन्दाजा है वह रुपया नहीं आ सकेगा। लेकिन, वह रुपया आया और विदेशी सहायत भी मिली। महंती जी ने तो हद कर दी। वह तो मुगल जमाने की जो बात थी उनको आज से मुकाबला करना चाहते हैं। वह डर आज दिखाना चाहते हैं। मैं उनको बताना चाहता हूँ कि मुगलों के वक्त में

** संसदीय बहस (कार्यवाही लोकसभा 1957-62), 24 सितम्बर, 1958, पृष्ठ 8408-8413*

किसी एक मामूली से डाक्टर के खिलाफ मुगल शंहशाह नहीं बोल सकते थे। आज भी हिन्दुस्तान के जो प्रतिनिधि बाहर जाते हैं, प्रधानमंत्री जी। दूर रहे, अगर कोई मामूली प्रतिनिधि भी होता है। वह हर जगह आजादी से बोल सकता है और बोलता है। आज सारा संसार मानता है कि हिन्दुस्तान की नीति एक आजाद नीति है। आज हिन्दुस्तान की नीति को कोई पैसे से नहीं खरीद सकता। मेरी समझ में नहीं आता कि इतनी डरावने ढ़ंग की बातें कही गयीं वे क्यों कहीं गयीं।

यही नहीं, विदेशी पूंजी से इतना डर हो गया कि लोग अन्तर्राष्ट्रीय पूंजी से भी डरने लगे। जिन अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं के हम भी मेम्बर और साझीदार हैं, उनसे आज लोग डरने लगे हैं। आखिर हम आज क्या कर रहे हैं। हम अपने देश में वही कर रहे हैं जो हम दूसरे देशों की पार्लियामेंट से चाहेंगे। वहां पर भी आज हमारे बारे में कोई कह सकता है जो दूसरों के बारे में कहते हैं। मुझे तो उसमें कोई डर की बात नहीं दिखायी देती। यहां सवाल किसी खास विदेश का नहीं है। इस समय राजा साहब नहीं हैं। अगर वह इस बात को सुनते। वह मानते कि आज विश्व संघ की तरफ एक कदम उठ रहा है। यह ठीक है कि विश्व संघ का राज नहीं कायम होने जा रहा। लेकिन, कम से कम आर्थिक क्षेत्र में। एक कदम उस तरफ उठाया जा रहा है।

जहां तक प्राइवेट सेक्टर का सवाल है मेरा भी उसके साथ कोई खास समर्थन नहीं है। बहुत सोच समझकर ही इस सदन ने फैसला किया है कि इस देश के अन्दर मिक्स्ड इकानमी रहेगी, जिसके अन्दर व्यक्तिगत सरमाये को भी मौका दिया जाएगा और सरकारी सरमाये को भी बढ़ावा दिया जाएगा। मैं समझता हूँ कि इस कारण इस देश की नीति पर कोई असर नहीं हुआ है। पहली पंच साला योजना में व्यक्तिगत सरमाये का जो औसत था। दूसरी योजना में इससे उलटा हो रहा है। इससे प्रकट होता है कि देश के अन्दर व्यक्तिगत सरमाये से सरकार नहीं घबराती और न यह सदन घबराता है।

एक माननीय सदस्य ने बिड़ला और टाटा का जिक्र किया और कहा कि यह तो बिड़ला और टाटा की सरकार है। मैं जानता हूँ कि इस सदन में इन 11 सालों के अन्दर जो कायदे और कानून बने उनके कारण बिड़ला और टाटा को बड़ी घबराहट हुई होगी। अब वह यह मानने लगे हैं कि जैसा उनका ख्याल था उस ढंग की बातें यह सदन पास नहीं करता और यह सदन उस किस्म की बातें नहीं चाहता। मैं समझता हूँ कि इस नीति के अन्दर कोई आपत्ति की बात नहीं है, कि व्यक्तिगत सरमाये को भी स्थान दिया जाए।

महन्ती साहब ने किसी और चीज का रेफरेंस देते हुए कहा कि सरकार ने 370 या 372 करोड़ डालर की जमानत दी है। मैं मानता हूँ कि अगर सरकार ने यह जमानत बिड़ला या टाटा और दूसरे हाउसेज के लिए मकान या महल बनाने के लिए दी होती तब यह नाजाएज बात होती। यह जमानत इस चीज के लिए दी गयी है कि इस देश की तरक्की के लिए कारखाने लगाये जाएं, इस देश की इंडस्ट्री की बढ़ोतरी हो। मुझे यह मालूम नहीं कि यह जमानत देने के साथ-साथ सरकार ने कोई सीक्योरिटी भी ले ली है या नहीं या इन कारखानों की अपने नाम रजिस्ट्री करा ली है या नहीं। ऐसा सरकार को करना चाहिए, यह मैं मानता हूँ। अगर माननीय सदस्य का यह केस होता कि जहां सरकार इन बड़े-बड़े हाउसेज़ के लिए जमानत दे। सरकार को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वे उस सरमाये से जो चीज़ लगाते हैं या जो चीज़ उस सरमाये से बनती है उसकी मिल्कियत जब तक कि वह कर्जा अदा न हो तब तक हिन्दुस्तान की सरकार के नाम होनी चाहिए। मैं उनके साथ होता और उनकी बात का समर्थन करता। लेकिन, अगर खाली एक डर है। मैं उसका समर्थन नहीं कर सकता। मैं मानता हूँ कि अगर सरकार ऐसा कर लेती। अच्छी बात होती। लेकिन, कहीं गलती हो भी गयी है। सरकार उसे ठीक करेगी और अगर उस गलती को दुरुस्त करने में कुछ देरी लगती है। उसमें भी कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। आखिर इन कारखानों को कोई हवाई जहाज़ से उड़ाकर दूसरे देशों को। हिन्दुस्तान से ले नहीं जा सकता। यह सदन ऐसे आदमियों का इन्तिजाम करने के लिए काफी मजबूत है। अगर किसी ने यह कोशिश की कि सरकार ने जो जमानत दी है, उसका नाजाएज़ फायदा उठायें। मैं समझता हूँ कि चाहे वे कितनी ही ताकत वाले या रुपये वाले हों। इस सदन की नीति को वे बदल नहीं सकेंगे और यह सदन जो कार्रवाई करेगा वह सही होगी और इस देश के हित की रक्षा के लिए होगी।

एक और बात कहना चाहता हूँ। कुछ दोस्त समझते हैं कि सरकार के साथ हर काम में 51 या 52 फीसदी आदमी ही होने चाहिए। शायद वह सोचते हैं कि सरकार इस ढंग से काम नहीं कर पायेंगी। वह समझते हैं कि जब सरकार कोई काम करे। इन लोगों से पूछ कर जाए। हिन्दुस्तान की सरकार को मालूम है कि इस देश को विश्वास और इस देश के प्रतिनिधियों का विश्वास उसके साथ है और इसी वजह से उसका हौसला बढ़ा हुआ है। आज जो संसार के दूसरे देशों में डेमोक्रेसियां नहीं चल रहीं हैं इसकी यही वजह है कि वहां जो पंचायती ढ़ंग का राज्य है उस राज्य में राज्य चलाने वालों के साथ वहां के लोगों का और प्रतिनिधियों का विश्वास नहीं है।

यहां हालत उससे उलटी है। इन 11 सालों में दुनियां में बहुत सारी तबदीलियां हुई। हमने इन 11 सालों में एक बार भी यह नहीं देखा कि सरकार ने विश्वास के साथ कहीं जाकर कुछ कहा हो और इस सदन में वे या उनके दूसरे साथी उस बात को बदलावा सके हों। जब यह बात है तो क्यों न हिन्दुस्तान का मंत्री, जब बाहर जाए। देश के बारे में विश्वास के साथ बात कर सके, क्यों वह झिझके। इसमें देश के साथ क्या गद्दारी है, यह बात मेरी समझ में नहीं आती। ऐसी बात तो है नहीं कि यहां पर पाकिस्तान की तरह लोगों को अपनी राय जाहिर करने का मौका नहीं दिया गया हो। हिन्दुस्तान के आज़ाद होने के बाद सब दलों को दो दफा इस बात का मौका दिया गया कि वे सही या ग़लत तौर पर लोगों को बहका कर अपने साथ ले जाएं। लेकिन, दोनों दफा हिन्दुस्तान के लोगों ने इस सरकार पर और कांग्रेस पार्टी पर अपना विश्वास प्रकट किया। जब कांग्रेस पार्टी के नुमायंदे दूसरे देशों में बातचीत करने के लिए इस देश के प्रतिनिधि की हैसियत से जाएं, क्यों न उनके दिल में विश्वास हो। लोगों ने उन पर अपना विश्वास प्रकट किया है। जो इस पर शक जाहिर करते हैं, वे तो अपने ख्याल के मुताबिक बात करते हैं। हमने देखा है कि 1947 में हमारे जो साथ उधर बैठे थे, उनमें से चन्द ही भाई हैं जिनको दोबारा यहां बैठने का मौका मिला है। जिस तरह उन लोगों के दिलों में अविश्वास है, वैसे ही वे दूसरों के दिलों में भी अविश्वास पैदा करना चाहते हैं। लेकिन, लोगों ने जिसको अपना विश्वास दिया हुआ है, वह अविश्वास के साथ कैसे बात कर सकता है? वह तो विश्वास के साथ ही बात करेंगे।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का पूरा समर्थन करता हूँ।

द्वितीय लोकसभा

वीरवार, 25 सितम्बर, 1958 *

उच्च न्यायालय के न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) विधेयक

चौधरी रणबीर सिंह (रोहतक) : सभापति महोदय, मैं इस बिल का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूँ। मैं समझता हूँ कि बिल बहुत सीधा सादा है और इसमें कोई आपत्ति वाली बात नहीं है।

आज सभी आदमी और सभी माननीय सदस्य यह मानते हैं कि हाई कोर्ट्स में काम काफ़ी बढ़ गया है। इसलिये, और अधिक जजेज़ के लगाने की ज़रूरत होती है। जब उनको लगाने की आवश्यकता है। उनकी जो सर्विस हैं, वह क्यों न गिनी जाए और जिस तरह से हेडा साहब ने कहा कि बी. क्लास स्टेट्स के जो जजेज़ थे, उनकी भी नौकरी या उनका जो पीरियड है वह गिनती न किया जाए। मैं तो ऐसा न करने के लिये कोई कारण नहीं देखता।

जहां तक इस बिल का वास्ता है, वह बड़ा सादा और साफ़ है। लेकिन, कई एक बातें इसमें कहीं गई या पिछले विधेयक के सम्बन्ध में कही गई। मैं समझता हूँ कि उसके अन्दर बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिन पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिये।

श्री ब्रजराज सिंह ने ज़िक्र किया, गो उन्होंने उस जज का नाम नहीं लिया। लेकिन, जिस जज की तरफ वह इशारा करना चाहते थे उसको मैं समझ गया। मैं उनको बताना चाहता हूँ कि जो एपायन्टमेंट हुई है वह भी वही हुई है जो एन्थनी साहब का संशोधन था .....

Shri Satyendra Narayan Sinha (Aurangabad-Bihar) : Is he speaking on the previous Bill?

** संसदीय बहस (कार्यवाही लोकसभा 1957-62), 25 सितंबर 1958, पृष्ठ 8774-8779*

Sh. Ranbir Singh : I am speaking on this Bill and I have an absolute right to refer to any other provision which is relevant to this Bill.

मैं निवेदन कर रहा था कि मैंने उस वक्त बतलाने की कोशिश की थी कि वह एक ऐसी बात कही कई जो ठीक नहीं थी। मैं समझता हूँ कि उस बात का यहां पर जिक्र कर दूं जो उनका रेफ्रेंस था वह सही नहीं है क्योंकि, अगर किसी जज को लगाया भी था या लगाया गया होगा। वह ग़ालिबन् उस चीज़ के लिये लगाया गया जिसको कि उनका संशोधन भी मानता था यानी ऐसी जगह पर जहां एक जुडिशियल या सैमी जुडिशिएल एपायन्टमेंट हो। जहां तक गवर्नमेंट में या किसी दूसरी जगह उनको लगाने पर पाबन्दी रखने का सवाल है, मैं समझता हूँ कि बहुत सारे भाई ऐसे होंगे जो इस बात से सहमत होंगे कि इस तरह की उन पर पाबन्दी लगाना ग़लत होगा।

आज केरल एक स्टेट है। उसके अन्दर आमतौर पर कुछ ऐसा देखा गया कि जो पार्टी पोज़ीशन है उसमें केवल एकआध का ही फ़र्क रहता है। अगर वहां केरल के अन्दर किसी जज को गवर्नर लगाया जाए। मैं समझता हूँ कि जो वज़ारत के मूखालिफ होंगे वे भी यह मानेंगे कि यह सही है। अगर हमको ऐसी जगह कहीं किसी जज को लगाने की ज़रूरत महसूस हो या कुछ ऐसी वजूहात हो सकती है जिनकी वजह से जज को लगाया जाना जरूरी हो। फिर उसके ऊपर यह पाबन्दी क्यों लगाई जाए ? इससे खुद उन्होंने माना और नाथ नाई साहब ने इसको माना कि छागला साहब का वहां पर लगाना बहुत सही बात हैं। लेकिन, फिर भी वह चाहते हैं कि इस क़िस्म की पाबन्दी ज़रूर लगा दी जाए। अगर ऐसे मौकों पर लगाना सही है तो पाबन्दी लगाने से उनकी क्या मंशा है ? मैं समझता हूँ कि जहां तक मुमकिन हो सरकार यह कोशिश करे कि जजों को जुडिशियल और सैमी जुडिशिएल जगहों के अलावा अन्य जगहों पर रिटायर होने के बाद न लगाया जाए। लेकिन, मेरी समझ में पाबन्दी लगाना सही बात नहीं है।

मेरे कई दोस्तों का यह सवाल है कि तनख्वाह के साथ एक व्यक्ति के काम करने की शक्ति के ऊपर असर पड़ता है या उसकी इंटैग्रिटी पर असर पड़ता है। यह बात ठीक नहीं है। बात बिलकुल साफ़ है कि हमको जज लगाते वक्त इस बात का ध्यान रखना होगा कि देश की कैसी हालत है। देश के बदले हुए हालात को मद्देनजर रखते हुए जजेज़ को लगाने में देश का भला होगा। इस बारे में मैं किसी जज के ऊपर या किसी अदालत के बारे में कोई खास जिक्र नहीं करना चाहात और न ही मेरी मंशा कोई डाउट करने की है। लेकिन, मैं इस सदन को याद दिलाना चाहता हूँ कि इस देश

के अन्दर जब संविधान बना और जब विधान की उन धाराओं पर जो अदालतों, हाईकोर्टस और सुप्रीम कोर्ट से सम्बन्धित थीं, विचार चल रहा था। उस समय उनके बारे में रायज़नी की गई वह बहुत एक दूसरे से मुख्तलिफ थी। एक तरफ़ तो हमारे लॉ मिनिस्टर साहब थे और दूसरे जो बड़े-बड़े कानूनी विशेषज्ञ वहां पर थे, उन्होंने राय देकर कुछ कानून बनवाये। मेरा मतलब लैंड रिफ़ार्म्स कानून से है। हमने देखा कि इस लैंड रिफ़ार्म्स के कानून को कारगर बनाने के लिए उनको इसको कांस्टीट्यूशन का हिस्सा बनाना पड़ा। यह ठीक है कि वह लोग बहुत बड़े वकील हैं और अदालतों में पैरवी करके कई-कई हज़ार रुपया कमाते हैं। वे शायद कानून के विशेषज्ञ भी हैं, यह बात ठीक है। लेकिन, यहां पर सवाल सिर्फ इतना है कि वे कानूनी विशेषज्ञ अपनी योग्यता का इस्तेमाल देश के बनाने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं या देश की तरक्की की राह में कुछ रोक लगाने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं?

मैं हैडा साहब से कुछ थोड़ा सा सहमत हो सकता हूँ कि शायद एक चीफ़ मिनिस्टर और एक जज में फ़र्क है। लेकिन, मैं आपको बतलाना चाहता हूँ कि हम अपने देश के राष्ट्रपति को जब वह रिटायर हो तो उसको 18 हज़ार देते हैं। लेकिन, एक जज को रिटायर होने पर राष्ट्रपति से भी ज्यादा देना चाहते हैं और ऐसा करना कहां तक उचित होगा? हमको अपने देश की जैसी उसकी वर्तमान हालत और आर्थिक दशा है उसके अनुसार हमें उनकी पेंशन निश्चित करनी होगी। यह बात भी याद रहनी चाहिये कि आज पब्लिक सैक्टर के जमाने में कोई बहुत बड़ी रक़म रखना अनुचित होगा।

आखिर सद्न के मेम्बर्स जिनको वे 400 रुपये तनख्वाह मिलती है और जिनको रिटायर होने के बाद में कोई पेंशन नहीं मिलेगी आखिर वे भी तो इस देश के अन्दर रहकर गुजर करेंगे और कोई गुज़र का अपने लिए रास्ता निकालेंगे। मेरी समझ में यह नहीं आया कि कोई एक खास तनख्वाह या एक खास पेंशन की व्यवस्था करने से किसी आदमी की एफ़िशिएंसी या उसकी इंटैग्रिटी में कोई खास फर्क पड़ता है।

बात सच यह है कि इसमें लाखों रुपये की बात आती है। कई दफ़ा आदमी करोड़ों की बात सोचता है और कितने ही आदमी इस देश के अन्दर ऐसे हैं जो दस साल के अन्दर करोड़पति बन गये हैं। यह तो जाहिर है कि कोई जज करोड़पति नहीं बन सकता और क्या वह उस करोड़पति का मुकाबला कर सकेगा अगर हम उसको लाखों भी दे दें? क्या उस हालत में उसकी इंटैग्रिटी में और ईमानदारी में कोई फ़र्क आयेगा? हमको मानना होगा कि रुपये के साथ ईमानदारी नहीं चलती है। ईमानदारी,

ईमानदारी की जगह है, चाहे आप तनख्वाह कम दीजिये या फ़ालतू दीजिये, भत्ता कम दीजिये या ज्यादा दीजिये, पेंशन कम दीजिये या ज्यादा दीजिये। ईमानदारी की माप इन चीजों के साथ नहीं चल सकती। ईमानदारी की माप उसके अपने दिल से और आत्मा से होती है। वह एक आत्मा की चीज़ है। वह आत्मा के विश्वास से चलती है या देश के हालात से चलती है। इसलिये, मैं समझता हूँ कि इस वर्तमान बिल के सम्बन्ध में और पिछले विधेयक के सम्बन्ध में जो जज़ेंज की तनख्वाहों, भत्तों और पेंशन की रकमों को अधिक करने का सुझाव दिया गया है, वह सही नहीं है। आज इस देश की जैसी आर्थिक अवस्था है उसमें अगर इनको बढ़ाने के बजाए कुछ घटाने की बात की जाए। मैं समझता हूँ कि वह ज्यादा माकूल और सही होगी।

द्वितीय लोकसभा

सोमवार, 24 नवम्बर, 1958 *

संसद (निरर्हता निवारण) विधेयक

चौधरी रणबीर सिंह (रोहतक) : सभापति महोदय मैं समझता हूँ कि इस बिल के पीछे दो ख्याल हैं। कुछ दोस्त समझते हैं कि खतरा है कि कोई सरकार मेम्बर्स को खरीद करके देश के हित में न चलते हुए भी कायम रह सकती है। कुछ दोस्तों का ख्याल है कि दूसरा खतरा हो सकता है कि देश के हालात बदल गये और हमारे देश का राज्य चलाने का तरीका है वह विलायत के मुताबिक नहीं। विलायत से हमने बहुत सारी चीज़ें लीं, ख्यालात लिये। लेकिन, उनके साथ 100 फीसदी इत्तफाक नहीं किया। आज मैम्बर्स के लिये जो डिस्क्वालिफिकेशन होनी चाहिये उसको अगर हम विलायत या दूसरे देशों के मुताबिक करेंगे। हो सकता है कि देश के हित के खिलाफ जाएं।

एक जमाना था जब हिन्दुस्तान के अन्दर ला एण्ड आर्डर की हुकूमत थी, हुकूमत अमन कायम रखने के लिये थी। आज पांच सात सालों के अन्दर जो तरक्की हुई है और जितनी तरक्की हमें करनी है उसके नुक्ते निगाह से मैं समझता हूँ कि हमारी सरकार को ऐसे आदमियों की जरूरत है जो सरकार से सहयोग कर सकें। आज सरकार को खरीदने की आवश्यकता नहीं है, सरकार को सहयोग की आवश्यकता है। जिस ढ़ंग से जिस तेजी से हम चल रहे हैं, जितनी हमारी सोचने और काम करने की शक्ति है, मैं समझता हूँ कि उतनी तेजी से हम उड़ान नहीं कर रहे हैं। हो सकता है कि हमारी जो रफ्तार कम हो गई है उससे हमारे लिये खतरा हो जाए। करोड़ों रुपये लगाकर आज हम कारखाने कायम कर रहे हैं और उन कारखानों में जो देश के

** संसदीय बहस (कार्यवाही लोकसभा 1957-62), 24 नवम्बर, 1958, पृष्ठ 1324-1331*

नुमाइन्दे हैं, हम उनका एसोसियेशन इसलिये, न रहने दें कि हमें यह डर है कि मेम्बर खरीद लिये जा सकेंगे। मुझे तो इससे उल्टा डर है कि आज जो देश में करोड़ों रुपये लगाकर कारखाने कायम किये गये हैं कहीं उनका गलत इस्तेमाल न हो जाए। इसलिये, मैं समझता हूँ कि हमें कोई बीच का रास्ता निकालना होगा।

मेरा अन्दाजा है कि देश में पर्लियामेंट का ही नहीं, जितना हमारे देश का राजनैतिक ढांचा बना हुआ है, वह ला एण्ड आर्डर को कायम रखने के लिये बना था। आप आडिट डिपार्टमेंट को ले लीजिये, फाइनेंस या किसी भी महकमे को ले लीजिये। आज सड़क बनती हैं, मकान बनते हैं, कारखाने बचते हैं, सरकार के खर्च पर बनते हैं। लेकिन, जिसे टेक्निकल नालेज कहते हैं वह कहीं नहीं है। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिनमें सही तौर पर कमी हो सकती है। इस देश के अन्दर सबसे बड़ा काम आप जानते हैं कि हमारी स्टेट के अन्दर हो रहा है जिसका नाम भाखड़ा डैम है। वह 140 करोड़ से शुरू हुआ और अब 170 करोड़ पर पहुंच गया है। और भी काम हो रहे हैं उनके खर्च अनुमान हैं वह कई दफा दूने दूने हो गये हैं। लोहे के कारखाने लग रहे हैं ख्याल था कि शायद 250 करोड़ रुपए से यह कारखाने बन जाएंगे। लेकिन, 500 करोड़ रुपए से ऊपर अन्दाजा जा चुका है। जिस आदमी की मदद से सारे हाउस का फैसला करना है वह अगर दूर से ही किसी चीज को देखता है। हो सकता है कि कई दफा गलत अन्दाजा लग जाए और गलत फैसला हो जाए। हो सकता है कि कुछ भाइयों को इसमें खतरा मालूम पड़ता हो। लेकिन, मुझे इसमें कोई खतरा नज़र नहीं आता। जिस तरह से पार्लियामेंटरी कमेटीज बनती हैं एलेक्शन कमेटीज बनती हैं, उसमें कोई आदमी एलेक्शन से आ जाए। मुझे कोई ऐतराज नहीं। जिसके पास शक्ति होगी वह चुना जाएगा। लेकिन, जो आज बड़े-बड़े काम हो रहे हैं उनसे सदस्यों को दूर रखना देश के हित की बात नहीं है। कई दोस्त हैं जिनका अन्दाजा है कि अगर एक कमेटी में कोई मेम्बर रख दिया जाए। वह खरीदा जा सकता है। अगर ऐसी ही बात है, सदस्यों की कीमत कुछ रुपया ही है। इसका इलाज मुश्किल ही होता है। उसका इलाज तो लोगों के ही पास है। यहां पर लोग आयेंगे और जब उनको वक्त मिलेगा वह इसका इलाज सोचेंगे। लेकिन, मैं ऐसा नहीं मानता। मैं समझता हूँ कि दूसरे देशों के अन्दर जहां तक सदस्यों का वास्ता था, उनके जिम्मे वह काम नहीं आया। अमरीका के अन्दर पार्लियामेंटरी डिमाक्रेसी है। इंग्लैण्ड में भी डिमाक्रेसी है। लेकिन, सरकारी कारखानों को चलाने का काम उन्होंने उतनी तेजी से नहीं किया जितना से हम कर रहे हैं। हम उनसे बहुत साल पीछे रहे हैं। जितना काम उन्होंने इतने

दिनों में किया है, हम उसको बहुत थोड़े सालों में करना चाहते हैं। उसके लिए जैसा मैं कहता हूँ उसकी बहुत जरूरत है।

मुझे हंसी आती है कि कई लोगों के ख्याल से छोटा सा नम्बरदार बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। मैं जानता हूँ कि सन् 1952 से पहले कुछ नम्बरदार थे और वह इस सभा के काफी पुराने मेम्बर हैं। मैं नहीं जानता कि कभी भी उनके फैसले में इसलिये, फर्क आया हो कि वह नम्बरदार हैं। हमारी स्टेट के अन्दर कई ऐसे नम्बरदार रहे हैं जो नम्बरदार रहते हुए भी कांग्रेस संगठन के साथ थे, उसके साथ हमदर्दी रखते थे, उसके टिकट पर एलेक्शन लड़े और नम्बरदार कायम रहे। मैं जानता हूँ कि मेरा बाप नम्बरदार था और सन् 1924 के एलेक्शन में कांग्रेस टिकट पर चुनाव लड़ा और उसके बाद कई दफा जेल गया। और भी नम्बरदारों को मैं जानता हूँ। किसी ने भी हमारा रास्ता नहीं रोका, रास्ते को ब्लाक नहीं किया। मेरी समझ में नहीं आता कि इस हिन्दुस्तान में कैसे यह सम्भव हो सकता है। आज हमारे देश में बड़े-बड़े अफसर हैं, जिनको दो-दो हजार रुपये तनख्वाह मिलती है, चार-चार हजार रुपये तनख्वाह मिलती है, उनके बारे में भी यह सोचना कि वह सरकार की पालिसी के साथ हैं, शायद बिलकुल गलत होगा। अगर कभी देखा जाए तो पता चलेगा कि वह लोग जितनी आलोचना सरकार की करते हैं, यह सही, यह गलत, उतना कोई नहीं करता। जब सरकारी नौकरों के बारे में ऐसा नहीं सोचा जाता। यह मान लेना कि जिनका थोड़ा बहुत भी वास्ता ऐसे स्थानों से है वह गलती करेंगे, यह ठीक नहीं है। कम से कम पंजाब के लिये। ऐसा हुआ तो पंजाब का ही एक ऐसा इतिहास है, जहां एक नम्बरदार चीफ मिनिस्टर बना, मिनिस्टर भी बना। अगर उसने इतिहास में कभी किसी अफसर के दबाव से अपने फैसले को नहीं बदला। मुझे कोई शक नहीं मालूम होता कि आज की आजादी के दिनों में कोई हिन्दुस्तानी इस तरह से अपना फैसला बदलेगा।

इसी तरह पटेल के वास्ते है, दूसरे के वास्ते है। सही बात यह है कि देहात की लीडरशिप जो है, सही तौर पर या गलत तौर पर जो इस जमात के आदमी है उनके हाथ में ही रही, या कम से कम ऐसे आदमियों के हाथ में रही जिनका ऐसे लोगों से वास्ता था। मैं नहीं मानता कि देहात की लीडरशिप गलत आदमियों के हाथ में रही है। हिन्दुस्तान के देहातों का इस देश की आजादी में बहुत बड़ा हिस्सा है, और जब भी जरूरत पड़ी हिन्दुस्तान को तो देहात कभी भी पीछे नहीं रहे। आगे भी मुझे पूरा विश्वास है कि वह पीछे नहीं रहेंगे। जरूरत किस ढ़ंग की आती है, यह कोई नहीं

जानता। लेकिन, जब जरूरत आयेगी। यह जो छोटे-छोटे ख्यालात हैं वह गलत साबित होंगे और देहात के जो आम आदमी हैं, जो राज्यों से चुनकर आते हैं, वे उसके रास्ते में रोड़े नहीं बन सकेंगे।

मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा हुआ कि जो पाबन्दी हटाने का फैसला किया गया है यह बहुत सही फैसला है। जो नम्बरदार वगैरह हैं उनको छूट मिलना ही चाहिये थी। पहले यह बहुत गलत बात थी कि उनको छूट नहीं थी। कई दफा अजीब बात हुई। पंजाब नम्बरदार ऐसा खतरनाक आदमी बन गया था कि वह मेम्बर बन सकता था। फर्ज कीजिये कि राज्य की एक पार्टी का उम्मीदवार नम्बरदार है और लोक-सभा की उम्मीदवारी के लिये भी उसी पार्टी का दूसरा आदमी खड़ा है। उसे वह मरवा सकता था क्योंकि, उसे खड़ा होने की इजाजत थी। लेकिन, मदद करने की इजाजत नहीं थी।

वह जो खराबियां थीं, मैं समझता हूँ कि यह अच्छा हुआ कि वे दूर हट गई।

जैसा पहले कहा मैं यह मानता हूँ कि आप कानूनी बना दें कि कोई पार्लियामेंट का मेम्बर नहीं रह सकेगा अगर वह बोर्ड का मेम्बर हो। यह पाबन्दी मेरी समझ में कुछ मुनासिब नहीं है। पंजाब में जिन्होंने कि आज़ादी की जद्दोजहद में हिस्सा लिया हो और देशभक्ति में जेल गये हों उन आदमियों का इंतज़ाम करने के लिये और उनको फिर से बसाने के लिये जो बोर्ड बनाया जाए उस बोर्ड का मेम्बर पार्लियामेंट में न जा सके कुछ मुनासिब नहीं जंचता है। ऐसे व्यक्ति के ऊपर इस तरह की पाबन्दी आयद करनी मेरी समझ में तो नहीं आती है। पता नहीं क्यों हमारे डिप्टी स्पीकर साहब जो पंजाब की हालत को जानते थे, मुझे मालूम नहीं क्या वजह थी, क्या खास बात थी कि उस बोर्ड के मेम्बर के लिये पार्लियामेन्ट की मेम्बरीं के लिये डिसक्वालिफ़ाई कर दिया गया। मैं तो समझता हूँ कि उसका पार्लियामेंट में मेम्बर रहना बहुत जरूरी होता है क्योंकि, यही। लोग होते हैं जिन्होंने सबकुछ काम किया है और वे ही अगर वहां न रह सकें। यह कुछ मुनासिब नहीं है। मेरे दोस्त और संसद सदस्य ज्ञानी गुरुमुख सिंह मुसाफिर उस बोर्ड के मेम्बर काफ़ी समय से होते चले आये हैं। मैं समझता हूँ कि उस बोर्ड की मेम्बरी से उन्होंने आज तक कोई नाजाएज फ़ायदा नहीं उठाया। कैसे उससे कोई नाजाएज़ फ़ायदा उठा लेंगे यह बात मेरी समझ में नहीं आती। शायद उन्होंने वहां से अपना इस्तीफा दे दिया या शायद देना होगा। लेकिन, मुझे यह बात समझ में नहीं आई कि हम इस किस्म की पाबन्दी क्यों लगाते हैं जबकि वह दरअसल में देश के हित की बात है अहित की बात नहीं है।

जहां तक सदस्यों की इंटैग्रेटी का सवाल है और जो आप कहते हैं कि यह तमाम पार्टीज़ का सवाल है, यह एक पार्टी का सवाल नहीं है। मैं समझता हूँ कि यह बात सही है कि हिन्दुस्तान का सवाल है। लेकिन, जिस ढ़ंग से वह सारा चलता है वह सोचने का ढ़ंग और तरीका पुराना है। यह उस देश का तरीका होता था जहां की सरकार कारखाने वगैरह नहीं चलाती थी। लेकिन, हमारे देश में तो सौभाग्य से वैसी स्थिति नहीं है। आज करोड़ों रुपया हम पब्लिक सैक्टर में लगा रहे हैं। अगर इस सदन के सदस्यों का उनकारखानों में और प्रोजेक्ट्स में सहयोग नहीं होगा। सही तौर पर उनको काम और प्रगति के बारे में जानकारी नहीं हो सकेगी और पता अगर लगेगा भी तो तब लगेगा जब देश को काफ़ी नुक्सान हो चुका होगा। यह भी हो सकता है कि कई दफ़ा सारे हालात से नावाकिफ़ रहेंगे तो हम शायद कभी-कभी ग़लत फैसले भी कर लें।

मैं तो बीच का रास्ता चाहता हूँ। मिस्ट्रीज वाला नामिनेशन आप बेशक हटा दीजिये। वह सदन की तरफ से हो चाहे कमेटी के रूप में हो। लेकिन, इस बात का ख्याल अवश्य रखा जाए कि जो भी बड़े अथवा छोटे कारखाने पब्लिक सैक्टर में लाए जाएं। उनके कामकाज और प्रगति से ऊपर सरकार का और इस हाउस का पूरी तौर पर ध्यान रहे और उनके चलाने व उनके काम की हर वक्त देखभाल करते रहने के लिये और जांच पड़ताल करते रहने के लिये एक स्टैंडिंग कमेटी होनी चाहिये। गवर्नमेंट की उसके लिये कोई कमेटी हो। मुझे उसमें भी कोई ऐतराज नहीं है। मुझे इसमें भी कोई आपत्ति नहीं होगी अगर उस स्टैंडिंग कमेटी में किसी अपोज़ीशन पार्टी के मेम्बर को लगा दिया जाए या इधर के किसी मेम्बर को लगा दिया जाए। मुझे ऐसी कोई आशंका नहीं है कि वह खरीद लिया जाएगा। हमें अपने सद्न के सदस्यों पर पूर्ण विश्वास है। मैं ऐसा नहीं समझता कि वे देशहित के विरुद्ध कोई भी क़दम उठायेंगे। मैं तो समझता हूँ कि अगर इस हाउस का कोई मेम्बर वहां पर लगा होगा। वह हमें बतला सकेगा कि फ़ला अंडरटेकिंग ग़लत रास्ते पर जा रही है या सही रास्ते पर जा रही है। मैं समझता हूँ कि यह जो पाबंदियां लगाई है अगर उनको ढ़ीला कर दिया जाए। इससे देश का नुक्सान नहीं होगा। इस सद्न के मेम्बरों की ईमानदारी पर कोई ख़तरा नहीं होगा बल्कि सही मायनों में देशहित के लिये यह जरूरी है कि यह पाबंदी आप ढीली करें। अगर उसमें कुछ आपत्ति हो तो उसके लिये कोई बीच का रास्ता निकाल लें।

द्वितीय लोकसभा

शुक्रवार, 28 नवम्बर, 1958 *

कंपनी (संशोधन) विधेयक

चौधरी रणबीर सिंह (रोहतक) : सभापति महोदय, मैं कह रहा था कि हमने इस सदन में फैसला किया है कि इस देश में समाजवादी ढ़ांचे का समाज बनाया जाए। इसलिए, महन्ती साहब ने जो बिल पेश किया है, उसके ऊपर हमें बड़ी शान्ति के साथ गौर करने की ज़रूरत है। मैं मानता हूँ कि यहां शायद कोई भी मैम्बर ऐसा नहीं है, जो यह चाहता हो कि इस सदन के ऊपर किसी रुपए वाले का प्रभाव हो और उसकी वजह से यह सदन अपना फैसला बदले। जहां तक उनके मुद्दे का ताल्लुक है, मैं मानता हूँ कि सदन का हर एक सदस्य उनके साथ सहमत है। सवाल यह पैदा होता है कि जो खतरा उन्होंने जाहिर किया है, दरअसल इस देश में ऐसा कोई खतरा है भी या नहीं। मैं मानता हूँ कि वह खतरा एक दिमागी खतरा है। अगर असल हालत को देखा जाए। हम इस नतीजे पर पहूँचेंगे कि इस देश में ऐसा कोई खतरा नहीं है। जबकि हमारे पड़ोसी देश में, जो कभी हमारा ही हिस्सा था, एक भी चुनाव नहीं हो पाया है। अब आखिर में वहां पंचायती राज्य का ढांचा खत्म हो गया है और फ़ौजी राज्य कायम हो गया है, उसके मुकाबले में हमारे देश में दो आम चुनाव हो चुके हैं। माननीय महन्ती साहब ने अपनी तकरीर के दौरान में श्री लाल बहादुर शास्त्री की एक स्पीच का जिक्र किया, जिसमें उन्होंने कहा बताते हैं कि कांग्रेस पार्टी के चार हजार उम्मीदवारों में से कुछ चन्द ही उम्मीदवार ऐसे थे, जो अपने चुनाव का खर्चा खुद दे सकते थे। मुझे मालूम नहीं कि उन्हें इस बात से क्यों गिला है। क्या वह सदन में बड़े-बड़े राजाओं और अमीरों को लाना चाहते हैं ? उन्हें तो इस बात पर खुशी जाहिर करनी

** संसदीय बहस (कार्यवाही लोकसभा 1957-62), 28 नवम्बर, 1958, पृष्ठ 1944-1951*

चाहिए थी कि गरीब आदमियों को ही इस देश में रहने वाले करोड़ों ग़रीब आदमियों का नुमाइंदा बनाकर यहां लाने की कोशिश की जाती है। कांग्रेस पार्टी ने इस ग्यारह सालों में जो कामयाबियां हासिल की हैं, उनमें एक यह भी है कि उसने इस देश के ग़रीब लोगों का ध्यान रखते हुए आमतौर पर गरीब आदमियों को ही अपना उम्मीदवार बनाया। हो सकता है कि मेरे दोस्त को इस बात से कोई गिला या नाराजगी हो। लेकिन, जहां तक मेरा ताल्लुक है, मुझे तो इस बात पर बड़ी खुशी है, क्योंकि, मैं खुद भी उनमें से एक हूँ। मेरे ख्याल में यहां बहुत कम दोस्त ऐसे होंगे – शायद वे पचास के करीब होंगे – जो ग्यारह-बारह साल से लोकसभा और उससे पहले सैंट्रल असेम्बली के सदस्य रहे हों और उनमें से बहुत ही कम ऐसे दोस्त होंगे, जो आज भी अपना इलैक्शन का खर्चा अदा कर सकते हैं। मैं समझता हूँ कि इस सदन के उन सदस्यों की यह एक बड़ी खासियत है, बड़ी क्वालिफिकेशन है कि उन्होंने दस ग्यारह साल तक मेम्बर रहने के बावजूद गरीब आदमी रहना ही पसन्द किया, क्योंकि, इस देश में समाजवादी ढ़ांचा बनाने में ग़रीब आदमी ही ज्यादा मदद कर सकता है और वैस्टेड इन्ट्रेस्ट्स से असर-अंदाज नहीं हो सकता है।

मेरे दोस्त श्री महन्ती ने इस सिलसिले में दो तीन वाकयात का जिक्र किया। उनके मुताल्लिक सही जवाब। मंत्री महोदय ही दे सकेंगे। लेकिन, मैं समझता हूँ कि अगर उनको पिछले ग्यारह साल के अरसे में यही दो वाकयात एतराज करने के लिए घपले – यानि टिस्को और इस्को को दस करोड़ रुपया बगैर सूद के क्यों दिया गया –। उनका खदशा अपने आप ही झूठा साबित हो जाता है। आप जानते हैं कि इस देश में लोहे की कितनी जरूरत है। इस वक्त हम लोहा बाहर से मंगा रहे हैं और हमारे देश में ये दो बड़ी कम्पनियां हैं, जो लोहा पैदा करती हैं। अगर उनको देश की लोहे की जरूरत को पूरा करने के लिए जो देश के आगे बढ़ने के लिए बहुत जरूरी है, दस करोड़ रुपये बगैर सूद के दे दिए जाते हैं। वह उतना ही अच्छा है जितना कि ग़रीब किसान और मज़दूर को अपना कारोबार व खेती बढ़ाने के लिए बगैर सूद रुपया देना है।

मेरे दोस्त ने साढ़े छ : फीसदी सूद का भी जिक्र किया। मुझे मालूम नहीं कि मेरे लायक दोस्त को इस बात का पता है या नहीं कि रिजर्व बैंक हिन्दुस्तान के किसान और मजदूर को कर्ज देती और छोटी मोटी कारीगरी में बढ़ावा देने के लिए डेढ़ फीसदी सूद के ऊपर कर्ज़ा निकालता है। हो सकता है कि वह रुपया इतना सस्ता जितना कि रिजर्व बैंक निकालता है कि किसानों और मज़दूरों तक न पहुंच पाता है।

लेकिन, उसको पहुंचाने की कोशिश करनी चाहिए। मैं मानता हूँ कि अगर हम डेढ़ फीसदी सूद के बगैर भी दे सकें। अच्छा है, क्योंकि, अगर किसान और मजदूर खुशहाल होगा। फिर हमें इस देश में ब्याज के रुपए की जरूरत नहीं होगी, देश में रुपए का कोई घाटा नहीं होगा।

मैं यह अर्ज़ करना चाहता हूँ कि मेरे दोस्त को इन दो बातों के अलावा एतराज करने से कोई बात नहीं मिलीं। एक एतराज उन्होंने यह किया कि वर्ल्ड बैंक ने उनको जो कर्ज़ा दिया है, सरकार ने उसके लिए उनकी जमानत क्यों दी। मैं उनसे यह पूछना चाहता हूँ कि क्या किसी ऐसी चीज़ की ज़मानत दी गई है, जिसको हवाई जहाज में उठाकर कहीं से लाया जा सकता है।

Shri Mahanty (Dhenkanal) : Probably I have not been correctly understood. What I said was that here there were two loans granted by the World Bank to these two private concerns. The Government of India have stood guarantee for these loans. In that way, the Government's resources have been pledged for the sake of these two business houses which have contributed liberally to the party funds. That was the point I made. If he answers it, I will be very happy.

चौधरी रणबीर सिंह : मेरे साथी शायद मुझे नहीं समझ सके हैं। मैने तो खूब अच्छी तरह उनकी बात समझ ली थी। उनका एतराज यह है कि इन कम्पनियों को वर्ल्ड बैंक से कर्जा दिया गया है, उसकी जमानत देश की सरकार क्यों दें और देश की सरकार ने ज़मानत देकर देश को ज़ामिन बना दिया। मेरा कहना साफ़ है कि ज़मानत जिस चीज़ के लिये दी गई है, उस चीज़ को ये दो विज़िनस हाउस हवाई जहाज में उठाकर किसी दूसरे देश में तो ले जा नहीं सकते। उस रुपये से कारखाना लगेगा और वह कारखाना इस देश में ही रहेगा और मेरे दोस्त श्री महन्ती और दूसरे सदस्य अगर कल को चाहेंगे कि यह सरकारी कारखाना हो जाए। हम ही इसका फ़ैसला करेंगे, कोई तीसरा आदमी फ़ैसला नहीं करेगा। उसको किस शर्त पर सरकार ले, क्या कम्पेन्सेशन दिया जाए, यह भी फैसला हमारा ही होगा। और हम कौन हैं? हम आखिर देश के नुमायंदे हैं। लोगों ने हमको यहां चुनकर भेजा है। इस बारे में देश को या किसी भाई को इस बात की शिकायत हो। वह मेरी समझ में नहीं आती। लेकिन, खैर, वह शायद अपने ढंग से सोचते हैं। उन्हें इसमें कोई आपत्ति दिखाई दी होगी। एक बात मैंने और देखी और वह यह है कि अगर मंत्री महोदय का इरादा रुपया लेने का ही होता तो वह दूसरे तरीके से काम करते। मुझे तो मालूम नहीं कि

किसी ने कांग्रेस पार्टी को कोड़ी भी दी है या नहीं। लेकिन, मेरे दोस्त ने कहा कि दस लाख रुपया एक पार्टी ने और ढाई लाख रुपया दूसरी पार्टी ने कांग्रेस को दिया। उन दोनों को दस-दस करोड़ रुपया दिया गया। अगर हमारा रुपया लेने का ही मुद्दा होता। जिस कम्पनी ने ढाई लाख रुपया दिया था, उसको सिर्फ ढाई करोड़ ही लोन देते। मैं यह अर्ज़ करना चाहता हूँ कि ऐसा कोई इरादा नहीं तो बात बिलकुल साफ है। अगर दूसरी पार्टियों का हिसाब खाता देखा जाए। वे तो बहुत आगे गई हैं। मुझे मालूम नहीं कि कहां तक सच है। लेकिन, मुझे पता चला है कि त्रावणकोर कोचीन के राज्य में कम्युनिस्ट पार्टी ने डेढ़ साल के अन्दर 35-36 लाख रुपया इकट्ठा किया है।

Shri Narayanankutty Menon (Mukandapuram) : Where is that from?

चौधरी रणबीर सिंह : इसके बारे में मुझे पक्का पता नहीं है। लेकिन, यह चीज़ मुझे बतलाई गई है। हो सकता है यह गलत हो। मैं तो चाहता भी यहीं हूँ कि यह गलत हो।

Shri Narayanankutty Menon : Do not give to any party.

चौधरी रणबीर सिंह : मैं यह जानता हूँ कि कांग्रेस पार्टी जो एक आल इंडिया पार्टी है, उसने भी अपने 10-11 साल के पिछले इतिहास में इतना पैसा इकट्ठा नहीं किया है या कर नहीं सकी है। हमें इसमें कोई गिला नहीं है क्योंकि, हम जानते हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी को 35-36 लाख रुपया देकर अगर कोई उसके विचारों को बलदना चाहता हो। वह बदल नहीं सकता है। यह उसकी भूल है कि वह सोचे कि कोई उसके सिद्धान्तों को बदल सकता है। इसी तरह से अगर कोई यह समझता है कि कांग्रेस पार्टी के विचारों को पैसा देकर कोई बदल सकता है तो वह भी उसकी गलती है। उसका सबूत यह है कि जिन कम्पनियों का जिक्र इस हाउस में किया गया है और जिनके बारे में यह कहा गया है कि उन्होंने खूब रुपया हमको दिया है, जैसा उनकी इन्फार्मेशन है, उन्हीं की बीमा कम्पनियों को हमने सरकारी अधिकार में कर लिया है। इस तरह की बात होने के बावजूद भी अगर कोई किसी को चन्दा देती है तो किसी को क्या एतराज हो सकता है। अगर किसी को इसमें कोई एतराज होता है। यह बात मेरी समझ में नहीं आती है।

अगर हमारे देश के पिछले 11 साल के आर्थिक इतिहास को देखा जाए। पता चलेगा कि इन वर्षों में हमने देश के अन्दर समाजवादी ढांचा स्थापित करने का फैसला किया है, इस सदन में फैसला किया है। हमारे भाई ने एपलबोई की रिपोर्ट क

हवाला दिया है। मैं भी उसे पढ़ना चाहूँगा। लेकिन, जहां तक मुझे मालूम है उन्होंने साफ लिखा है कि हिन्दुस्तान की जो पार्लियामेंट है वह बिजिनेसमैन के ऊपर बहुत ज्यादा विश्वास नहीं करती है। वह उन पर इतना अविश्वास करती है जितना अविश्वास कि यू.के. में भी नहीं है। मैं समझता हूँ कि यह तो ख्यालात की बात है। जिसकी जैसी मर्जी हो वह वैसे ही ख्याल जाहिर कर सकता है। एपलबाई ने जो कुछ कहा है उसमें से जो बात हमारे भाई को पसन्द आ गई वह उन्होंने कह दी और जो उनको पसन्द नहीं आई उसको उन्होंने नहीं कही। जो बात किसी के दिल लग जाती है वही वह कहना पसंद करता है। इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। एपलबाई की हमारे बारे में क्या राय है, किसी जज साहब की हमारे बारे में क्या राय है, उनकी हिन्दुस्तान की स्यासी पार्टियों के बारे में क्या राय है – बहुत अच्छी उनकी राय हो सकती है और बहुत अच्छे उनके ख्यालात हो सकते हैं – इसमें न जाकर मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूँ कि स्यासी जीवन के बारे में जो असली राय है वह असली राय तो पोलिटिकल पार्टीज की ही हो सकती है। वही उसके बारे में राय ज़ाहिर करने का हकदार हो सकती है। जज साहब को क्या मालूम है कि राजनीतिक पार्टियां कैसे चलती है? उन्हें। यही मालूम हो सकता है कि वकील कैसे अदालतों में आते हैं और किस तरह से केस आते हैं, किस तरह से वे वकील लोग केस तैयार करते हैं, अच्छी वकालत कौन करता है इत्यादि। लेकिन, इस बात को वे कैसे जान सकते हैं या कैसे उनको इस बात का पता चल सकता है कि राजनीतिक पार्टियों को चलाने का तरीका क्या होता है। यह भी एक कहानी है। मैं इस बात में जाना नहीं चाहता हूँ क्योंकि, मैं जानता हूँ कि कोई एक्सपर्ट ही इस सारी चीज को बता सकता है और वैसा एक्सपर्ट हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी से अच्छा और कौन हो सकता है। उन्होंने इस देश की दो जनरल इलैक्शंस लड़े हैं। चार-चार हज़ार उम्मीदवार मैदान में खड़े किये हैं जो संख्या किसी भी पार्टी द्वारा खड़े किये जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या से कहीं ज्यादा है। इस बारे में लाल बहादुर शास्त्री जी की राय ज्यादा अच्छी और मुस्तनद होगी। हमारे महन्ती जी को जज साहब की बात पसन्द आई और उन्होंने वह कह दी। मैं समझता हूँ कि उन्हें कहनी भी चाहिये थी, यह उनका काम था।

मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि अगर हम पिछले ग्यारह साल के इतिहास को देखें तो हमें पता चलेगा कि देश के आर्थिक ढांचे को आगे बढ़ाने के लिए 61 सरकारी कम्पनियां चालू करने का फैसला हो चुका है और वे बन चुकी हैं। यह मैं उस लिस्ट के आधार पर कह रहा हूँ जो हमको सप्लाई की गई है। हो सकता है कि

इसके बाद चार पांच और सरकारी कम्पनियां बन चुकी हों। लेकिन, 61 कम्पनियां ऐसी हैं जो पब्लिक अंडरटेकिंग्स है और डिफ्रेंट केटेगरीस की हैं। यह कोई छोटा काम नहीं है। यह तब जब हम इसका मुकाबला दूसरे देशों के साथ करते हैं, चाहे वे टोटेलिटेरियन देश हों अथवा डेमोक्रेटिक। हमारे पड़ोसी देश में। कोई काम चल ही नहीं रहा।

दूसरे पड़ोसी देशों को देखें तो हमें पता चलेगा कि एक देश की यह कहानी नहीं है तकरीबन चारों तरफ के देशों की यही कहानी है कि वहां पर पंचायती राज ही खत्म हो गया है। मैं कहना चाहता हूँ कि मेरे भाई महन्ती जी को कोई गिला नहीं होना चाहिये बल्कि खुशी होनी चाहिये कि जिन पर आप पिछले दस सालों से शक करते आये हैं कि चन्दा लेकर वे अपने ख्यालात को बदल देंगे, वह सही नहीं निकला है और यहां पर आज भी हम पंचायतीराज को कायम रखे हुये हैं। साथ ही साथ यहां दो-दो जनरल इलैक्शंस हो चुके हैं और हमने इन इलैक्शंस को करने का कानून भी बनाया था। ये दोनों इलैक्शंस अमन से कराये। इन इलैक्शंस में जो राजे हमारे खिलाफ लड़े उनमें से कुछ जीत कर आये, जो बड़े-बड़े जागीरदार लड़े वे भी जीत कर आये। मजदूरों और किसानों के अपने आप को जो नुमांइदे कहते हैं, वे भी जीत करके आये हैं। सोशलिस्ट पार्टी वाले भी जीत कर आये हैं। कम्युनिस्ट पार्टी वाले भी जीत कर आये हैं। हमें किसी से कोई गिला नहीं है। अगर गिला होता तो लाल बहादुर शास्त्री जी के हाथों में बागडोर थी और जिस तरह का इलैक्शन कानून वह बनवाना चाहते बनवा सकते थे। मैं महन्ती जी को बतलाना चाहता हूँ कि जहां पर जीत कर बदकिस्मती से कांग्रेस पार्टी के कोई नुमाइंदे उनके प्रदेश में हार गये हैं वहां पर आया कौन है, इसका अन्दाजा वह लगायें और अगर उन्होंने इसका अन्दाजा लगाया। उनको पता चलेगा कि वहां पर रजवाड़े शाही के कोई पुरानी किस्म के विचारों के आदमी जीत कर आये हैं, फ्यूडल लार्डस आये हैं। अब मैं पूछना चाहता हूँ कि वह क्या चाहते हैं? क्या वह चाहते हैं कि यहां फ्यूडल लार्डस का बोलबाला हो? लेकिन, जो भाई यह चाहते हैं कि यहां पर किसानों और मजदूरों का बोलबाला हो। मैं समझता हूँ कि उनको जो डर दिखाया जा रहा है उससे डरने की उनको कोई आवश्यकता नहीं है।

द्वितीय लोकसभा

मंगलवार, 2 दिसम्बर, 1958 *

संसद (निरर्हता निवारण) विधेयक

चौधरी रणबीर सिंह (रोहतक) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक संशोधन है।

Mr. Deputy-Speaker : Then, he may speak.

चौधरी रणबीर सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपना संशोधन नम्बर 80 पेश करना चाहता हूँ, जो इस प्रकार हैं :-

मेरे संशोधन का मकसद यह है कि शिड्यूल के पार्ट 1 से पंजाब स्टेट नेशनल वर्कज (रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन) बोर्ड को हटा दिया जाए और उसकी वजह यह है कि इस बिल के पास करने से एक अजीब किस्म की डिस्क्रमिनेशन पैदा होगी, क्योंकि, उस बोर्ड में स्टेट के दो किस्म के रिप्रेजेन्टेटिव हैं --एक तो स्टेट असेम्बली के मेम्बर और दूसरे लोकसभा के मेम्बर। इस बिल के पास होने का नतीजा यह होगा कि पंजाब के एम.एल.ए. । इस बोर्ड में रह सकेंगे। लेकिन, पार्लियामेंट के सदस्य नहीं रह सकेंगे। मेरी निजी राय इस सिलसिले में यह है कि यह कोई बहुत बड़ा बोर्ड नहीं है। इस बोर्ड का काम उन लोगों को सहायता देना और फिर से आबाद करना है, जिन्होंने आजादी की लड़ाई में हिस्सा लिया था। इस काम के लिये हर साल एक धनराशि रखी जाती है और वह बोर्ड उसको उन लोगों में बांटता है, चाहे वे लोग किसी भी पार्टी के हों। बोर्ड के सदस्य भी तकरीबन सब पार्टियों के सदस्य होते हैं। उनमें कुछ तो एम.एल.ए. होते हैं और कुछ एम.पी. तो माननीय सदस्य ज्ञानी गुरुमुख

** संसदीय बहस (कार्यवाही लोकसभा 1957-62), 2 दिसम्बर 1958, पृष्ठ 2706-2710*

सिंह मुसाफिर लोकसभा से उसके सदस्य हैं। वह बहुत जरूरी है कि बोर्ड के सदस्यों को उन आदमियों के बारे में पूरी जानकारी हो, जिन्होंने आजादी की लड़ाई में हिस्सा लिया था, वर्ना कुछ ऐसे दोस्त भी फायदा उठा जाएंगे, जिन्होंने आजादी की लड़ाई में बिलकुल हिस्सा न लिया हो।

उपाध्यक्ष महोदय, आप जानते ही हैं कि पंजाब के इस वक्त दो हिस्से हैं -- एक पंजाबी रिजन और दूसरा हिन्दी रिजन तो हमें पहले ही गिला था कि बोर्ड में कोई ऐसा सदस्य नहीं है, जिसने या तो खुद आजादी की लड़ाई में हिस्सा लिया हो, या उसको उन दोस्तों के बारे में जानकारी हो, जिन्होंने देश के लिये कुर्बानी दी। इस बिल के पास होने से। उस मेम्बर को भी वहां से हट जाना पड़ेगा, जो पंजाबी रिजन से ताल्लुक रखता है और जिसने खुद भी आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लिया और जिसको ऐसे लोगों की भी जानकारी थी। जहां तक इस बोर्ड का ताल्लुक है, उससे इस बिल के मकसद को कोई खदशा नहीं है। पार्लियामेंट का मेम्बर आखिर उससे क्या फायदा उठा सकता है? उसमें कोई एलाउंस तो है नहीं। हो सकता है कि कुछ दोस्त शायद यह कहें कि इस बोर्ड में लोगों को ज़मीन एलाट करने या नकद सहायता देने का फैसला करना होता है। लेकिन, सवाल यह है कि ज़मीन एलाट करने से उस सदस्य को क्या फायदा हो सकता है, मेरी यह समझ में नहीं आया है। जमीन के एलाटमेंट और नकद सहायता के लिए भी उसूल बने हुए हैं कि जो शख्स एक या दो साल जेल में गया, उसको दो, चार या पांच एकड़ ज़मीन एलाट कर दी जाए। या बीस, तीस, पचास रुपए की सहायता कर दी जाए। उपाध्यक्ष महोदय, आप यह भी जानते हैं कि इस वक्त पंजाब में इस सिलसिले में कोई सरकारी रिकार्ड नहीं है। पंजाब का एक बहुत बड़ा हिस्सा तो कटकर पीछे रह गया है। हिन्दी रिजन के दोस्तों पंजाबी रिजन में जाकर कैद हुए। लेकिन, इन सब के लिए सरकारी तौर पर कोई रिकार्ड नहीं है। इसलिए, इस बारे में वे ही लोग मदद कर सकते हें, जिन्होंने खुद आजादी की लड़ाई में हिस्सा लिया हो, या जिनको उन लोगों के बारे में जानकारी हो। इस बिल के तहत आप लोकसभा के सदस्यों को डिस्क्वालिफाई कर रहे हैं, जब कि पंजाब असेम्बली के सदस्यों को वहां रहने की इज़ाजत होगी। यह उनके साथ डिक्रिमिनेशन होगा।

मैं समझता हूँ कि अगर मेनन साहब के संशोधन को मान लिया जाए। फिर मेरे संशोधन की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती है। मैं उनसे सोलह आने सहमत हूँ कि इस एक्ट को बनाते वक्त हम उन लोगों के हाथों में खेल रहे हैं, जो प्राइवेट सैक्टर

के आदमी हैं, जिनके बड़े-बड़े कारखाने हैं, जिनके वैस्टेड इन्ट्रेस्ट्स हैं। मुझे खुशी है कि एक कम्यूनिस्ट साथी की तरफ से एक ऐसा संशोधन आया है, जो बिलकुल सही है। वाकई यह कोई मुनासिब बात नहीं है कि बड़े-बड़े कारखाने वाले, बड़े-बड़े वैस्टेड इन्ट्रेस्ट के लोग। यहां आ सकते हैं और अपनी जगह पर कायम रहते हुए भी यहां अपने वर्ग को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन, जो लोग पब्लिक सैक्टर में विश्वास रखते हैं और जो उसको अच्छे ढंग से चलाना चाहते हैं, और जिनका उनके चलाने में हाथ है उनको यहां आने का अधिकार नहीं है। उन्होंने लेबर का जिक्र किया। मैं समझता हूँ कि इसमें सैंट्रल वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन का जिक्र आता है। उसके अलावा नैशनल को-आपरेटिव डेवलपमेंट एण्ड वेयर हाऊसिंह बोर्ड का भी जिक्र आता है, रीहैबिलिटेशन फिनांस एडमिनिस्ट्रेशन का भी जिक्र है। इस तरह से कई और हैं। मैं समझता हूँ कि उनसे कोई खास फायदा नहीं उठाया जा रहा है। जैसा कि सब जानते हैं, हम को-आपरेटिव समाजवाद बनाना चाहते हैं। यह जरूरी है कि एक मेम्बर उसके लिए सहायता कर सके और अपना पूरा सहयोग दे सके। अगर सदस्यों का पब्लिक सेक्टर में पोस्ट-मार्टम करने का हक है। उससे देश को कोई बहुत ज्यादा फायदा होगा, मैं यह नहीं मानता। जिस वक्त कोई गलती शुरू हुई, अगर हम उसको उसी वक्त न पकड़ सकें। हम देश के हित को आगे नहीं बढ़ायेंगे।

इन शब्दों के साथ मैं यह कहना चाहता हूँ कि मेनन साहब के संशोधन को मान लिया जाए।

द्वितीय लोकसभा

बुधवार, 10 दिसम्बर, 1958 *

हिमाचल प्रदेश विधान सभा (संविधान और कार्यवाही) सत्यापन विधेयक

चौधरी रणबीर सिंह (रोहतक) : अध्यक्ष महोदय, मैं नहीं समझता कि इस सादे से कानून के मसौदे को इस सदन के वकीलों ने इतना पेचीदा क्यों बना दिया। माननीय गृहमंत्री महोदय ने बताया था कि यह एक सादा सा कानून का मसौदा है। एक मामूली सी त्रुटि है जिसको दूर करने के लिये यह विधेयक सदन के सामने रखा गया है। चूंकि एक नोटीफिकेशन जारी नहीं हो सका, इस वजह से एक टेकनिकल ग्राउण्ड के ऊपर जो दो साल में हिमाचल प्रदेश असेम्बली ने कार्रवाई की है वह रद्द हो रही है। वह हाउस लोगों के चुने हुए नुमायन्दों का था। उन्होंने जो कानून बनाये थे उनकी रद्दी की टोकरी में डाला जा रहा है। इस टैकनिकल डिफैक्ट को दूर करने का यह छोटा सा सवाल है।

भरूचा साहब ने इसमें कई एक वैधानिक आपत्तियां उठाई। मैं नहीं समझता कि इसमें कोई ऐसी बात है, जो हमारे रास्ते में आ जाती है। उन्होंने यह डर भी दिखाया कि यह हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट इस कानून को अवैधानिक करार दे दे। मैं समझता हूँ कि वह डर तो हमेशा हर एक कानून के बारे में हमारे सिर पर रहता है। अगर उस डर का हमें हमेशा ध्यान रहेगा। शायद हम एक कदम भी नहीं चल सकते। इस देश में संविधान के साथ जो शिड्यूल में भूमि सुधार कानून रखे गये हैं, उनसे जाहिर होता है कि इस बारे में कितना डर महसूस किया जाता है। हमारे लायक दोस्त

** संसदीय बहस (कार्यवाही लोकसभा 1957-62), 10 दिसम्बर, 1958, पृष्ठ 4234-4236*

वकील साहबान रहेंगे और गरीबों के बजाए अमीरों की तरफ ज्यादा देखेंगे। वह डर ज्यादा रहेगा तो उस डर से न डरते हुए हमें आगे बढ़ना है।

भूमि-सुधार कानून के जो अच्छे गुण हैं, उनसे श्री ब्रजराज सिंह सहमत हैं। लेकिन, मेरी समझ में नहीं आता कि वह इस सिलसिले में एक ऐसे रास्ते से क्यों चलना चाहते हैं, जिससे देरी हो। मैं यह भी अर्ज़ करना चाहता हूँ कि ये कानून लागू हो चुके हैं। एक आध केस में शायद स्टे आर्डर मिला हो, या न मिला हो, उसका हमें पता नहीं है। हमें यह देखना है कि यहां पर कानून चालू करने का सवाल नहीं है, बल्कि चालू हुए कानूनों को रखने का सवाल है।

इसके बाद पंडित डाकुर दास भार्गव और दूसरे दोस्तों ने यह सवाल भी उठाया कि उस असेम्बली ने जो 36, 37 कानून बनाए, जिनका कि यहां पर सवाल है, वे सही हैं या गलत हैं। इस सिलसिले में मैं यह कहना चाहता हूँ कि इस सदन के पांच सौ मैम्बरों और दूसरे हाउस के ढाई सौ मैम्बरों-कुल मिलाकर साढ़े सात सौ मैम्बरों-को हर वक्त यह अख्तियार है कि वे जब चाहें किसी भी गलत कानून को रिपील करने का नोटिस दे सकते हैं। इस वक्त ऐसी कोई विपत्ति नहीं है कि हम इसी वक्त देखें कि ये कानून सही है या ग़लत। इस दो क्लाज़ के बिल को पास करने में हमको कई घंटे लग रहे हैं। अगर उन 37 कानूनों को हमने देखना शुरू कर दिया और उनके बारे में बहस शुरू कर दी। यह सदन शायद और कोई काम न कर सकेगा। स्टेट लिस्ट के कानून बड़े पेचीदा होते हैं और उनकी हर बात के बारे में कई ख्यालात होते हैं। इसलिये, उसमें बहुत देर लग जाने का अन्देशा है।

इस बारे में औचित्य और संसदीय प्रणाली का भी जिक्र किया गया है। मैं नहीं समझता कि यहां पर कोई खराब प्रणाली चलाई जा रही है। यह प्रणाली ऐसी नहीं है, जिस पर इतनी आपत्ति ज़ाहर की जाए। यह कोई नई बात नहीं है। मैं समझता हूँ कि हमें इस कानून को पास कर देना चाहिये।

द्वितीय लोकसभा

बुधवार, 10 दिसम्बर, 1958 *

प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक

चौधरी रणबीर सिंह (रोहतक) : सभापति महोदय, जहां तक इस बिल को प्रवर समिति के सुपुर्द करने का ताल्लुक है, मैं कोई मजबूत विचार नहीं रखता। इसको उसके सुपुर्द किया जाए या न किया जाए, इसमें मुझे कोई बहुत बड़ी आपत्ति नहीं है। इसका कारण है कि मैंने देखा है कि इस बिल के अन्दर 37 धारायें हैं, 37 क्लाजिज़ हैं, जिनमें से मुश्किल से पांच छ : धारायें ही ऐसी हैं जिनके ऊपर कुछ दोस्तों को आपत्ति है।

अभी भी भक्त दर्शन ने एक नई आपत्ति बताई। लेकिन, मेरे ख्याल में इस सदन के अन्दर बहुत सारे माननीय मित्र इस बात में सहमत हैं कि चुनाव से दस दिन पहिले तक जो नाम वापिस लेने का सिलसिला है, यह कोई बहुत अच्छा तरीका नहीं है क्योंकि, उम्मीदवार आमतौर से चाहे उसमें करप्शन हो, खराबी हो या न हो, बजाए इसके कि मतदाताओं के पास जाएं, आपस में चक्कर लगाते रहते हैं और उस उम्मीदवार और चुनाव लड़ने वाले को यह भी पता नहीं होता कि किसके खिलाफ़ मुझे लड़ना है और किसने बैठना है? न ही मतदाताओं को पता होता है। मुझे ताज्जुब है कि श्री भक्त दर्शन जो एक पहाड़ी इलाक़े से आते हैं जहां पर मतदाताओं के पास दस दिन में यह खबर भी नहीं पहुंच सकती कि कौन-कौन उम्मीदवार हैं, वे इस बात के क्यों हक़ में हैं? इसलिए, मैं समझता हूँ कि इसमें तो कोई बहुत ज्यादा दो, तीन रायें नहीं हो सकती। अलबत्ता बाक़ी दो, तीन बातें हैं जिन पर एक राय नहीं है। अगर मन्त्री यह चाहते हों कि यह बिल प्रवर समिति के पास न जाए। मैं कहूँगा कि उन चार,

---

** संसदीय बहस (कार्यवाही लोकसभा 1957-62), 10 दिसंबर, 1958, पृष्ठ 4330-4336*

पांच को छोड़कर बाक़ी को पास कर दीजिये। 37 क्लाजों में से 5, 7 को छोड़ दीजिये बाक़ी 30 के क़रीब तो आसानी से पास ही हो जाएंगे। या जो विवादास्पद हैं उन पर पुनर्विचार करने के लिए जैसा कि सुझाव दिया गया है, सदन के माननीय सदस्यों की एक एनफार्मेल कमेटी बैठ जाए और वह दो, तीन या चार दिन के भीतर रोजाना अच्छी तरह से सोच विचार करके उन पर फ़ैसला कर ले। मैं तमाम बिल को प्रवर समिति के सुपुर्द करने के लिए बहुत मज़बूत विचार नहीं रखता क्योंकि, हमने अनुभव किया – दूसरे बिल के सिलसिले में – कि प्रवर समिति पिछले कई महीनों में जो 1300 कमेटियां देखी गई, उन कमेटियों में कुछ को जोड़ा गया, कुछ को छोड़ा गया। लेकिन, जो कमेटी कि इस सदन के अन्दर रिपोर्ट आई, उनकी बिना पर मैं कह सकता हूँ कि चन्द एक दोस्तों को छोड़ कर कोई बहुत सारे माननीय मित्र कमेटी में एकमत हो सके हों, मैंने नहीं देखा। किसी न किसी कमेटी को किसी न किसी कमेटी पर आपत्ति थी। मेरी समझ में नहीं आया कि माननीय मन्त्री उस रास्ते पर क्यों चलना चाहते हैं? वे एक अजीब रास्ते पर चलना चाहते हैं। एक तरफ सरकारी कारखाने हैं, उनमें माननीय सदस्यों के शामिल होने के ऊपर एक जगह पाबन्दी लगाई है और उनको ग़ैर क़ानून करार दिया है और यह प्रोवाइड किया है कि वे मेम्बर रह नहीं सकते अगर वह उनकारखानों की प्रबन्ध कमेटियों के मेम्बर हों और दूसरी तरफ़ यहां पर इस क्लाज में इसको ढीला किया जा रहा है इसके अलावा हम जो इस देश में एक समाजवादी ढंग का सामाजिक ढांत्रा बनाना चाहते हैं। उस हालत में कोआपरेटिव सोसाइटीज़ के ऊपर जो पहले पाबन्दी नहीं थी, उसको हम अब जोड़ने जा रहे हैं, वह कहां तक उसके साथ मेल खाती है। इन दो तीन चीज़ों को अगर इकट्ठा मिलाकर देखा जाए। प्राइवेट सैक्टर का कुछ दबाव मालूम देता है। मेरी समझ में यह सही नहीं है।

जब हम इस देश के अन्दर समाजवादी ढंग का सामाजिक ढांचा स्थापित करने के लिए प्रयत्नशील हैं। हमें कोआपरेटिव सोसाइटीज का और पब्लिक सैक्टर के अन्दर जितने कारखाने हैं, उनका कामकाज सुचारू रूप से चलाने के लिए मैम्बरों का सहयोग हमें लेना है। उसके साथ ही साथ जो प्राइवेट सैक्टर है उसे हमें कोई बन्द तो नहीं करना है। लेकिन, साथ ही उसे कोई बढ़ावा नहीं देना है। अब अगर इस बिल की धाराओं को हम ज्यों का त्यों स्वीकार कर लें। मैं समझता हूँ कि यह एक तरह का उनको बढ़ावा ही देना होगा। मेरा इस सम्बन्ध में कहना है कि एक्सपोर्ट और एम्पोर्ट के लाइसेंस होल्डर्स पर ही नहीं, बल्कि जो भी किसी किस्म का लाइसेंस

रखते हैं अथवा जो कारखाने चलाने का लाइसेंस रखते हैं, उन पर सरकार को पाबन्दी लगानी चाहिए, क्योंकि, आज जो कट्रोल्ड एकोनामी है उसका उनको किसी न कि ढंग से सरकार से फ़ायदा होता है। इसलिए, मैं चाहता हूँ कि जिसके पास इम्पोर्ट लाइसेंस हो, एक्पोर्ट लाइसेंस हो अथवा कारखाना चलाने का लाइसेंस हो, उनके ऊपर भी पाबन्दी लगे और उनसे सम्बन्धित व्यक्ति सदन के मेम्बर न बन सकें ताकि इस देश के अन्दर, प्राइवेट सैक्टर, जो काफ़ी मजबूत है, उसका असर इस सदन के ऊपर न रहे और सदन के सदस्य बिलकुल एक इमपार्शियल ढंग से सोच विचार करके देश के लिये नीति निर्धारित कर सकें।

इसके अलावा जहां तक रेजिडेंस की जो क्वालिफ़िकेशन की गई है, अगर हमने वैसा ही मंजूर किया। हम अफ़सरों के हाथों में खेलेंगे। इस सिलसिले में मुझे पंजाब का एक वाक्या याद आता है। सर सिकन्दर हयात खां जो ज्वांइट पंजाब के चीफ़ मिनिस्टर बने थे, उनका नाम एलेक्टोरल लिस्ट में दर्ज नहीं था, क्योंकि, पटवारी उनसे नाराज़ था। इसी तरह से डा. काटजू का नाम भी लिस्ट में दर्ज नहीं था। बात साफ़ है। आपके सदन की यहां बैठकें होती हैं। हम लोगों के नाम यहां मकान अलौटेड हैं। सात, आठ महीने हमको यहां रहना है। मुझें मालूम नहीं कि आया यह 700, 750 मेम्बर्स को कोई मतदाता उनके हलक़ों में बनायेगा या नहीं बनायेगा। मैं मानता हूँ कि शायद दिल्ली का एक मतदाता होने के नाते भी मुझे रोहतक में खड़ा होने का मौक़ा मिले। लेकिन, सवाल साफ़ है कि जब हमने हलकाबंदी की है। हर हलके़ वाले के दिल में यह ख्याल होता है कि मुझे उसी आदमी को अपना नुमायन्दा बना कर भेजना है जो उस हलके़ का रहने वाला हो। अब आसाम का भाई अगर पंजाब आये और पंजाब का भाई अगर आसाम जाए तो यह कुदरती बात है कि हम लोगों के जो दु :ख हैं, उनको इस सदन के सामने नहीं रख सकेंगे.....

पंडित द्वा.ना. तिवारी : बिहार में तो बाहर से आसाम और बम्बई से आकर लोग मेम्बर होते हैं।

चौधरी रणबीर सिंह : बिहार के लिए तो ठीक हो सकता है क्योंकि, बिहार के ही हमारे राष्ट्रपति हैं और वहां का कोई सदन का मेम्बर रहे अथवा नहीं, उससे कोई खास फर्क़ नहीं पड़ता है। लेकिन, पंजाब का हरियाणा का गरीब हिन्दी रीजन, जिसकी कि आज कोई सुनवाई नहीं है, अगर बदक़िस्मती से वहां कोई बिहार का आ गया। उस हालत में हम क्या करेंगे। मुझे तो अपने पंजाब से ताल्लुक है, बिहार से मुझे कोई झगड़ा नहीं है। हां, मैं कह रहा था कि जो आप पाबन्दी लगाना चाहते हैं, यह कोई

सही पाबन्दी नहीं है।

आपने इसमें यह प्रोविज़न ठीक ही रखा है कि वह अफ़सर अगर कोई गलती करेगा। उसको सज़ा हो सकती है और जुर्माना हो सकता है। आखिर वह चीज़ जाएगी उसके अफ़सर के पास और वह कह देगा कि गलती रह गई और उस गलती को क्लैरिकल मिस्टेक मानकर उस अफ़सर को छोड़ दिया जाएगा। मुकद्दमा इलेक्शन कमिशन की मर्ज़ी के बग़ैर नहीं चल सकता और उस बेचारे ग़रीब आदमी का जो चुनाव में खड़ा होना चाहता है उसका हक़ मारा जाएगा। जो हक़ खड़े होने का उसे संविधान ने प्रदान किया है उसके उस हक़ को एक पटवारी छीन सकेगा या अन्य छोटे अफ़सर भले ही वह मजिस्ट्रेट भी क्यों न हों, नायब तहसीलदार ही क्यों न हों, वे उसको उस हक़ से महरूम कर सकेंगे। इस वास्ते यह कोई अच्छ कानूनी व्यवस्था नहीं कि जा रही है। सरकार के कुछ आदमियों का, जो पावर में हों, उनकी नीयत अगर बदल जाए। वे यह कर सकते हैं कि वोटर न बनने दिया जाए और उस हालत मैं फिर कौन इलैक्शन कमिशन के पास जाएगा। यह उनके दिल में एक खदशा हो सकता और हमारे कुछ विरोधी पक्ष के लोग इस बात के नाम पर एलेक्शन लड़ सकते हैं कि हम कांग्रेस वाले लोग एलेक्शन के क़ानून को इतना सख्त करते जा रहे हैं कि दूसरी पार्टीज़ के लोग चुनाव में आ ही न सकें और उनको चुनाव लड़ने का मौक़ा ही न मिल सके। यह एक हमारी सरकार के खिलाफ हमारे विरोधी लोग इल्ज़ाम लगा सकते हैं।

आइडेंटिटी कार्ड की बात तो मैं समझ सकता हूँ, हालांकि फोटो लगाने वाली बात मेरी समझ में नहीं आयी। अगर हम चाहते हैं कि इलेक्शन एक या दो दिन में खत्म हो जाएं तो उसके लिये यह जरूरी है कि सरकारी तौर पर आइडेंटिटी कार्ड देने का इन्तिजाम किया जाए। मैं यह नहीं मानता कि इससे कोई फ़र्क़ पड़ेगा कि वोटर एक से ज्यादा जगह जाकर वोट दे सकेगा या नहीं। जब एक दो दिन में ही इलेक्शन खत्म होने वाले हैं। इस बात का ज्यादा इमकान नहीं है। मैं आपको एक मिसाल दूं। अभी हमारे यहां गुड़गांव में चुनाव हुआ। वह चुनाव दो दिन में खत्म होने को था। एक-एक दिन के लिए दो-दो सौ तीन-तीन सौ पोलिंग बूथ्स का इन्तिजाम करना पड़ा। कांग्रेस पार्टी खासी बड़ी पार्टी है जिसकी कि पंजाब में हुकूमत है। लेकिन, कांग्रेस पार्टी भी इतने ज्यादा पोलिंग बूथों पर परची काटने का इन्तजाम नहीं कर सकी। मेरे सामने यह वाक्या आया कि कुछ हरिजन वोटर आये। पर वहां कांग्रेस की तरफ से परची काटने का इन्तिजाम नहीं था। वहां पर दूसरी पार्टी वालों का

इन्तिजाम था। उन्होंने उन वोटरों से कहा कि अगर तुम ईमान धर्म से यह कहो कि हम कांग्रेस के खिलाफ वोट देंगे तो हम तुम को परची दे सकते हैं। जब मैं उस गांव में गया तो उन्होंने मुझे यह बात बतलायी कि अब इलेक्शन का यह नया तरीका निकला है कि हमको परची देने से पहले वोट का वायदा लिया जाता है। पहले तो मेरी समझ में यह बात नहीं आयी और मैंने कहा कि यह नहीं हो सकता। लेकिन, बाद में मेरी समझ में यह बात आ गयी। मुझे बाद को पता लगा कि वहां पर कांग्रेस का कैम्प ही नहीं था। दूसरी पार्टी का कैम्प था। खैर, मुझे उनसे इसके लिए कोई गिला नहीं है।

जो हम कानून बना रहे हैं उसके अन्दर पार्टी का नुमायन्दा होना जरूरी नहीं है। जिस आदमी की कोई भी पार्टी नहीं है उसको भी हम इलेक्शन लड़ने का मौका देना चाहते हैं। हमें ऐसे हालात पैदा करने चाहिएं कि वह भी मुकाबिला कर सके और कोई डिस्क्रिमिनेशन या डिस्क्वालीफिकेशन की वजह से उसको नुकसान न हो। मैं आइडेंटिटी कार्ड को तो जरूरी समझता हूँ क्योंकि, हमारा बड़ा देश है। लेकिन, वह चीज़ सिर्फ शहरों के लिए ही है। गलत है तो शहरों में तो लोग कुछ जानते भी हैं। दिक्कत तो गांवों में होती है जहां पटवारी परची नहीं देता। अगर आप चाहते हैं कि इलेक्शन जल्द खत्म हो जाएं। .....

Mr. Chairman : The Hon. Member will conclude. I think, before Five.

Chaudhry Ranbir Singh : Yes Sir, I will not take more than two minutes.

सभापति महोदय मैं यह कह रहा था कि जहां तक आइडेंटिटी कार्ड का ताल्लुक है यह बहुत जरूरी है। लेकिन, वह सारे देश के लिए जरूरी है। यह सिर्फ शहरों का सवाल नहीं है।

दूसरी बात जो मैंने पहले कही वह यह है कि कोआपरेटिव सोसाइटी के साथ जो कंट्रक्ट होता है वह डिस्क्वालीफिकेशन नहीं होना चाहिए। खास स्थान पर रहने की भी पाबन्दी नहीं होनी चाहिये। ठेकेदार या लाईसेंस-होल्डर पर पाबन्दी लगनी चाहिये।

द्वितीय लोकसभा

शुक्रवार, 12 दिसम्बर, 1958 *

सिख गुरुद्वारा विधेयक

चौधरी रणबीर सिंह : सभापति महोदय, गुरुद्वारे पवित्र स्थान हैं और यह सही है कि सिखों के लिये वे और भी आदरणीय स्थान हैं। लेकिन, हर हिन्दुस्तानी के लिये, जो हिन्दुस्तान के बुजुर्गों में विश्वास रखता है, वे आदरणीय स्थान हैं और उनका इन्तजाम सही हाथों में हो, यह हर हिन्दुस्तानी चाहेगा और चाहता है और उसी ध्येय को हासिल करने के लिये आज से पच्चीस तीस साल पहले पंजाब के शूरवीरों ने लड़ाई लड़ी थी, ताकि पंजाब में गुरुद्वारों का इन्तजाम गलत हाथों से निकले और सही हाथों में आये। लेकिन, उसके बाद का एक इतिहास है। मैं डाक्टर खाडिल्कर साहब से सहमत हूँ कि हिन्दुस्तान में हमने एक विधान बनाया है और उसके तहत हम चाहते हैं कि देश में सैकुलरिज्म बढ़े और यहां एक सैकुलर स्टेट कायम हो। लेकिन, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का जो बिल पंजाब में लागू है, उसका जो नतीजा हुआ, वह सारे हिन्दुस्तान के सामने है। पच्चीस तीस साल के इतिहास में यह साबित किया है कि अगर उसी ढंग से कोई कानून बनाया जाएगा तो शायद वह देश के लिये और गुरुद्वारों के लिये खासतौर पर अच्छा साबित न हो। गुरुद्वारे पंजाब के हिन्दुओं के लिये उतने ही पवित्र स्थान हैं, जितने कि सिखों के लिये। अगर आज से पच्चीस तीस साल पहले गुरुद्वारों को देखा जाता तो मालूम होता – और जिन्होंने देखा है, वे जानते हैं – कि वहां पूजा-पाठ के लिये जितने सिख जाते थे, गुरु ग्रन्थ साहब की वाणी को सुनने के लिये तकरीबन उतने ही हिन्दू भी जाते थे और उतनी ही हिन्दू बहनें जाती थी, जितनी कि सिख बहनें जाती थीं। लेकिन, अगर आज का नक्शा उससे मिलाया जाए

** संसदीय बहस (कार्यवाही लोकसभा 1957-62), 12 दिसंबर, 1958, पृष्ठ 4851-4856*

तो वह बिलकुल उलट है।

सरदार इकबाल सिंह : आज भी उतनी ही जाती हैं। आज भी दरबार साहब में हिन्दू ज्यादा जाते हैं।

श्री वाजपेयी : कम हो रहे हैं।

चौधरी रणबीर सिंह : मुझे खुशी हो अगर सरदार इकबाल सिंह की बात सही साबित हो। लेकिन, मुझे खदशा है कि यह बात सच नहीं है। सरदार इकबाल सिंह की जो इच्छा है, वह मेरी इच्छा है। मेरे में सरदार इकबाल सिंह और सरदार अमर सिंह सहगल में कोई फर्क नहीं है। लेकिन, यह बात सदाकत की है। यह सदाकत है कि पिछले पच्चीस साल में - और खासतौर पर पिछले पांच-सात साल में - जिन भाइयों के हाथों में गुरुद्वारों की बागडोर रही, उन्होंने पंजाब में फिरकेदारी फैलाने की कोशिश की और फिरकेदारी को फैलाया। इस बात का इतिहास शाहिद है। पंजाब में सच्चर फारमूले के तहत हर एक विद्यार्थी को पंजाबी पढ़ना लाजिमी है। लेकिन, पंजाब और पंजाबी सूबे के नाम पर गुरुद्वारों से मूवमेंट्स चालई गई। जैसा कि मेरे साथी ने अभी कहा है, इस बारे में कानून बनाते वक्त हमारा मुद्दा यह होना चाहिये कि इसके जरिये कहीं हम देश में फिरकेदारी को बढ़ावा तो नहीं दे रहे हैं। हमारी सरकार और इस सदन पर यह जिम्मेदारी है कि हमने फिरकेदारी की हवा को रोकना है। जिस वक्त हम इस सभा के सदस्य बने तो हमने कसम ली थी कि हमने कांस्टीच्युएन्ट असेम्बली द्वारा बनाये गये विधान को चालू रखना है और एक सैकुलर ढंग का समाज बनाना है। ये कोई बहुत दिनों की बात नहीं हैं। यह पिछले तीन-चार साल पहले का इतिहास है। अमृतसर में क्या कुछ हुआ, यह किसी से छिपा नहीं है। उसके पीछे कौन सी शक्तियां थीं, यह भी किसी से छिपा नहीं है। मुझे खुशी है कि शिरोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के मौजूदा प्रधान ने--सरदार प्रेम सिंह लालपुरा ने--जुर्रत की है और ऐलान किया है कि हम गुरुद्वारों को सियासी लड़ाई का मैदान नहीं बनने देना चाहते हैं और न ही बनने देंगे। दरअसल यही हमारा मुद्दा होना चाहिये। कुछ समय पहले भी कुछ दोस्तों ने यह राय ज़ाहिर की थी कि गुरुद्वारों में जिस ढंग से चुनाव होते हैं, उनसे न तो गुरुद्वारों का इन्तजाम अच्छा होता है और न ही गुरुद्वारों की जो मन्शा है, वह मन्शा ही पूरी होती है। जो लोग गुरुद्वारों का काम करते हैं, वे फिरकादारी को हवा देते हैं और वे स्यासी लड़ाई के लिये मैदान और अखाड़े बनाते हैं। मुझे पक्का नहीं मालूम। लेकिन, यह बताया गया है कि वहां पर जो नारा लगाया गया था और बड़े जोर के साथ लगाया गया था उन चन्द साथियों की तरफ से उनके

खिलाफ जो सिखों में सबसे बड़े कौमपरस्त हैं। यह था कि पहले तो हिन्दुओं के हाथ में हकूमत दे दी गई और अब गुरुद्वारों की कुंजी भी हिन्दुओं के हाथ में देना चाहते हैं। इस तरह के नारे उन लोगों ने लगाये जो उस वक्त इस गुरुद्वारा प्रबन्धक कमेटी के इंचार्ज थे। इस तरह से गलत फिजा पैदा करने की कोशिश की गई है। ये बातें जो अच्छे-अच्छे हमारे सिख साथी हैं जैसे सरदार उद्धम सिंह नागोक जी तथा ज्ञानी गुरुमुख सिंह मुसाफिर और दूसरे साथियों जिन्होंने कितनी ही इस बात की कोशिश की है कि शिरोमणी गुरुद्वारा प्रबन्धक कमेटी का काम सही हाथों में जाए और जिन्होंने देश की खातिर कितने ही सालों की जेलें काटी हैं, उनके बारे में कही गई थीं। हमारा जो संविधान है, हम चाहते हैं कि उसके मुताबिक सब काम हो। हम यह भी चाहते हैं कि गुरुद्वारों का इन्तजाम सही हाथों में जाए। जब इन कौमपरस्त सिखों के द्वारा कुछ काम किये गये। उनके खिलाफ आवाजें लगाई गई। अब मुझे डर है कि जिस तरह से इस बिल को यहां रखा गया है और जिस तरह की क्लाज़िज इसके अन्दर हैं उनको देखते हुये कहीं वही फिजा सारे देश में न फैल जाए जो पंजाब में फैली। कहीं पंजाब में जिस तरह की फिरकेदारीं फैली हुई है, वह सारे हिन्दुस्तान में न फैल जाए। यह फ़िजा जो वहां फैली है पंजाब के गुरुद्वारों से पैदा हुई थी और अब इस बिल के बाद कहीं यह सारे हिन्दुस्तान के गुरुद्वारों में पैदा न हो जाए। यही मुझे सबसे ज्यादा डर है।

मैं जानता हूँ कि सरदार अ.सिं. सहगल की जो भावना इस बिल के पीछे रही है वह बहुत ही अच्छी रही है। मेरी भावना से भिन्न भावना नहीं हो सकती और न है। गुरुद्वारों के बारे में उनके जो ख्यालात हैं उनकी मैं कद्र करता हूँ, उनका आदर करता हूँ। लेकिन, जैसे मैंने कहा मुझे खदशा यही है कि पंजाब में जो फिरकादारी इस वक्त है कहीं वह हिन्दुस्तान के दूसरे सूबों में न फैल जाए, जहां इस समय वह नहीं है।

सभापति महोदय, आप जानते हैं कि सियासी बिना पर किसी भी तरह का रिज़रवेशन हमने स्यासी फील्ड में संविधान बनाते वक्त बात समाप्त करने की बात कही थी और उसको समाप्त भी कर दिया गया है और इसका कारण यह था कि जो इस तरह से चुनकर आयेंगे वे सैक्युलर नहीं हो सकते। आमतौर पर इस तरह के चुनकर आने वाले वे लोग होंगे जो फिरकापरस्त होंगे या फिरकादारान जहनियत के होंगे। अगर यह चीज़ सियासी जीवन में साथ हो सकती है। मुझे पूरा विश्वास है कि यही चीज गुरुद्वारों के इन्तजाम के बारे में भी सच हो सकती है और यह चीज पिछले तीस सालों के इतिहास से स्पष्ट हो गई है।

अगर चुनाव होते हैं और बिना किसी कटुता के होते हैं। इससे मुझे बड़ी खुशी होती है। सिख मजहब को आगे बढ़ाया जाए, इसका प्रसार किया जाए, गुरु ग्रन्थ साहब का प्रचार हो, इसके बारे में कोई भी रायें नहीं हैं। सभी इसके हक में हैं।

मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ कि इस बिल को लोगों की राय जानने के लिये प्रचारित न किया जाए और लोगों को इसके बारे में अपने विचार सामने रखने का अवसर न दिया जाए। मैं यह भी महसूस करता हूँ कि चुनाव के तरीके को हमें बदलना होगा। मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि ोटे-लिटेरियन रिजीम का मैं हामी नहीं हूँ। मैं डेमोक्रेटिक सिस्टम का, चुनाव का हिमायती हूँ। लेकिन, मैं यह भी मानता हूँ कि गुरूद्वारों के इंतिजाम के लिये अगर डेमोक्रेटिक सिस्टम को रखा गया। उससे फिरकादारी पैदा होगी और उसी तरह से पैदा होगी जिस तरह से पंजाब में पैदा हुई है। इसको हमें बढ़ने नहीं देना चाहिये। चुनाव हों, लेकिन, उनमें इस तरह की बातें न हों, इसका हमें खासतौर पर ख्याल रखना चाहिये।

कुछ दोस्तों का ख्याल है कि ट्रस्ट होना चाहिये इस गुरुद्वारा प्रबन्धक कमेटी के लिये तो वह ट्रस्ट किस तरह से फंकशन करे और किन को ट्रस्टी बनाया जाए, मैं इसके बारे में कोई अथोरिटी नहीं हूँ और न मैं कोई पक्की बात इस सिलसिले में कह सकता हूँ। लेकिन, मैं यह जरूर मानता हूँ कि उस ढंग से चुनाव नहीं होने चाहियें जिससे कि फिरकापरस्ती फैलने की सम्भावना हो।

सरदार अजीत सिंह सरहदी साहब ने पंजाब की पंजाबी रीजनल कमेटी के सिलसिले में भी जिक्र किया है और जो नया गुरुद्वारा प्रबन्धक कमेटी के बिल वहां पेश किया गया है, उसका हवाला दिया है। जो सिफारिश उस बिल के बारे में रीजनल कमेटी ने की है वह मैं समझता हूँ सर्वसम्मति से की गई है। हो सकता है कि चार-पांच मैम्बर उसके खिलाफ हों। उस सिफारिश से हमारे सरहदी साहब को इत्तिफाक नहीं है, ऐसा मालूम पड़ता है। लेकिन, जैसा सरदार अजीत सिंह जी ने कहा और कौनसा दूसरा तरीका हो सकता है? जो हुआ ठीक हुआ और पंजाब एसेम्बली के अन्दर जो बिल इस वक्त पेश है और जो तरीका उस बिल में अपनाया गया है, वह मैं समझता हूँ सही है। उसमें सरहदी साहब को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये।

द्वितीय लोकसभा

सोमवार, 15 दिसम्बर, 1958 *

पूरक अनुदान मांगें

चौधरी रणबीर सिंह (रोहतक) : उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन ने एक नीति का फैसला किया कि देश के अन्दर हमें समाजवादी ढांचा बनाना है और उस नीति के फ़ैसले के तहत रोजाना नई-नई प्राइवेट कम्पनियों के तहत या कारपोरेशंस के नाते सरकारी कम्पनियां कारोबार चलाने के लिये आगे बढ़ाई जा रही है। मुझे तो इसमें कोई ऐतराज नहीं होता अगर सरकार 5 के बजाए 10 कम्पनियों के लिये पैसा मांगें और मुझे तो उनको बढ़ावा देने में बड़ी खुशी होती। लेकिन, साथ ही मैं इस बात में श्री महन्ती और मुरारका जी से सहमत हूँ कि यह मिनिस्ट्री ऐम्पायर है, ऐम्पायर बनाना चाहती है। उसके लिए मेरा कहना है कि ऐम्पायर के लिए ऐम्परर भी अच्छा और ठीक होना चाहिए, क्योंकि, अगर उसकी देखभाल ठीक से न हो। वह सही नहीं चलता है और यही कारण है कि लोग आज ऐम्परर की अपेक्षा प्रजातंत्रवाद के हक में ज्यादा राय रखते हैं।

अभी सदन में सांसदों के लिए डिस्क्वालिफ़िकेशन (अयोग्यता) सम्बन्धी कानून पास किया और सदन के बहुत से माननीय सदस्यों का यह ख्याल था कि सदन के सदस्यों को रोजाना के कामकाज में दखल नहीं देना चाहिए या उनका सहयोग नहीं होना चाहिए। लेकिन, एक बात साफ है कि अगर उनको हमें अच्छे ढ़ंग से चलाना है और ठीक बढ़ावा देना है। यह ज़रूरी होगा कि सदन की तरफ़ से ऐसी समितियां हों जो जो भी नई कम्पनियां बनें या जो कम्पनियां चालू हों, उनके कारोबार को देखें और जांच पड़ताल करें। उनको इसका मौक़ा होना चाहिए, क्योंकि, सदन

** संसदीय बहस (कार्यवाही लोकसभा 1957-62), 15 दिसंबर 1958, पृष्ठ 5039-5042*

की मंजूरी से जो खर्च होता है। उसका बहुत बड़ा हिस्सा अब इन कारपोरेशंस के मातहत खर्च होता है और इसलिये, उनसे सम्बन्धित जो डिमांड्स होती है उनकी मंजूरी बगैर जानकारी देना यह देश और सदन के हित में नहीं होगा। सरकार की यह बड़ी जिम्मेदारी है कि सदन के सदस्यों को पूरे तौर पर वाकफ़ियत दे।

इसके अतिरिक्त मुझे अमेरीका से जो कपास खरीदी गई है, उसके बारे में भी कुछ निवेदन करना है। आपको याद होगा कि पिछले सेशन के आखिरी दिन पंजाब के सदस्यों की तरफ़ से कपास के खरीदने के सम्बन्ध में पहले काफी सवाल हुए और फिर आठ घंटे के मोशन के ऊपर इस विषय पर बहस हुई थी। यहां यह सवाल उठा था कि पंजाब के किसान, जो देश के हित के लिए लौंग स्टेपुल कपास पैदा करते हैं, उनकी कपास को उठाने का कोई प्रबन्ध नहीं हो रहा है। वह कपास को अपने पास ही डाले रखने के लिए मजबूर हो रहे हैं। एक तरफ तो हमें शिकायत है कि हमारे पास बाहर से सामान मंगाने के लिए बहुत थोड़ा पैसा है, दूसरी तरफ पंजाब के किसानों की शिकायत है कि उनको बढ़ावा मिलना। दूर रहा बल्कि जो उन्होंने देश के लिए कपास पैदा की है उसको भी उठाया नहीं जाता है। मुझे अमेरीका के कपास खरीदने में कोई ऐतराज नहीं बशर्ते कि इस देश के किसान जितनी कपास अपने देश में पैदा करते हैं, उनकी उस कपास को उठा लिया जाए और उनको घाटा न पड़ने दिया जाए। यह तो देश के हित में है कि यहां पर अधिक कपास पैदा की जाए। इसके अलावा यह भी ध्यान रखने की चीज़ है कि लम्बे स्टेपुल की कपास की पैदावार शार्ट स्टेपुल की कपास के मुकाबले बहुत थोड़ी है और जो लम्बे स्टेपुल की कपास पैदा करने वाले हैं अगर उनको नुक़सान पहुंचा। अब इस देश के किसान आप जानते हैं कि ज्यादातर अनपढ़ हैं और इससे उनके दिमाग में यह चीज़ आ जाएगी कि लम्बे स्टेपुल की कपास की शायद देश को जरूरत नहीं है। उनको तो नुकसान होगा ही, मगर सरकार का भी बहुत ज्यादा रुपया इस बात का किसानों में प्रचार करने के लिए खर्च होगा कि लम्बे स्टेपुल की कपास पैदा की जाए।

अभी मेरे एक माननीय मित्र ने इस बात की शिकायत की थी और वह यह जानना चाहते थे कि सरकार क्या बढ़ावा देती है। मुझे इस बात की शिकायत है कि सरकार के जो ऐक्शंस हैं, उनसे किसानों के दिलों को एक तरह से चोट पहुंचती है और वह पैदावार ज्यादा बढ़ाने के बजाए उसको घटाने की तरफ चलेंगे .....

श्री स.म. बनर्जी : आप कह दीजिये कि कांग्रेस को वे वोट न दें।

श्री ब्रजराज सिंह (फिरोज़ाबाद) : यह भला सरकार के खिलाफ कैसे

बोल सकते हैं?

चौधरी रणबीर सिंह : खाली एक ऐक्शन अगर ठीक न हो, किसी एक आध चीज़ में गलती हो जाए। उसके लिए सरकार के और जो सैंकड़ों गुण हैं, उन पर पानी फेर देना और उसकी मुखालफत करने लगना, यह कोई अक़लमन्दी नहीं है। यह मेरे वश की तो बात नहीं है कि मैं एक गलती के कारण 99 गुणों को भूल जाऊं। आप भले ही ऐसा कर सकते हों तो करें।

उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं डिफेंस मिनिस्ट्री के बारे में थोड़ा निवेदन करना चाहूँगा।

उपाध्यक्ष महोदय : अभी नहीं उस पर बोलने का मौक़ा तब आयेगा जब वह डिमांग पेश होगी।

चौधरी रणबीर सिंह : ठीक है उस वक्त मैं उस पर कुछ निवेदन करना चाहूँगा। लोस टु स्टेट्स के बारे में। क्या मैं इस समय कुछ कह सकता हूँ?

उपाध्यक्ष महोदय : उसको फाइनेंस मिनिस्ट्री में बाद में लेंगे। उस पर भी बोलने का मौक़ा बाद में आयेगा।

चौधरी रणबीर सिंह : श्रीमान, क्या मुझे उस पर भी बोलने का मौक़ा मिलेगा?

उपाध्यक्ष महोदय : उस समय अगर मौक़ा हुआ तो आपको ज़रूर मौक़ा मिलेगा।

द्वितीय लोकसभा

शनिवार, 20 दिसम्बर, 1958 *

अयोग्यता रोकथाम (संशोधन) विधेयक

चौधरी रणबीर सिंह (रोहतक) : अध्यक्ष महोदय, मैं अपने साथी पंडित ठाकुर दास भार्गव के साथ सहमत होता अगर मैं यह मानता कि जो सदस्य कुछ कमेटियों में हैं वे वहां पर सिर्फ अपनी जाती अगराज के लिये हैं। मैं यह मानता कि यह अच्छा तरीका होगा कि वह इस्तीफा दें, ताकि हमें उनकी मेम्बरी को बचाने के लिये कोई कानून पास न करना हो। लेकिन, मैं उनसे इस बात से सहमत नहीं हूँ। क्योंकि, मैं मानता हूँ कि वह उन कमेटियों में देश के हित के लिये हैं।

दूसरा सवाल है समय की अवधि का कि आया दो तीन महीने या एक साल जरूरी हैं या नहीं। मैं समझता हूँ कि एक साल बहुत जरूरी है और वह इसलिये, कि हो सकता है कि जो सिफारिश की गई है और जिसे राज्य सभा ने पास किया है, यह सदन उससे सहमत न हो।

अगर लोक-सभा राज्य सभा के संशोधन से सहमत न हुई तो हो सकता है कि ज्वाएंट सेशन बुलाना पड़ जाए या इसके लिये किसी एक कमेटी के बनाने की राय बन जाए। इसलिये, इसकी लाइफ़ एक साल के लिये बढ़ाना बहुत जरूरी है। साल से कम में शायद काम न चले। इस पर विचार करने के लिये पहले जो सेलेक्ट कमेटी बनी उसने काफी अर्से तक इस पर विचार किया, 1300 कमेटियों के बारे में विचार हुआ और उसने अपनी रिपोर्ट दी। लेकिन, इस सदन को या राज्य सभा को कमेटी की फ़ाइंडिंग्स से सहमत नहीं करा सकी। इससे यह चीज़ साफ जाहिर हो

** संसदीय बहस (कार्यवाही लोकसभा 1957-62), 20 दिसम्बर, 1958, पृष्ठ 6576-6677*

जाती है कि यह सवाल किन्हीं खास सदस्यों की मेम्बरी को कायम रखने का नहीं बल्कि देश के अन्दर आज जो ढांचा चलता है, उसको सही तरीके से चलाने का है।

आप जानते हैं कि इस विषय में सदस्यों में पूर्ण मतैक्य नहीं है। दो क़िस्म के खयालात के सदस्य है। कुछ सदस्यों का तो यह मत है कि प्राइवेट सैक्टर के अन्दर भले ही उनका सहयोग हो और वे चेअरमैन अथवा डाइरेक्टर्स हों। भी वे पार्लियामेंट के सदस्य बने रह सकें और अयोग्य न हों जबकि कुछ माननीय सदस्यों का ऐसा खयाल है कि अगर उनके पास इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट का लाइसेंस भी हो तो भी उनको पार्लियामेंट का सदस्य नहीं रहना चाहिये। इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि इसको पुराने अंग्रेजी राज के ढंग से मुक़ाबला नहीं किया जा सकता। आज के बदले हुए युग को हमें ध्यान में रखकर विचार करना होगा। पहले तो यह सब कारखाने वग़ैरह प्राइवेट सैक्टर वाले ही चलाते थे। लेकिन, अब वह हालत नहीं रही है। अब इस देश के अन्दर सरकार की बड़ी-बड़ी 61 कम्पनियां और कारखाने चल रही हैं, पब्लिक सैक्टर काफ़ी बढ़ गया है और सरकार का जितना खर्चा ला एंड आर्डर के लिये होता है उससे कहीं ज्यादा रुपया डेवलपमेंट के लिये खर्च हो रहा है। इसलिये, यह देखना बहुत जरूरी हो जाता है कि राष्ट्र का जो खर्चा होता है वह सही तरीके से खर्च हो और इसके लिये जरूरी है कि यह एक साल की मियाद बढ़ाई जाए, क्योंकि, हो सकता है राज्य सभा को सिफ़ारिश से यह सदन इत्तिफाक़ न करे और फिर ज्वाएंट सैशन हो या कोई नया बिल या कोई दूसरी कमेटी बने की तजवीज़ आये।

द्वितीय लोकसभा

बुधवार, 11 फरवरी, 1959 *

दिल्ली पंचायत राज (संशोधन) विधेयक

चौधरी रणबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं श्री रघुवीर सहाय जी के संशोधन का विरोध में लिये खड़ा हुआ हूँ। वह इसलिये, मैं मानता हूँ कि सन् 1954 के अन्दर एक कानून दिल्ली विधानसभा में पास किया गया ताकि देहातों के अन्दर पंचायतें बनें और देहात का काम कुछ ठीक तरीके के चले और देहाती वकीलों से लुटने से बचें। लेकिन, किसी न किसी कारण से वह 1954-1959 में आ गया। पांच साल बीत गये हैं, अब भी वकील साहब लोग चाहते हैं कि इसको कुछ और आगे बढ़ा दिया जाए।

श्री प्र.सिं. दौलता (झज्जर) : मैं उन वकीलों में से हूँ जो पंचायतों के लिये ज्यादा पावर चाहते हैं।

चौधरी रणबीर सिंह : मुझे खुशी है कि जिनको मुखालिफत करनी चाहिये थी वह हमारे साथ सहमत हैं।

मैं अर्ज़ कर रहा था कि हो सकता है कि इस कानून के मस्विदे में अच्छे ढ़ंग से तबदीली हो सके। लेकिन, इसलिये, कि हम कोई ऐसा अच्छा कानून बनायें जिसमें कोई गलती न रहेगी, हम इन्तजार में बैठे रहे और कमेटी बनायें, या लोगों के पास उनकी राय जानने के लिये इसको भेजें, यह ठीक नहीं है। अभी नागपुर के अन्दर कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। लोगों ने वहां पर कुछ अपना मत जाहिर किया कि सारे देश के अन्दर पंचायतों को मजबूत बनाया जाए। इससे ज्यादा मेरे साथी

** संसदीय बहस (कार्यवाही लोकसभा 1957-62), 11 फरवरी, 1959, पृष्ठ 425-430*

लोगों से क्या जानना चाहते हैं। लोगों की राय बिलकुल साफ है कि सारे देश के अन्दर जल्दी से जल्दी पंचायतें बनें और वह अच्छे ढंग से काम करें।

मेरे लायक दोस्त न अभी बताया कि पंचायतों में कुछ खराबियां आ जाती हैं और कई दफा उनके बारे में लोगों की राय खराब हो जाती है कि पंचायतों के अन्दर न्याय अच्छा नहीं मिलता। मैं उनको बताना चाहता हूँ–इसको किसी की बेइज्जती न माना जाए – कि देहाती आदमी जो फैसले बड़ी–बड़ी अदालतों से होते हैं उनसे कोई बहुत ज्यादा खुश नहीं है। बहुत ज्यादा उनकी तसल्ली हीं है कि वहां जो फैसले होते हैं वे बहुत सही ही होते हैं। हो सकता है कानूनी तौर पर शायद वे सही हों। लेकिन, जब देहात के अन्दर जाकर देखा जाता है। जो देहात में रहने वाले साथी हैं वह वकीलों की बहस के बाद जो फैसले होते हैं उनको अच्छा नहीं बल्कि खराब मानते हैं। इस विधेयक में जो सबसे अच्छी चीज मैं पाता हूँ वह यह है कि वकीलों को इससे अलग रखा गया है। वकीलों की वजह से कई दफा देहातों के अन्दर खासी खराबियां आ जाती हैं। गांवों की पार्टीबाजियों का जिक्र किया गया। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि गांव की पार्टीबाजियों से वकीलों द्वारा जो पार्टीबाजियां होती हैं वह ज्यादा नुकशानदेह होती है। इसलिये, मुझे बहुत खुशी है कि वकीलों से देहातों की कुछ हद तक जान छुटी।

हो सकता है कि जो पंचायत के फैसले होते हैं उनको वकील लोग आगे वाली अदालतों में ले जाएं और उनमें फिर पंचायतों और देहातों को खींचें। ऐसा आज भी हमने देखा है। उन्होंने कुछ गिला किया कि हिन्दुस्तान पंचायतें अच्छे ढंग से काम नहीं कर रही है। इसके बारे में मुझे कोई बहुत ज्यादा नहीं कहना है। इसलिये, भी कि आखिर जो पंचायती है उनकी मर्जी के मुताबिक समझकर आप जिस कानून का मस्विदा बना कर भेज रहे हैं वह शायद बहुत ज्यादा ऐसा न हो। इसके अलावा जैसा मैंने कहा बड़ी–बड़ी कानूनी किताबों को पढ़कर जो फैसले आज कराये जाते हैं भले ही वह कितने ही अच्छे हों। लेकिन, उनसे भी देहातवालों की तसल्ली बहुत नहीं होती। इस चीज से कहीं कोई खराबी न पैदा हो जाए, इसलिये, हम अपना काम करना ही छोड़ दें, इसके लिये मैं और ज्यादा क्या कहूँ, सिवा इसके कि मैं इसे अच्छी नीति नहीं मानता। इसलिये, दिल्ली के देहातों की भलाई के लिये जितनी जल्दी पंचायत राज कायम हो सके, हमें उसे लाने की कोशिश करनी चाहिये और उसको चाहे महीने के लिए या साल के लिए यह जो धकेलने की कोशिश है वह सही कोशिश नहीं है। मैं समझता हूँ कि श्री रघुवीर सहाय भी इस हद तक मेरे साथ सहमत

हैं कि जल्द अज़ जल्द पंचायत राज्य देहली के देहातों में क़ायम हो।

अध्यक्ष महोदय, अब यह हर एक सदस्य जानता है कि जहां कोई एक बिल एक दफ़ा सेलेक्ट कमेटी के पास गया वह साल या छ : महीने के लिए खटाई में पड़ जाता है। अब इस दिल्ली के छोटे से सूबे के लिए इस कानून को आते-आते 5 साल लग गये। आज सुबह मैंने ज़िक्र किया कि दिल्ली के देहातों के अन्दर जो हमारे भूमिहीन ग्रामीण भाई बसते हैं उनको अनाज किसी भाव भी नहीं मिलता है जो मंत्री महोदय कहते हैं कि देहात के काश्तकारों के पास, बड़े-बड़े काश्तकारों और जमंदारों के पास क़ाफी अनाज जमा है .....

श्री नवल प्रभाकर (बह्या दिल्ली - रक्षित - अनुसूचित जातियां) : पंजाब के लिये कहा है।

चौधरी रणबीर सिंह : पंजाब और दिल्ली में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। भूमिहीनों के लिये अनाज चाहिये। मैं मानता हूँ कि पंचायत राज्य कानून में जो भाई शहर से मेम्बर हैं, उनके तजुर्बे की आवश्यकता नहीं है और न ही यह आवश्यक है कि वे दिल्ली के ही हों और तजुर्बे वाले हों, क्योंकि, तजुर्बे के बगैर ऐसे सदस्य जाकर इस कानून को पेचीदा और खराब ही बनायेंगे। इसलिए, मैं कहूँगा कि केरल, मद्रास और आंध्र के वे भाई जिनका कि देहातों से ताल्लुक हो और जिन्होंने कि पंचायत के कानून और पंचायती अदालतों के फ़ैसले होते देखे हैं, ऐसे लोग इस पर बोलें। वे इस सम्बन्ध में कोई अपनी राय दें, यह बेहतर है बजाए इसके कि चूंकि फलां व्यक्ति दिल्ली से आते हैं और इसी बिना पर उनको ही राय दे दें यह ठीक नहीं होगा।

देहातवालों को आमतौर पर इसकी शिकायत रहती है कि उनकी चीज़ों के अन्दर शहर वाले भाई चूंकि वे ज्यादा बोलने वाले होते हैं और उनके पास अख़बार होते हैं इसलिए, वे उनके मामलात में दख़ल देकर उनको ख़राब करते रहते हैं। अब जहां तक पंचायतों को शक्ति देने के बारे में उनके गिले का ताल्लुक है, हो सकता है कि मैं शायद उनकी भावनाओं को ठीक तरीके से न समझ पाया हूँ। लेकिन, मैं एक बात मानता हूँ कि जिस कानूनी शक्ति को पंचायतों को देने का उन्होंने विरोध किया उसके लिए मेरा कहना है कि पंचायतों को खाली कानूनी शक्ति देने भर से वे वाटरवर्क्स नहीं बना सकती है और न ही वह गांवों को एलेक्ट्रिफ़ाई कर सकती हैं और बिजली के लट्टू लगा सकती है। बिजली और पानी की सुविधाओं को पहुंचाने के लिए तो पंचायत को रुपये की दरकार है। पहले आप पंचायतों को रुपया दीजिये उसके बाद फिर इन चीज़ों का गिला कीजिये।

4800 करोड़ रुपया जो पांच साला योजना के अन्दर रखा है, क्या आपने यह जानने की कोशिश की है कि इस 4800 करोड़ में से पंचायतों की मार्फत कितना रुपया खर्च करने का इरादा है ? मुश्किल से 35 करोड़ रुपया रखा हुआ है जो पंचायतों की मार्फत ख़र्च होगा। अब 34, 35 करोड़ के लिए तो गिला करते हैं। लेकिन, जो 4800 करोड़ है, उसका कुछ ज़िक्र नहीं। इससे हमें अंदेशा होता है कि हमारे वह साथी किधर सोचते हैं। मैं चाहूँगा कि वे अगर गिला करना चाहते हैं तो भले ही करें। लेकिन, कम से कम इस चीज़ में। मेरे साथ अवश्य रहें कि पंचायत के लिए ज्यादा से ज्यादा रुपया मिले। थर्ड फ़ाइव ईयर प्लान जो आगे आने वाला है और सेकेंड फ़ाइव ईयर प्लान के जो अभी दो साल बचे हैं उसके अन्दर ज्यादा से ज्यादा रुपया पंचायतों की तरक्की के लिए दिलाने का प्रयत्न करें। थर्ड फ़ाइव ईयर प्लान में 400 करोड़ के क़रीब रुपया पंचायतों को दिया जाए ताकि पंचायत तरक्क़ी करें। फिर अगर श्री रघुवीर सहाय या किसी दूसरे साथी को जो शहरों में रहते हैं उनको कोई गिला रहे। मैं समझूंगा कि उनकी शिकायत करने की कोई क़ीमत है वरना यही समझा जाएगा कि चूंकि आप में बोलने की शक्ति है इसलिए, आप महज गिला करने को गिला करते हैं।

मैंने जैसे शुरू में कहा मैं मानता हूँ कि जितने इसके अन्दर प्राविज़्स हैं, जितने इसके अन्दर क्लाज़ेज हैं, वे कोई तमाम के तमाम बहुत ज्यादा सही नहीं हैं। चुनाव का ही सिलसिला ले लीजिये। गांव के अन्दर चुनाव कोई बहुत अच्छा वायुमंडल पैदा नहीं करते। लेकिन, इसका यह मतलब नहीं है कि मैं चुनावों के खिलाफ हूँ। चुनाव तो होने ही चाहियें। लेकिन, चुनाव किस ढंग से हों, इसके बारे में कई एक राय हो सकती हैं। इस कानून के अन्दर चुनाव के सिलसिले में इस ढंग से कुछ ऐसी थोड़ी बहुत तबदीली की जा सकती है ताकि गांव की फ़िज़ा जो कई दफ़े चुनावों के बाद खराब हो जाती है वह न हो। अब एक तरफ तो फिज़ा के मामूली सी खराब होने का खतरा है और दूसरी तरफ पंचायत के न होने से दिल्ली के देहात का जो मुश्किलात है, उसका सवाल सामने है। इसलिए, दोनों बातों को सोचते हुए और दोनों शिकायतों और तक़लीफ़ों को देखते हुए मैं चाहता हूँ कि दिल्ली की पंचायत राज्य का जो कानून है वह अगर 5 मिनट या 10 मिनट पहले पास हो सके तो पास किया जाना चाहिए। इसीलिए बावजूद इस बात के कि दिल्ली के बारे में मैं काफ़ी कह सकता था मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता।

द्वितीय लोकसभा

सोमवार, 23 फरवरी, 1959 *

पूरक अनुदान मांगें

चौधरी रणबीर सिंह (रोहतक) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे डिमांड नम्बर 69 और 70 के बारे में कुछ अर्ज करना है। इन डिमांड्स में सतलुज, ब्यास और रावी के पानी के इन्तजाम के सिलसिले में जो डेलीगेशन गये हैं उनके लिए खर्चे की मांग की गयी है।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा इसमें से एक नम्र निवेदन यह है। क्योंकि, यह एक अन्तर्राष्ट्रीय मामला है, इसलिए, हालत यह है कि अगर पंजाब को इन नदियों के पानी के बंटवारे में कुछ नुकसान होने की सम्भावना हो तो भी वह इसको प्रकट करने से डरता है। सरकार की जिस तरह से नीति चल रही है उसको देखते हुए यह अन्दाजा आसानी से लगाया जा सकता है कि इस तरह की बात कहते हुए अफसरों के दिल में कितना डर हो सकता है।

पंजाब में आम जनता को यह आशंका है कि नहर के पानी का फैसला जब यह आखिरी तौर पर हो। ऐसा हो कि जिससे पंजाब की जनता के दिल की तसल्ली न हो और जितना पानी हिन्दुस्तान के पंजाब को मिलना चाहिए उतना न मिल पाये। इस सिलसिले में मैं चाहता हूँ कि केन्द्रीय सरकार की मिनिस्ट्री आफ इरिगेशन एण्ड पावर एक पैमफलेट छपवाये, जिसमें नहरी पानी के झगड़े की सारी कहानी और सारे वाकयात दर्ज हों। इसमें बताया जाए कि किस तरह से पहले पाकिस्तान के पंजाब और हिन्दुस्तान के पंजाब के बीच में इस बारे में फैसला हुआ, वह क्या था और उसके बाद वर्ल्ड बैंक के इस झगड़े के बीच में पड़ने के बाद क्या हुआ और अब क्या

** संसदीय बहस (कार्यवाही लोकसभा 1957-62), 23 फरवरी 1959, पृष्ठ 2491-2497*

पोज़ीशन है। मुझे यह देखकर बड़ा दु :ख होता है कि दिल्ली से हुक्म चलता है कि भाखड़ा बन्ध से जो पानी इकट्ठा किया गया, उसको सतलुज में पाकिस्तान के इस्तेमाल के लिए डाल दिया जाए, चाहे पंजाब की नहरों के लिए पानी काफी हो या नहीं। इसकी वज़ह यह है कि इधर-उधर से इन्टरनैशनल दबाव पड़ते हैं, हालांकि जो पहला फैसला हुआ, उसके तहत इन तीनों दरियाओं का पानी हिन्दुस्तान के पंजाब को मिलना था। लेकिन, वर्लड बैंक ने कहा कि जहां खड़े हैं, वहां ही खड़े रह जाएं और उसके बाद जब पाकिस्तान वाले उस समझौते से मुकर कर गये, उसके बाद भी हमें तरक्की करने से कई दफा रोका जाता है। मैं चाहता हूँ कि मिनिस्ट्री आफ इरिगेशन एण्ड पावर मिनिस्ट्री आफ एक्सटर्नल एफेयर्ज़ से सलाह मश्वरा करके इस बारे में एक पैम्फलेट छपवाए, जिसमें बताया जाए कि क्या हमारी पोज़ीशन थी और आगे क्या होना है, ताकि आम पंजाबी और आगे हिन्दुस्तानी को इस बारे में जो ग़लतफहमी है, वह दूर हो सके।

जहां तक माहू टनेल प्रोजेक्ट और प्राजेक्ट्स के लिए रुपया देने का ताल्लुक है, मैं चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी दूसरे पांच-साला प्लान के तहत इतना रुपया तलाश किया जाए कि पंजाब की सरकार व्यास, रावी और सतलुज के पानी का इन्तज़ाम कर सके। आप जानते हैं कि जिस तरह पाकिस्तान सरकार काश्मीर वगैरह दूसरे झगड़ों में अदालती बदलती रहती है, उसी तरह पानी के झगड़े के बारे में भी अदलती बदलती है। जितनी जल्दी से जल्दी हम ज्यादा से ज्यादा रुपया दिला सकेंगे, उतनी ही जल्दी इस मसले का हम हल करा सकेंगे।

इसके अलावा मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि भाखड़ा में पहला पावर हाउस 1960 में चालू होगा और दूसरे पावर हाउस बनाने के लिये हमें रुपया दिलाया जाए। आप जानते हैं कि जहां पर बारह, तेरह हज़ार आदमी काम करते हैं और उन्होंने वहां काम सीखा है। परसों हम भाखड़ा गए। वहां के एक अफसर ने बताया कि जो बाल्टी सीमेंट डालती है, उसमें काम करने वाले अमरीकन को सात हज़ार रुपए तनख्वाह मिलती थी और अब जो हिन्दुस्तानी काम करता है, उसके ढाई सौ, तीन सौ, रुपए ही मिलते हैं, हालांकि, उसकी काम करने की शक्ति अमरीकन से भी ज्यादा है। मेरा निवेदन करने का मन्शा यह है कि भाखड़ा पर लोगों ने जो स्किल सीखी है, वे उसको भूल न जाए और उसका ज्यादा से ज्यादा फ़ायदा उठायें। इसके लिए जरूरी है कि वहां कम जारी रहने के लिए रुपया दिया जाए। असल बात यह है कि भाखड़ा पावर हाउस से जो बिजली मिलनी है, पंजाब वालों के लिए उसका बहुत बड़ा हिस्सा बाकी

नहीं रह गया है। कुछ नांगल फ़रटिलाइज़र फ़ैक्टरी के लिए रखी गई है और कुछ दिल्ली और राजस्थान की सरकार को दी जाएगी। मैं यह अर्ज़ करना चाहता हूँ कि पंजाब की तरक्की के लिए बिजली की अशद जरूरत है। अगर कहीं आम आदमी और देहात के लोग बिजली का फ़ायदा उठा सकते हैं। वह जगह पंजाब है। यह बहुत नामुनासिब है कि पंजाब को सिर्फ इसलिए, पीछे रखा जाए कि वहां बिजली पैदा न हो, हलांकि वहां के लोग पैदा कर सकते हैं। इसलिस इस काम के लिए जल्द से जल्द रुपया देना चाहिए।

अब मैं डिमाण्ड नम्बर 117 के बारे में कुछ अर्ज़ करना चाहता हूँ। आप को मालूम ही है कि पंजाब में 32 लाख एकड़ भूमि खराब हो गई। अगर यह ज़मीन खराब न होती और उसको खराब न होने दिया जाए – उसको ठीक कर दिया जाए। यहां पर नहरी पानी से खेती हो सकती है। अन्दाज़ा लगाया गया है कि यहां पर 172 लाख मन अनाज पैदा हो सकते हैं, 25 लाख मन चीनी पैदा हो सकती है और 20 लाख मन कपास पैदा हो सकती है। आज ये तीनों चीज़ें हम बाहर से मंगा रहे हैं। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि बिहार स्टेट को कोसी प्रोजेक्ट के लिये दूसरे पांच–साला प्लान में जितना रुपया दिया गया है, उससे फालतू रुपया दिया जा रहा है। लेकिन, पंजाब के लिये पहले दो चार करोड़ रुपया रखा गया था, उसको घटाकर अब 2.96 करोड़ कर दिया गया है, हालांकि पंजाब के फ्लड कंट्रोल बोर्ड की स्कीम्ज़ 5.4 करोड़ की तैयार है। अगर हम चाहते हैं कि हिन्दुस्तान में बाहर से अनाज आना बन्द हो, लम्बे रेशे की कपास आना बन्द हो, और देश में तरक्की हो सके, और जिस रुपए से हम अनाज और कपास मंगाते हैं, उससे हम मशीनें मंगा सकें। यह निहायत जरूरी है कि पंजाब के फ्लड कंट्रोल बोर्ड ने जितने रुपए की स्कीम्ज़ बनाई हैं, उनके लिए पूरा रुपया दूसरे पांच–साला प्लान में दिया जाए। उसको घटाने की कोई वजह नहीं है। हमें इस बात का गिला नहीं है कि कोसी के प्राजेक्ट में फ्लड कण्ट्रोल के लिए ज्यादा रुपया दिया जा रहा है। अगर वहां ज्यादा रुपए की जरूरत है। वह बेशक दिया जाए, इसमें हमें कोई ऐतराज़ नहीं है। लेकिन, मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि इस देश को नहरों के इरिगेशन क्षमता का पूरा फ़ायदा नहीं पहुंच पाया है, क्योंकि, नहरों का पानी इस्तेमाल करने की लोगों की आदत नहीं है। इसके बर–अक्स पंजाब में भाखड़ा की नहरें तीन साल पहले कम्पलीट हो चुकी थीं और वहां के किसान उनसे ज्यादा से ज्यादा फ़ायदा उठा रहे हैं। मैं यह कहना चाहता हूँ कि पंजाब का किसान हिन्दुस्तान के लिए अनाज, कपास और चीनी पैदा करने के लिए तैयार है, वह

मेहनतकश है, वह जंगलों को काटता है और पैदावार करता है। यह दु :ख की बात है कि हमारी फूड मिनिस्ट्री बाहर से अनाज मंगवाने के लिए बजट में जितना रुपया रखा गया था उससे भी अधिक 69 करोड़ रुपए खर्च करती है। लेकिन, पंजाब को पांच करोड़ रुपया भी नहीं दिया जाता है। यह अन्दाज़ा लगाया गया है कि वाटरलागिंग की वजह से 34 करोड़ रुपए सालाना का नुकसान हो रहा है। हम तो सिर्फ पांच करोड़ रुपये मांग रहे हैं। मैं नहीं समझता कि वह कौनसा बनिया का हिसाब है। अगर कोई आम बनिया या साहूकार होता। मैं समझता हूँ कि वह हमको जरूर यह रुपया दे देता।

उसके बाद मुझे यह भी कहना है कि पंजाब को दो हिस्सों में तकसीम किया गया है -- एक का नाम पंजाबी रिजन है और दूसरे का हिन्दी रिजन और इसको इस सदन ने माना है।

हिन्दी रिजन को और 16 करोड़ रुपया अगर मिले तब उनको वैस्टर्न यमुना कैनाल का जो पानी है उसका पूरा फायदा पहुंच सकता है। अगर इतना रुपया उसको मिले तभी वाटरलागिंग जो है उसको रोका जा सकता है। लेकिन, इस पांच करोड़ में से बहुत कम रुपया ही उस इलाके को मिलने वाला है। हम पंजाब के छोटे भाई हैं और गिनती के हिसाब से भी हम कम हैं। इसका नतीजा यह है कि डेमोक्रेसी के अन्दर हमारा जो दबाव है, वह थोड़ा है। हिन्दुस्तान की सरकार ने वहां के लोगों की मर्ज़ी के खिलाफ उनको पंजाब के साथ जोड़ रखा है। लेकिन, हमें इसमें कोई बहुत ज्यादा ऐतराज़ नहीं है। यह बात जरूर है कि उस इलाके के रहने वालों के प्रति हिन्दुस्तान की सरकार की जिम्मेवारी आती है और मैं चाहता हूँ कि भारत की सरकार हमको पूरा रुपया दिलाये।

अब मैं डिमांड नम्बर्स 119 और 120 के बारे में थोड़ा सा कहना चाहता हूँ। ये डिमाण्डस फूड एण्ड एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री से ताल्लुक रखती है। आज हमारे देश के अंदर अनाज की कमी है और हमको अनाज के वास्ते दूसरे देशों के आगे झोली पसारनी पड़ रही है। इसके बावजूद भी जो कमी है वह दूर नहीं हो पा रही है। अगर बनिये का हिसाब भी लगाया जाए। पता चलेगा कि अनाज के महंगा होने के कारण गवर्नमेंट को डीयरनेस एलाउण्स बढ़ाना पड़ा है और अब दूसरी इंस्टालमेंट की जो मांग है वह भी जोर पकड़ रही है। इसका नतीजा यह है कि हिन्दुस्तान की सरकार का खर्चा करोड़ों में बढ़ा है और बढ़ता जाता है। लेकिन, एक अजीब सी हालत चली आ रही है हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री की। मेरे जिले के अन्दर जो एक कोआप्रेटिव सासाइटी है उसका पेड अप कैपिटल 76 लाख के करीब है। इतना होने पर भी जो रिज़र्व बैंक है वह वहां तीस लाख से ज्यादा की

क्रेडिट की लिमिट नहीं रखता है। हालांकि काश्तकार जो कर्ज़ा लेते हैं इसके खिलाफ वे अपनी ज़मीन रखते हैं और जो ज़मीन इस तरह से रखी जाती है उसकी कीमत कर्ज़े से कहीं ज्यादा होती है। काश्तकार अपनी जमीन को बेच नहीं सकता है और न ही कर्ज़े को मार सकता है। इंसान को अगर वह मार दे तो मार ले। लेकिन, सरकारी कर्ज़े को वह मार नहीं सकता है। इसे बावजूद भी वह उसको ज्यादा कर्ज़ा नहीं देता है। इस रुपये का इस्तेमाल वह शादी में करना नहीं चाहता या किसी और चीज़ में करना नहीं चाहता, इस रुपये से वह अव्वाम के लिए अनाज पैदा करना चाहता है या दूसरी चीजें पैदा करना चाहता है। लेकिन, फिर भी उसको रुपया नहीं मिलता है। रिज़र्व बैंक कुछ बैकों का रिजर्व बैंक नहीं या साहूकारों का रिज़र्व बैंक नहीं है। मगर, वह ऐसा होता तब तो बात समझ में आ सकती थी। लेकिन, वह हिन्दुस्तान की सरकार का रिज़र्व बैंक है और इतना होने पर भी अगर वह हिन्दुस्तान के किसानों के लिए रुपया न निकाल सके। यह बात समझ में आने वाली नहीं है। इस सदन के अंदर भी ज्यादातर जो नुमाइन्दे हैं वे किसानों के ही हैं और उन्हीं के फैसलों से यह रिज़र्व बैंक चलता है। लेकिन, इतना होने पर भी किसानों को कर्ज़ा लेने में दिक्कत होती है या उनको रुपया नहीं मिलता है।

मैं एक और निवेदन करना चाहता हूँ। पंजाब के अन्दर बैटरमेंट लेवी के खिलाफ कुछ भाई लड़ाई लड़ना चाहते हैं। यह लड़ाई लड़ी जानी चाहिये या नहीं इसके बारे में कुछ कहना नहीं चाहता। लेकिन, एक बात मैं कहना चाहता हूँ। आप करोड़ों रुपये का अनाज बाहर से मंगा रहा है, दूसरों के आगे झोली पसार रहे हैं क्या इससे यह अच्छा नहीं होगा कि आप सूबों को बगैर सूद के कर्ज़ा दे और अगर आपने बगैर सूद के दस पन्द्रह साल तक कर्ज़ा दिया। मैं आपको बतलाना चाहात हूँ कि आपका दूसरों के आगे झोली पसार कर जाना नहीं होगा। अगर आपकी यही बनिये की नीति चलती रही। यकीन जानिये कि हम दुनिया के सामने भिखारी ही बने रहेंगे। मैं चाहूँगा रिज़र्व बैंक और हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री और ज्यादा बिना सूद के रुपया दे ताकि पैदावार बढ़ाई जा सके। मुझे मसूरी की बात याद आती है और दु :ख होता है जहां पर 146 करोड़ रुपये की मांग की गई है और वह रुपया न देकर पता नहीं आपने कितना रुपया, कितने सौ करोड़ रुपया विदेशों को दिया है। अगर आप समझते हैं कि हिन्दुस्तान की पैदावार रेडियो पर प्रचार करने से बढ़ सकती है तब तो ठीक बात है। लेकिन, अगर पैदावार खेतों में बढ़ सकती है। आपको जितने रुपये की किसानों को आवश्यकता है वह देना होगा और सूद के देना होगा और अगर आपने ऐसा न किया तो आपका भिखारी ही बने रहना होगा।

द्वितीय लोकसभा

मंगलवार, 24 फरवरी, 1959 *

भारतीय आयकर (संशोधन) विधेयक

चौधरी रणबीर सिंह (रोहतक) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का समर्थन करते हुए यह कहे बग़ैर नहीं रह सकता कि मेरे ख्याल में यह अध्यादेश देर में निकला। इसको पहले निकलना चाहिए था। मुझे मालूम नहीं, हो सकता है कि किसी को एक पाई भी रिफंड न हुई हो। लेकिन, यह भी हो सकता है कि कुछ अफ़सरान जिन्हें कि वापिस करना हो वे शायद किसी-किसी में इंटेरेस्टेड हों और उनको उन्होंने पैसा वापिस भी कर दिया हो। उससे सरकार को घाटा भी रह सकता है। मैं मानता हूँ कि आज के हिसाब से शायद यह नहीं कहा जा सकता कि वह रुपया सरकार का है। चुनांचे अब सुप्रीम कोर्ट का एक फ़ैसला हुआ। उसके मुताबिक वह रुपया सरकार का मानना शायद सही बात न हो। लेकिन, जब वह खुद मानते हैं और कानून की अदालत को छोड़ करके बाकी हर एक हिन्दुस्तानी यह मानता हो कि वह रुपया सरकार का है। उनके साथ हमदर्दी रखना मेरी समझ में नहीं आता।

जहां तक सूद का वास्ता है मुझे मालूम नहीं क्योंकि, मैं कोई वकील तो हूँ नहीं। लेकिन, जिस वक्त उनसे फ़ैसला हुआ था अदालत में कि इतना रुपया उनसे लेना है। क्या उस वक्त भी सूद का हिसाब लगाया गया था कि इतने दिन तक उन्होंने पैसा नहीं दिया उसका भी वे सूद अदा करें। आखिर यह तो अदालत और वकीलों का काम है। रोज़ाना हम कानूनों को ग़ैरकानूनी बनते देखते हैं। उस डर से कोई सदन् चल नहीं सकता और यह भी नहीं हो सकता कि अदालत के अधिकार को छीना जाए और उसको भी बरकरार रखना है। लेकिन, साथ ही इस प्रजातंत्रवादी युग में डर

** संसदीय बहस (कार्यवाही लोकसभा 1957-62), फरवरी 24, 1959, पृष्ठ 2725-2727*

कर भी नहीं चल सकते। इसलिये, मैं समझता हूँ कि उनके साथ हमें हमदर्दी अवश्य रखनी चाहिये क्योंकि, जैसे मेरे साथी श्री राम कृष्ण ने बताया कि एक तरफ तो यहां तक उनके साथ यह रियायत है कि पैसा सरकार का देश का मारे फिरते हैं। लेकिन, उनका नाम नहीं लिया जा सकता और दूसरी तरफ इसी देश के कुछ देशवासियों की एक बहुत बड़ी तादाद है और अगर उन पर 2 रुपये भी बाकी होती है। पुलिस उनसे वह रिकवरी करने के लिये पहुंच जाती है और रकम न मिलने की सूरत में उनका सबकुछ कुर्क कर लिया जाता है। यही नहीं वह रुपया एक किस्म का टैक्स है। उस लैंड रेवन्यू को आप रेंट नहीं कह सकते, क्योंकि, देश सब का है, उनका भी है जो लैंड रेवन्यू देते हैं और एक कोड़ी भी फ्री नहीं। अगर उन्हें घाटा भी हो। टैक्स देना है। इस तरह 3600, 4200 तक की छूट है। उसने इधर-उधर दायें-बायें कागज रखकर छूट रख ली और अब भी उसके साथ हमदर्दी रखें, यह मेरी समझ में नहीं आता और मैं चाहता हूँ कि अगर सरकार उनके साथ उतनी सख्ती न करे जितनी सख्ती की वह गरीब किसानों के साथ करती है। कम से कम ऐसे बेईमान आदमियों के नाम तो देश के सामने आने चाहियें ताकि लोगों को यह पता तो चल सके कि कैसे दयानतदार और सज्जन लोग हैं जो बहुत अच्छी कोठियों में रहते हैं, अच्छी-अच्छी कारों में घूमते-घामते हैं और लाखों रुपये का सरकार की ठेकेदारी से फ़ायदा उठाते हैं, आखिर कैसी उनकी इंटैगिरैटी है, कैसी ईमानदारी है और राष्ट्र के रुपये की वह कितनी कद्र करते हैं।

द्वितीय लोकसभा

वीरवार, 5 मार्च, 1959*

भारतीय आयकर (संशोधन) विधेयक

चौधरी रणबीर सिंह (रोहतक) : अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूँ कि जिस तरह से रेलवे का महकमा चल रहा है, उस पर आज गम्भीरता से विचार करने को जरूरत है। फ्यूल के ऊपर जो खर्चा पिछले साल था वह कम था और इस साल वह बढ़ गया है। पिछले साल वह 54.35 करोड़ था और अबकी बार वह 59.58 करोड़ हो गया है जिसका मतलब यह हुआ कि पांच करोड़ का इजाफा हो गया है। इसी तरह से स्टाफ के ऊपर होने वाला खर्च बढ़ा है। पिछली बार वह 60.72 था और अबकी बार वह 64.69 हो गया है। इसके मुकाबले में जो आमदनी का खाता है, जो भाड़े की शक्ल में तीसरे दर्जे से प्राप्त होता है वह पिछले साल 105.72 था और अबकी बार 102.83 ही रह गया है। मैं समझता हूँ रेलवे का महकमा एक बिजिनस कंसर्न है। जब हम लोग सवाल उठाते हैं कि कोई नई रेल की लाइनें बिछाई जाएं या जो रेलवे लाइंस हटाई जा चुकी है उनको फिर दुबारा डाला जाए। हमें जवाब मिलता है कि यह तो हिसाब-किताब की बात है। लेकिन, जब हिसाब-किताब हमारे सामने आता है। उससे तो कुछ ऐसा लगता है शायद रेलवे का महकमा हिसाब किताब से नहीं चलता है।

मैं मानता हूँ कि डीज़ल के ऊपर श्री मोरारजी देसाई ने जो टैक्स लगाया है, उससे श्री जगजीवन राम जी को रेलें कामयाब नहीं हो सकती हैं। रेलों को कामयाब करने के लिए यह जरुरी है कि रेलों में गुण हों। यह एक बड़ा सवाल है जो हमारे सामने और बड़ा जोरदार और अहमियत भरा यह सवाल है कि क्या ऐसे मोटर का

** संसदीय बहस (कार्यवाही लोकसभा 1957-62), 5 मार्च 1959, पृष्ठ 4533-4540*

मुकाबला कर सकती है या नहीं कर सकती है। मैं मानता हूँ कि अगर रेलें मोटर का मुकाबला कर सकेंगी तो ही रेलें मोटर के मुकाबले में आगे बढ़ सकेंगी वर्ना आगे जितने भी साल आयेंगे रेलों के घाटे के ही आयेंगे और घाटा बढ़ता ही जाएगा। चूंकि यह आमदनी और खर्च का सवाल है इस वास्ते हर साल रेलवे मंत्रालय के ऊपर लोग दिन दुनी टीका टिप्पणी करेंगे। मैं समझता हूँ इसको रोकने के लिये यह जरूरी बात है कि डीजल कारें चलाई जाएं। रोहतक से दिल्ली तक के लिये हर पन्द्रह मिनट के बाद बसें आती है और वे दिल्ली दो घंटे के अन्दर पहुंचा देती हैं। वहां से जो रेल आती है वह ढ़ाई घंटे से कम में नहीं पहुंचाती है और आती भी कुछ ऐसे वक्त से हैं, चलती भी ऐसे वक्त पर है कि आमतौर पर लोगों के लिये आरामदेह साबित नहीं होती है। इसलिए, यह जरूरी है कि इस रास्ते पर डीजल कारें चलाई जाएं। आप जानते ही हैं कि दिल्ली की अहमियत बढ़ती ही चली जा रही है। आज वित्त मंत्रालय मानता है कि अगर कम्पेसेट्री एलाउंस बम्बई और मद्रास के लिये जरूरी है। दिल्ली के लिये भी जरूरी है। लेकिन, अजीब बात है कि रेलवे मंत्रालय अभी तक नहीं मान पाया है कि दिल्ली की अहमियत बढ़ गई है।

श्री जगजीवन राम : फाइनेंस मिनिस्ट्री भी नहीं मानती है।

चौधरी रणबीर सिंह : मानती है। कम्पेंसेट्री एलाउंस जो टी.ए. की शक्ल में मिलता है वह तीनों शहरों में बराबर मिलता है। जब से देश आजाद हुआ है, दिल्ली के अन्दर आबादी बढ़ती जाती है। मकान बनने की रफ्तार जो है वह आबादी के साथ नहीं चली, यह मानना होगा, हालांकि मकान बहुत ज्यादा बनें। दिल्ली के अन्दर जो भी आता है वह अपने साथ राशन नहीं लाता है, दूध नहीं लाता है, मक्खन नहीं लाता है। जो भी रोजाना की आवश्यकता की चीजें होती हैं उनको अपने साथ लेकर नहीं आता। यहीं पर उसका प्रबन्ध करना होता है। कुदरती बात है कि दिल्ली की अहमियत को बढ़ाने के लिये रेलवे मंत्रालय को बहुत सहयोग देना होगा और जो सहूलियतें कलकत्ता और बम्बई में रोजाना की सवारियों को मिली हुई हैं उन्हें यहां भी देना होगा। कलकत्ते में रोजाना की सवारियां आती हैं उनको 16 सिंगल टिकट के ऊपर पूरे महीने का पास मिल जाता है। लेकिन, यहां पर 24 सिंगल टिकटों पर महीने का पास मिलता है। इसके साथ ही एक और अजीब बात है कि अगर कोई तीन महीने के लिए इकट्ठा पास लेना चाहे। उसको 20 सिंगल टिकटों का ही किराया देना होता है। आप जानते हैं कि जो रोजाना के आने वाले हैं वे या तो दुध लाने वाले हैं या सब्जी लाने वाले हैं या फिर कोई 50, 100 या 150 रु. मासिक पाने वाले मुलाजिम हैं। उनके

लिये मुमकिन नहीं है कि वे तीन महीने का किराया पहले से ही दे सकें। कई दफा उनको एक महीने का किराया देना भी मुश्किल होता है। मैं कहता हूँ कि कोई भी तारीख रखी जा सकती है, अगर उसके तीन महीने पहले से वे लगातार आते रहे हैं और पास लेते रहे हैं। उनको वह सहूलियत क्यों न दी जाए? अगर आप 16 टिकट नहीं कर सकते। आपको उनके लिये 20 टिकट तो कर ही देना चाहिये। दिल्ली में आपको रहते हुए 11 या 12 साल तो हो ही गये हैं। अगर दिल्ली के साथ कोई खास रियायत नहीं करते हैं। कम से कम जो सुलूक आप दूसरे शहरों के साथ करते हैं वह तो दिल्ली के साथ करें। जिस तरह से आप कलकत्ते में 16 टिकटों पर पास दे देते हैं उसी तरह से दिल्ली के अन्दर भी दें। बम्बई पहुंचने के लिये बिजली से गाड़ियां चलती हैं, अब कलकत्ते में भी वे चलाई जा रही हैं, वे काफी तेज चलती हैं। दिल्ली के अन्दर भी बिजली की गाड़ियां आपको चलानी होंगी। मुझे यह देखकर ताज्जुब होता है कि रेलों की आमदनी को बढ़ाने के लिये आपको जितनी लाइनों की आवश्यकता है उनको आप बिजली की क्यों नहीं बनाते हैं। अगर आप बिजली की गाड़ियां चलायेंगे। उससे रेलवे की आम आमदनी में इजाफ़ा करेंगे। अजीब हालत है कि रेल की आमदनी को बढ़ाने के लिये बिजली की गाड़ी चलाने के लिये इस साल जो भी खर्च किया गया है वह जो इस सदन ने मंजूर किया था उससे भी 6.86 करोड़ रु. कम है। मैं मानता हूँ कि अगर हमें रेलवे को बिजिनेस के ढंग से चलाना है। इन चीजों पर ज्यादा खर्च किया जाना चाहिए। जो आगे की, भविष्य की एकानमी है रेलवे मंत्रालय को आइन्दा सही लाइनों पर हमको आगे बढ़ाना चाहिये। मैं यह भी मानता हूँ कि जितनी ही रेल बढ़ेंगी उतना ही फ्यूअल का खर्च बढ़ेगा और पंजाब के अन्दर कहीं बिहार से, कही उड़ीसा से, कहीं बंगाल से कोयला आये। कुदरती बात है कि महंगा होता जाएगा। अगर इस मामले को हमें ठीक ढंग से हल करना है। एक न एक दिन उत्तर भारत में हमको बिजली चलने वाली रेल शुरू करनी होगी। इसके लिये जरूरी है कि भाखड़ा डैम का जो दूसरा पावरहाउस बनना है उसकी जल्दी से जल्दी बनवाया जाए। जो पहला पावरहाउस है उसकी बिजली तकरीबन सारे दिल्ली शहर में ही खत्म हो जाएगी, कुछ राजस्थान चली जाएगी और जो वहां पर खाद का कारखाना बना है, उसके अन्दर इस्तेमाल होगी। वह न रेलवे के लिये बचेगी न पंजाब के आदमियों के लिये और न ही दिल्ली के देहात के लिये। मैं इस चीज को मानता हूँ कि दिल्ली के देहात के आदमियों को या पंजाब के देहाती आदमियों का सवाल रेलवे मंत्रालय के सामने नहीं हो सकता है, हालांकि वह भी एक बहुत जरूरी अंग है, क्योंकि, जब वहां

के लोगों की आमदनी बढ़ेगी तभी तो वे रेलों में बैठेंगे। लेकिन, यह जरूरी है कि हम रेल के इन्तजाम को इस तरह से आगे बढ़ाये जिससे कि खर्च कम हो और आमदनी ज्यादा बढ़े। इसके लिए मैं यह भी मानता हूँ कि जो भाखड़ा डैम का दूसरा पावरहाउस है उसका बनना बहुत जरूरी है। उसका जल्दी से जल्दी बनना रेलवे के हित की बात है। इसलिये, मैं चाहूँगा कि श्री जगजीवन राम जी खासतौर पर प्लैनिंग कमिशन को मनावें कि भाखड़ा डैम का जेा दूसरा पावरहाउस है वह सेकेन्ड फाइव इअर प्लैन में ही बने।

श्री जगजीवन राम : आपकी आवाज मैं पहुंचा दूंगा।

चौधरी रणबीर सिंह : मेहरबानी है।

इसके अलावा जो दूसरी बात मैं चाहता हूँ वह यह कि सवारी गाड़ी के जो थर्ड क्लास के डिब्बे हैं उनकी तादाद बढ़ाई जाए। जो बड़े दर्जा के डिब्बे हैं उनसे मुश्किल से 13 करोड़ रु. की आमदनी है जबकि थर्ड क्लास के डिब्बों से 100 करोड़ रु. से ज्यादा की आमदनी है। यह ठीक है कि उन गाड़ियों में पार्लियामेंट के मेम्बर भी बैठते हैं, ऊंचे क्लास के डिब्बों में, मिनिस्टर साहबान और रेलवे महकमे के दूसरे अफसरान बैठते हैं। दूसरे महकमे के अफसरान भी बैठते हैं। लेकिन, अगर आपको आमदनी बढ़ाना है। जरूरी बात है कि थर्ड क्लास की तरफ आपको ज्यादा ध्यान करना चाहिये और वही डिब्बे ज्यादा से ज्यादा बनाये जाएं। आप आज दिल्ली के चारों तरफ चले जाइये, हालत यह है कि अगर आपको डंडे पकड़े हुए जाने की जगह रेल में मिल जाए तो बड़ी न्यामत है। ऐसी हालत में मोटर वाले आराम से ले जाते हैं, उन्होंने बड़ी अच्छी गद्दियां बनवा ली हैं। कौन नहीं चाहेगा कि वह गद्दी पर आराम से बैठकर चले। आपने गद्दियां नहीं लगवाई हैं। आपने किराया कमकर रखा है, उनके मुकाबले में। लेकिन, आप उनको कम से कम बैठने के लिये तो जगह दीजिये। इसके लिये बहुत जरूरी है कि गाड़ियों में थर्ड क्लास के डिब्बों को बढ़ाया जाए।

इसके अलावा, चूंकि रेलवे की आमदनी को बढ़ाना है, मेरी यह भी राय है कि जो आपकी पहली पालिसी के अनुसार कितने मील का फासला दो स्टेशनों के बीच में हो, उसमें भी तब्दील होनी चाहिये। दो-तीन मील पर आपको छोटे-छोटे स्टेशन, हाल्ट्स या फ्लैग स्टेशन बनाने चाहियें।

श्री जगजीवन राम : तीन मील के ऊपर।

चौधरी रणबीर सिंह : तीन मील के ऊपर ठीक है। लेकिन, मैंने देखा है

कि एक जगह पर जहां पर अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब गये थे और उन्होंने एक कोआपरेटिव शुगर फैक्टरी का उद्घाटन किया, वहां पर 11, 11 मील के बीच में कोई स्टेशन नहीं है। एक स्टेशन वाजपुर है, उसके और एक आगे के स्टेशन गूलरभोज के बीच का फासला 11 मील है।

रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : शायद वहां पर आबादी कम होगी ?

चौधरी रणबीर सिंह : जनरल साहब, आप जानते हैं, आपका जाती तजुर्गा है। यमुना खादर के अन्दर बहुत बड़ी आबादी नहीं थी, वहां बड़े खतरनाक जानवर थे। लेकिन, आप जैसे बहादुरों ने वहां पर गेहूँ और गन्ना पैदा किया है। वैसे ही आपके साथी इधर पहुंचे हैं जिन्होंने, आबादी को बढ़ाया है। वहां के स्टेशनों से, जहां पर कभी बाहर से अनाज आता रहा होगा, आज लाखों मन अनाज बाहर जाता है। रेलवे की आमदनी बढ़ी है। आज हालत यह है कि जहां तक रेलवे का ताल्लुक है पहले वहां 24 घंटे में आदमी चलकर दिल्ली से पहुंचा करता था। आज 11 साल हो गये हैं। लेकिन, आज भी बाजपुर आदमी दिल्ली से 24 घंटों में ही पहुंचता है। इस चीज को हमें बदलना होगा ? हमें सोचना होगा कि जहां पर शुगर फैक्ट्रीज़ हैं, वहां पर ऐसा इन्तजाम किया जाए कि ज्यादा गन्ना लद सके। मेरा जो हल्का है वह रोहतक है। वहां पर भी एक कोआपरेटिव शुगर फैक्ट्री लगी हुई है। वहां पर एक नई गोहाना लाइन बनी। लेकिन, 20 मील पर जाकर ही ऐसी सहूलियत देना जिससे गन्ना लदकर आ सके, यह ठीक नहीं है। बिना बीच में दो स्टेशन बने हैं उन पर गन्ना लादने के लिये कोई सहूलियत नहीं है। मैं चाहूँगा कि हर तीन मील के अन्दर जैसा कि आप भी चाहते हैं, कम से कम गन्ना लादने की सहूलियात दें ताकि शुगर फैक्ट्रियों को काम बन्द न करना पड़े। जो शुगर फैक्ट्री हमारे रोहतक की है, 27 तारीख को इसलिये, बन्द हो गई कि वहां गन्ना नहीं आता। क्योंकि, दूर से गन्ना लाने में खर्चा ज्यादा पड़ता है। वह फैक्टरी भी लोगों में जो बचत इकट्ठा करके बनाई थी वह भी खराब हो रही है। रेलवे की आमदनी भी कम हो रही है। मैं चाहता हूँ कि 3, 3 मील पर जैसे कि आपने कहा कि फ्लैग स्टेशन्स और हाल्ट्स बनाये जाएंगे। मैं चाहता हूँ कि उसको अमल में लाया जाए।

उधर, हमारे हल्के में सफीदों, जींद और पानीपत तक वहां कोई सड़क नहीं है और रेलगाड़ियां भी वहां पर कम चलती हैं और वहां पर अगर कोई डीजल कार छोड़ी जाए। मेरी समझ में वह बिलकुल लाभ की बात रहेगी।

इसके अलावा जैसे कि आपने कहा कि वहां पर 3, 3 मील के फासले पर एक फ्लैग स्टेशन और हाल्ट हो। मैं समझता हूँ कि अगर वह पालिसी आप अपनायेंगे तो रेलवेज़ की आमदनी बढ़ेगी।

द्वितीय लोकसभा

मंगलवार, 7 अप्रैल, 1959 *

अनुदान मांगें

चौधरी रणबीर सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं खाद्य तथा कृषि मंत्रालय को मुबारकबाद दिये बगैर नहीं रह सकता कि इस बात के बावजूद कि यह संसद् मंत्रालय की उतना रुपया नहीं दे सकी, जितना कि उसने मसूरी कांफरेंस के ज़रिये मांगा था, वह आगे बढ़ रहा है। कुछ दोस्तों का ख्याल है कि शायद खेत की पैदावार कम हो रही है और इसीलिये शायद देश को मुश्किलात से दो चार होना पड़ रहा है। उन्हें मालूम नहीं कि जहां देश में हर साल पचास लाख के करीब आबादी में बढ़ोत्तरी होती है, वहां ऐसे भी बहुत सारे भाई हैं, जो पहले बाजरा खाते थे और आज गेहूँ खाते हैं। मुझे खुशी है कि जो गरीब भाई पहले गेहूँ नहीं खा सकते थे, चावल नहीं खा सकते थे, आज देश में ऐसी हालत पैदा हुई है कि वे भी गेहूँ और चावल खा सकते हैं। इसके साथ-साथ हैल्थ मिनिस्ट्री के काम की वजह से देश का स्वास्थ्य अच्छा होता जा रहा है। उसकी वजह से आदमी का जीवन लम्बा होता जा रहा है। यह अन्दाज़ा लगाया गया है कि हर आदमी पांच साल ज्यादा ज़िन्दा रहता है। वह भी खाता ही है। इन सारे मसलों का हल खाद्य और कृषि मंत्रालय ने करना है। मेरी राय है कि इस मंत्रालय को तीन हिस्सों में बांटना चाहिए - एक खाद्य मंत्रालय रहे, एक कृषि मंत्रालय रहे और एक पशु-पालन का मंत्रालय अलाहिदा बनाया जाए।

श्री मो.वें. कृष्णप्पा : पशु और पक्षी।

चौधरी रणबीर सिंह : ये तीनो मंत्रालय बहुत जरूरी हैं। ये आपस में एक तरह के विरोधी हैं। खाद्य मंत्रालय का काम है कि देश के लिए सस्ते से सस्ता अनाज

** संसदीय बहस (कार्यवाही लोकसभा 1957-62), 7 अप्रैल 1959, पृष्ठ 10,407-10,410*

दे और कृषि मंत्रालय का काम है कि ज्यादा से ज्यादा अनाज पैदा करके दे। कृषि मंत्रालय का यह काम हो सकता है कि इस देश में ज्यादा ट्रैक्टर बनाये, छोटे ट्रैक्टर बनाये, ताकि इस देश में जो बहुत बड़ी तादाद में खेती करने के लिये ऊंटों, बैलों, झोटों, घोड़ों और खच्चरों की आवश्कता पड़ती है, वह कम से हो, ताकि किसान जितना पैदा करता है, वह सब अपने बच्चों की परवरिश के लिए और अपने सुख और आराम के लिए इस्तेमाल कर सके।

मैं मानता हूँ कि जो दूध देने वाले पशु हैं, उनकी तादाद बढ़े और उनकी दूध देने की शक्ति भी बढ़नी चाहिए और इसके लिए जरूरी है कि एक पशु पालन मंत्रालय अलाहिदा बनाया जाए।

एक माननीय सदस्य : पशु मंत्रालय ?

चौधरी रणबीर सिंह : उस मंत्रालय की उधर जरूरत है। पशु-पालन मंत्रालय।

श्री मो.वें. कृष्णप्पा : पशु और पक्षी मंत्रालय।

चौधरी रणबीर सिंह : सवाल यह है कि इस देश में खेती की पैदावार क्यों नहीं बढ़ रही है। आपको यह जानकर ताज्जुब होगा कि 1946 से लेकर 1958 तक इस देश में बाहर से जो अनाज आया है, उसकी कीमत 1456 करोड़ रुपये है, उसपर जो सबसिडी दी गई है, वह 240 करोड़ रुपये है। इसके अलावा जो बोनस की शक्ल में दिया गया, वह 21 करोड़ है। दूसरे मायनों में जो भाई अनाज खाते हैं, उनके लिए एक तरफ बाहर से 1456 करोड़ का अनाज मंगाया गया और उनको सस्ता अनाज खिलाने के लिए 261 करोड़ रुपया खर्च किया गया। आपको यह जानकर ताज्जुब होगा कि इसके मुकाबले में अनाज की पैदावार बढ़ाने के लिए या पानी का इन्तज़ाम करने के लिए देश में कितना रुपया सबसिडी या मदद के तौर पर खर्च किया गया। पहले पांच साला प्लान में 8,20,00,000 रुपये रखा गया। 1956-57 और 1957-58 को भी उसमें शामिल कर दिया जाए। 11 करोड़ 19 लाख रुपया हो जाता है। इसके मुकाबले में 261 करोड़ रुपया सस्ता अनाज लोगों को खिलाने में खर्च किया गया है। आप जानते ही हैं कि देश की अनाज की पैदावार बढ़ाने के लिए देश के अन्दर जो दरिया है, उनके पानी का इस्तेमाल किया जा रहा है। मैं समझता हूँ कि इस प्रोग्राम को आपको और भी बढ़ाना होगा। आप भाखड़ा डैम के ऊपर 170 करोड़ रुपया खर्च कर रहे हैं और इसके ऊपर 50 करोड़ रुपया सूद का लगेगा। तकरीबन 21 फीसदी रुपया अनाज की पैदावार बढ़ाने के लिए किसानों को सूद की शक्ल में देना होगा। किसानों

से तो 21 फीसदी रुपया सूद का लिया जाएगा और दूसरी तरफ 261 करोड़ रुपया और लोगों को मुफ्त में दिया जाता है।

श्री प्र.सिं. दौलता (झज्जर) : यह आपकी पार्टी का कसूर है।

चौधरी रणबीर सिंह : मैं समझता हूँ कि इसके अन्दर मेरे दूसरे साथी भी शामिल हैं क्योंकि, वह भी सांसद हैं और दूसरे जो विरोधी पार्टी के लोग हैं वे भी शामिल हैं। इन साथियों ने कोशिश की थी इसके बारे में। लेकिन, वे नाकामयाब रहे हैं। वे इसलिए, नाकामयाब रहे हैं कि लोग समझते हैं कि उनके अन्दर ताकत नहीं है। जनता के पास ही ताकत है। लोग चाहते हैं कि जल्दी से भाखड़ा डैम को बनाया जाए और जितना कम से कम बोझ किसानों के ऊपर पड़ सकता है, पड़े। चूंकि लोगों को गवर्नमेंट में विश्वास था। इसलिए, उन्होंने इन साथियों का साथ नहीं दिया। मेरी हमदर्दी लोगों के साथ है। मेरे साथी दौलता साहब जेल हो आये हैं। मैं इसको जानता हूँ। मैं समझता हूँ कि आज भी पंजाब के लोगों का मुख्यमंत्री सरदार प्रताप सिंह कैरों के ऊपर विश्वास है, किसानों का उनके ऊपर विश्वास है। कैरों साहब ने बैटरमेंट लेवी का जो 111 करोड़ का अंदाजा था उसको घटवाकर 33 करोड़ कर दिया है। किसान लोग जानते हैं कि भारत की और पंजाब की सरकार जो कुछ उनके लिए कर सकती है, करेगी।

मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे भाई जो शहरों के अन्दर रहते हैं, उनके पास अखबार हैं, उनके अन्दर ताकत हैं, उनकी आवाज ऊंची है और इस सदन के अन्दर भी और बाहर भी वे अपना दबाव डाल लेते हैं। यही वजह है कि उनको 261 करोड़ रुपया मिला। वर्ना आज अगर कोई दोस्त कहे कि बिना गुड़ डाले या थोड़ा गुड़ डाले ज्यादा मीठा हो जाए, यह नहीं हो सकता है। जितना गुड़ डाला जाएगा उतना ही मीठा होगा। मैं समझता हूँ कि तकरीरों से ज्यादा अनाज पैदा होने वाला नहीं है और जो समझते हैं कि यह हो सकता है वे भ्रम में हैं। अनाज अधिक पैदा करने के लिए पैसा खर्च करना होगा और किसानों को रुपया देना होगा।

सर्विस कोआपप्रेटिव्स का ज़िक्र भी किया जाता है। मुझे मालूम है कि लार्ज साइज़ कोओप्रेटिव चलाने के लिए जो इमदाद दी जाती थी उस इमदाद को प्लानिंग कमिशन की सलाह के ऊपर बन्द किया गया है। आज हमारे देश के अन्दर एक नया युग शुरू होने जा रहा है। मुझे मालूम नहीं आया वह युग तकरीरों से शुरू हो सकेगा या उसके लिए हम रुपया खर्च करने को भी तैयार हैं। अगर खर्च करना है। मैं समझता हूँ कि कम से कम 150 करोड़ रुपया कैपिटल चाहिये सर्विस कोओप्रेटिव्स में

हिस्सेदारी के लिये तो इसके साथ ही साथ कम से कम 30 करोड़ रुपया उनकार्यकर्त्ताओ पर खर्च करना पड़ेगा जो शुरू-शुरू में वहां पर काम करेंगे। इस काम को आगे बढ़ायेंगे। उनको हमें इतने रुपये की मदद देनी होगी। इसके अलावा कम से कम 1,000 करोड़ रुपया बतौर कर्जे के देना होगा।

आज देखा जाता है कि अगर कोई किसान अपने खेत के अन्दर कुआं लगाना चाहता है। उसको रुपया नहीं मिलता है, कर्ज़ा नहीं दिया जाता है। अगर खाद्य और कृषि मंत्रालय अनाज ज्यादा पैदा करवाना चाहता है। उसे ज्यादा रुपया इस तरह के कामों के लिए कर्ज देना होगा।

मैं मानता हूँ कि आज भी देश के ऊपर 1105 करोड़ रुपये का कर्जा है। उस पर हमें ब्याज देना पड़ता है। लेकिन, ऐसी चीजों पर खर्च होते हैं जहां से ब्याज नहीं मिलता है, जो इंटिरेस्ट बेयरिंग आबलीगेशंस के अन्दर शामिल होते हैं। लेकिन, इंटरेस्ट बेयरिंग सेट के अन्दर वह रकम शामिल नहीं है, उसके मुकाबले में डिफिसिट फाइनेंसिंग की रकम कोई 1500 करोड़ के करीब की है। मैं समझता हूँ कि अगर डिफिसिट फाइनेंसिंग को कामयाबी के साथ चलाना है। यह जरूरी है कि रुपया खाद्य और कृषि मंत्रालय केा दिया जाए ताकि सस्ता अनाज पैदा हो सके और उसकी कीमत ना बढ़ सके।

अब मैं खंडसारी और गुड़ के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। अजीब बात है कि यू.पी. के अन्दर गुड़ का सट्टा करने के लिये चार पांच सैंटर्स को इजाज़त दी गई है। लेकिन, पंजाब के अन्दर एक भी सैंटर को इजाजत नहीं दी गई है। अगर सट्टा बुरी चीज है। वह पंजाब के लिए भी है और यू.पी. के लिए भी बुरा है और वह वहां भी बन्द होना चाहिये। अगर अच्छी चीज है। उसमें पंजाब को भी हिस्सा मिलना चाहिये क्योंकि, वहां भी गुड़ पैदा होता है। मुझे मालूम है कि इससे काश्तकार को जो भाव मिलता है उसमें फर्क पड़ता है। लेकिन, मुझे यह देखकर ताज्जुब हुआ है कि जो रिपोर्ट भेजी गई है कमिशन की तरफ से उसमें कुछ गलत बातें कहीं गई हैं। उसके अन्दर कहा गया कि रोहतक की आबादी 55,000 है जबकि आज रोहतक की आबादी एक लाख के ऊपर है। इसके अलावा वह कहते हैं कि वहां पर नौ टेलीफोन लाइंस .....

श्री अ.प्र. जैन : इससे इस मिनिस्ट्री का ताल्लुक नहीं है।

चौधरी रणबीर सिंह : मैं इसको जानता हूँ। लेकिन, भावों से तो है। गन्ने की जो कीमत मुकर्रर होती है वह यहां से सलाह मश्विरा करके ही होती है। उसका

सीधा सम्बन्ध गुड़ की कीमत से है और उसके भाव से है। मैं मानता हूँ कि फार्वर्ड ट्रेनिंग जो है वह कामर्स और इंडस्ट्री मिनिस्ट्री के अन्दर आती है। लेकिन, मैं चाहता हूँ कि उसकी इमदाद ली जाए। मैं यह भी चाहता हूँ कि जो इरिगेशन प्रोजैक्ट्स हैं, उनके लिए बगैर सूद के रुपया दिया जाए। किसी इरिगेशन प्रोजैक्ट को पूरा होने में 15 बरस लगते हैं। किसी प्राजैक्ट के कामयाब होने में उसके पानी का पूरा इस्तेमाल होने में और पंद्रह लगते है। गुड़ के बारे में जो सहूलियतें आपने यू.पी. को दी हैं, वे पंजाब और रोहतक को भी दें।

खंडसारी के सिलसिले में मैं एक अर्ज़ करना चाहता हूँ। बड़े-बड़े सलफ्यूटेशन प्लांट्स वाले जो लोग हैं उनके साथ मुझे ज्यादा हमदर्दी नहीं है। लेकिन, मैं कहना चाहता हूँ कि जितनी भी कोओप्रेटिव्स पंजाब में बनेंगी या देश में बनेंगी या जितनी भी कोओप्रेटिव सोसायटीज ने खंडसारी के कारखाने लगाये हैं, उनके ऊपर यह टैक्स जो आपने लगाया है, नहीं लगाना चाहिये। उसकी वजह यह है कि इससे काश्तकार को उसके गन्ने की ज्यादा कीमत मिल सकती है।

द्वितीय लोकसभा

मंगलवार, 14 अप्रैल, 1959 *

अनुदान मांगें

चौधरी रणबीर सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मुझसे पहले वक्ता ने जो ख्याल जाहिर किये कि यह सारे खाली स्लोगन ही हैं, मैं उनसे सहमत नहीं हूँ। देश में जितना काम हुआ है, उसका कोई अन्दाजा नहीं है। अगर किसी भी आदमी से पूछा जाए कि क्या कुछ हुआ है। मुश्किल हो जाता है उसको बताना कि उसके हल्के में, उसके गांव में या उसकी कांस्टीट्यूएंसी में क्या कुछ बड़ा काम और छोटा काम हो रहा है। यह अन्दाजा है। मैं ब्रजराज सिंह जी से पूछूंगा कि अगली बार वह जरा बतलाने की कृपा करें कि उनके हल्के में क्या कुछ किया गया है और क्या कुछ होने जा रहा है। हमारे जो बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उनके बारे सबकुछ माननीय सदस्यों को मालूम है और मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। लेकिन, मैं इतना अवश्य कहना चाहता हूँ कि हमारे देश में 70 प्रतिशत ऐसी आबादी है जिसका वास्ता खेती से है। उसकी जो आमदनी है वह सन् 1951-52 के अन्दर टोटल देश की आमदनी की 50.4 प्रतिशत थी। सन् 1954-55 में वह प्रतिशत देश की आमदनी का 46.2 ही रह गया। इस वास्ते जब 70 प्रतिशत आबादी का देश की आमदनी में प्रतिशत केवल 46.2 है। वह हमारा कर्त्तव्य हो जाता है कि हम उस प्रतिशत को बढ़ायें। इसलिये, भी यह आवश्यकता है कि हम देश को आगे ले जाना चाहते हैं और चाहते हैं कि सब तबकों की आमदनी ज्यादा से ज्यादा हो। हमारे एक साथी ने कहा कि यह खाली नारा मात्र नहीं है बल्कि, जो सर्विस कोआप्रेटिव्ज हम स्थापित करने जा रहे हैं, या ज्वायंट फार्फिंग को अपनाने जा रहे हैं या दूसरे काम करने जा रहे हैं, ये देहात की आमदनी को बढ़ाने का एक तरीका मात्र है।

** संसदीय बहस (कार्यवाही लोकसभा 1957-62), 14 अप्रैल 1959, पृष्ठ 11,396-11,402*

हमारा जो ध्येय है वह बहुत बड़ा है। जब दूसरा प्लान बना था और जब उसको मंजूर किया गया था। उसके अनुसार, उपाध्यक्ष महोदय, कोआप्रेटिव क्रेडिट सोसाइटीज़ के मेम्बर जो इस देश में सन् 1961 तक बनने थे वे केवल 1 करोड़ 50 लाख बनने थे। लेकिन, आज हमने यह माना है कि तीन साल के अन्दर सारे देश में सर्विस कोआप्रेटिव सोसाइटीज़ बननी हैं, उनके मेम्बर साढ़े छ : करोड़ बनाने हैं और जो तादाद दूसरे प्लान के खत्म होने तक वह कम से कम चार करोड़ होनी चाहिये। इसका मतलब यह हुआ कि दूसरे प्लान के अन्दर जो तादाद हमने रखी है उस तादाद से यह दुगनी से ज्यादा है। इसका यह भी मतलब होता है कि हमारे ऊपर दुगनी से भी ज्यादा जिम्मेवारी आ गई है। आया इस जिम्मेवारी को पूरी तरह से महसूस किया जा रहा है या नहीं इसके बारे में मैं कोई अपनी ज्यादा राय नहीं रखत हूँ और न मैं कुछ कहना चाहता हूँ। मैं तो इतना ही अर्ज़ करना चाहता हूँ कि इस जिम्मेवारी को जल्दी से हम महसूस करें, उतना ही देश के लिए अच्छा होगा। साथ ही कांग्रेस पर जिन भाइयों ने दोष लगाये हैं, उसके लिए भी अच्छा होगा। जब दूसरा प्लान बना था उस वक्त यह माना गया था कि लार्ज साइज कोआप्रेटिव सोसाइटीज़ भी बनेंगी। उनके अन्दर सरकार साझीदार बनेगी। उनकी पूंजी के अन्दर हिस्सेदारी बनेगी। इतना ही नहीं बल्कि काम चलाने वाले जो परसनेल हैं, उनके वर्किंग चार्चिज़ को भी सबसिडाइज करेगी। इसके अलावा यह भी कहा गया था कि जो कर्ज़े की लिमिट है, जो मैक्सिमम क्रेडिट लिमिट है, उनके लिए पूंजी का वह आठ गूना रखी गई थी। हर एक लार्ज साइज़ कोआप्रेटिव सासाइटी के लिए यह अंदाजा रखा गया था कि 20,000 के करीब उसका शेयर कैपिटल होगा और उसके अन्दर सरकार का हिस्सा दस और बारह या आठ और बारह हज़ार के बीच में होना चाहिये। यह सरकार ने अंदाजा लगाया था। मुझे पता नहीं आया यह जो ध्येय हमने अपने सामने रखा था इसको प्राप्त करने का हमारा इरादा रहा है या नहीं रहा है। लेकिन, मैं मानता हूँ कि यहां पर यह कह देना कि आने वाले तीन सालों के अन्दर हम सारे देश में कोआप्रेटिव्स बना देंगे आसान है। जिन साथियों को इसका तजुर्बा हुआ है वे जानते हैं कि किसी भी सोसाइटी का मैम्बर लोगों को बनाने में कितनी दिक्कत पेश आती है और कितनी मुश्किल से उनको राज़ी किया जा सकता है। यह मुश्किल और भी बढ़ जाती है जब उस चीज़ के पीछे कानून का या डंडे का दबाव न हो। हमने और हमारी पार्टी ने इस नीति की अपनाया है कि हम सत्य और अहिंसा पर चलेंगे, इस वास्ते लोगों को इस तरफ लाने के लिए हिन्दुस्तान की सरकार को और कांग्रेस पार्टी को कुछ उनको प्रलोभन भी देना होगा,

उनको समझाना भी होगा। खाली इतना कह देने से कि सासाइटी बना लो, काम चलने वाला नहीं है, इससे कुछ फायदा होने वाला नहीं है। इस वास्ते जो ध्येय हमने अपने सामने रखा है, यह देखना कि वह प्राप्त होता है या नहीं। हमारा फर्ज़ है और उसको प्राप्त करने के लिए हमें कुछ करने के लिए तैयार रहना चाहिये।

मेरा अपना अन्दाजा यह है कि हमारे वित्त मन्त्रालय को कम से कम सौ करोड़ या डेढ़ सौ करोड़ रुपया सोसाइटियों का हिस्सेदार बनने के लिए निकालना चाहिये। इसके अलावा उसे कम से कम तीस करोड़ रुपया या पचास करोड़ रुपया वर्किंग चार्जिज़ को सबसिडाइज़ करने के लिए निकालना चाहिये। इस तरह से दो सौ करोड़ रुपये के करीब उसे अलग से रखना चाहिये। जो माननीय सदस्य यह समझते हैं कि दूसरे प्लान में अगर खर्चा बढ़ेगा। और इनफ्लेशन होगी, उनका ऐसा अन्दाजा करना गलत है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूँ कि आज हमारे देश की जनशक्ति और राजशक्ति का सारा दबाव एक ही तरफ है और वह अल्प बचत योजना को कामयाब बनाने की तरफ है। सौ करोड़ रुपया इकट्ठा करने के लिए हमको कम से कम एक साल के अन्दर पांच करोड़ रुपया सूद का देना होगा। इसके अलावा एक करोड़ रुपया कमीशन के तौर पर देना होगा। मैं समझता हूँ कि अगर हम सर्विस कोओप्रेटिव के नारे को कामयाब करने की तरफ अपनी शक्ति लगायें और उनको कामयाब करने के लिए दिल खोलकर मदद दें। कहीं ज्यादा फायदा हो सकता है। देश में मेरा अन्दाजा है ढाई लाख या साढ़े तीन लाख सर्विस कोओप्रेटिव्स बनेंगे और उनके लिए कम से कम सौ रुपया लोगों से पूंजी के रूप में प्राप्त होगा। इस पर हमें कोई सूद नहीं देना होगा। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि जो पांच करोड़ रुपया सूद का देना पड़ता है, उसको हम बचा सकेंगे। इसके साथ ही साथ एक करोड़ रुपया जो कमीशन का देना पड़ेगा उसको बचा सकेंगे। मेरी खुशकिस्मती है कि वित्त मन्त्री महोदय भी यहां इस समय मौजूद हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि वह इस पर अवश्य गौर करेंगे। हमें विचार करना होगा कि जो इतना बड़ा ध्येय हमने अपने सामने रखा है उसको प्राप्त करने के लिये क्या कुछ हमको अपने पल्ले से देना होगा।

इसके साथ ही साथ, मैं यह भी समझता हूँ कि कम से कम एक हजार करोड़ रुपया रिज़र्व बैंक को शार्ट टर्म और मीडियम टर्म और लांग टर्म कर्ज़ों के लिए खर्च करना होगा। आप चाहते हैं कि देश के अन्दर अनाज की पैदावार तथा खेती की पैदावार बढ़े। मैं समझता हूँ कि इसके लिए यह बहुत जरूरी है कि मीडियम

टर्म लोंस के लिए हम जो कर्जे़ देते हैं, उनकी राशि को बढ़ायें। इससे लोग अधिक कुएं बना सकेंगे, माइनर इरिगेशन की व्यवस्था कर सकेंगे और दूसरे काम करके देश की पैदावार को बढ़ा सकेंगे।

इस साल की कम्युनिटी प्राजेक्ट की रिपोर्ट को अगर आप देखें। आपको ताज्जुब होगा कि पिछले साल के पहले छ : महीनों के अन्दर जो माइनर इरिगेशन के लिए रुपया खर्च किया गया वह उस साल मुश्किल से एक चौथाई था जो खर्च करने का टारगेट रखा गया था। इतना भी खर्च नहीं हो सका। इसका मतलब यह है कि जो रुपया रखा गया था उसको हम अगर अप्रैल के महीने तक माइनर इरिगेशन के लिए सैंकशन कर देते और दे देते और माइनर इरिगेशन से पानी मिलने लग जाता। दो फसलों को इससे फायदा पहुंच सकता था। लेकिन, अगर हम छ : महीने तक या आठ नौ महीने तक हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहे और जो रुपया रखा गया उसको हम बांट नहीं सके। इसका मतलब यह है कि दो फसलों की आमदनी है, उसका घाटा देश को और किसान को होता है। इस रुपये से बड़ी आसानी से कुएं और तालाब बन सकते थे। इस देश के अन्दर जो रूरल क्रेडिट सर्वे कमेटी की रिपोर्ट है उसमें सही तौर पर एक बात लिखी है कि देहात का काम चलाने के लिए देहात के तरीके से सोचने की बहुत जरूरत है। कई साथी हैं जिनका ख्याल है कि मौजूदा डोलबन्दी को मिटा देने से देश के अन्दर लाखों करोड़ों मन अनाज पैदा हो सकता है। उन्हें मालूम नहीं कि इस देश के अन्दर कई किसान कुओं से खेती करते हैं और नहरों के पानी से खेती करते हैं। आपको मालूम है कि कुओं से पानी देने के लिये, नहरों से पानी देने के लिये खेत में डोलबन्दी देने की निहायत जरूरत है। जो किसान बहुत पढ़े लिखे नहीं हैं जब वह सुनते हैं कि हमारे देश के बड़े-बड़े नेता समझते हैं कि डोलबन्दी हट जाएगी और उससे देश की पैदावार बढ़ जाएगी। उनको बहुत ताज्जुब होता है। साथ ही जब वे यह देखते हैं कि देश के अन्दर 80 लाख एकड़ भूमि वाटरलागिंग से खराब हो गई और उसके लिये पंजाब में अगर 4 करोड़ रुपया वाटरलोगिंग को ठीक करने के लिए खर्च कर दिया जाए। उससे 35 करोड़ रुपये की पैदावार बढ़ सकती है। भी वह रुपया हमें देने के लिये तैयार नहीं हैं। सरकार समझती है कि डोलबन्दी हटाने से पैदावार बढ़ सकती है। मैं मानता हूँ, कि देश के अन्दर जहां तक साझेदारी खेती करने की व्यवस्था है, उससे देश आगे जाएगा और यह बहुत जरूरी है। इसलिये, भी कि चूंकि इस देश के अन्दर अन्दाजन साढ़े तीन करोड़ एकड़ के करीब होल्डिग्स है और उनकी खेती करने के लिए करीब 7 करोड़ बैल, घोड़े,

खच्चर और गधे रखते हैं। जब मसानी साहब बोल रहे थे। मैंने बीच में कहा था कि यह सही है कि इस देश में जितनी हमारी खेती की भूमि है उसका हिसाब लगाते हुए लोगों की तादाद जो खेती पर मुन्हसर है वह बहुत बड़ी है। इसके साथ-साथ जो डंगर हम खेती की भूमि के ऊपर डालते हैं उनकी तादाद भी बहुत बड़ी है। अगर वह 7 करोड़ की तादाद हमारे इस देश के अन्दर चल रही है। उसे कम करना होगा। मैं मानता हूँ कि हमारे यहां औसतन एक-एक होल्डिंग की जो भूमि है वह साढ़े सात एकड़ पड़ती है। अगर तीन, चार या पांच होल्डिंग्स को इकट्ठा कर दिया जाए और जो डंगर हैं उनकी तादाद चौथाई कर दी जाए और जो हज़ारों करोड़ों रुपये की पूंजी बच सकती है खेती के लिये वह उन चौथाई से काम ले लिया जाए। हम उनकी तादाद बहुत कम कर सकते हैं।

इसके साथ-साथ मैं यह भी जानता हूँ कि जो गाय के नाम पर दुहाई देते हैं अगर उनके यहां गाय बच्छा देती है तो वह बछड़े को किस तरह से पालते हैं और बछिया हो जाए तो किस तरह से पाला जाता है। किस तरीके से बछिया को दूध की मेकदार कम कर दी जाती है। इसी तरह से अगर भैंस कटिया को जन्म देती है। कटिया के दूध की मेकदार कितनी ज्यादा दी जाती है और कट्टा को जन्म दे। कटरे को दूध की तादाद कितनी कम कर दी जाती है और उसे मारा जाता है, यह भी मैं जानता हूँ। आज हिन्दुस्तान के अन्दर जरूरत है कि गायें बढ़ें, भैसें बढ़ें, उनको बढ़ाना निहायत जरूरी है। यह भी लाजिमी है कि जो ड्राई कैट्ल हैं उनकी तादाद हिन्दुस्तान के अन्दर कम हो और इसको देखते हुए यह भी जरूरी है कि साझेदारी की खेती की जाए।

द्वितीय लोकसभा

बुधवार, 22 अप्रैल, 1959 *

वित्त विधेयक

चौधरी रणबीर सिंह (रोहतक) : उपाध्यक्ष महोदय, यहां सदन में कुछ दोस्तों द्वारा यह दर्शाने की कोशिश की गई है कि देश तरक्की नहीं कर रहा है और सिर्फ करों की वसूली ही की जा रही है। लेकिन, अगर जरा आंकड़ों को देखा जाए। पता लगेगा कि सन् 38, 39 में हिन्दुस्तान की सरकार का रुपया जो यहां सरकारी कारोबारों में लगा हुआ था वह 752 करोड़ था और केन्द्रीय सरकार ने प्रान्तीय सरकारों को जो रुपया दिया था वह 123 करोड़ था। लेकिन, सन् 1959-60 के आखिर में जो रुपया हिन्दुस्तान की सरकार का सकारी कारोबारों में लगेगा वह 2135 करोड़ होगा और केन्द्रीय सरकार जो सूबों की सरकारों को रुपया देगी वह 1928 करोड़ होगा।

इसी तरीके से उपाध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि देहातों की तरक्की के लिए नहरों द्वारा पानी की उचित व्यवस्था की जानी जरूरी है। हिन्दुस्तान के आजाद होने के बाद हिन्दुस्तान के हिस्से में इरिगेशन के लिए जितने काम आये थे उनके ऊपर कुल 110 करोड़ रुपया लगा हुआ था। दूसरी पंचसाला योजना के बाद जो रुपया इरीगेशर को बढ़ाने के लिए खर्च होगा या जितने प्राजेक्ट्स पर रुपया लगा होगा वह 721 करोड़ होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह मानता हूँ कि देश आगे बढ़ रहा है। भिलाई में और रूरकेला में बड़े-बड़े कारखाने बन रहे हैं। लेकिन, इसके साथ-साथ कुछ आतें

** संसदीय बहस (कार्यवाही लोकसभा 1957-62), 22 अप्रैल, 1959 पेज 12860*

हैं जिन पर हमें गम्भीरता के साथ विचार करना होगा।

पहली पंचसाला योजना में हमने विदेशों से जो कर्जा लिया या डैफिसिट फाइनेंसिंग के जरिये जो रुपया हासिल किया वह सिर्फ 36 फीसदी था। लेकिन, दूसरी पंचसाला योजना के अन्दर जो हमारा अन्दाजा है उसके मुताबिक वह 63 फीसदी बैठेगा। इसके साथ-साथ यह भी गौर करने वाली बात है कि सन् 1946 के बाद से लेकर सन् 1958 तक देश के अन्दर जो अनाज बाहर से आया है वह 1456 करोड़ रुपये का था। इसके अन्दर अगर यह भी मान लिया जाए कि 350 करोड़ के करीब का जो अनाज आया वह उधार पर या मदद के तौर पर आया। भी 1100 करोड़ रुपया बाहर से अनाज मंगाने पर खर्च किया गया। इसके साथ-साथ उस अनाज को सस्ता बेचने के लिए जो रुपया खर्च हुआ वह 261 करोड़ था। वह या तो सबसिडी के शक्ल में था या सहायता के तौर पर था।

मुझे खुशी है कि आज हिन्दुस्तान के वित्त मंत्रालय के मंत्री श्री मुरारजी देसाई, श्री गोपाल रेड्डी, श्री बलीराम भगत और हमारी बहिन है। ये सभी साथी देहात में पैदा हुए हैं और इनका किसानों से सम्बन्ध रहा है। दो का बम्बई और आन्ध्र के चीफ मिनिस्टर की हैसियत से किसानों से सम्बन्ध रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि आज हिन्दुस्तान के अन्दर पानी बढ़ाने के लिए मेजर और मीडियम प्रोजेक्ट चलाये जा रहे हैं। उन पर करोड़ों रुपया खर्च किया जा रहा है। यह अन्दाजा लगाया गया है कि सैकिंड फाइव इअर प्लान के बाद कोई तीस चालीस करोड़ साल का ब्याज का खर्चा इन प्रोजेक्ट्स के ऊपर पड़ेगा। आपको मालूम ही है कि हिन्दुस्तान का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट भाखड़ा का है। वह सन् 1946 में शुरू हुआ था और सन् 1961 में जाकर कहीं पूरा होगा। इस तरह 14 या 15 साल उसके बनाने में लगेंगे। अन्दाजा है कि 14 या 15 साल और लगेंगे जब उसका पूरा फायदा उठाया जा सकेगा। आपको मालूम ही है उसपर 170 करोड़ रुपया खर्च होने का अन्दाजा है और उसके ऊपर जो ब्याज का खर्चा पड़ेगा वह 50 करोड़ के करीब बैठेगा। जिसका मतलब यह है कि जब वह प्रोजेक्ट खत्म होगा। उस पर 21 फीसदी खर्चा जो पड़ेगा वह ब्याज का होगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि 261 करोड़ की इमदाद दी जाती है अनाज सस्ता बेचने के लिए। यही नहीं, मैंने हिसाब लगाया है कि सन् 1948-49 और सन् 1956-57 में सरकारी नौकर को, सिर्फ सैंट्रल गवर्नमेंट के मुलाजिमों को, जो इमदाद डिअरनैस अलाउंस (मंहगाई भत्ता) की शक्ल में दो गयी वह 51 करोड़ रुपया और 88 करोड़ रुपया बैठती है।

इसके अन्दर उन सरकारी कर्मचारियों का अलाउंस शामिल नहीं है जिनको कि 1000 से ऊपर तनख्वाह मिलती है। जो हमारी आई.ए.एस. के भाई नौकर होते हैं उनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जिसको तनख्वाह के अलावा 200 रुपये का अलहिदा अलाउंस न मिलता हो। उनमें से तकरीबन हर आदमी को 200 रुपये का अलाहिदा अलाउंस दिया जाता है। इसके अलावा जो दूसरा पे कमीशन बैठा है वह शायद 40 या 90 करोड़ के करीब का खर्चा बढ़ायेगा ऐसा अन्दाजा है। आज हिन्दुस्तान में अनाज की पैदावार कम होने की वजह से हिन्दुस्तान की सरकार को अपने कर्मचारियों को 100 या 125 करोड़ रुपया महंगाई भत्ते के रूप में देना पड़ रहा है। यह सिर्फ हिन्दुस्तान की केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को ही दिया जाता है। दूसरी तरफ हम सबसिडी देते हैं। लेकिन, यह जानकर ताज्जुब होता है कि पानी बढ़ाने के लिए जो सबसिडी दी गयी है वह सात साल के अन्दर कुल 11 करोड़ रुपया है। मैं चाहता हूँ कि हिन्दुस्तान की सरकार इस बात पर शान्ति से गौर करे कि अगर वह मेजर और मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट्स को लोगों की भलाई के लिये चलाना चाहती है। टैक्स उगाहने की ठीक व्यवस्था करे। हम योजना को चलाने में सहयोग देना चाहते हैं। लेकिन, कुछ लोग किसानों को भड़काते हैं और उनसे सत्याग्रह करवाते हैं जिसको रोकने के लिये सरकार को लाखों रुपया खर्च करना होता है। अगर हमें इस सत्याग्रह को रोकना है। हमारे लिये यह जरूरी होगा कि उस पूंजी पर जो ब्याज दिया जाता है उसकी रकम को कम किया जाए।

इस वक्त मैं अपने सूबे के मुख्यमंत्री सरदार प्रताप सिंह कैरों को बधाई और धन्यवाद दिये बिना नहीं रह सकता कि वह राज्य का रुपया खर्च करके केन्द्रीय सरकार का रुपया वसूल कर रहे हैं। उन्होंने उन लोगों के खिलाफ कदम उठाये हैं जो इस योजना को नाकामयाब बनाना चाहते थे। इसके लिये मैं उनको बधाई देता हूँ। उनको जो इस काम में कामयाबी मिली है, और जो लोगों को अपने साथ रखने में उनको कामयाबी मिली है वह इस विश्वास के कारण कि वह समझते हैं कि वह हिन्दुस्तान की सरकार के पास जाएंगे और हिन्दुस्तान की सरकार को समझायेंगे कि यह जो पानी की बड़ी योजना है उसके ऊपर जो 50 करोड़ का ब्याज का खर्च लगाया गया है वह ज्यादा है, उसे कम करना होगा और कम करना चाहिये। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे श्री मुरारजी और गोपाल रेड्डी जैसे देहाती भाई इसके ऊपर जरूर गौर करेंगे और पंजाब से काबुली की तरह से अपना सूद वसूल नहीं करेंगे।

इस सिलसिले में मैं एक बात और अर्ज कर देना चाहता हूँ। मेरे हल्के में दो

ड्रेन हैं। एक ड्रेन नं. 8 और दूसरा वेस्ट जुआ ड्रेन तो इनकी कैपेसिटी 740 क्यूसेक्स है। पिछली साल इनमें जो पानी आया उससे रोहतक जिले को 72 लाख रुपये का नुकसान हुआ, और 83 हजार एकड़ जो खरीफ की जमीन बोई हुई थी उसको नुकसान हुआ, और 13656 एकड़ भूमि रबी में नहीं बोयी जा सकी जिससे रबी का 50 लाख रुपये का नुकसान हुआ। दूसरे मानों में एक जिले के अन्दर 1,20,00,000 का नुकसान हुआ। इसी सिलसिले में कुछ और ड्रेन डाले जा रहे हैं जिनको कैपेसिटी 1400 क्युसेक्स है। अगर इस पानी को निकालने का इन्तजाम नहीं किया गया। यह 1 करोड़ 20 लाख का घाटा कई करेाड़ का जाकर बैठेगा। इसके लिये वित्त मंत्री महोदय को पंजाब की सरकार को दो, तीन, चार करोड़ रुपया देना चाहिये जिससे कि वहां पर वाटरलागिंग का इन्तजाम हो सके।

द्वितीय लोकसभा

बुधवार, 22 अप्रैल, 1959 *

वित्त विधेयक

चौधरी रणबीर सिंह (रोहतक) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं वित्त मंत्रालय और श्री मोरारजी देसाई का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने कुछ रियायतें खन्डसारी पर दीं और यह वायदा किया कि खेती के काम के सिलसिले में जितना डीजल आयल इस्तेमाल होता है, उसके बारे में वह साचेंगे कि किस तरह से किसानों को इस टैक्स से बचाया जा सकता है। उपाध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि पिछली दफा जब गेहूँ की फसल आई। उसकी कीमत 16 रुपये मन थी और यू.पी. में वह 28 रुपये मन हो गई और पंजाब में 25, 26 रुपये मन तक गई। आज फिर दोबारा गेहूँ चौदह, पन्द्रह रुपये मन के हिसाब से बिक रहा है। आज भी सरकार ने अपनी नीति का एलान नहीं किया है कि गेहूँ की क्या कीमत होनी चाहिये, हालांकि प्राइस सपोर्ट पालिसी का फैसला हो चुका है। लेकिन, इसके साथ ही साथ अगर कोई चीज खेती की कीमत-कास्ट-को बढ़ाती है, उसके टैक्सेशन को बढ़ने दिया जाए। मैं समझता हूँ कि यह काश्तकारों के साथ न्याय नहीं होगा। यही नहीं, बल्कि देश के कनज्यूमर्ज़ के साथ भी यह न्याय नहीं होगा। खेती की पैदावार बढ़ाने के लिये बहुत जरूरी है कि टैक्स और न बढ़ाया जाए। बल्कि, ज्यादा से ज्यादा सहूलियत दी जाए। जैसा कि श्री मोरारजी देसाई ने कहा, किसान इस देश के कौने-कौने में है और खेत की पैदावार बढ़ाने के लिये इन सारे आदमियों के सहयोग की जरूरत है। वह सहयोग आप तब ले सकते हैं, जब आप उनको सहूलियत दें, उनको पैसा दें। आज को-आपरेटिव का बड़ा जिक्र किया जाता है। लेकिन, यह ताज्जुब की बात है कि को-आपरेटिव्ज को

** संसदीय बहस (कार्यवाही लोकसभा 1957-62), 22 अप्रैल 1959, पृष्ठ 12,938-12,940*

दूसरे बैंक्स जितना भी रुपया लेने का अधिकार नहीं है, उतना रुपया वे रिजर्व बैंक से कर्ज नहीं ले सकते हैं जितना कि दूसरे बैंक ले सकते हैं।

जहां तक खण्डसारी का वास्ता है, मुझे खुशी होती है अगर माननीय मंत्री कहते कि सल्फूटेशन प्लांट की खाण्डसारी पर टैक्स होगा और बिजली से तैयार खंडसारी पर नहीं होगा। यह कितनी अजीब बात है कि एक तरफ हमारे देश का एक मंत्रालय बिजली का प्रसार करना चाहता है और वित्त मंत्रालय गांवों में बिजली पहुंचाने के लिये इमदाद देता है, ग्रांट देता है और दूसरी तरफ अगर गावों में बिजली का इस्तेमाल हो तो उस पर टैक्स लगाया जाए। यह बात समझ में नहीं आती है। गांवों में सर्विस को-आप्रेटिव बनाने के बारे में इस सदन ने फैसला किया, कांग्रेस पार्टी ने फैसला किया। खंडसारी का बड़ा यूनिट सर्विस को-आपरेटिव को आरगनाइज करने में बहुत ज्यादा मददगार हो सकता है।

जहां तक डीजल आयल पर टैक्स का ताल्लुक है, जो को-आपरेटिव काम करते हैं - चाहे वे को-आपरेटिव फार्मिंग के तौर पर काम करते हों और चाहे बैटर को-आपरेटिव फार्मिंग क लिये- अगर उन्होंने अपना पम्पिंग सैट लगाया हुआ है। उसका टैक्स माफ होना चाहिये। जहां तक खंडसारी के टैक्स का वास्ता है, अगर किसी को-आपरेटिव का खंडसारी का सल्फुटेशन प्लांट हो, तो उसका टैक्स भी माफ होना चाहिये।

द्वितीय लोकसभा

शुक्रवार, 24 अप्रैल, 1959 *

बंदरों का निर्यात

RESOLUTIION *RE*. EXPORT OF MONKEYS — *contd.*

Mr. Deputy-Speaker : The House will now resume further discussion of the Resolution moved by Shri Mohan Swarup on the 11th April, 1959 regarding Export of Monkeys.

Out of 2 hours allotted for the discussion of the Resolution 34 minutes have already been taken up and 1 hour and 26 minutes are left for its further discussion today.

Shri Ranbir Singh Chaudhuri may continue his speech.

चौधरी रणबीर सिंह (रोहतक) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस प्रस्ताव का विरोध कर रहा था। अगर श्री मोहन स्वरूप को प्रस्ताव लाने से यही मंशा थी कि उनको जब हिन्दुस्तान से बाहर भेजा जाता है या रास्ते में बंदरों को जो तकलीफ़ होती है उस तकलीफ़ से बचाया जाए। मैं समझता हूँ कि उनकी बात के अन्दर कुछ वज़न है। इसके अलावा जो कुछ कम्पनियां फ़ायदा उठाती हैं और 10, 15 रुपये में एक बंदर खरीद कर उसको 100 रुपये में बेचती हैं, अगर इस मुनाफे के खिलाफ आवाज उठाना उनकी मंशा थी। मैं उनसे सहमत हो सकता हूँ। लेकिन, अगर उनकी मंशा यह है कि इस देश के अन्दर अधिक से अधिक बंदरों की पैदावार की जाए और उनको पनपने दिया जाए। मैं उनसे इसमें सहमत नहीं हो सकता। (सदन में हंसी)।

श्री मोहन स्वरूप चूंकि एक काश्तकार के घर में पैदा हुए। मुझे तो यह

** संसदीय बहस (कार्यवाही लोकसभा 1957-62), 24 अप्रैल 1959, पृष्ठ 13,332-13,337*

देखकर हैरानी होती है कि उन्हें बन्दरों के साथ इतनी हमदर्दी कैसे आ गई .....

श्री दी.चं. शर्मा (गुरदासपुर) : अजी वह दयावान किसान है।

उपाध्यक्ष महोदय : आर्डर, आर्डर।

चौधरी रणबीर सिंह : मैं तो समझता हूँ कि जिस आदमी ने अपनी फसल को बंदरों द्वारा खराब करते देखा होगा उसके दिल में कभी भी बंदरों के लिए प्रेम और हमदर्दी की भावना पैदा नहीं हो सकती चाहे वह कितना ही अहिंसावादी क्यों न हो।

मैं मानता हूँ कि इस देश के अन्दर महात्मा बुद्ध पैदा हुए, इस देश के अन्दर महात्मा गांधी हुए और इस देश ने राष्ट्रपिता के बतलाये हुए रास्ते पर चल कर बगैर कोई लड़ाई अथवा हिंसा करे और खूनखराबा किये बगैर देश को आजादी प्राप्त कर ली और पिछले दस वर्षों का अनुसरण करते हुए भूमि सुधार सम्बन्धी क्रान्ति कर डाली। जिस क्रान्ति को करने के लिए हमारे पड़ौसी देशों में लाखों आदमियों को मारा गया, उस क्रांति को इस देश ने अहिंसा के मार्ग का अनुसरण करते हुए पूरा किया। इस देश में जो बड़े-बड़े कारखानेदार हैं उनका इंतज़ाम भी किसी डंड़ या गोली से नहीं किया जाता है बल्कि बड़ी शान्ति से व समझा बुझाकर किया जाता है।

उपाध्यक्ष महोदय, अब बंदर अगर इस देश का नुकसान करते हैं। उनका भी हमें इंतजाम करना होगा जिस तरह कि अगर कुछ भाई देश प्यार के नाम से अथवा लोगों के नामों की दुहाई दे करके इस देश का नुक़सान करें। उनका भी इंतज़ाम करना इस सदन का काम हो जाता है और उनका भी इंतज़ाम किया जाता है।

उपाध्यक्ष महोदय : आर्डर, आर्डर। आज जिस चीज़ के इंतजाम का फ़िक्र है, उसके ही इंतजाम के बारे में कहा जाए। बंदरों के बारे में ही आज आप कहिये।

चौधरी रणबीर सिंह : चूंकि यहां इस सदन में कहा गया था इसलिए, मुझे यह कहना पड़ा कि अगर कुछ व्यक्ति देश का नुकसान करेंगे चाहे मंत्री ही क्यों न हो। उनका भी इंतजाम किया जाएगा। एक भाई ने कहा कि क्या उस हालत में उनको भी बाहर भेजा जाएगा। मैं यह बताना चाहता हूँ कि यह मंत्री महोदयों का सवाल नहीं है बल्कि और भी दूसरे भाई हैं जो कभी किसान के नाम से तो कभी मजदूर के नाम से। कभी हिन्दी के नाम से, पंजाबी के नाम से और कभी सूबे के नाम से इस देश का नुकसान करना चाहते हैं और उन नुक़सान पहुंचाने वालों का भी हमें इंतज़ाम करना होगा।

जब से हम आज़ाद हुए हैं सन् 1946 से सन् 1958 तक 1456 करोड़ रुपये का अनाज हमें बाहर से मंगाना पड़ा और यही नहीं उस अनाज को ग़रीब आदमियों तक पहुंचाने के लिए 261 करोड़ रुपये की सहायता देनी पड़ी ताकि ग़रीब लोगों तक अनाज पहुंच सके और लोग भूख से न मरें।

इस चीज़ के अन्दर केवल बंदरों की रक्षा की ही भावना नहीं है बल्कि इसके पीछे नाजाएज फ़ायदा उठाने की बात है। मुझे यह चीज़ बड़े दु :ख के साथ कहनी पड़ती है कि कुछ भाई ऐसे हैं जो इस देश के दबे हुए हरिजनों भूखे और नंगे किसानों के नाम पर नहीं अपनी स्वार्थपूर्ति के लिए बड़ी-बड़ी किताबें छापते हैं बन्दरों और दूसरे जानवरों के नाम पर तस्वीरें छापी जाती हैं -पता नहीं वे सच्ची हैं या झूठी हैं कि अमरीका में बन्दरों को किस ढंग से मारा जाता है। लेकिन, क्या वे भाई, जो इस किस्म की तस्वीरों को छापते हैं, बतायेंगे कि उनके तहत इन्सानों की क्या हालत होती है, उनके तहत जो इन्सान काम करते हैं, उनके साथ वे क्या सलूक करते हैं। जो भाई बन्दरों को सवेरे अनाज डालने के लिए जाते हैं, क्या वे बतायेंगे कि वे किस तरह से रुपया कमाते हैं, किस तरह से किसान और मजदूर की खून पसीने की कमाई को उनसे छीनकर ऐयाशी करते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, हमें अब सोचना होगा कि इस देश को आगे ले जाने के लिए बहुत सारी भावनाओं का मुकाबला किया जाए और बहुत सारी भावनाओं के बारे में लोगों को समझाना भी होगा। मैं जानता हूँ कि इस देश के लाखों किसानों की किस्मत बदल नहीं सकती, जब तक कि इस देश में आज जो खेती करने का ढंग है, वह न बदले। हमारे देश में सिर्फ़ बन्दर ही नहीं, ज़मीन के ऊपर जितने और डंगर, आया यह देश उनका पेटभर सकता है या नहीं, यह भी एक सोचने का सवाल है। इस देश में जो इन्सान हैं, उनके लिए हमने सुख पैदा करना है। ये जो बन्दर बाहर भेजे जाते हैं, वे इसलिए, नहीं भेजे जाते हैं कि हम उनको मरवायें, बल्कि वे इसलिए, भेजे जाते हैं कि संसार में विज्ञान की तरक्की हो, संसार आगे बढ़े और अहिंसा की भी तरक्की हो, इन्सान की आयु - उसका जीवन - ज्यादा से ज्यादा बड़े। *(Interruptio)*

उपध्यक्ष महोदय : आर्डर, आर्डर।

चौधरी रणबीर सिंह : मेरी समझ में नहीं आता कि जो भाई इसमें एतराज करते हैं वे ऐसा क्यों करते हैं। क्या वे इस बात से अनभिज्ञ हैं कि बहुत से जानवरों के ऊपर तजुर्बे किए जाते हैं? क्या उन्हें मालूम है कि जो भाई डाक्टर बनते हैं, जिनसे हमारे वे बड़े-बड़े भाई, जो अखबारें और किताबें छापते हैं, रोज़ाना दवाई लेते हैं,

डाक्टर बनने से पहले पता नहीं वे कितने मेंढ़क काटते हैं, कितने खरगोश काटते हैं और और उन पर तजुर्बा करके देखते हैं? अजीब हालत है कि बन्दर के जीवन से साईंस जो तरक्की करती है, उससे तो वे फ़ायदा उठाना चाहते हैं। लेकिन, वे बन्दरों को हिन्दुस्तान के किसान के ..... *(Interruptio)*

Mr. Deputy-Speaker : Even when the subject be monkeys, there ought to be some seriousness about it. We are discussing a Resolution. At least we are sitting in Parliament. Some decorum should be kept.

चौधरी रणबीर सिंह : बन्दर से विज्ञान जो फायदा उठाता है, उस विज्ञान के रिसर्च का। वे फ़ायदा उठाना चाहते हैं। लेकिन, वे बन्दर का किसान के कन्धों पर बिठाए रखना चाहते हैं। ऐसे दोस्तों को मैं कहूँगा कि वे ज़रा शान्ति से सोचें और इस देश की तरक्की होने दें। इस देश को अनाज की अजहद जरूरत है – दूसरी खेती की पैदावार की बहुत जरूरत है। मुझे मालूम है कि अगर कोई किसान गन्ने की खेती करता है। बन्दर मुश्किल से आधा गन्ना चूसता है और दस गुना खराब करता है। अगर कोई जानवर ऐसा है, जो अपना पेट भरने के मुकाबले में ज्यादा खराब करता है – चाहे वह अनाज हो या कोई दूसरी चीज़ हो –तो वह बन्दर है, तो भी इतना खराब नहीं करता है। तोते की खराबी की किसान परवाह नहीं करता है। लेकिन, बन्दर जो खराबी करता है, उससे किसान सबसे ज्यादा परेशान होता है। मैं चाहूँगा कि जो भाई ये किताबें छापते हैं, अगर वे उस रुपए से इन तमाम बन्दरों को पकड़वाकर दूसरे देशों को भिजवा दें – आज देश को विदेशी मुद्रा की जरूरत है – और उस रुपए से और कुछ नहीं। यहां के भूखे लोगों के लिए अनाज मंगवा दें तो मुझे इसमें कोई ऐतराज नहीं होगा।

द्वितीय लोकसभा

मंगलवार, 28 अप्रैल, 1959 *

प्रस्ताव : रेल समिति की सिफारिशें

चौधरी रणबीर सिंह (रोहतक) : उपाध्यक्ष महोदय, रेलवे मंत्री महोदय यह जो रेलवे कनवेंशन कमेटी, 1954 की सिफारिशों की अवधि एक साल बढ़ाने का प्रस्ताव लाये हैं, मैं उसका समर्थन करता हूँ। मैं अवधि बढ़ाने का समर्थन इस बिना पर नहीं करता हूँ कि रेलवे मंत्री महोदय को यह अन्दाज़ा लगाने में कोई मुश्किलात पेश आयेंगी कि कितना रुपया उनका थर्ड फाइव इयर प्लान में मिलेगा और उसका ब्याज उनको कितना ज्यादा देना होगा। मैं मानता हूँ कि इसका हिसाब बहुत आसानी से लगाया जा सकता है। इसलिए, सवाल हिसाब लगाने का नहीं है बल्कि उससे बड़ा सवाल है कि तीसरी पांच साला योजना के ऊपर कितना रुपया खर्चा जाएगा और व किस-किस सैक्टर में खर्च किया जाएगा। उससे क्या-क्या पैदावार होगी और कौन-कौन सी पैदावार रेल के जरिये लाई जाएंगी या किन्हीं दूसरे स्थान पर भेजी जाएंगी ? जब तक रेलवे मंत्रालय के सामने इन सारी चीज़ों के जवाब न हों उस वक्त तक मैं समझता हूँ कि यह कोई आसान काम नहीं है कि वह कोई सही अन्दाजा रेलवे कन्वेंशन कमेटी के सामने रख सके जिससे सही और दुरुस्त नतीजे पर पहुंच सके। इसलिए, मैं समझता हूँ कि किसी दुरुस्त नतीजे पर पहुंचने के लिए यह निहायत जरुरी है कि समय की अवधि बढ़ाई जाए।

उपाध्यक्ष महोदय, कई मित्रों ने यहां पर अपने विचार प्रकट किये तो उससे ऐसा मालूम पड़ता है कि वह किसी चीज़ पर इनकम टैक्स लेना ही शायद देश के लिए सबसे अच्छी बात समझते हैं। देश की भलाई करने का तरीका सबसे अच्छा

** संसदीय बहस (कार्यवाही लोकसभा 1957-62), 28 अप्रैल, 1959, पृष्ठ 13,822-13,829*

यही है कि जितनी सरकारी रेलवेज चलती हैं उनको मजबूत किया जाए ताकि वह भी इनकम टैक्स दें। मुझे इसमें कोई बहुत ज्यादा ऐतराज तो नहीं। लेकिन, मैं अपने उन मित्रों को बता देना चाहता हूँ कि देश को फ़ायदा पहुंचाने का तरीका केवल यही नहीं है कि इनकम टैक्स लेकर उसको सरकारी ढ़ग से खर्च कर दिया जाए। उस ढ़ंग से जब सरकार खर्च करती है। इस देश के 40 करोड़ आदमियों में से बहुत सारे भाई ऐसे हैं और इस सदन के भी बहुत से माननीय सदस्य ऐसे हैं जो जब सरकार अपने खर्चे की मंजूरी के लिए सदन में फ़ाइंस बिल पेश करती है। वे उससे सहमत नहीं होते हैं। इस हाउस के बाहर भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो उस खर्चे पर ऐतराज करते हैं और आपत्ति होती है। रेलवेज़ इनकम टैक्स दे सके या ज्यादा सूद दे सके। उसके लिए जरूरी होगा कि रेलवेज की आमदनी बढ़े। यह तभी बढ़ सकती है जब किराये में बढ़ोतरी की जाए और किरायों में जो बढ़ोतरी की जाएगी वह आखिर किसी की जेब से आयेगी? वह जेब आम आदमियों की होगी। अगर आज हम इनकम टैक्स बढ़ाना चाहते हैं। वह इनकम टैक्स के अफ़सरों के लिए नहीं बढ़ाना चाहते हैं बल्कि आम आदमियों की भलाई के लिए हम सरकार की आमदनी को बढ़ाना चाहते हैं। इसलिए, मैं समझता हूँ कि यह जो तरीका सोचने का है यह सरमायेदारी ढ़ंग का तरीक़ा है और यह कोई बहुत सही तरीका नहीं है।

मैं जानता हूँ कि श्री नौशीर भरूचा जो मुझ से पहले इस पर बोल चुके हैं वे बम्बई का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस नाते उनके सामने जो बम्बई का नक़शा रहता है वह एक कुदरती बात है। जो आदमी जिस क्षेत्र से आता है, जिन लोगों के बीच में पलता है, उसके सामने उस इलाके का और उन आदमियों का नक़शा होता है। उन्होंने कहा कि बहुत सारी जगहें आज भी ऐसी हैं, जहां यदि नई रेलवे लाइन चालू कर दी जाए। उसको फ़ायदा होगा। ठीक बात है। बम्बई एक अच्छा अच्छा विकसित ऐरिया है और वहां पर जो भी काम चालू करेंगे वह फ़ायदेमंद होगा। लेकिन, मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि क्या हिन्दुस्तान का नाम बम्बई रखा जाएगा? बम्बई के अलावा और तमाम देश भी तो पड़ा है। यदि हमें इस देश को बढ़ाना है तो हमें उसके हर एक हिस्से को डेवलप करना है और उसकी तरक्क़ी करनी है। कुदरती बात है कि जो नई रेलवे लाइनें चालू की जाएंगी उनके ऊपर जो खर्च पड़ेगा और उनसे जो आमदनी होगी, वह घाटे का सौदा होगा। लेकिन, उस घाटे के सौदे से हमारे रेलवे मंत्रालय को घबराना नहीं है । इस बिना पर उनकी तरक्क़ी को रोकना नहीं है। मैं जानता हूँ कि रेलवे मंत्रालय जिसकी बागडोर श्री जगजीवन राम के हाथों में है वह इस टोटे नफ़े की

जो सोचने की स्कीम है उससे वह डरेंगे नहीं बल्कि वे स्वयं एक ग़रीब घर में पैदा हुए हैं और अच्छी तरह मालूम है कि ग़रीब आदमियों को ऊपर उठाने के लिए कुछ ज्यादा खर्च करने की जरूरत है और उनके ऊपर जो आम हिसाब-किताब का तरीका है वह लागू नहीं किया जा सकता है।

मुझे खुशी है कि कम से कम यह रेलवे मंत्रालय कुछ सही दिशा में सोचता है। हमने देखा कि नई लाइनों में मौरीटोरियम हो और पिछली रेलवे कन्वेंशन कमेटी की रिपोर्ट में जो उसके बारे में जिक्र आया है। कमेटी बहुत सी बातों से सहमत नहीं हो सकी। रेलवे बोर्ड ने भी उसको बहुत ज्यादा दबाव नहीं दिया। मैं समझता हूँ कि यह सोचने का सही तरीका है और जैसे मैंने पहले कहा उन्होंने जो अन्दाजा लगाया था वह सही अन्दाज़ा था। नई लाइनें जो हम चालू करेंगे और उनके ऊपर जो सरमाया लगेगा और उस पर जो 4 फीसदी का हिस्सा लगेगा, जो जनरल रेवेन्यूज को देना होगा वह कोई 20 करोड़ के करीब पड़ेगा। अब उपाध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि हमारे सूबे के अन्दर भाखड़ा डैम बना और यह सही है कि भाखड़ा डैम बनाकर भारत सरकार ने हमारे सूबे की बहुत इमदाद की है। लेकिन, उसके साथ ही साथ यह भी सही बात है कि आज से कुछ साल पहले अर्थात् सन् 1938 में जबकि उस था। उसकी आमदनी 8 करोड़ रुपये थी। लेकिन, इस साल जो हमारा बंटा हुआ पंजाब है वह हिन्दुस्तान की सरकार को 9 करोड़ रुपये से ज्यादा इस साल सूद देगा। उसको सूद देने की जरूरत पड़ती है। वह दे सकेगा या नहीं अभी इसके बारे में मुझे कहना नहीं है क्योंकि, यह उसका उपयुक्त अवसर नहीं है। लेकिन, इससे यह तो अंदाजा लगाया ही जा सकता है कि जिन आदमियों के ऊपर इस किस्म के वाक़यात बीतते हैं उनको पता होता है कि नई चीज को बढ़ाने के लिए कितना खर्चा चाहिए। अब यह उसी तरह की बात है कि घर में जब बच्चा पैदा होता है। वह एकदम से तो हाली या बाबू और कमाने वाला आदमी नहीं बन जाता। उसके माता-पिता को 16, 17 या 18 साल तक पालना पोसना पड़ता है और खिलाना पिलाना पड़ता है, मजबूत करना पड़ता है तब कहीं जाकर वह इस काबिल बनता है कि वह अपने घरवालों के लिए एसैट साबित होता है और कमाकर लाता है। कई दफ़े वह अपने पिता से भी ज्यादा काम करता है और अपने खानदान की आमदनी को बढ़ाता है और ठीक यही बात नई रेलवे लाइनों के चालू करने के सम्बन्ध में लागू होती है। आज जो घाटे की लाइन दिखती है वह आगे चलकर इस देश को आगे बढ़ाने वाली और इस देश को फ़ायदा पहुंचाने वाली लाइन साबित हो सकती है।

मैं जानता हूँ कि पंजाब के अन्दर लोग मजबूर हुए। देश के रुपये को उगाहने के लिए पंजाब सरकार को रुपया खर्च करना पड़ा। जो आदमी लोगों को बहकाते थे कि इसमें उनका भला नहीं है, उन आदमियों को काबू में करने के लिए पंजाब सरकार ने लाखों रुपये हिन्दुस्तान की सरकार के लिए खर्च किये। मुझे मालूम नहीं कि हिन्दुस्तान की सरकार कोई इस ढंग से सोचती है कि नहीं कि उनकी लड़ाई पंजाब सरकार ने लड़ी है। मैं जानता हूँ यह कोई उपयुक्त समय अथवा स्थान नहीं है जबकि पंजाब की बात यहां पर कही जाए। लेकिन, एक बात मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ .....

उपाध्यक्ष महोदय : मगर चूंकि वह पंजाब की है इस वास्ते मैं उन्हें नहीं रोकूंगा।

चौधरी रणबीर सिंह : मैं जानता था कि आप मुझे रोकने वाले हैं। इसलिए, मैं आपको उसका मौक़ा नहीं देना चाहता था।

उपाध्यक्ष महोदय, रेलवे मंत्रालय का काम ठीक ढंग से चलाने के लिए और उसका खर्चा घटाने के लिए यह निहायत जरूरी है कि अभी जो इंजनों को कोयला डालकर चलाने का तरीका है, उसको बदला जाए। सरदार करनैल सिंह जी जिस कमेटी के चेयरमैन थे उस कमेटी ने अन्दाजा लगाया है कि अगर आगे भी इंजिनों को कोयला डालकर चलाया जाता रहा। सन् 1965 के अन्त में उनको चलाने का खर्चा अब से दुगना हो जाएगा। सन् 1975 में मुमकिन है कि हमको अपने इंजिनों को चलाने के लिए शायद इतना अच्छा कोयला मिल भी न सके। बहरहाल एक बात सही है कि अगर यही तरीका कायम रहा। रेलों को चलाने का हमारा खर्चा बढ़ता ही जाएगा। इस खर्चे को कम करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि इन इंजिनों को कोयले के बजाए बिजली से, जो सबसे सस्ता तरीका है, चलाने का इन्तिजाम किया जाए।

भाखड़ा नंगल के ऊपर जो पावर हाउस बन रहा है वह बिजली पैदा करेगा। लेकिन, वह पावर हाउस बनने के पहले ही बिजली बंट जाएगी। वह न रेलवे को मिलेगी और न देहात के किसान को मिलेगी। अगर रेलवे मंत्रालय चाहता है कि उसे अपने इंजिनों को चलाने का खर्चा कम करना है। उसे यह मामला प्लानिंग कमीशन के सामने रखना चाहिए। मुझे याद है कि एक दफा रेलवे मंत्री महोदय ने बड़ी कृपा करके हमें यह विश्वास दिलाया था कि वह हमारी बात प्लानिंग कमीशन के सामने पहुंचायेंगे। लेकिन, मैं चाहता हूँ कि वह हमारी बात कह कर नहीं बल्कि रेलवे

मंत्रालय के मफाद की बात कहकर उसको प्लानिंग कमीशन के पास पहुंचायें और कहें कि भाखड़ा नंगल पर दूसरा पावर हाउस बनाया जाए ताकि रेलवे के फाइनेन्सेज़ इम्प्रूव हों। मैं चाहता हूँ कि रेलवे मंत्री प्लानिंग कमीशन को मजबूर करें कि दूसरी पंच साला योजना में ही इतना रुपया तलाश किया जाए कि जिससे भाखड़ा नंगल पर कम खर्चे में दूसरा पावर हाउस बन जाए ताकि रेलवे का खर्चा कम हो सके।

मेरे मित्र शर्मा जी ने एक बहुत अच्छी बात याद दिलायी। मैं अपने पूर्व वक्ता स्वामी जी से सहमत हूँ कि सभी ब्रांच लाइन को मेन लाइन बना देने से फायदा हो सकता है। हमारे हलके में एक नई रेलवे लाइन, रोहतक–गोहाना पड़ी है। जिस रूप में वह अभी है अगर उसको इसी तरह जलाया गया। मुझे मालूम नहीं कि उससे कोई मुनाफा देश को हो सकता है। लेकिन, अगर गोहाना को पानीपत से मिला दिया जाए और फिर रोहतक से एक गाड़ी चले जो चंडीगढ़ जाए और चण्डीगढ़ से गाड़ी रोहतक आये। मुझे पूरा विश्वास है कि वह घाटे वाली लाइन कभी नहीं रह सकती।

उपाध्यक्ष महोदय : अब तो असल बात कह ली। बाकी तो तमीहद थी। असल बात। यही कहनी थी।

चौधरी रणबीर सिंह : मुझे असल बात यही कहनी है कि यह सोचना कि हम रेलवे से ज्यादा से ज्यादा ब्याज और इनकम टैक्स हासिल करें, सही नहीं है। असल में मेरे कहने का मंशा यह है।

इस सिलसिले में मैं यह कहना चाहता हूँ कि रेलवे मंत्रालय का पिछले दस ग्यारह साल का काम देखकर अन्दाजा लगाया जाए। मुझे सारे रेलवे के काम का तो ज्ञान नहीं है। मैं रोहतक और दिल्ली के ही बारे में आपसे कहना चाहता हूँ। पहले रोहतक से दिल्ली का किराया 13 आने था और आज वह एक रुपया तीन आना है और मोटर का किराया एक रुपया नौ आना है। यानी आज रेलवे मंत्रालय हर आदमी को हर टिकट पर 6 आने का मुनाफा दे रहा है। अगर इसी तरह से सारे देश का हिसाब लगाया जाए। मैं समझता हूँ कि रकम करोड़ों पर पहुंचेगी। अगर रेलवे लोगों से यह रुपया वसूल करती। वह न सिर्फ हमको ज्यादा इनकम टैक्स देती बल्कि डिप्रीसियेशन रिज़र्व फंड में भी ज्यादा रुपया रख सकती। इसके अदालत में पेश करने का सवाल नहीं है कि 30 करोड़ का 35 करोड़ कर दिया जाए। लेकिन, अगर रेलवे मंत्रालय ज्यादा रकम डिप्रीसियेशन रिर्जव फंड में डाले। उससे उसे फायदा हो सकता है, क्योंकि, उस पर उसको ब्याज नहीं देना होगा। अगर रेलवे मंत्रालय 100 करोड़ रुपया डिप्रीसियेशन फंड के लिए दे। उसको उतना ही ब्याज कम देना होगा। जो आमदनी

जनरल रेवेन्यूज को होती है वह घटेगी। इस तरह मैं यह मानता हूँ कि इससे जनता को बहुत फायदा नहीं हो सकता अगर डिप्रीसियेशन फंड को ज्यादा बढ़ाया जाए।

यहां जिक्र किया गया प्राइवेट लाइन्स का। आप जानते हैं कि उनकी हालत क्या है। अगर किसी भाई को देखना हो। वह शाहदरा जाकर देख सकता है कि सहानरपुर से जो लाइन आती है उसकी क्या हालत है। उसे मालूम हो जाएगा कि आज जो लाइनें रेलवे मंत्रालय चला रहा है उनमें और प्राइवेट लाइनों में क्या फर्क है, उन दोनों के मुलाजिमों की तनख्वाहों में क्या फर्क है और उनके रहने सहने में क्या फर्क है। अगर कोई आदमी इन सब बातों को नहीं सोचना चाहता और केवल बनिया बुद्धि से ही देखना चाहता है। उसकी बात दूसरी है। वरना मैं यह समझता हूँ कि यह बहुत जरूरी है कि अवधि को बढ़ाया जाए। रेलवे मंत्रालय के पास उस वक्त जो आंकड़े होंगे वह ज्यादा सही होंगे और उनसे जो नतीजा निकलेगा वह सही होगा।

द्वितीय लोकसभा

बुधवार, 29 अप्रैल, 1959 *

भारतीय स्टेट बैंक (सहायक बैंक) विधेयक

चौधरी रणबीर सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, इस विधेयक को सेलेक्ट कमेटी के सुपुर्द करने का मैं समर्थन करता हूँ। इन बैंक्स को सब्सीडियरी बैंक्स बना दिया जाए या स्टेट बैंक का हिस्सा बना दिया जाए, यह सवाल जेरे गौर है। कई दोस्तों का ख्याल है कि उन्हें स्टेट बैंक का हिस्सा बना देना चाहिये। अभी श्री सुब्रह्मण्यम ने जिक्र किया, और मैं समझता हूँ कि उसमें भी खासा वजन है, कि जो बैंक्स मुख्तलिफ इलाकों में बने थे वे उन इलाकों के फायदे के लिये बने थे। इसलिये, उनको सेंट्रलाइज कर दिया जाए या कि डिसेंट्रलाइज्ड ही रखा जाए। सवाल यही नहीं है। मैं समझता हूँ कि अब आगे चलकर हमें यह भी सोचना होगा कि आया यह बैंक्स हैं उनको स्टेट का ऐपेक्स बैंक बनाना अच्छा है या सब्सीडियरी बैंक बनाना अच्छा है। इस देश के अन्दर हम जो नक्शा देखते हैं उसमें हमें वही झलक नजर आती है जो देश के सियासी जीवन के अन्दर की रियासतों को इकट्ठा करने का नक्शा था। मुझे सरदार पटेल जी का वह जमाना याद आता है जिस वक्त उन्होंने रियासतों को इकट्ठा करने का काम शुरू किया था। आज जो बैंक्स हैं उनको मैं देश के आर्थिक जीवन के लिये आर्थिक रियासत ही मानता हूँ। मुझे याद है कि जिस समय सरदार पटेल ने रियासतों को इकट्ठा करने का प्रोग्राम चलाया था उस वक्त बहुत से दोस्तों को एख्तलाफात थे। कभी उन्होंने दो चार छोटी मोटी रियासतों को इकट्ठा करके मत्स्य यूनियन बनाया। उसमें भी एख्तलाफ होते थे, कि जो रजवाड़े हैं उन्हें जो पर्स मनी दिया जाता है वह ज्यादा है या कम है। लेकिन, उन्होंने इस झगड़े की ज्यादा परवाह नहीं की, क्योंकि,

---

** संसदीय बहस (कार्यवाही लोकसभा 1957-62), 29 अप्रैल 1959, पृष्ठ 14,093-14,109*

वह समझते थे कि उनके सामने जो सबसे बड़ा ध्येय था वह देश को कंसोलिडेट करने का था। वे इस देश की राजनीतिक अवस्था को कंसोलिडेट करना चाहते थे। हमने पिछले दस-बारह साल के इतिहास में देखा कि दो-दो तीन-तीन छोटी-छोटी रियासतों को मिलाकर जो यूनियनें बनाई गई थीं, वे धीरे-धीरे खत्म होती गई। आखिर में हमारे सामने आज का जो राजनैतिक नक्शा है वह सामने आया। इसी तरह से मैं समझता हूँ कि हिन्दुस्तान के आर्थिक जीवन का जो नक्शा है वह आज बन रहा है। इम्पीरियल बैंक्स को जो स्टेट बैंक्स बनाया गया वह मैं समझता हूँ कि इस दिशा में पहला कदम था देश के आर्थिक जीवन को कंसोलिडेट करने का। आज यह दूसरा कदम उठाया जा रहा है। हो सकता है कि इसमें कुछ कमी हो, कई दोस्तों को इसमें कुछ एख्तलाफ हो सकता है, मुझे भी कुछ एख्तलाफ हो सकता है।

डा. बे. गोपाल रेड्डी : क्यों ?

चौधरी रणबीर सिंह : हम सोच सकते हैं कि इसमें कुछ तब्दीली हो और शायद वक्त के मुताबिक हमें तब्दीली करनी भी होगी। इस देश के अन्दर 91 आर्थिक रियासतें थीं जिनमें से एक पहले ही स्टेट बैंक की रियासत बन गई। अभी 90 आर्थिक रियासतें कायम हैं। इन 90 रियासतों में से 8 को हम स्टेट बैंक का सब्सीडियरी बैंक्स बनाने जा रहे हैं। मुझे वह दिन सामने दिखाई देता है, हो सकता है कि इसमें कुछ साल लग जाएं, जिस रोज यह 90 रियासतें एक के बाद दूसरी और दूसरी के बाद तीसरी, खत्म होंगी और देश का आर्थिक जीवन कंसोलिडेट होगा। जो भी उनके कामकाज के चलाने वाले हैं वे मजबूर होंगे, जिस तरह से हिन्दुस्तान के जो राजे महाराजे थे वे मजबूर हुए, इस बात पर कि वे हिन्दुस्तान के कांग्रेस के नेताओं के साथ सहमत हों क्योंकि, उनका भी भला इसी में है और देश का भी भला इसी में है। इसलिये, इसमें मुझे कोई शक नहीं मालूम देता कि श्री मोरारजी देसाई, श्री गोपाल रेड्डी और दूसरे साथी जो वित्त मंत्रालय में काम करते हैं, वे एक के बाद दूसरे बैंक के इन्तजाम करने वालों को किसी न किसी शक्ल में जो उनकी आर्थिक रियासतें हैं उनको समाप्त करने के लिये राजी कर लेंगे।

इसमें कम्पेन्सेशन का भी सिलसिला रखा गया है। जिन भाइयों से जमीन ली जाती है, इस देश के अन्दर जब भी देखते हैं, जिनसे नहर बनाने के लिए जमीन ली जाती है, स्कूल बनाने के लिये जमीन ली जाती है, अस्पताल बनाने के लिये जमीन ली जाती है, चाहे वह एक एकड़ का मालिक हो चाहे पांच एकड़ का मालिक हो, 30 एकड़ से ज्यादा या जो भी सीलिंग रियासतें मुकर्रर करेंगी उससे ज्यादा जो

जमीन ली जाएगी उनको हमें कम्पेन्सेशन देना होगा। उनको कम्पेन्सेशन देने का जो तरीका है, वह इस तरीके से कुछ मुख्तलिफ है। हम जानते हैं कि यह देश किसानों का देश है। अगर इस न्याय को देखा जाए। जो बैंक चलाने वाले हैं या उनके जो मालिक हैं उनके मुकाबले जमीन वालों को कम्पेन्सेशन देने की जो स्कीम है या आगे बनेगी वह कुछ मुख्तलिफ होगी। हो सकता है बैंक के चलाने वाले लोगों के लिये जो कम्पेन्सेशन की स्कीम है वह उनके लिये कुछ घाटे की हो। लेकिन, मैं यह मानता हूँ कि वह देश के फायदे के लिये है। इसी तरह से हो सकता है कि हम उनके साथ कुछ रियायत करें और रियायत करके उनके हक से ज्यादा दें तो भी मैं मानता हूँ कि यह देश के भले के लिये है। लेकिन, मेरी समझ में एक बात नहीं आती कि इतनी रियायत हम क्यों करते हैं। मुझे वह दिन याद है जबकि इम्पीरियल बैंक के नेशनलाइजेशन का बिल इस सदन में आया था। उपाध्यक्ष महोदय, आप भी इस सदन के सदस्य थे और मैं भी इस सदन का सदस्य था तो उस वक्त भी मैंने कहा था .....

उपाध्यक्ष महोदय : क्या अब नहीं हैं? अब भी तो उसी तरह हैं।

चौधरी रणबीर सिंह : आज भी दोनों मेम्बर हैं, आगे भी आ जाएं तो कोई ताज्जुब की बात नहीं है अगर पंजाब के लोगों की हम पर कृपा रही।

उस वक्त भी मैंने कहा था कि अजीब हालत है। एक। फेस वेल्यू होती है और एक को हम ब्लैक या मार्केट वेल्यू कह सकते हैं। जो बैंक हैं वह हमारे आर्थिक जीवन की रियासतें हैं, उनको खत्म करने का जो हमारा तरीका है वह एक अजीब ढंग का है। हम उनकी ब्लैक मार्केट कीमत देने के लिये तैयार हैं। भी वे कहते हैं कि हम इस चीज को आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं। शायद वह किसी और अच्छे या बुरे दिन के इन्तजार में बैठे हैं। लेकिन, इसके बावजूद मैं समझता था और उम्मीद करता था और जब स्टेट बैंक बनाया गया था। हमें यहां बतलाया भी गया था, कि हिन्दुस्तान के फायदे के लिये यह काम हो रहा है। उस वक्त जो ज्यादा मुआवजा देने की हमने मंजूरी दी वह इस भावना से दी थी कि स्टेट बैंक देश के जो 80 प्रतिशत किसान हैं देहाती लोग हैं उनके फायदे के लिए काम करेगा। लेकिन, अजीब हालत है कि स्टेट बैंक और रिजर्व बैंक हालांकि दोनों इसी देश के बैंक हैं और किसान भी इसी देश के रहने वाले हैं और उन 80 फीसदी किसानों की आवाज का इस देश के अन्दर काफी दखल होना चाहिये। लेकिन, इसके बावजूद उनकी बातों का और उनकी मांगों का कोई ख्याल नहीं है।

रूरल केडिट सर्वे कमेटी ने अन्दाजा लगाया था कि जिस समय 70 मिलियन

टन हिन्दुस्तान की खेती की कुल पैदावार थी चाहे वह अनाज की शक्ल में हो, कपास की शक्ल में हो, पटसन की शक्ल में अथवा गन्ने की शक्ल में हो। उस वक्त 750 करोड़ रुपये की जरूरत थी। आज जबकि हम सेकेंड फाइव इयर प्लान में इसको 45 मिलियन टन तक ले जाना चाहते हैं। उससे हम अन्दाजा लगा सकते हैं कि 750 करोड़ रुपये की बजाए मेरे ख्याल में 12 सौ या 15 सौ करोड़ रुपयों की जरूरत होगी। लेकिन, कितना रुपया वह स्टेट बैंक इस देश के बड़े-बड़े साहूकारों के लिये जिनके लिये कि इस राज्य की जरूरत है जिनके लिये कि राज्य की रक्षा की जरूरत है खर्च करता है। सूद पर देता है और जिनके लिये कि फौज और पुलिस रखी जाती है। इतना खर्चा किया जाता है उनको हमने मुआवजा दिया और ज्यादा मुआवजा दिया उनके मुकाबले में जिनको कि राज्य और सिपाहियों की ज्यादा जरूरत नहीं होती है, इनके मुकाबले में उनके साथ हमने अच्छा सलूक किया। यह सोच समझकर ही किया था और यह समझकर किया था कि यह किसान के भले में होगा। लेकिन, गवर्नमेंट की जो फ़ंक्शनिंग है उससे और स्टेट बैंक यह विश्वास नहीं दिला सका और किसानों के दिल में यह विश्वास पैदा नहीं कर सका कि यह स्टेट बैंक उनके मफ़ाद के लिये चल रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय इस देश के अन्दर 12 शूगर कोआपरेटिव फ़ैक्टरियों बन चुकी हैं। उनकी चीनी रहन रखकर जो रुपया उन्हें दिया जाता है और किसी सरमायेदार की चीनी रहन रखने के बाद बैंक जो उसको रुपया देता है और उस रुपये पर जो ब्याज लेता है उसमें और इसमें आज भी कोई फ़र्क नहीं है। आज हमारे देश ने और इस सदन ने यह फ़ैसला किया है कि वह इस देश के अन्दर सर्विस कोआपरेटिव्स को चालू करना चाहते हैं, तमाम देश के कोने-कोने में उसको बढ़ावा देना चाहते हैं। इसको बढ़ावा देने के लिये स्टेट बैंक और रिजर्व बैंक सबसे अधिक पार्ट अदा कर सकते हैं। लेकिन, इन पिछले 12 सालों में जो उसका रोल रहा है वह आशाजनक नहीं है। रिजर्व बैंक ने कोई 53, 54 करोड़ रुपया कोआपरेटिव सेक्टर में दिया। स्टेट बैंक का तो मुझे ठीक से याद नहीं। लेकिन, वह भी अन्दाजन 30 करोड़ के करीब होगा। इसलिये, यह रफ्तार वह रफ्तार नहीं है जिसकी कि देश उससे अपेक्षा रखता है। आज भी मुझे कोई ऐतराज न हो कि जिस ढंग से वह कम्पेंसेशन देना चाहते हैं उनको बेशक दे दिया जाए, बशर्ते कि हमें यह यक़ीन दिलाया जाए कि यह जो बैंक ले जाएंगे यह हिन्दुस्तान के किसानों के फायदे के लिये काम करेंगे और हिन्दुस्तान के किसानों के लिये उतना रुपया देंगे जितनी रुपये की उनको जरूरत है ताकि हिन्दुस्तान

के अन्दर यह जो लानत बाहर से अनाज मंगाने की है वह खत्म हो। आप जानते हैं कि सन् 1946 से सन् 1958 तक 1456 करोड़ रुपये का अनाज बाहर से आया है और उस अनाज के ऊपर कोई 261 करोड़ रुपये की हमने सबसिडी व बोनस दी है ताकि वह सस्ता बेचा जा सके। मैं जानना चाहता हूँ कि उसके मुकाबले में हमारे देश के किसान जो अनाज उत्पन्न करते हैं और जो 80, 81 प्रतिशत है और जिनका हक भी इन बैंकों के ऊपर है उनको हमारे वित्त मंत्रालय ने कितनी सबसिडी और बोनस की मंजूरी दी है? यहां तो सिर्फ रुपया चाहने की बात है। कर्ज़ पर रुपया चाहिये और सस्ते सूद की दर पर चाहिये, ताकि इस देश के अन्दर अधिक अन्न पैदा हो सके।

अब हमारे देश में और हमारी सरकार के अन्दर एक मंत्रालय है जो कामर्स एंड इंडस्ट्रीज का मंत्रालय है। उसके द्वारा जो भी इस देश में कोई बड़ा कारखाना बनाना चाहे और उसके लिये बहार से मशीन आदि मंगाने चाहे। उसके लिये इस मंत्रालय द्वारा उसको प्रोत्साहन दिया जाता है। उसके लिये मेरा कहना यह है कि अगर उतनी ही चीज उसकारखाने से पैदा कर दें जिसके लिये बाहर रुपया जाता है। उतना ही रुपया बाहर के लिये मिल जाता है। हमें किसान का रुपया बाहर नहीं भेजना है और बाहर से अनाज मंगाने के लिये हर वर्ष जो हम अन्दाजन 120 करोड़ रुपया विदेशों में भेजते हैं उसको बचाना है। हमको ताज्जुब होता है कि पांचसाला योजना के अन्दर सिर्फ़ 90 करोड़ रुपया माइनर इरिगेशन स्कीम्स के वास्ते वित्त मंत्रालय ने दिया। मैं नहीं समझता कि यह वित्त मंत्रालय क्यों इस ढंग से चलता है और किसानों के साथ में सौतेली मां जैसा सलूक क्यों करता है।

हमारी सरकार 120 करोड़ रुपये का बाहर से अनाज मंगाती है जो बचाया जा सकता है अगर वह रुपया हमें दे दिया जाए और हम यहां पर अनाज का उत्पादन बढ़ा लें। लेकिन, वे हमको पांच साल में 90 करोड़ रुपया देना चाहते हैं जो अपर्याप्त है। मेरी तो पक्की राय है कि 120 करोड़ रुपया यहां के किसानों को दे दिया जाए ताकि वे पैदावार काफ़ी बढ़ा सकें और यह देश अनाज के मामले में स्वावलम्बी हो जाए और यह 120 करोड़ रुपया जो हमारा हर साल विदेशों में अनाज मंगाने के लिये चला जाता है, जाना बन्द हो सके। वह रुपया इस देश की तरक्की करने के वास्ते बचाया जा सकता है, ताकि इस देश में बाहर से मशीनें मंगवाई जा सकें और यहां पर कारखाने लगाये जा सकें।

उपाध्यक्ष महोदय : अब माननीय सदस्य बिल के क्लाजेज़ की तरफ़ आ जाएं।

चौधरी रणबीर सिंह : वह मैंने अर्ज़ कर दिया कि मुझे कम्पेंन्सेशन के बारे में शिकायत तो है। लेकिन, उस शिकायत को मैं अपने दिल में दबा सकता हूँ बशर्ते कि वित्त मंत्री महोदय हमें यक़ीन दिला दें कि स्टेट बैंक आगे इस तरह से चलेगा जिससे कि हम यह मुआविजा देकर भी देश की उन्नति कर सकें।

मेरे जिले के अन्दर कोआपरेटिव सोसाइटीज़ का पेड अब कैप्टिल 99 लाख है और उसके मैक्सिमम क्रेडिट लिमिट सिर्फ 30 लाख ही मुकर्रर हुई है। अब आप ही अन्दाजा कीजिये कि दूसरे बैंक्स का जितना पेड अप कैपिटल होता है उससे कई गुणा वह स्टेट बैंक और रिज़र्व बैंक से क़र्जा ले सकते हैं। हमारी अजीब हालत है। दावा यह है कि हम कोआपरेशन को आगे ले जाना चाहते हैं। लेकिन, स्टेट बैंक की पालिसी यह है कि वह हमारे कोआपरेशन को पीछे फेंकना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ कि स्टेट बैक इस ढंग से चले जिससे कि इस देश की जो आर्थिक नीति है वह कामयाब हो सके। मुझे यह चीज रह-रह कर याद आती है कि स्टेट बैंक जिसने कि किसानों के साथ अच्छा सलूक करने का वादा किया था, वह आज भी अच्छा सलूक नहीं कर पाया है। हो सकता है कि उसकी कुछ मजबूरियां हों। मैं चाहता हूँ कि वित्त मंत्रालय का ध्यान इस ओर जाए और वित्त मंत्रालय स्टेट बैंक को मजबूर करे जिससे कि उसके जिम्मे जो काम है और जिसकी कि वजह से हम यह आर्थिक रियासतों को खत्म करना चाहते हैं उस पर सीधी तौर से जा सकें। मुझे इसमें और ज्यादा नहीं कहना है। आखिर में मुझे यह आशा है कि यह आठ बैंकों तक ही खत्म नहीं होगा, बल्कि जो बाकी 82 बैंक हैं उनको भी वित्त मंत्री समझा बुझाकर इसमें ला सकेंगे। जो भाई बैंकों के मालिक और डाइरेक्टर है वह देश की आवाज को सुनेंगे और उनसे जो कुर्बानी की मांग की जा रही है उसके मुताबिक वे कुर्बानी करने को तैयार होंगे, ताकि सारे बैंक देश के बैंक बन जाएं।

रह गया सबसिडियरी बैंक्स की हैसियत का सवाल। जैसा मैंने पहले अर्ज किया इन बैंक्स को ऐपेक्स बैंक बनाने का नक्शा हमारे सामने होना चाहिये। हमें इस चीज को नुक्ते निगाह से देखना चाहिये कि आज हम इसको यही तक रखते हैं। लेकिन, आगे हमें इन बैंक्स को ऐपेक्स बैंक बनाना है। यह प्राइवेट हिस्सेदारों को 45 फीसदी हिस्से रखना आज के लिये शायद जरूरी हो। लेकिन, आखिर में हमें इन हिस्सों को सोसाइटियों का ही हिस्सा बनान होगा। मुझे आशा है कि हमारे जो स्टेट बैंक और जो डाइरेक्टर बनेंगे वे इसी लाइन पर काम करेंगे।

द्वितीय लोकसभा

वीरवार, 30 अप्रैल, 1959 *

बंगाल वित्त (बिक्री कर)

चौधरी रणबीर सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, दिल्ली राज्य के बिक्री कर में संशोधन करने के लिये जो विधेयक लाया गया है, मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूँ। मैंने खासतौर पर श्री राधारमण जी और श्री वाजपेयी जी के भाषणों को अभी सुना। ऐसे भाषण पंजाब में कोई 20 साल पहले हम सुना करते थे, जिस वक्त वहां बिक्री कर लगा था। आप जानते हैं कि पंजाब कैसा है। वहां पर हर एक चीज़ के अन्दर आन्दोलन चलता है। उस वक्त बिक्री करके खिलाफ एक आन्दोलन चला था। उस वक्त इसी ढंग की तकरीरें हुआ करती थीं कि साहब, व्यापारी हिसाब नहीं रख सकेगा, व्यापारी यह नहीं जानता है, वह नहीं जानता है, यह मुश्किलात होंगे और उपभोक्ता को कष्ट मिलेगा। हमारा सवाल साफ है .....

एक माननीय सदस्य : इस तरह से कौन लोग बोलते थे ?

चौधरी रणबीर सिंह : जो भी टैक्स से बचना चाहते थे, जो चाहते थे कि अगर टैक्स लगे। हरिजनों पर या काश्तकारों पर ही लगे। जो कटलरीज में खाना खाते हैं उनके ऊपर यह टैक्स न लगे, वह बहुत गरीब आदमी हैं, उनको तो बचाना ही चाहिये। उस वक्त पंजाब में बड़े जोर से कोशिश की गई। लेकिन, यह पंजाब का ही सवाल नहीं रहा हमारे देश का सवाल बन गया। आज सारे देश के अन्दर राज्यों में सेल्स टैक्स से जो आमदनी होती है वह काफी बड़ी है। इसके अलावा राज्यों की आमदनी का जो दूसरा जरिया है वह लैंड रेवेन्यू है। सवाल साफ है, मैं कोई अप्रत्यक्ष

** संसदीय बहस (कार्यवाही लोकसभा 1957-62), 30 अप्रैल 1959, पृष्ठ 14,343-14,350*

करों के हक में नहीं। लेकिन, देखना यह है कि प्रत्यक्ष कर से हमें कितनी आमदनी हो सकती है, प्रत्यक्ष करों से हमारी आमदनी बढ़ सकती है या नहीं और कौन-2 से प्रत्यक्ष कर हैं। राज्यों के अन्दर लैंड रेवेन्यू का एक टैक्स है। आप जानते हैं कि यह जो टैक्स हैं उसे, चाहे एक किसान को साल में 500 रु. का घाटा हो या 100, 50 रु. का फायदा हो, सब को देना ही होगा। यह एक प्रत्यक्ष कर है। मैं ऐसे साथियों से जानना चाहता हूँ जो प्रत्यक्ष कर के पक्ष में है कि यह जो प्रत्यक्ष कर है वह क्या घाटे पर भी लगे, गरीब पर भी लगे, छोटे पर भी लगे, बड़े पर भी लगे? यह प्रत्यक्ष कर अच्छा हे या कि यह अप्रत्यक्ष कर जिसकी मुखालिफत की जाती है? देश के अन्दर आज से 60, 70 साल पहले हालत यह थी कि स्टेट्स और केन्द्र के बजट का जो हिस्सा लैंड रेवेन्यू से आता था, वह कोई 80 फीसदी हुआ करता था। उसके पश्चात् देश की हालत अच्छी हुई और वह हिस्सा घटते-घटते करीब 8 फीसदी रह गया। आज बड़े किसान की जमीन के ऊपर सीलिंग लग रही है, सीलिंग होने के बाद सभी किसान छोटे किसान हो जाएंगे। इसलिये, मैं इस राय का हूँ कि आज जिसको हमारे साथी बड़ा अच्छा कर मानते हैं, यानी प्रत्यक्ष कर, उसको बिलकुल हटा देना चाहिये। अगर वह रहेगा तो दिक्कत रहेगी। यह जो 70, 75 करोड़ रु. की आमदनी लैंड रेवेन्यू से देश में होती है उसका राज्यों से ताल्लुक न हो, उसको पंचायतें लें। राज्य सरकारें अपना काम चलाने के लिये इस प्रत्यक्ष कर के बजाए सेल टैक्स के रूप में अप्रत्यक्ष कर लें, जो ज्यादा अच्छा है।

यह ख्यालात का फर्क हो सकता है। हमारे साथी ने कहा कि साहब, इस कर के लगने से देश के अन्दर बेइमानी बढ़ेगी। उनके हिसाब से तो राज्यों में ईमानदारी एक ही तरीके से आ सकती है कि जितने भी कर हैं उन सबको उठा दिया जाए। कोई कर ही नहीं रहेगा तो बेईमानी का सवाल नहीं रहेगा!

श्री वाजपेयी : हरियाणा में तो कोई कर नहीं लगना चाहिये।

चौधरी रणबीर सिंह : लेकिन, क्या इस तरह से हमारा काम चलने वाला है? क्या इस देश को जहां पर वह आज खड़ा है वहीं खड़ा रहना है, या आगे जाना है? मैं जानता हूँ कि हमें आगे जाना है। इस सदन का भी और दूसरे सदनों का भी यह फैसला है कि इस देश को आगे बढ़ना है। जब हमें आगे बढ़ना है तो उसके लिये राष्ट्र को आमदनी चाहिये और इसको बढ़ाने के लिये हमें बिक्री कर लेना ही होगा।

इस सिलसिले में मैं एक निवेदन और करना चाहता हूँ खासतौर पर श्री राधारमण जी को जो इस वक्त गैरहाजिर हैं, बतलाना चाहता हूं कि आज तक दिल्ली के

साथ जो बहुत अच्छी रियायत होती रही है उसको हम बहुत ज्यादा दिनों तक कायम नहीं रख सकते।

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे याद है कि जब अनाज के ऊपर कंट्रोल था। दिल्ली जिसके कि अन्दर देश के हाकिम रहते थे, हां कुछ गरीब भी रहते थे, उनको 14 रुपये मन गेहूँ मिलता था और दिल्ली के बाहर के इलाकों में 16 रुपये मन गेहूँ मिलता था। वह एक आदत सी बन गई थी कि दिल्ली को रिआयत चाहिये। यही नहीं, हमारे फिर बसाओ मुहकमे के मंत्री महोदय बैठे हैं उन्होंने थोड़े दिन हुए हाउस को बतलाया था कि उनके मुहकमे ने दिल्ली में जो मकान बनाये उनका कोई 2 करोड़ रुपये का किराया बकाया है। अब दिल्ली के रहने वाले भाई दूसरे राज्यों के मुकाबले में जो अपने साथ रिआयती सलूक़ चाहते हैं। यह चीज कोई बहुत ज्यादा दिन तक नहीं चल सकती है। उन्हें दूसरे राज्यों के साथ में चलना होगा। यह आज से नहीं यह तो पंजाब के व्यापारियों का काफ़ी दिन का गिला था कि दिल्ली राज्य से जो थोड़ी-थोड़ी दूर में पंजाब के इलाके हैं वहां के व्यापारियों का व्यापार खत्म हो रहा है क्योंकि, दिल्ली के अन्दर बिक्री कर नहीं है। यही नहीं, मुझे मालूम हुआ कि इस बिक्री कर के यकसां न होने की वजह से कई भाई ट्रक दिल्ली में खरीदते थे और उस ट्रक को ले जाते थे कहीं सोलन तो अब वहां कोई दुकान नहीं और एक ट्रक खड़ा भी नहीं रह सकता। एक छोटी सी पान की दुकान है। उसके अन्दर वहां की म्युनिसिपल्टी का एक पर्चा टैक्स का कटाया और उससे टैक्स की माफ़ी करा लेते थे। मैं कह रहा था कि यह बिक्री कर यकसां न होने की वजह से कई ढंग से चोरी होती थी। मेरे साथी श्री वाजपेयी जो कर की चोरी के खिलाफ़ मालूम देते हैं उनसे मैं यह कहना चाहूँगा कि वे कर की चोरी को बचायेगा यह कर की चोरी को बढ़ाने के लिए नहीं है।

कई भाइयों को गिला है कि चीफ़ कमिश्नर को अधिकार क्यों दिया जाए। मैं नहीं समझता कि वह इस पर क्यों आपत्ति कर रहे हैं। हमारे उपमंत्री महोदय ने यक़ीन दिलाया है कि टैक्स एक ही जगह लगेगा। वह मल्टी प्वांएट के ऊपर नहीं होगा। कहां लगे इसका अधिकार चीफ़ कमिश्नर को दिया जा रहा है। ऐसी हालत में मैं नहीं समझता कि इसमें किसी व्यापारी को क्या नुकसान है . . . ..

श्री ब.रा. भगत : फायदा है।

चौधरी रणबीर सिंह : ऐसा। है नहीं कि इससे हमारे साथी श्री राधारमण को कोई नुक़सान होने वाला है। हां यह बात जरूर है कि कुछ दिल्ली वाले भाई आकर यह कहेंगे कि यह शुरू वाले पर लगाया जाए और कुछ कहेंगे कि बीच वाले पर

लगाया जाए। उनको सोचना होगा कि कौन सी बात सही है और उनको सोचकर चीफ़ कमिश्नर तक या जो उनकी एक कमेटी है उसके सामने अपने ख्याल रखने होंगे। जब यह एक ही प्वायंट पर लगना है तो देखना होगा कि वह कौन से प्वाएंट पर लगे जिससे कि व्यापारी को कम तकलीफ हो। इसमें किसी को क्या घाटा हो सकता है। जो अधिकार चीफ़ कमिश्नर को दिया जा रहा है वह इसलिए, दिया जा रहा है कि वह देखें कि कर की चोरी भी न हो और व्यापारी को भी तकलीफ न हो। यह कोई मंशा नहीं है कि व्यापारी को तकलीफ दी जाए या व्यापार को नुकसान पहुंचाया जाए। दरअसल चीज़ यह है कि यहां बहुत सारे भाई ऐसे हैं जो सदन से बाहर तो लोगों को जाकर बहकाते हैं कि यह राज्य। व्यापारियों का है और यहां आकर कुछ ऐसी बात कहते हैं कि यह जितने कानून बनते हैं वह व्यापारियों को तकलीफ़ देने के लिए बनाये जा रहे हैं। अजीब हालत है। यही नहीं कहा गया कि यह किताब रखने का अधिकार बहुत गलत है। यह नहीं होना चाहिये। कौन नहीं जानता कि व्यापारी लोग दो-दो खाते रखते हैं, एक असली खाता और दूसरा टैक्स का खाता जो अफ़सर को दिखाने के लिए होता है। वह ग़ायब हो जाएगा अफ़सर के दफ्तर से और पता नहीं चलता कि कहां से गया। इसलिए, जब तक अपील का फैसला न हो इसमें किसी को क्या ऐतराज हो सकता है और क्या इसके अन्दर नुक़सान हो सकता है कि उसकी किताब सरकारी दफ्तर में रहे। सरकारी दफ्तर उसकी दूकान के मुक़ाबले में एक सुरक्षित जगह है जहां पर चोरी व खराब होने का इमक़ान कम है।

जहां तक 2 पैसे से 3 नये पैसे के बढ़ाने का ताल्लुक है, पंजाब के रूल के मुताबिक़ लाने का ताल्लुक़ है, मैं समझता हूँ कि यह एक सही फ़ैसला है। अभी तक जो दिल्ली के साथ एक बहुत ज्यादा रिआयत का व्यवहार किया जा रहा था उस व्यवहार को अधिक दिन तक जारी नहीं रखा जा सकता भले ही वह बच्चा भी हो। दिल्ली तो हमारा मालिक है। दिल्ली में हमारे ऊपर हुकूमत करने वाले रहते हैं। इस नाते दिल्ली एक बहुत बड़ा शहर है और हिन्दुस्तान के नुक्तेनिगाह से बच्चा नहीं है। लेकिन, अगर बच्चा भी मान लिया जाए। उसकी भी तो एक हद है कि कब तक वह दूसरों के पैरों पर खड़ा रह सकता है। दिल्ली को सारे आसपास के इलाके के मुक़ाबले में अपने पैर पर खड़े होने में क्यों ऐतराज है ? मैं समझता हूँ कि किसी भी नुक्तेनिगाह से देखा जाए, अगर हिन्दुस्तान की हमारी आमदनी का हिसाब लगाया जाए, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर का हिसाब देखा जाए तो उसमें भी आज जो इनकम टैक्स से आमदनी होती है और इस साल जो 1959-60 के अन्दर अन्दाजा लगाया गया है वह 166

करोड़ रुपये होगा और कारपोरेशन टैक्स जाकर 58 करोड़ होगा। इसके मुकाबले में यूनियन एक्साइज ड्यूटी 325 करोड़ रुपये होगी और कस्टम 132 करोड़ होगा। चाहे वह किसी को पसन्द हो या न हो। लेकिन, देश के जैसे हालात हैं वह इस बात की तरफ मजबूर कर रहे हैं कि प्रत्यक्ष करों के बजाए अप्रत्यक्ष करों के ऊपर देश ज्यादा निर्भर होता जा रहा है। अब यह अप्रत्यक्ष कर उन भाइयों से ही तो लिया जाएगा जो ज्यादा चीज इस्तेमाल करेंगे। यह सही भी है। बिक्री कर तो उसका नाम है। लेकिन, दरअसल में जो भाई खरीदते हैं उनसे वह लिया जाता है और ज़ाहिर है कि जिसके पास ज्यादा आमदनी होगी वही यह सब कटलरी वगैरह चीजें खरीदेगा तो देश में बहुत काफी तादाद ऐसे लोगों की है जो कटलरी खरीदने की स्थिति में नहीं है। उनकी कटलरी तो उनके हाथ ही हैं। इसलिए, यह टैक्स उन लोगों पर कैसे लगेगा? यह तो ठीक है कि उपभोक्ताओं पर यह टैक्स लगेगा। लेकिन, जिसकी जितनी ज्यादा शक्ति होगी उसके ऊपर उतना ही ज्यादा टैक्स लगेगा। प्रत्यक्ष कर की जो मंशा है उसको भी यह दूसरे ढंग से पूरा करेगा, क्योंकि, जिसकी जितनी ज्यादा खरीदने की शक्ति होगी उसके ऊपर इतना ही ज्यादा टैक्स लगेगा। उसके ऊपर ज्यादा टैक्स लगाना भी चाहिये। मैं आखिर में फिर इसका समर्थन करता हूँ।

द्वितीय लोकसभा

शुक्रवार, 1 मई, 1959 *

समान वेतन बिल

चौधरी रणबीर सिंह (रोहतक) : सभापति महोदय, यह विधेयक एक बहुत सादा सा विधेयक है और इसको सर्कुलेशन में भेजने से कोई फायदा होगा या नहीं, इसमें मुझे कुछ थोड़ी सी झिझक मालूम होती है। कौन ऐसा आदमी है जो इसके अन्दर जो ध्येय रक्खा गया है उसके विरुद्ध हो ? लेकिन, उसके साथ ही साथ एक दूसरी बात भी सही है कि हमारा देश एक बहुत बड़ा देश है और सरकार की बातें। जाने दीजिए, सरकार कोई भेदभाव भी नहीं रखती है, कारखानेदार या जो दूसरे एम्प्लायर हैं, उनको भी जाने दीजिये, आज जो हमारे घरों के अन्दर का नक्शा है उसको देखिये। बहुत सारी मातायें हैं उनकी देश में कैसी हालत है उसको देखिये। किसी के घर में जब बच्चा पैदा होता है, अगर वह लड़का होता है तो किस किस्म की खुशियां हमारी बहनें और मातायें मनाती हैं, और अगर लड़की पैदा हो जाए तो बजाए खुशी के अफसोस मनाती हैं। इसमें कोई एम्प्लायर नहीं आता, एम्प्लायी नहीं आता, उसी के घर की बात है। मैं समझता हूँ कि इसमें उसके पिता के लिये तो कोई अफसोस की बात नहीं होती कि उसके घर में लड़की हो गई या लड़का हो गया। लड़की की माता ज्यादा अफसोस करती है। मैं इस बात को मानता हूँ कि हमारी कुछ बहनें बहुत अच्छा काम कर रही हैं। लेकिन, इस वक्त एम्पलायर और एम्प्लायी के झगड़े में ज्यादा जाने की आवश्यकता नहीं है। हमें अपने समाज को सुधारना है। यही नहीं, जब बच्चे की परवरिश का समय होता है तब देखिये कि बच्चे की माता लड़के को कितना मक्खन देती है, कितना दूध देती है या दूसरी चीजें देती है और लड़की

** संसदीय बहस (कार्यवाही लोकसभा 1957-62), 1 मई, पृष्ठ 14,608-14,613*

को कितना देती है। वह इसमें बच्चे के बाप की राय नहीं पूछती। माता जी है वह अपनी लड़की के खिलाफ खुद काम करती है, इसमें पिता का या इस देश के आदमियों का कोई कसूर नहीं है।

श्रीमती उमा नेहरू : सभापति महोदय, मुझे इसमें सख्त आब्जेक्शन है, जब हमारे भाई कहते हैं कि माता जो है वह लड़की को दूध और मक्खन वगैरह नहीं देती है, लड़के को ही खिलाती है। दुनिया में कोई ऐसी माता नहीं है जो सिर्फ अपने बच्चे को ही खिलाती हो। वह पराये बच्चों को भी खिलाती है।

एक माननीय सदस्य : लड़कों को ज्यादा देती है।

चौधरी रणबीर सिंह : सभापति महोदय, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। जैसा मैंने शुरू में कहा, मैं तो यह चाहता हूँ कि बहनें और मातायें लड़कियों को ज्यादा मक्खन, दूध और घी दें, ताकि हमारी बहनें मजबूत हों, क्योंकि, तभी हमारे भाई भी मजबूत हो सकेंगे। लेकिन, एक बात सही है।

श्री वें.प. नायर : सही नहीं है।

चौधरी रणबीर सिंह : अगर कोई भाई इसको गलत कहता है। उसने अपने हलके के जो आदमी हैं उनकों अच्छी तरह से देखा नहीं है। अब उसके लिए जो चाहें कह सकते हैं। मुझे उसमें कोई ऐतराज नहीं है। मैं खुद चाहता हूँ कि देश के अन्दर ऐसे हालात पैदा हों जिसमें हमारी बहिनों के साथ भी उसी तरह का सलूक हो जैसा कि भाइयों के साथ होता है। खैर, इस बात को जाने दीजिये। यह तो मैंने आपको देश की मौजूदा हालत बतलाई। इसको कहने से मेरी मंशा यह है कि अभी हमें हर एक घर में सुधार करना है और हर एक अपनी माता और बहिन में सुधार लाना है। मेरे ख्याल में जो आदमी हैं या उनके पिता हैं उनमें तो सुधार हो भी गया है। लेकिन, माताओं के बीच में इस सिलसिले में सुधार करना है। माताओं को इस सिलसिले में ज्यादा सुधार करना है। मैं यह जानता हूँ कि बहनों और माताओं को जो बात मैंने कही हैं उसमें शायद ऐतराज हो क्योंकि, सच्ची बात किसी भी आदमी के खिलाफ़ कही जाए तो वह उसको बुरी ही लगती है।

मैं मानता हूँ और जैसे कि श्री श्रीनारायण दस ने कहा कि कुछ हालात ऐसे ही सकते हैं। देश के अन्दर जैसी आर्थिक हालत है उसमें हम हर एक व्यक्ति को काम नहीं दे सकते। इसमें सरकारी कर्मचारी भी आ गये, कारखानेदार भी आ गये और दूसरे पेशों में काम करने वाल भी आ गये।

जहां तक देहातों में स्त्री और पुरुषों द्वारा मजदूरी पर काम करने का ताल्लुक है उसमें स्त्री और पुरुष के बीच में कोई भेदभाव होते नहीं देखा। देहातों में मैंनें तो ऐसा नहीं देखा कि एक पुरुष मजदूर को खेत पर काम करने के लिए ज्यादा मजदूरी मिलती हो और खेत में काम करने वाली स्त्री को उसके मुकाबले कम मजदूरी मिलती है।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : आप क्या बात कहते हैं? स्त्री और पुरुष की मजदूरी में हर जगह फ़र्क है।

चौधरी रणबीर सिंह : कम से कम देहातों में तो ऐसा नहीं है। अब मुश्किल यह है कि मैं अपनी बहिन रेणु जी को इसका कैसे यक़ीन दिलाऊं। हमारी बहिन ने शायद कभी देहातों में कटाई कैसे होती है, इसको नहीं देखा होगा वरना वह यह न कहतीं। अब वहां पर तो कटाई जो भी करे पुरुष या स्त्री, जितनी कटाई की जाएगी उसके हिसाब से पुरुष या स्त्री को मजदूरी दी जाती है। मजदूरी देने में स्त्री पुरुष का कोई फ़र्क नहीं किया जाता है। कटाई के हिसाब से उनको पैसे मिलते हैं। हमारी बहिन को पता न हो तो मैं उनको बतला दूं कि देहातों में जो कोई जितने पूले काटता है उसका दसवां हिस्सा उसको मिलता है। अब अगर किसी पुरुष ने 90 पूले काटे हैं। उसको दसवां हिस्सा मिल जाएगा अर्थात् 9 मिल जाएगा और अगर किसी स्त्री ने 100 पूले काटे हैं। उसको उसका दसवां हिस्सा अर्थात् 10 मिल जाएगा। मैं जानता हूँ कि हमारी बहुत सी बहिनें मर्दों की अपेक्षा ज्यादा कटाई करती हैं और वह पुरुष मज़दूरों की अपेक्षा ज्यादा मज़दूरी भी पाती हैं।

जहां तक इस बिल को पब्लिक ओपीनियन एलिसिट करने के लिए सर्कुलेट करने का सवाल है मैं समझता हूँ कि उसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि, जहां तक इस बिल के सिद्धान्तों का सम्बन्ध है मैं समझता कि इस सदन के किसी सदस्य को उस पर ऐतराज नहीं होगा। उन उसूलों को हम सब मानते हैं और इसलिए, मैं तो इसे सर्कुलेट करने की कोई आवश्यकता नहीं महसूस करता। इसको सर्कुलेट करने में सरकार का और इस देश का पैसा लगेगा, चिट्ठियों और डाक आदि द्वारा और खर्च होगा। मैं मानता हूँ कि सरकार की आमदनी बढ़ेगी और अगर इसको सर्कुलेट करने मे मेरी बहिन का यह मंशा है कि इससे सरकार को ज्यादा से ज्यादा आमदनी हो। मुझे उसमें कोई ऐतराज नहीं, क्योंकि, मैं तो हमेशा से यह चाहता हूँ कि हमारी सरकार की आय बढ़े और अगर हमारी बहिन का भी इसमें यही इरादा है कि सरकार की आय बढ़े। इसे बड़े शौक से सर्कुलेशन के लिए भेज दिया जाए, मुझे

उसमें कोई ऐतराज नहीं होगा। लेकिन, यह मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि आज के हालत में इस बिल को सर्कुलेशन में भेजने से कोई खास फ़ायदा होता नजर नहीं आता क्योंकि, मैं नहीं समझता कि सदन का एक भी माननीय सदस्य ऐसा होगा जो यह कहेगा और यह मानेगा कि स्त्री और पुरुषों में वेतन के सम्बन्ध में कोई भेदभाव बर्ता जाना चाहिये। सभी लोग स्त्री और पुरुष में समानता लाने के पक्षपाती हैं।

जहां तक इस बिल के उद्देश्यों का सम्बन्ध है मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ। अगर यह विधेयक सरकार द्वारा मंजूर कर लिया जाए। मुझे उसमें कोई ऐतराज नहीं है। कुछ थोड़े सोच विचार की बात हो। इसे सेलेक्ट कमेटी के सुपुर्द कर दिया जाए। लेकिन, उसको सर्कुलेशन में बाहर भेजने की क्या आवश्यकता है? अब जैसे मैंने पहले बताया वह तो घर-घर की हालत है। इस देश के अन्दर करीब 36 करोड़ की आबादी है और 7 करोड़ के क़रीब घर हैं और उन घरों का नक़शा मैंने आपके सामने खींच दिया। इस देश के अन्दर मुश्किल से कोई 50 लाख घर ऐसे होंगे जहां बहिनों और भाइयों के बीच में उनकी माताएं कोई भेदभाव न रखती हों वरना साढ़े 6 करोड़ घरों में बहिन और भाइयों के बीच में उनकी माताओं द्वारा ही भेदभाव बर्ता जाता है भले ही इसको कोई मानना चाहे या न मानना चाहे। अलबत्ता, अगर किसी दूसरे की गाली देने में आनन्द आता हो तो वह तो दूसरी बात है।

मैं और अधिक न कह कर केवल यही निवेदन करूंगा कि इसको या तो सेलेक्ट कमेटी के सुपुर्द कर दिया जाए। लेकिन, अगर इसको ऐसे ही मंजूर करना है। अभी इसको मंजूर कर लिया जाए। पर इसको सर्कुलेशन में भेजने से कोई खास फ़ायदा नहीं है।

द्वितीय लोकसभा

सोमवार, 4 मई, 1959 *

विस्थापित व्यक्ति (मुआवजा और पुनर्वास) संशोधन विधेयक

चौधरी रणबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय . . . . . .

श्री नवल प्रभाकर (बाह्य दिल्ली-रक्षित-अनुसूचित जातियां) : चूंकि यह दिल्ली की खास प्राबलम है इसलिए, दिल्ली वालों को भी चांस दिया जाए।

श्री मेहर चन्द खन्ना : यह तो सारे हिन्दुस्तान का मामला है।

चौधरी रणबीर सिंह : दिल्ली से तो पैसा लेना है।

अध्यक्ष महोदय, इस देश के अन्दर जो भाई उजड़ कर आये वे दो तरह के हैं। एक भाई तो वे थे जिनकी ज़मीनें थीं। जिनके पास कागज़ात थे, सबूत थे कि उनके पास ज़मीनें हैं, वे भी उजड़कर आये और उनके साथ जो वहां काम करते थे जिन्हें खेत मज़दूर कह सकते हैं वह भी उज़ड़ कर आये। उसी के साथ-साथ कुछ भाई जो वहां शहरों में रहते थे वे भी उजड़ कर आये। देश के ऊपर एक बहुत बड़ी आपत्ति आई और उस आपत्ति का मुकाबला इस देश ने ऐसे अच्छे ढ़ंग से किया जितना दुनिया के किसी देश ने आज तक इतनी बड़ी आपत्ति का मुकाबला नहीं किया है। यही नहीं, अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि इस देश के अन्दर रहने वाले 7, 8 करोड़ इंसान ऐसे हैं जो उजड़ कर आये उनसे कहीं बुरी हालत में हैं। उनका न कोई जरिया है व जमीन है और हमारी समाज ने आज नहीं सालों साल उनसे कोई न्याय नहीं किया।

** संसदीय बहस (कार्यवाही लोकसभा 1957-62), 4 मई 1959, पृष्ठ 14,740-14,746*

पंचसाला योजना के अन्दर जो पक्के उजड़े हुए रेफ्यूजीज़ थे यानी शड्यूल्ड कास्ट्स के लोग उनको पैरों पर खड़ा करने के लिये सिर्फ 90 करोड़ रुपया रखा जबकि यहां सैकड़ों करोड़ों रुपया जो भाई उजड़ कर आये उनके लिए खर्च हो चुका है। मुझे उनसे हमदर्दी है। उनमें से बहुत सारे भाई मेरे सूबे के रहने वाले हैं। यह बात सही है कि मैं रहने वाला तो ईस्ट पंजाब का हूँ। लेकिन, उसके साथ ही यह भी सही है कि कुछ हमारे रिश्तेदार भी उधर से उजड़कर आये हैं। मेरी बदकिस्मती यह है कि वह सब देहात से उजड़ कर आए। कुछ अजीब हालत है इस क़ानून की। दूसरे कानून की भी तो यहां बैठे मेरे साथी श्री अजित सिंह सरहदी, जो विधान की किताब को उठाये फिरते हैं और दावा करते हैं कि चार दिन के भीतर वे इस कानून को संविधान विरुद्ध करार देकर अवैध घोषित करवा देंगे। मुझे मालूम नहीं कि आया उनके उन मतदाताओं का भी ख्याल है या नहीं, जिनकी वजह से, जिनके मतों के कारण वे आज इस सदन के अन्दर बैठे हैं। अब आखिर यह लैंड रिवेन्यु का रुपया किसका रुपया है? वह भी तो सरकार का ही है। यह 5 रुपया लैंड रेवन्यु का जो मैं मानता हूँ कि सरकार को लेने का अधिकार नहीं है क्योंकि, सरकार आज मालिक नहीं और हम मुज़ारे नहीं। सरकार अपनी ही है जो काश्तकार हैं उनकी है और जो कोई दूसरा पेशा करते हैं उनकी है। 5 रुपये वसूल करने के लिए कोई चीफ़ सैटिलमेंट कमिश्नर की जरूरत नहीं। अब नायब तहसीलदार उसको कर दें और उसको फांसी पर भी लटका दें। श्री दी.चं. शर्मा को कोई एतराज नहीं है। लेकिन, चीज़ सैटिलमेंट अफ़सर अगर डिग्री ले आये कुर्की करा ले या जेलखाने में डाल दें। अब फांसी दरअसल फांसी देना नहीं वह तो जैसा वह कहते थे, मैं उनकी जबान बोलता हूँ. . . . . .

श्री दी.चं. शर्मा : वह ज़बान अंग्रेजी की है। लेकिन, आपकी ज़बान कुछ और है।

चौधरी रणबीर सिंह : मैं उनकी शान में कुछ नहीं कह सकता। वे तो मेरे प्रोफेसर रहे हैं। अगर मेरी अंग्रेजी में कुछ नुक्स है। गुरु को मानना चाहिये कि वह उसकी गलती है। खैर, वह मेरे गुरु रहे हैं और गुरु के बराबर होने का शिष्य को दावा नहीं करना चाहिये। मैं कोई नालायक शिष्य तो हूँ नहीं जो गुरु के बराबर होने का दावा करूं। बहरहाल मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि सरकार उस आदमी को जो आपका मतदाता है गुरुदासपुर का जो उजड़ा हुआ रेफ्यूजी है और देहात के अन्दर बसा हुआ है और जिसके पास सरकार की कोई जमीन थी अब भी सरकार की है, उसकी तरफ कोई रुपया बकाया हो जाए। उसको जेल में दे दिया जाए तो उस पर

आपने कभी आवाज नहीं उठाई.....

श्री दी.चं. शर्मा : आवाज उठाई है।

चौधरी रणबीर सिंह : अभी तक आपको आवाज उठाते हमने सुना नहीं। अगर आगे से उठाने लग जाएं। दूसरी बात है।

अब जो दिल्ली शहर में बसे हैं और दिल्ली में रहते हैं उन्हें मालूम है कि दिल्ली के अन्दर मकान नहीं मिल सकते। दस साल पहले तक एक मकान, दुकान, के लेने के वास्ते 10, 15 हज़ार रुपये तक पगड़ी देनी पड़ती थी तब कहीं जाकर मकान अथवा दुकान दिल्ली में लोगों को मिल पाती थी। यह पगड़ी की प्रथा बड़ी बुरी प्रथा थी। इस बुराई का देश में से शीघ्रातिशीघ्र अन्त होना चाहिये। लेकिन, इन रेफ्यूजीज भाइयों को यहां पर सरकार ने बगैर पगड़ी लिये हुए मकान एलाट किये। अगर मकान देने में किसी सरकारी अफ़सर ने पगड़ी ली हो। मैं चाहूँगा कि रिहैब्लिटेशन मिनिस्ट्री अभी भी ऐसे दोषी अफ़सरों के खिलाफ जो भी उचित कार्यवाही कर सकती हो, करें। कहने का मतलब है कि इस हमदर्दाना पालिसी ही कारण है कि आज बहुत सारे भाई यहां दिल्ली में आबाद हैं, सरकारी मकानों में रह रहे हैं। उन ज़मीनों को जिनको कि रिहैब्लिटेशन मिनिस्ट्री ने मामूली कीमत पर उनको नीलाम किया आज चौगुनी कीमत पर वही ज़मीनें बिकती हैं और बिक सकती हैं और हर मकान चौगुनी कीमत पर बिकता है। जहां नहर का पानी गया, ज़मीन हमारी और उसका सूद देने वाले हम हमारे ऊपर बेटरमेंट लैवी ज़रूरी होनी चाहिये। लेकिन, जिसकी ज़मीन चौगुनी कीमत पर बिक सकती है, मकान चौगुनी कीमत पर बिक सकता है और जिसमें हमारा भी हिस्सा है। बिजली पहुंचाई, पानी का नलका पहुंचाया और सड़कं बनवायीं और उनके ऊपर कोई वैटरमेंट लेवी नहीं है। इतने पर यह कहा जाए कि वह मकान का किराया, जो उस पर बकाया रहता है वह भी माफ हो जाना चाहिये। अगर वाकई कोई डिजरविंग केस हो कोई बहुत गरीब आदमी हो जो बिलकुल किराया चुकाने में अमसमर्थ हो तो मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं। मैं चाहूँगा कि मंत्री महोदय या चीफ़ सैटिलमेंट कमिश्नर को यह अधिकार हो कि ऐसे डिज़रविंग केसेज़ और हार्ड केसेज़ में वह किराये की माफ़ी दे दें। लेकिन, मैं कोई वजह नहीं देखता कि बाकी लोगों से जो किराया दे सकते हैं, उनसे सरकार क्यों न किराया वसूल करे। जो उसको नहीं अदा करते हैं, उनको जेलखाने क्यों न भेजे या उन पर कुर्की या डिग्री क्यों न लाई जाए। मैं तो यहां तक कहूँगा कि जैसे श्री अजित सिंह सरहदी ने कहा कि यह कानून भारतीय संविधान के विरुद्ध जाता है और यह गैरकानूनी ठहरा दिया जाएगा। यदि

ऐसा कहीं हो जाए तो उसके लिए मैं मंत्री महोदय को चाहूँगा कि वह संविधान में आवश्यक तबदीली लाने के लिए कोशिश करें और लॉ मिनिस्ट्री को एप्रोच करें। यह बतलायें कि देश के विधान में तबदीली करने की जरूरत है। संविधान में हमने यह पास किया है कि सब समान होंगे। एक आदमी और दूसरे आदमी में कोई फर्क नहीं होगा। तब, अगर फर्क होता है। वह संविधान के विरुद्ध है। क्या एक आदमी जो देहात में रहता है और देहाती है और वह कर्जदार है। उसके साथ एक सलूक होगा और शहर के कर्जदार के साथ कोई और सलूक होगा? अब चीफ़ सैटिलमेंट कमिश्नर साहब कौन हैं? शहर के मकानों का आखिरी फ़ैसला करने वाले अफ़सर का नाम चीफ़ सैटिलमेंट कमिश्नर है। अगर श्री दी.चं. शर्मा को याद न हो। मैं उनको याद दिलाना चाहूँगा कि वह नायब तहसीलदार नहीं हैं, बल्कि वह भारत सरकार के ज्वाएंट सेक्रेट्री हैं। उनको देश के मकानात के जितने भी झगड़े हैं उनके बारे में आखिरी फैसला और हुक्म देने का अधिकार हासिल है। यदि उनको इसका गिला है कि उस अफ़सर को इतने अखत्यारात दे दिये गये हैं। मैं नहीं समझता कि उनकी गिला की हद कहां जाएगी और वह कैसे दूर होगी। वह मेरे ख्याल में इसी तरीके से पूरी हो सकती है कि यह जो 8 करोड़ रुपये हैं उनको यक्कलम माफ कर दें और हिन्दुस्तान के वह भाई जो दबे हुए हैं और जिनकी तरक्की के लिए पैसा चाहिये उनके गले को घोंटें और उनको आगे न बढ़ने दें।

अध्यक्ष महोदय, जो भाई उधर से उजड़कर आये हैं, उनके साथ मुझे पूरी हमदर्दी है। लेकिन, मैं जानता हूँ कि कुछ भाई यहां दिल्ली के अन्दर रहते हैं। यह सदन दिल्ली में साल में 8 महीने के करीब बैठता है। उनसे ताल्लुकात हो जाया करते हैं, वे मिलते जुलते भी हैं। दोस्तों के ताल्लुकात हो सकते हैं दोस्ती हो सकती है और इस तरह उनके लिए हमदर्दी भी हो सकती है। लेकिन, हमदर्दी की भी आखिर एक हद होनी चाहिये। इस सदन में जिन लोगों ने उनको व यहां पर चुनकर भेजा है उनको बिलकुल भूल नहीं जाना चाहिये। इसलिए, मैं समझता हूँ कि इस बिल में ऐसी कोई आपत्तिजनक बात मुझे तो कम से कम नज़र नहीं आती जैसी कि इसमें दिखाने की कोशिश की गई है। मैं चाहता हूँ कि इस सदन के सदस्य हिन्दुस्तान के गरीबों के मफाद को आगे लायें और हिन्दुस्तान की तरक्की का ख्याल रखें। मेरी समझ में इस मंत्रालय ने जो भाई उजड़कर यहां आये उनको बसाने और रोज़गार दिलाने के सम्बन्ध में बहुत ही उत्तम प्रबन्ध किया है। उनके साथ यहां तक किया कि जिन मकानों में हरिजन या दूसरे गरीब लोग रहते थे उन देहात के मकानों को इन रेफ्यूजीज

हरिजनों को 20 रुपये में हवाले कर दिया। मैं तो इस बात के लिए भी उनका बहुत मशकूर हूँ। हमारा देश तो समाजवादी देश है। हमारे कम्युनिस्ट भाई उनको जिन्होंने किराया नहीं दिया है मिलते हैं वकील। लेकिन, उनके लिए उन्होंने वकालत नहीं की कि उन गरीबों का भी इस देश के अन्दर हिस्सा है, उनको भी मुफ्त मिलना चाहिए। मुझे तो खुशी है कि खन्ना साहब ने उन पर मेहरबानी की और उनको बीस रुपये में मकान दे दिया। इसके अलावा जो हरिजन भाई और दूसरे गरीब लोगों को जमीन दी गयी, उसके लिए उनसे कहा गया कि हम इसकी 16 आना कीमत जो हमारी किताबों में दर्ज है वह ले लेंगे। हम तो उस पर भी मशकूर हैं। हमारे देश के जो गरीब आदमी हैं, वह फिर भी इस मंत्रालय के मशकूर हैं। लेकिन, मुझे यह अजीब बात मालूम होती है कि जिनके साथ 12 साल तक रियायत की गयी हो, जिसको हिन्दुस्तान के कैपीटल में रहने का मौका दिया गया हो, यहां पर जितने फायदे हैं वह हम और आप सभी जानते हैं, जिनको उन सब फायदों को उठाने का मौका दिया गया हो, जिनसे पगड़ी का रुपया न लिया गया हो, जिनको बिजली और सड़क और तमाम दूसरी सहूलियात दी गयी हों, उनकी वकालत की जाती है। यह बात मेरी समझ में नहीं आती।

द्वितीय लोकसभा

वीरवार, 7 मई, 1959 *

जनगणना (संशोधन) विधेयक

चौधरी रणबीर सिंह (रोहतक) : सभापति जी, यह विधेयक बिलकुल सीधा सा विधेयक था और इसकी मंशा था कि जम्मू-काश्मीर में भी हिन्दुस्तान के बाकी हिस्सों के साथ-साथ गिनती की जा सके। इसके ऊपर बहस करते हुए कई किस्म की बातें कहीं गईं। यह जाहिर किया गया कि इधर जो साथी बैठे हैं, शायद वे काश्मीर के कायदे और कानून को बाकी हिन्दुस्तान की तरह बनाने में रोड़ा हैं। बात दरअसल यह है कि आप जानते हैं कि जब 1947 में देश आजाद हुआ, तो हमारे यहां छ : सौ रजवाड़े थे और ग्यारह सूबे थे - इधर यू.पी. था और उधर एक-एक मील की रियासतें थीं। उन छोटी-बड़ी रियासतों को इकट्ठा करते-करते हम वहां तक पहूँचे हैं, जो आज का हिन्दुस्तान है। यहां तक पहुंचते-पहुंचते, आप जानते हैं, बम्बई में क्या हुआ। एक जिले को दूसरे जिले से मिलाते वक्त हमारे साथी सरकार का कितना साथ देते हैं और अगर इस देश को मजबूत बनाने के लिए कोई तजवीज की जाए, उसमें वे कितना साथ देते हैं, इस देश का इतिहास इसका गवाह है।

श्री सरजू पांडे (रसड़ा) : देश जानता है।

चौधरी रणबीर सिंह : देश जानता है, आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ। आप भी इस देश के रहने वाले हैं और हम भी इस देश के रहने वाले हैं। बख्शी गुलाम मुहम्मद ने इस बात की कोशिश की - और आज भी कोशिश कर रहे हैं - कि काश्मीर को पूरे तौर पर, सोलह आने, हिन्दुस्तान के दूसरे सूबों की तरह का सूबा बनाया जाए। उसी किस्म का इन्तजाम कायम किया जाए। अजीब हालत है कि बजाए

** संसदीय बहस (कार्यवाही लोकसभा 1957-62), 7 मई 1959, पृष्ठ 15,690-15,691*

इसके कि जिन साथियों ने काश्मीर को हिन्दुस्तान का हिस्सा बनाने में इमदाद की, उनको याद किया जाता और उनको बधाई दी जाती, यहां कहा जाता है कि वहां सिविल लिबर्टीज नहीं हैं। शायद वे सिविल लिबर्टीज के मायने ये समझते हैं कि उनकी जो मरजी आये; वे कर सकें। अगर किसी दूसरे आदमी को, या देश को, या प्रान्त को नुकसान हो, तो उसकी परवाह नहीं। उनकी जो मंशा है, वह मंशा पूरी हो सके, तभी सिविल लिबर्टीज है। अगर दूसरे साथियों का कोई हक हो, उस हक को छीना जाए और वे समझें कि उनके साथ ज्यादती हो रही है और उस ज्यादती को रोकने के लिए अगर सरकार कोई काम करे,तो वे समझते हैं कि इसमें सिविल लिबर्टीज का घात हो गया है। काश्मीर में जो कार्यवाही की जाती है, या की गई है, या बाकी हिन्दुस्तान में की जाती है, या की गई है, वह इसलिए, सारे देशवासियों को सिविल लिबर्टीज हासिल हो। वैसे तो इसका रेफरेंस नहीं है। लेकिन, मैं चाहूँगा कि बख्शी गुलाम मुहम्मद और नेशनर कांफ्रेंस को हम इस वक्त बधाई दें कि उन्होंने कश्मीर को इस देश का पूरे तौर पर–सोलह आने–हिस्सा बनाने क लिए पूरी शक्ति लगाई।

द्वितीय लोकसभा

वीरवार, 7 मई, 1959 *

संस्कृत आयोग की रिपोर्ट

चौधरी रणबीर सिंह (रोहतक) : अध्यक्ष महोदय, मैं संस्कृत आयोग की एक सिफारिश को छोड़कर बाकी तमाम सिफारिशों की हिमायत करता हूँ। वह एक सिफारिश है तीन लैंग्वेज़ फ़ारमूला के सिलसिले में मैं मानता हूँ कि इस देश के बहुत थोड़े आदमी होंगे, जिन्हें अंग्रेजी पढ़ने की जरूरत होगी। हम आसानी से अंग्रेजी को छोड़ सकते हैं। तीन भाषायें हम पढ़े-एक मातृजबान, दूसरी रिजनल लैंग्वेज हो या हिन्दी हो और तीसरी संस्कृत। मैं समझता हूँ कि जिसे अंग्रेजी पढ़नी है, वह कालेज में जाकर पढ़ ले। आज हमारे देश की तरक्की में अंग्रेजों का कोई हाथ नहीं है। यहां रूसी जानने वाले भाई आये हैं और भिलाई के कारखाने को बना रहे हैं। जर्मनी वाले आये, वे रूड़केला में बना रहे हैं। इसी तरह से दूसरे भाषा भाषी लोग हमारी इमदाद कर रहे हैं। जिस तरह से उनकी जबानें सीखने या पढ़ने के लिये यह कोई जरूरी नहीं मानता है कि उनको हमारे पाठ्यक्रमों में स्थान मिले, उसी तरह से मैं जानना चाहता हूँ कि अंग्रेजी को क्यों जारी रखा जाए? मैं समझता हूँ कि जैसा रघुनाथ सिंह जी ने कहा है कि जो आयोग के सदस्य थे वे तकरीबन सभी ऐसे इलाकों से आते थे जो हिन्दी भाषा भाषी नहीं थे, इसलिये, उन्होंने यह सिफारिश की कि हिन्दी के पाठ्यक्रम को स्कूलों में जरूरी न समझा जाए और कालेजों में जरूरी मान लिया जाए। मैं चाहूँगा कि अगर जरूरी हो तो अंग्रेजी की जगह जरूरी हो।

इसके अलावा, अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि गीता का जन्म कुरुक्षेत्र में हुआ था --

---

** संसदीय बहस (कार्यवाही लोकसभा 1957-62), 7 मई 1959, पृष्ठ 15,729-15,733*

डा. राम सुभग सिंह (सहसराम) : हरियाना में।

चौधरी रणबीर सिंह : और कुरुक्षेत्र के अन्दर विश्वविद्यालय बन रहा है। मैं समझता हूँ कि उस विश्वविद्यालय को संस्कृत विश्वविद्यालय के बैकग्राउन्ड में चलाया जा सकता है और उसको सहायता दी जाए।

श्री वाजपेयी (बलरामपुर) : वहां के वाइस-चांसलर को संस्कृत नहीं आती है।

चौधरी रणबीर सिंह : मेरे साथी वाइस-चांसलर की बात करते हैं। यह पता नहीं है कि जिन्होंने संस्कृत आयोग की रिपोर्ट लिखी है, उन्हें भी संस्कृत आती थी या नहीं। साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि हर एक की भाषा में संस्कृत का कुछ न कुछ हिस्सा। है ही। इसलिये, उन्हें अपनी भाषा जानते हुए यह तो मान ही लेना चाहिये कि वह संस्कृत का कुछ न कुछ जानते ही हैं।

अध्यक्ष महोदय : किसको संस्कृत नहीं आती है, वह भी संस्कृत का बड़ा प्रेमी हो सकता है।

चौधरी रणबीर सिंह : यही मैं कह रहा हूँ -

श्री वाजपेयी : प्रेमी हो सकते हैं, मगर संस्कृत विश्वविद्यालय के वाइस-चांसलर कैसे हो सकते हैं ?

Shri D.C. Sharma : I want to submit that all the members of this commission are learned scholars in Sanskrit.

Pandit Thakur Das Bhargava : Where is the doubt? Who doubts it?

Shri Raghunath Singh : But they have not written their report in Sanskrit; they have written it in a foreign language?

चौधरी रणबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरे भाई वाजपेयी जी को क्या मालूम कि हमारे वाइस-चांसलर संस्कृत जानते हैं या नहीं जानते हैं। वह तो समझते हैं कि चूंकि वह अंग्रेजी के विद्वान हैं, इसलिये, संस्कृत नहीं जानते होंगे।

श्री वाजपेयी : मैं ठीक कह रहा हूँ।

चौधरी रणबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, इसमें ज्यादा न जाकर मैं यह कहना चाहता हूँ कि जिस समय मेरे साथी उज्जैन के बारे में बोल रहे थे। मंत्री महोदय ने कहा था कि उज्जैन की तरक्की क्यों नहीं हो रही है। मैं आपको बतलाना चाहता हूँ

कि मेरे जिले में तीन गुरुकुल हैं, एक भैंसवाल में, दूसरा झज्जर में और तीसरा मटिंडू में। लड़कियों के लिये एक गुरुकुल खानपुर में चल रहा है। उनकी तरक्की नहीं हुई है। आज तरक्की होती है। हाई स्कूलों की होती है और होगी। इनके लिये लोग लाखों रुपया इकट्ठा करते हैं और सरकार भी लाखों रुपया देती है। उसकी वजह साफ है कि सरकार की नीति, वह अभी तक संस्कृत की सहायता करने की नहीं है। उज्जैन की अगर तरक्की नहीं होती है। इसलिये, नहीं होती है कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन कहती है कि वहां पर उसकी इजाज़त के बगैर इसको खोला गया है। इजाज़त के बगैर इस देश में लाखों संस्थाओं चल रही है। आज आप देखें कि इजाज़त के बगैर इस देश में लाखों बच्चे पैदा होते हैं। क्या इस देश के अन्दर उनको खाना खाने को नहीं मिलेगा, कपड़ा पहिनने को नहीं मिलेगा। इस वास्ते मैं कहना चाहता हूँ कि कोई ज़रूरी नहीं है कि श्रीमाली जी की इजाजत के बगैर कोई यूनिवर्सिटी स्थापित होती है। उसको सजा मिले। मैं समझता हूँ कि अगर उनकी इजाज़त के बगैर कोई विश्वविद्यालय बनता है। उसको हमें शाबाश देनी होगी और उसकी सहायता करनी होगी।

मैं समझता हूँ कि मिशन के पास रुपया सीमित है, कम है। इस वास्ते मैं चाहता हूँ कि श्रीमाली जी उस रुपये के अलावा और भी रुपया इस कमिशन को दें ताकि ऐसे विश्वविद्यालयों जो उनकी आज्ञा के बिना या बहुत पहले बन चुके हैं, उनकी भी मदद हो सके। यह चीज़ संस्कृत के विद्यार्थियों के लिये, संस्कृत की पाठशालाओं के लिये तथा उनको तरक्की देने के लिये निहायत जरूरी है और मैं चाहता हूँ कि उनके लिये रुपया निकाला जाए।

मैं चाहूँगा कि संस्कृत स्कूलों के पाठ्यक्रम में, सैकेन्ड्री स्टेज में कम्पलसरी हो। लेकिन, हो अंग्रेजी की जगह। अगर मान लीजिये कि कुछ देर तक इस बात के बारे में कोई फैसला नहीं हो सकता है। मैं समझता हूँ कि हिन्दी भाषा भाषी इलाकों के अन्दर संस्कृत को कम्पलसरी बना दिया जाए तीसरी भाषा के रुप में तो हो सकता है कि कुछ भाइयों को इसमें ऐतराज़ हो। मेरे भाई प्रकाशवीर शास्त्री जी बैठे हुए हैं और उनके बहुत सारे हिमायती भी हैं। मैं बतलाना चाहता हूँ कि पंजाब के हिन्दी रिजन के अन्दर जो लोग पंजाबी या दूसरी रिजनल भाषा नहीं पढ़ना चाहते हैं, उनका मसला भी इससे हल हो जाता है अगर हिन्दी के साथ कम्पलसरी रिजनल भाषा न रह और संस्कृत हो जाए।

श्री बलराज सिंह (फिरोजाबाद) : अंग्रेजी से क्यों मोह है।

चौधरी रणबीर सिंह : मुझे बिलकुल मोह नहीं है। मैं चाहता हूँ कि अंग्रेजी

जल्दी जाए। लेकिन, आप जानते हैं कि जिस भाषा ने हमें डेढ़ दो सौ साल तक गुलाम रखा वह हमारी दिमागी आज़ादी को बहुत दिन तक दूर रखेगी। मैं मानता हूँ कि अंग्रेजी जानी चाहिये। लेकिन, मेरी बदकिस्मती है कि जितने हमारे हाकिम हैं, आई.सी.एस. व आई.ए.एस. आदि आफिसर हैं, नये पैदा होते हैं, पुराने हैं, वे सब अंग्रेजी के विद्वान हैं और उनका न तो रिजनल भाषा से कोई प्यार है और न ही हिन्दी से प्यार है और न ही संस्कृत से प्यार है, अगर प्यार है तो केवल अंग्रेजी से है।

मैं तो चाहता हूँ, जैसा मैंने शुरू में कहा कि तीन भाषायें जरूरी हों, एक रिजनल भाषा, एक हिन्दी और एक संस्कृत। लेकिन, अगर अंग्रेजी को इस देश के साथ कुछ दिन चिपटाये रखना है। फिर मैं चाहूँगा कि हिन्दी भाषा भाषी इलाकों के अन्दर संस्कृत को दूसरी रिजनल भाषा की जगह कम्पलसरी तौर पर पढ़ाया जाए।

द्वितीय लोकसभा

शनिवार, 9 मई, 1959 *

संघ लोक सेवा आयोग की आठ रिपोर्टें

चौधरी रणबीर सिंह (रोहतक) : उपाध्यक्ष महोदय, नेशनल डिफेन्स ऐकेडमी में भरती के सिलसिले में जो ज्यादा तादाद भर्ती के लिये उम्मीदवारों की बढ़ती जा रही है उसको रोकने की एक ही तरकीब है और नैशनल डिफेन्स ऐकेडमी में और अच्छे आदमी भर्ती हों, उसके लिये भी एक ही तरकीब है कि जो वहां भर्ती होना चाहते हैं वे सब पहले जवान भर्ती हों और कम से कम एक साल तक जवान के तौर पर चाहे आर्मी में, चाहे नेवी में, चाहे एअरफोर्स में सर्विस करें। उसके बाद उन्हें मौका दिया जाए कि जो इम्तहान में बैठना चाहे वह बैठे। सेलेक्शन बोर्ड जो हो वह उसके बाद रिजेक्शन बोर्ड नहीं रहेगा जैसा कि मेरे साथी ने डर जाहिर किया था। इसी तरह से इंडियन ऐडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस .....

उपाध्यक्ष महोदय : सेलेक्शन बोर्ड। हमेशा रिजेक्शन बोर्ड रहेगा साथ में, वरना सेलेक्शन कैसे होगा ?

चौधरी रणबीर सिंह : जिसमें काबिलियत होगी वह बैठ जाएंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : जिसे सेलेक्शन करना है जब तक वह रिजेक्शन नहीं करेगा तब तक सेलेक्शन कैसे करेगा ?

चौधरी रणबीर सिंह : इस तरह से औसत रिजैक्शन कम हो जाएगा। जहां तक इंडियन ऐडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का ताल्लुक है, मैं समझता हूँ कि उसको दो हिस्सों में तकसीम करना चाहिये। जितनी जल्दी हम उसे कर दें उतना ही अच्छा है

** संसदीय बहस (कार्यवाही लोकसभा 1957-62), 9 मई, 1959, पृष्ठ 16,137-16,141*

देश के लिये। एक तो वह साहब जिनको दफ्तरों में बैठ कर काम करना है और एक वह साथी जिनको जिलों में जाकर जिलाधीश या ऐडमिनिस्ट्रेशन का काम करना होता है। मैं मानता हूँ कि एक आदमी अच्छी नोटिंग ऐंड ड्राफ्टिंग कर सकता है और वह जो किताबी इम्तहान हो उसमें आगे आ सकता है। लेकिन, ऐडमिनिस्ट्रेशन के लिये यह जरूरी नहीं कि जो अच्छी नोटिंग ऐंड ड्राफ्टिंग जानता हो वह जिलाधीश अच्छा बन सकेगा या एडमिनिस्ट्रेशन चला सकेगा। मैं समझता हूँ कि पर्सनेलिटी टैस्ट उनके लिये तो जरूरी है जिनको दरअसल एडमिनिस्ट्रेशन चलाना है। लेकिन, फर्ज कीजिये किसी को दफ्तरो में आकर काम करना है, मैं समझता हूँ कि उनके लिये यह जरूरी नहीं है। जिनको एडमिनिस्ट्रेशन चलाना है उनके लिये पर्सनेलिटी टेस्ट ठीक है। क्योंकि, अगर उनका यह टेस्ट नहीं होगा। हो सकता है कि वे बहुत अच्छा लिखने वाले हों। लेकिन, जो दूसरे मसले सामने आते हैं उनके लिये क्या करेंगे। कहीं पर सत्याग्रह चला करता है, कहीं दूसरी चीज चलती रहती है। मुझे अपने पंजाब का तजुर्बा है। हर दूसरे तीसरे महीने किसी न किसी तरह की आवाज उठा करती है। उन पर काबू पाने के लिये अच्छी नोटिंग और ड्राफ्टिंग काम नहीं आ सकती। उसको अच्छा ऐडमिनिस्ट्रेटर होना चाहिये भले ही वह अच्छा लिखने वाला न हो। कई दफा हालत ऐसी आ जाती है कि गोली चलाने की जरूरत पड़ सकती है, जिस आदमी को ऐडमिनिस्ट्रेशन चलाना है अगर वह यह सोचे कि गोली नहीं चलानी है भले ही उसके न चलाने से एक के बजाए 100 आदमियों के मरने का खतरा हो। फिर किस तरह से काम चल सकता है। जब कभी इस तरह का खतरा हो जाए तो गोली चलाना जरूरी हो जाता है। इसके लिए ऐडमिनिस्टेऊटर के दिल में हौसला होना चाहिये। जैसा मेरे भाई श्री बनर्जी ने कहा कि वह इसी डर में फंस जाएगा कि कहीं खुद मुझे ही न लोग गिरा दें। इसलिये, यह जरूरी है कि ऐडमिनिस्ट्रेटर के दिल में हौसला हो। इसके अलावा उसकी पर्सनैलिटी ऐसी होनी चाहिये जो लोगों पर असर करे। मैं समझता हूँ कि अगर किसी ऐडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का आदमी दफ्तर में काम करता हो भले ही उसकी पर्सनेलिटी की परवाह न की जाए। लेकिन, जिसको जिलाधीश बनना है उसके लिये यह टेस्ट जरूर रहना चाहिये। मैं श्री भक्त दर्शन जी से सहमत हूँ कि आज हमारे दफ्तरों में काम करने का उम्मीदवारों का स्तर गिर रहा है। असल बात यह है कि आज हम पढ़ाई के तरीके को देखें। उसी से इसका पता चल जाएगा। पढ़ाई को जाने दीजिये, कल की अंग्रेजी की बहस के बाद मैंने पांच, सात बच्चों से बातचीत की। यहां की बहस से उनकी समझ में यह आया कि अब अंग्रेजी के लिए इस देश

में स्थान नहीं है। अंग्रेजी के लिये आज से नहीं, दस बारह साल से हम कोशिश कर रहे हैं, कांस्टिटुएंट असेम्बली के दिनों में हमने बड़ा बहस मुबाहसा किया और उसके बाद तय किया कि अंग्रेजी के लिये हमारे यहां स्थान नहीं है। आज बारह साल बीत गये। दो साल बाद वह विद्यार्थी ग्रेजुएट हो जाएंगे जो उस वक्त पर प्रथम श्रेणी में प्रविष्ट हुए थे। ऐसे वक्त में जिनके दिमाग में एक अन्दाजा था, एक ख्याल था कि अंग्रेजी के लिये कोई स्थान नहीं है, आज भी उनको पता नहीं है कि देश में अंग्रेजी का कोई स्थान है कि नहीं या काफी स्थान है। अक्सर जो तरीका काबिलियत को नापने का है वह यह है कि अंग्रेजी के ज्ञान से उसे नापा जाता है। अच्छा होगा कि जितनी जल्दी हो सके हिन्दी या जो इलाकाई भाषायें हैं उनमें इम्तहानों को जारी करें। क्योंकि, आज जो भर्ती हो रही है वह आज के लिये नहीं हो रही है। आखिर अंग्रेजी को तो जाना ही है। बारह साल हो गये हैं, और पांच साल बाद, सात साल बाद, आठ या नौ साल के बाद अंग्रेजी को यहां से जाना है। जो सिर्फ अंग्रेजी के अच्छे लिखन वाले हैं उनका ही स्तर अच्छा माना जाए। यह जरूरी नहीं है कि आने वाले देश के लिये वह कोई बहुत अच्छे ऐडमिनिस्ट्रटर या कर्मचारी साबित हो सकें।

मुझे एक और अर्ज आपसे करनी है। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस और दूसरी सर्विसिज के बारे में लिखा गया है कि वे गलत खबरें देते हैं। यह एक बड़ी अजीब बात है कि जो लोग इंडियन एडमिनिस्टेऊटिव सर्विस में भर्ती होने के उम्मीदवार हुए आमतौर पर उन लोगों ने यह छिपाने की कोशिश की कि वे सरकारी नौकर हैं। मैं समझता हूँ कि कोई भी शख्स गलतबयानी करता है। वह बहुत गलत चीज है। उन आदमियों के साथ क्या किया जाए यह देखना तो होम मिनिस्ट्री का काम है। लेकिन, हमको सोचना चाहिये कि इससे क्या नतीजे निकल सकते हैं? उसकी एक वजह यह हो सकती है कि शायद उन नौजवान क्लर्कस आदि सरकारी नौकरों को उनके महकमे वाले इस आई.ए.एस. के इम्तिहान में आसानी से ऐप्लाई करने की इजाजत न देते होंगे और इसलिए, वे इस बात की कोशिश करते हैं कि हम यह जाहिर न होने दें कि हम सरकारी नौकर हैं। यह जो आपत्ति आती है वह इसलिए, आती है कि उन पर कुछ पाबन्दियां हैं और उनको हटाया जाना चाहिये।

इसी तरह एन.डी.ए. के सिलसिले में जो उम्र की बात है, अब मुझे पता नहीं कि आया उसमें कोई सुधार हो सकता है या नहीं।

यह जो इंडस्ट्रियल पूल की बात है और उसको लेकर जो हमारे भाई लोग टीका टिप्पणी करते हैं और देश का निज़ाम चलाने वालों पर अविश्वास करते हैं उनसे

मैं कहूँगा कि ऐसा अविश्वास करने की कोई गुंजाइश नहीं है। दुनिया में अभी कुछ दिन पहले तक कोई आदमी यह मानता नहीं था कि डिक्टेटरशिप के बगैर कोई समाजवाद आ भी सकता है। इस बात को भी नहीं मानता था कि जो आदमी काम चलाने वाले हैं वह पता नहीं किस ख्याल के हों और वह भर्ती होंगे और वह अफ़सर होकर इस देश के अन्दर समाजवाद को लायेंगे भी या नहीं। इस देश के अन्दर दोनों ही ख्याल के लोग हैं। अजीब किस्म के तजुर्बे हो रहे हैं। लेकिन, मैं समझता हूँ कि कुछ न कुछ हमको थोड़ा बहुत जैसे कई दफ़े देखा गया है जो एक खींचतान होती है और हमारे देश की नीति कुछ और होती है और जो हमारे हाकिम हैं उनके मन का रुझान कुछ दूसरा है। मैं यह तो नहीं चाहता कि जो कांग्रेस पार्टी के हों उन्हें इनमें भर्ती किया जाए। लेकिन, एक बात मैं जरूर चाहता हूँ कि पब्लिक सर्विस कमिशन चाहे वह यूनियन का हो अथवा स्टेट्स का उन्हें भर्ती करते वक्त यह देखना चाहिये कि आया यह उम्मीदवार दिमागी तौर पर समाजवाद के हक़ में है, पब्लिक सैक्टर के बढ़ाने के हक़ में या प्राइवेट सैक्टर के बढ़ाने के हक़ में है।

द्वितीय लोकसभा

बुधवार, 5 अगस्त, 1959*

भारतीय विद्युत (संशोधन) विधेयक

चौधरी रणबीर सिंह (रोहतक) : अध्यक्ष महोदय, सिलैक्ट कमेटी की रिपोर्ट का समर्थन करते हुये मैं यह कहे बगैर नहीं रह सकता कि अभी तक देश में जो बिजली का फैलाव हुआ है, उसमें देहात का बहुत कम हिस्सा है। इस सम्बन्ध में जो कौंसिल बनने जा रही है, उसमें हिन्दुस्तान की सरकार ने पांच नुमायंदे नामीनेट करने हैं।

Mr. Speaker : May I know the hon. Members who want to speak?

Some Hon. Members *rose* —

Mr. Speaker : I find that Shri Braj Raj Singh, Shri P.R. Assar, Shri Jadhav and Shri Harish Chandra Mathur want to speak. The hon. Members may be as brief as possible.

चौधरी रणबीर सिंह : इन हालात को देखते हुए मैं चाहूँगा कि जब तक हिन्दुस्तान का अस्सी फीसदी हिस्सा बिजली के बारे में पीछे है, तब तक इस कौंसिल के पांचों के पांच मेम्बर देहाती हों और खासतौर पर काश्तकार हों। आज अजीब हालत है। बिजली की लाइन का खंभा मेरे खेत में है। लेकिन, मैं चाहूँ कि अपने खेत की पैदावार को बढ़ोने के लिये एक पम्पिंग सैट का कनैक्शन ले लूं - जाने दीजिये बिजली के पंखे को और दूसरे ऐशो-आराम के सामान को। लेकिन, देश की अनाज की समस्या को हल करने के लिये और देश की पैदावार को बढ़ाने के लिये अगर मैं

** संसदीय बहस (कार्यवाही लोकसभा 1957-62), 5 अगस्त 1959, पृष्ठ 683-687*

कनेक्शन लेना चाहूँ तो वह मुझे नहीं मिल सकता है। हालांकि सैकंड फाइव यीअर प्लान में इस बात को माना गया है कि देहात में बिजली फैलाने के सिलसिले में फ़ाइनेंशियल ऐस्पेक्ट के ऊपर बहुत ज्यादा जोर नहीं दिया जा सकता और उसको ध्यान में नहीं रखना चाहिये। लेकिन, हम देखते हैं कि अगर जहां से बिजली जानी है, वहां से मेरा खेत दो मील हो। कई स्टेट्स में चालीस हजार रुपये पम्पिंग सैट के कनेक्शन के लिये मांगें जाते हैं और कई सटेट्स में बीस हज़ार रुपये। इन हालात को देखते हुये और जिस तरह से देश को आगे जाना है, उसे सामने रखते हुये, मैं समझता हूँ कि यह जरूरी है कि कौंसिल के मेम्बरों को नामीनेट करते हुये इस बात का खासतौर पर ध्यान रखा जाए।

जहां सरकारी कारखाने और सरकारी इन्ट्रेस्ट हों, उसको प्रायर्टी देने के बारे में जो क्लाज़ को डिलीट किया गया है, उसकी कई इन्टरप्रैटेशन्ज की जा सकती हैं। वह ज़रा वेग है। अगर उसका मतलब यह ले लिया जाए कि सरकार जिसको ज़रूरतमन्द समझती है, चाहे वह किसी एक आदमी की ज़रूरियात हों--मिसाल के तौर पर एक काश्तकार की ज़रूरियात हों और वह एक पम्पिंग सैट के लिये कनेक्शन चाहते हो--तो उसको भी प्रायर्टी दी जाए, अगर इसलिये, उसको डिलीट किया गया है कि सिर्फ सरकारी कारखाने उसमें आते थे। मैं उसका स्वागत करूंगा। इस क्लाज़ को अगर इसलिये, डिलीट किया गया है कि सरकारी कारखानों को साहूकारों के कारखाने के बराबर रख दिया जाए। वह ग़लत बात होगी।

जहां तक कम्पेन्सेशन का ताल्लुक है, मैं यह कहे बगैर नहीं रह सकता कि जब एक छोटे से काश्तकार की ज़मीन ली जाती है। दस साल की कीमत की एवरेज लगाई जाती है और वह दी जाती है, चाहे वह एक एकड़ का मालिक हो और चाहे पांच एकड़ का। जब हम कम्पेन्सेशन देते हैं तो उसमें डिस्क्रिमिनेशन क्यों? जब एक कारखानेदार को, बिजली के कारखाने के मालिक को, जिसने काफ़ी लोगों को परेशान किया, काफ़ी रुपया कमाया और कोठी बनवाई, कम्पेन्सेशन देने का सवाल आता है। मार्केट वैल्यू से भी बीस परसेंट ज्यादा देना पड़ता है। दूसरी तरफ हालत यह है कि अगर कोई एक एकड़ ज़मीन का मालिक है, उसको भी जब कम्पेन्सेशन देते हैं। दस साल की ऐवरेज देखते हैं। मैं समझता हूँ कि यह कोई बहुत अच्छा तरीका नहीं है। यह ठीक है कि शायद कुछ दिन के लिये हम उनकारखानों को उनके ज़रिये चलाना चाहें। लेकिन, असल में हमारा जो नुक्ता-ए-निगाह होना चाहिये, वह यह कि अगर बिजली को देश की तरक्की के लिये इस्तेमाल करना है, बिजली पैदा करने का

काम सरकार के हाथ में होना चाहिये, चाहे वह हिन्दुस्तान की सरकार हो और चाहे सुबाई सरकार को। कुछ दिन के लिये इसको बर्दास्त किया जा सकता है और वह भी इस शर्त पर कि जब यह बिल एक्ट बन जायेगा तो मौजूदा हालत में सुधार हो सकता है। लेकिन, फिर भी यह देखा गया है कि स्टेट इलैक्ट्रसीटी अंडरटेकिंग से होता है। उसमें वे अपनी बातें मनवाने की कोशिश करते हैं। हम देखते हैं कि जब हाइड्रो-इलैक्ट्रिक स्कीम की बिजली को डिस्ट्रिब्यूट करने का काम किसी कम्पनी को दिया जाता है। जिस रेट पर वह बिजली सरकार से लेती है और बाद में जिस रेट पर लोगों को देती है, उनमें रात-दिन का अंतर होता है। उस चीज को ठीक करने के लिये भी यह विधेयक लाया गया है। लेकिन, वह तभी हो सकता है, जबकि कोंसिल में इलैक्ट्रिसिटी अंडरटेकिंग का एक भी रिप्रेंजेटेटिव बहुत अच्छा बुरा कर सकता है। जो देश के मफाद को सबसे पहले रखते हैं, उनकी ही जगह कोंसिल में होनी चाहिये। मैं चाहूंगा कि यह जो व्यवस्था की गई है कि कौंसिल में इलैक्ट्रिसिटी अंडरटेकिंग का भी--मालिकों का भी रिप्रेजेंटेटिव होगा, वह भी हटा दिया जाये।

द्वितीय लोकसभा

वीरवार, 6 अगस्त, 1959*

भारतीय जीवन बीमा निगम की रिपोर्ट

चौधरी रणबीर सिंह (रोहतक) : उपाध्यक्ष महोदय, बीमा कारपोरेशन के कार्यकर्त्ताओं को बधाई देते हुए मैं यह कहे बगैर नहीं रह सकता कि बीमा का जो कारोबार बढ़ा है उसकी वजह यह नहीं है कि वहां के कायकर्त्ताओं ने कोई बहुत अच्छा काम किया है, बल्कि इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि देश के आदमी का हमारी देश की सरकार के ऊपर विश्वास है। यह इसका सबसे बड़ा कारण है। लोगों में यह गलतफहमियां न रहें कि कार्यकर्त्ताओं की कार्यी से ही तरक्की हुई है। असल बात तो यह है कि जो बीमा कम्पनियां थीं और जैसा मेरे दोस्त राम कृष्ण जी ने बतलाया इस कारोबार के अन्दर पालिसी होल्डरों को पहले जितनी सहूलियतें थीं वह आज नहीं हैं। मुझे बहुत से लोग मिले उन्होंने कहा कि उनको पैसा भेजे हुए 5, 5, 6, 6, 8, 8 या 10, 10 महीने बीत जाते हैं। लेकिन, उनके पास उसकी रसीद बनकर नहीं आती है। मेरे साथ खुद ऐसा हुआ कि डेढ़ साल बाद रसीद आई और वह भी तब जब पुरी साहब ने इस मामले में ध्यान दिया। उनसे बात करने से पहले मेरे पास रसीद नहीं पहुंची। जब मेरी हालत यह है। आम आदमी की हालत क्या होगी इस का आप इसी से अन्दाजा लगा सकते हैं।

जहां तक कार्यकर्त्ताओं का ताल्लुक है, उनसे तो इस काम को धक्का ही पहुंचा है क्योंकि, शायद आपने भी देखा हो कि ये लोग सरकारी बुद्धि से काम करना शुरू कर देते हैं। जिस तरह से पहले वे काम करते थे उस तरह से अब नहीं करते।

** संसदीय बहस (कार्यवाही लोकसभा 1957-62), 6 अगस्त 1959, पृष्ठ 1058-1060*

इसके अलावा मैं इन्वेस्टमैंट पालिसी के सिलसिले में भी निवेदन करना चाहता हूँ। पंजाब के अन्दर बिजली का जाल बिछ रहा है और बिजली पैदा करने की तैयारी है। देहातों में लोग बिजली बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन, उनके पास पैसा नहीं है। इसी तरह से दूसरी रियासतों के अन्दर भी जो दूसरी चीजें हैं देश की तरक्की की उनको बढ़ाने के लिये भी रुपये की जरूरत है। रुपये की जरूरत पूरी न होने की वजह से दूसरों का काम पूरी तौर पर नहीं बढ़ पाया है। मैं चाहता हूँ कि स्टेट एलैक्ट्रिसिटी बोर्ड को भी बीमा कारपोरेशन के जरिये कर्ज दिया जाए।

इसी तरह से मैं चाहता हूँ कि आज देश के सामने जो वाटरलागिंग की बड़ी भारी समस्या है, खासतौर से पंजाब में 30 लाख एकड़ के करीब भूमि खराब हुई है, उसको ठीक करने के लिये आयोजन सरकार को कर्जा दे। यहां शेअर मार्केट के अन्दर बीमा कारपोरेशन जाता है। अभी मूंदडा कांड का जिक्र किया गया उसके ऊपर भी यहां पर बहस होगी। शेअर मार्केट में जाने का सही नतीजा हुआ यह हमें बताया गया। हमें कई दफा विश्वास दिलाने की कोशिश की गई कि शेअर मार्केट में जाने से फायदा हुआ है और कहा गया कि हम दिखाते हैं कारखानेदारों को कि हम चोर दरवाजे से नेशनलाइजेशन नहीं करेंगे, उनका ख्याल है और मैं कहूँ कि अगर शेअर मार्केटके लिये आना है और को हमें खरीदना है तो इसकी ओर ध्यान देना चाहिये

इसके अलावा देश की जरूरयात के लिए उनका चलाना जरूरी है और उनको मजबूत करना जरूरी है। इसलिए, हमें एक अच्छी चीज को करने में झिझकना नहीं चाहिए। अगर हम शेयर मार्केट में जाएंगे तो यह नीति लेकर जाएंगे कि हमने उनकारखानों को आखिरी तौर पर देश के मुफाद को मद्देनजर रखते हुए नेशनलाइज करना है। इसलिए, सरकार का कारोबार में जाने का तरीका यह होना चाहिए कि वह बैंकों को भी उसी तरीके से सरकारी बनाये ताकि उसका काम आगे बढ़े।

एक अर्ज किये बगैर मैं नहीं रह सकता, क्योंकि, शुरू ही में मुझे यह ख्याल आया कि आखिर यह जो बीमा कारपोरेशन का मामला है यह कोई किसी खास कम्पनी का मामला। नहीं वरन् यह तो देश का मामला है। यह देश की तरफ से चलाता है। हमें यह सदैव ध्यान में रखना होगा कि इस देश में 80 फीसदी किसान बसते हैं और उनकी क्रोप इंश्योरेंस कराने के वास्ते हालांकि एक बहुत लम्बा चौड़ा बीमा आयोजन मौजूद है। लेकिन, इस दिशा की ओर कोई सक्रिय कोशिश अथवा कदम नहीं उठाया गया है। मैं चाहूँगा कि हमारे वित्त मंत्री महोदय जो एक बहुत मजबूत और आहिनी इंसान हैं, वे इस समस्या की ओर ध्यान दें और कारपोरेशन को

इस बात के लिए जरूरी हिदायत दें कि ज्यादा से ज्यादा जितना भी रुपया वह लैंड मार्टगेज के लिए दिला सकती है दिलाये। उसी के साथ किसानों के वास्ते क्रोप इंश्योरेंस का भी यह बीमा कारपोरेशन इंतजाम करे।

द्वितीय लोकसभा

मंगलवार, 11 अगस्त, 1959 *

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (संशोधन) विधेयक

चौधरी रणबीर सिंह (रोहतक) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सैलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूँ।

श्री भरूचा ने अभी एतराज किया कि उन्हें यह कमी मालूम देती है कि उसके अन्दर कोई तारीख मुकर्रर नहीं की कि किस तारीख को शेयर्स की मार्केट वैल्यू कम्पेन्सेशन देते हुए ध्यान में रक्खी जाएगी। आप जानते हैं कि इस देश के अन्दर काफी जमीन है और किसी न किसी बहाने से, देश के फायदे के नाम पर या समाज के फायदे के नाम पर सरकार लेती रही है और उसका जो कम्पेन्सेशन देने का भी एक तरीका मुकर्रर किया और मार्केट रेट वह नहीं जो उस रोज की मार्केट रेट है, वह रेट नहीं बल्कि पिछले दस साल के अन्दर जो एक एवरेज बनता है उसका दूना मुकर्रर हुआ। भरूचा साहब चाहते हैं कि सरकार के हाथ बांध दिये जाएं और आज यह फैसला किया जाए कि अमुक तारीख से जो मार्केट रेट हो, फेस वैल्यू नहीं, बल्कि मार्केट वैल्यू जो शेयर्स की हो वह सरकार कम्पेन्सेशन अदा करे। आप जानते हैं कि जितनी ऐसी संस्थायें या बैंक चलते हैं और जिन आदमियों का बैंकों के चलाने में हाथ है वह हिन्दुस्तान के बहुत ज्यादा होशियार आदमियों में से हैं। उनके जो एम्प्लाईज् हैं, इन्तिजाम करने वाले है, छोटे एम्प्लाईज से मेरा मतलब नहीं है क्योंकि, उनके मफाद का तो यहां कोई खतरा भी नहीं हो सकता, जो बड़े-बड़े मैनेजर या मैनेजिंग डाइरेक्टर हैं उनके मफाद का खतरा हो सकता है। वे सब के सब आप जानते हैं बहुत होशियार आदमी हैं। आपको मालूम है कि हिन्दुस्तान की इतनी बड़ी

** संसदीय बहस (कार्यवाही लोकसभा 1957-62), 11 अगस्त 1959, पृष्ठ 1793-1796*

सेक्रेटेरिएट से कभी-कभी खबरें निकल जाती हैं। जब बजट की बात भी निकल जाती है तो इस बात का पता लगाना कि कौन सी बैंक को सरकार ले रही है कोई मुश्किल नहीं है। उनके शेयर्स की कीमत को बढ़ाना आसान बात है। मैं चाहता था कि बैंकिग कम्पनियों के शेयर्स की जो फेस वेल्यू है वही उनको दी जाए। जो सस्ता मंहगा खरीदता है वह उसी तरह भुगते जिस तरह कि जमीन के बारे में होता है। इसमें हम यह रियायत क्यों रखें। उसको भी उसी उसूल के ऊपर कम्पेन्सेशन अदा करें जिस तरह से कि जमीन का अदा करते हैं। लेकिन, आप जानते हैं कि बैंकों के हिस्सेदार पढ़े लिखे आदमी होते हैं, उनमें से बहुत सारे तो राज में भी दखल रखते हैं। कुछ सरकारी नौकरी भी करते हैं। वे ह्वाइट कालर्ड जमात के लोग होते हैं। उनको कुछ न कुछ प्रिफ्रिरेंस मिलता ही है। उनको जो प्रिफ्रिरेंस मिल रहा है वह बहुत ज्यादा है। मैं चाहूँगा कि इस मामले में मंत्री महोदय को ज्यादा से ज्यादा अख्तियार रहे। देश के लिये अच्छा है। उनको जो अख्तियार हैं इस देश का अख्तियार है। अगर वह गलती करते हैं या उनका सेक्रेटेरिएट गलती करता है। यह सदन मौजूद है, वह इस पर ऐतराज कर सकता है। लेकिन, अगर कहीं तारीख मुकर्रर हो गई। गवर्नमेंट के हाथ बंध जाएंगे और गवर्नमेंट मार्केट रेट के मुताबिक मुआवजा देने के लिये मजबूर हो जाएगी।

वैसे भी यह नया फील्ड है, जिसके अन्दर सरकार ने हौसला किया है। मैं समझता हूँ कि बैंकों को लेना चाहिये। ऐसे वक्त में सरकार के हाथ बांध देना अकलमन्दी नहीं होगी। बड़े-बड़े नौकरों की तनख्वाहें बढ़ाई जा सकती है। आपने देखा कि जब बीमा कम्पनियों के आदमियों की तनख्वाह मुकर्रर का सवाल हुआ कि उनको कहां रखा जाए, किसको क्या ग्रेड दिया जाए। हाउस में कितना बावैला हुआ था। छोटी बीमा कम्पनियों में वही मालिक वही काम करने वाले। वही हिसाब बैंकों का है जो मरजी चाही अपनी तनख्वाह कर दी। जब उनको पता चलेगा कि सरकार ने लेना है, उनके लिये बहुत आसान होगा कि वह अपनी तनख्वाहें बढ़ा लें। ऐसी हालत में सरकार के हाथ बांध देना जाएज नहीं होगा।

दफा 34 में अमेंडमेंट का सवाल है। मैं चाहता था कि आज वह दिन आया है जब इसमें अमेंडमेंट किया जाए। पहले जब इम्पीरियल बैंक का स्टेट बैंक बनाया गया था। यह ख्याल जाहिर किया गया था कि देश की खेती की पैदावार बढ़ाने के लिये इम्पीरियल बैंक बहुत कम रुपया लगता है। अब देश की पैदावार बढ़ाने के लिये ज्यादा रुपया लगेगा। लेकिन, आप जानते हैं कि खेती की पैदावार बढ़ाने के

लिये दो तीन तरह का लोन चाहिये। एक तो फसल के लिये कुछ रुपया चाहिये। इसके अलावा मीडियम टर्म लोन और कुछ लांग टर्म लोन चाहिए। लांग टर्म लोन के लिए। लैंड मार्टगेज बैंक हैं। लेकिन, आज काश्तकार को मीडियम टर्म लोन नहीं मिलता। खेती की पैदावार बढ़ाने के लिए यह बहुत जरूरी है कि पानी का इन्तजाम किया जाए और कुछ दूसरे इन्तजाम किये जाएं। लेकिन, उनके लिये किसान के पास सरमाया नहीं होता। उस सरमाये को देने के लिये कोई न कोई रास्ता निकालना चाहिये। मैं समझता हूँ कि देश के हालात को देखते हुए इसका इन्तजाम किया जाएगा। आज देश को बाहर से कितना अनाज मंगाना पड़ रहा है। कितना अच्छ होता अगर आज दफा 34 में कोई ऐसी तबदीली कर दी जाती कि किसान को कुओं वगैरह के लिये मीडियम टर्म लोन मिल जाता जिसको वह चार पांच साल में अदा कर दे। मैं समझता हूँ कि श्री गोपाल रेड्डी जी ने एक काश्तकार के घर में जन्म लिया है। इसलिए, वह इस चीज को समझते हैं और वह इसमें तबदीली लाने की कोशिश करेंगे जिससे काश्तकार की जो मीडियम टर्म लोन की जो मांग है वह पूरी हो। यह चीज़ देश की पैदावार बढ़ाने के लिए बहुत जरुरी है। हमको जो बाहर से अनाज मंगाना पड़ रहा है उको कम करने के लिए इस तरह की तबदीली करना बहुत जरुरी है। मैं समझता हूँ कि इसके लिए वह जल्दी ही कोई अमैंडिंग बिल लाऐंगे।

द्वितीय लोकसभा

बुधवार, 12 अगस्त, 1959 *

बैंकिंग कंपनी (संशोधन) विधेयक

चौधरी रणबीर सिंह (रोहतक) : उपाध्यक्ष महोदय इस सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट के जरिये सरकार बैंकिग व्यवसाय के लिये एक नई नीति निर्धारित कर रही है। खासतौर पर उन आदमियों के लिये, जो बैंकों को चलाते हैं, उनका इन्तिजाम करते हैं। जो कदम उठाया जा रहा है, वह एक सराहनीय कदम है। आज से कुछ दिन पहले इस सदन के सामने माननीय वित्त मंत्री महोदय ने कहा था कि हमारे पास या रिजर्व बैंक के पास ऐसा कोई अख्तियार नहीं है कि अगर कोई बैंक का इंतजाम करने वाला कोई गलती करे। हम किस तरह उसको ठीक रास्ते पर ला सकें या उसको हटा सकें। उस कमी को पूरा करने के लिये यह बिल खासा काम आयेगा। मैं यह कहे बगैर नहीं रह सकता कि अब भी हम इस कानून के जरिये रिजर्व बैंक को जो अधिकार दे रहे हैं वह बड़ी झिझक के साथ दे रहे हैं। अभी मेरे साथी ने जिक्र किया बैंकों के चलाने वालों के बारे में और शेयर-होल्डर्स की सिमपथी के सम्बन्ध में। लेकिन, कौन नहीं जानता कि कोई भी बैंक, चाहे वह कितना ही बड़ा बैंक क्यों न हो, चल नहीं सकता अगर रिजर्व बैंक उसको जरूरत के वक्त पूरा सहारा न दे। दूसरे मायनों में हम कह सकते हैं कि जबसे हमारे देश के रिजर्व बैंक ने पुख्ता तौर पर यह नीति निर्धारित की कि जितने भी बैंक इस देश में चलते हैं, जब भी बुरा वक्त आयेगा, हम उनको सहारा देंगे, तब से बहुत कम बैंक फेल होते हैं। हम कह सकते हैं कि उनके चलने में उनके मुनाफे में रिजर्व बैंक का बहुत बड़ा हिस्सा है और रिजर्व बैंक चन्द आदमियों का बैंक नहीं है -- वह सारे हिन्दुस्तान का बैंक है और चालीस

** संसदीय बहस (कार्यवाही लोकसभा 1957-62), 12 अगस्त 1959, पृष्ठ 2076-2080*

करोड़ आदमियों का बैंक है। वह बैंक, जिस में चालीस करोड़ आदमियों का साझा है, अगर उन बैंकों को सहारा दे, जो कुछ आदमियों के मफाद के लिये चले। हमको सोचना होगा कि रिजर्व बैंक के पास पूरी रोकथाम करने और यह देखने का पूरा अख्तियार है या नहीं कि वे बैंक ठीक रास्ते पर, देश के हित के लिये चल रहे हैं या नहीं।

जिक्र किया गया है कि अगर ट्राइब्यूनल फैसला दे कि किसी मैनेजर, डायरेक्टर, मैनेजिंग डाइरेक्टर या किसी और काम चलाने वाले ने गलती की है और रिजर्व बैंक को तसल्ली हो कि उसको वहां से हटाना जरूरी है। उसको हटाया जा सकता है और बगैर जवाब लिये हटाया जा सकता है। मैं समझता हूँ कि यह भी कम है। देश के आज के हालात को देखते हुए यह अख्तियार कम है। आप जानते हैं कि इस सदन में बहुत सारे साथी यह चाहते हैं कि इस देश के तमाम बैंक नैशनेलाइज किये जाएं। हो सकता है कि देश के बैंकों को नैशनेलाइज करने के लिये अभी कुछ वक्त चाहिये। कुछ मुश्किलात हो सकती हैं। लेकिन, इसमें दो रायें नहीं हो सकतीं कि उनके काम को ठीक तौर पर चलाने के लिये रिज़र्व बैंक के पास पूरा अख्तियार होना चाहिये। जब हम सब की यह राय हो तो मैं ज़रूरी नहीं समझता कि हम किसी ट्राइब्यूनल के फैसले का इन्तज़ार करें। अगर रिज़र्व बैंक की राय हो कि फलां डायरेक्टर या मैनेजिंग डायरेक्टर ने बैंक को ऐसे तरीके से चलाया है, जिससे कि समाज का नुकसान है। उसको हटाने का रिज़र्व बैंक को अख्तियार होना चाहिये।

इस सिलसिले में मैं यह कहे बगैर नहीं रह सकता कि यह दु :ख की कथा है कि ये बैंक और उनके हिस्सेदार आजतक जो चाहे, वह मुनाफ़ा कमाते रहे हैं। वह कमाते रहे हैं रिज़र्व बैंक के सहारे और रिज़र्व बैंक चालीस करोड़ इन्सानों का बैंक है। इन बैंकों ने चालीस करोड़ के अस्सी फ़ीसदी हिस्से के लिये जो पैसा दिया, वह एक फ़ीसदी है। इसलिये, जिस शख्स के नुक्ता-ए-निगाह में अस्सी फ़ीसदी आबादी के हित सामने हैं, वह यह कहे बगैर नहीं रह सकता कि ये बैंक देश के मफ़ाद के लिये नहीं चले, चन्द आदमियों के मफ़ाद के लिये चले। मैं समझता हूँ कि चन्द आदमियों के मफ़ाद के लिये रिज़र्व बैंक का इमदाद करना सही न होगा। आज हमारे देश में करोड़ों रुपयों का अनाज बाहर से मंगाया जा रहा है और देश का हर प्लानर यह मानता है कि इस देश की अनाज की पैदावार बढ़ाना जरूरी है। इसलिये, खेती की तरक्की के लिए रुपया देना बहुत जरूरी है। मैं समझता हूँ कि रिज़र्व बैंक को यह अख्तियार होना चाहिए कि वह मुकर्रर कर दे कि फलां बैंक कम से कम बीस

फ़ीसदी, या पंद्रह फ़ीसदी या दस फ़ीसदी शुरू में - और आखिर में यह हद बढ़ती जाए--खेती में रुपया लगायेगा और जो इस शर्त को तोड़े, उसके डायरेक्टर को हटाने का पूरा अख्तियार रिज़र्व बैंक को होना चाहिए।

मेरे साथी पूर्ववक्ता ने इस बात की दलील दी कि क्यों न उनको ज्यादा मुनाफा दिया जाए। मैं पूछना चाहता हूँ कि अगर कल यह हाउस फैसला करे कि इन बैंक्स को नैशनेलाइज करना है। क्या हम उनको जो कम्पेन्सेशन देंगे, वह शेअरज की फेस वैल्यू के हिसाब से देंगे? हम उनको मार्केट वैल्यू के हिसाब से देंगे। उन्होंने 1920 की किस्सा-कहानी सुनाई कि 1920 में जिस हिस्से की कीमत सौ रुपये थी, वह आज बहुत बढ़ गई है। कल अगर हमने नैशनेलाइज़ किया। हम उस हिस्से की कीमत तीन सौ या चार सौ अदा करेंगे। क्या उनके लिए यह मुनाफा नहीं है? जब वे सौ के बदले तीन चार सौ ले लेंगे। उनको क्या अधिकार है कि वे हद से बाहर मुनाफे की तरक्की करे। आप जानते हैं कि हिन्दुस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने एलान किया है कि यह को-आपरेटिव्ज की पालिसी खेती में ही नहीं रहेगी, बल्कि हम इसको बढ़ाना चाहते हैं और हम इसको इंडस्ट्री में ले जाना चाहते हैं। आज के दिन यह बिल आये और उसमें यह धारा हो कि हम उनके मुनाफे की तादाद को बढ़ाने की इजाजत देना चाहते हैं तो मैं समझता हूँ कि यह हमारे देश की नीति के खिलाफ है। अगर सरकार सब बैंक्स को कुछ मजबूरियों की वजह से को-आपरेटिव नहीं बनाना चाहती, या नैशनलाइज नहीं कर सकती, तो मैं चाहूंगा कि कम से कम उस प्रिसिंपल को इन बैंकों में भी लागू किया जाये, जो कि को-आपरेटिव बैंक्स में लागू होता है, यानी कुछ परसेंटेज से ज्यादा मुनाफा हिस्सेदारों को नहीं मिल सकता है। मैं यह मानने के लिये तैयार हूँ कि जो मुनाफा बंटे, को-आपरेटिव बैंक में अगर वह पांच परसेंट है तो यहां छः परसेंट हो जाये। 1 या 1/2 परसेंट ज्यादा बेशक दे दें। लेकिन यह कैसे उनको छूट मिली कि वह मुनाफा इससे ज्यादा बांट सकें। मैं कहना चाहता हूँ कि यह हद हटानी नहीं चहिये। दूसरे शब्दों में कोई न कोई हद मुकर्रर करनी चाहिये और मंत्री महोदय इस अमेंटमेंट को वापस लें।

इसके अलावा, मैं यह भी मानता हूँ कि आज के दिन जब हम इ बात की तैयारी में हैं कि हम तमाम बैंकों को सरकारी बना लेंगे तब हमें इस बात की इजाजत नहीं देनी चाहिये कि कोई बैंक फेल हो। हमको आज इस बात की पूरी जिम्मेदारी लेनी चाहिये कि किसी बैंक को हम फेल नहीं होने देंगे। क्योंकि, आज तो रिजर्व बैंक के पास अख्तयार है। वह क्यों यह सोचे कि कोई बैंक फेल होगा तो कैसे उसका

हिसाब-किताब चुकायेंगे और किस तरह से उसका हिसाब निपटायेंगे? हमारे दिल के अन्दर यह चीज रहनी ही नहीं चाहिये कि कोई बैंक फेल होगा। क्योंकि आज रिजर्व बैंक को अख्त्यार है कि जो किसी बैंक को चलाने वाले हैं, अगर वह गलत काम करें तो उनको हटा दे और उस बैंक को ले ले। हमें आज देश के लोगों के दिल में इस बात का डर निकाल देना चाहिये कि कोई भी बैंक इस देश के अन्दर फेल हो सकता है। अगर, कोई बैंक गलत काम करता है, किसी खास आदम के मुनाफे के लिये चलता है तो हम लोग कानून के अधीन उस बैंक को ले सकते हैं और उसके चलाने वालों को हटा सकते हैं।

द्वितीय लोकसभा

सोमवार, 24 अगस्त, 1959 *

पूरक अनुदान मांगें

चौधरी रणबीर सिंह (रोहतक) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सप्लीमेंटरी डिमांड्स के हक में हूँ।

जहां तक डिमांड नम्बर 73 का ताल्लुक है इस बारे में यह कहे बगैर नहीं रह सकता कि चाहे कुछ देर में ही हो। लेकिन, रिहैब्लिटेशन मिनिस्ट्री ने उन आदमियों के साथ जो वैस्ट पंजाब से उजड़कर आये थे और खेती करते थे उन्होंने पंजाब के अन्दर पहले से ज्यादा अन्न उगाकर दिखाया। उनको एक जगह से दूसरी जगह भेजने में और एक जगह से उठाकर दूसरी जगह बसाने में जो खर्चा आया या, जो कर्ज दिया गया था उस कर्जे को पहले माफ कर देना चाहिये था। लेकिन, मुझे खुशी है कि 80 लाख से ज्यादा रुपया आज यह डिमांड मंजूर करके रिहैब्लिटेशन मिनिस्ट्री पंजाब के उन किसानों को सहायता देगी जिन्होंने पंजाब की अनाज की समस्या को हल करने में सरकार की इमदाद की है। इसी तरीके से गरीब बेवाओं जिनको कि मशीनें दी गई थीं, यह जो कर्जा था वह उनका माफ किया जाता, अव्वल तो उनको कर्जे के बजाए ज्यादा इमदाद देनी चाहिये थी। लेकिन, खैर उनका जो कर्जा था उसको साफ करके उनके दिमाग़ से कुछ बोझ हटाया जा रहा है, वह एक सराहनीय काम है। इन बातों को कहते हुए मेरे लायक दोस्त श्री मेनन ने कई बातें कही हैं इस मंत्रालय के बारे में और देश की सरकार की फंक्शनिंग के बारे में तो खासतौर पर तिब्बत के बारे में जब वह जिक्र कर रहे थे। उनके दिमाग में टौडी टैपर्स ज्यादा छाये रहते हैं। टौडी टैपर्स को केरल में बहुत ज्यादा रिआयत दी है और वह इस सरकार से भी तवक्को करते हैं कि

** संसदीय बहस (कार्यवाही लोकसभा 1957-62), 24 अगस्त 1959, पृष्ठ 4140-4143*

जो सरकार आमतौर पर शराबन्दी के लिये वचनबद्ध है, वह भी ऐसे साथियों को इमदाद देती रहे। मुझे तो उनकी यह बात समझ में नहीं आई। जहां तक उनकी हमदर्दी और प्यार का ताल्लुक है वह तो समझ में आ सकता है, क्योंकि, कम्युनिस्ट पार्टी को उन गरीबों ने अपनी कमाई में से काफी चंदा दिया है। उनके लिये हमारे कम्युनिस्ट भाइयों के दिल में एक हमदर्दी और प्यार का भाव है, उसको तो एक आदमी समझ सकता है। लेकिन, उस प्यार का हर वक्त मौके बेमौके इजहार करना कहां तक उचित है? मेरा ख्याल है कि तिब्बत और चीन के प्यार में हिन्दुस्तान के लिये प्यार का भाव तो उनके दिल में बहुत कम ही आता होगा। चीन सरकार के कामों और उनकी नीतियों के लिये जो हमारे कम्युनिस्ट भाइयों के दिल में एक प्यार है उसके कारण चाहे हमारे तिब्बती भाई कितनी ही मुसीबत और दु :ख में क्यों न हों उनकी तरफ वह हमदर्दी की नजर से नहीं देख सकते। आज वे सरकार से यह पूछना चाहते हैं कि उन बेघर हुए तिब्बती साथी जो हालात की मजबूरी से इधर आ गये उनको वह कब चीन या तिब्बत के हवाले करेगी, ताकि वे जिस तरीके से चाहें उनकी किस्मत का फैसला करें? हिन्दुस्तान की सरकार ने वेस्ट पाकिस्तान से जो भाई इधर उजड़कर आये, यह ठीक है कि वह पार्टिशन से पहले इस देश का एक हिस्सा था। लेकिन, पार्टीशन के बाद से तो वह पाकिस्तान का एक हिस्सा बन गया था, वहां से खदेड़े गये आदमियों को जो एक लाख नहीं बल्कि कितने ही लाख लोगों को भारत सरकार ने अपने यहां शरण दी और उनको रिहैब्लिटेट किया। हमारी सरकार ने उन अभागे व्यक्तियों को यहां पर बसाने के लिये 350 करोड़ रुपया खर्च किया। यह तो ठीक है कि जो भाई वहां से उजड़कर आये हैं उनके दिल की कोई पूरी तसल्ली नहीं करा सकता क्योंकि, अपने घर का प्यार इंसान को सबसे ज्यादा होता है। हमारे उन भाइयों को जो नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा है वह इतना भारी है कि कोई भी हिन्दुस्तानी उनसे हमदर्दी रखे बगैर नहीं रह सकता। लेकिन, इसके साथ ही कोई यह कहे बगैर नहीं रह सकता कि हिन्दुस्तान की सरकार ने जो भाई भी उजड़ कर आये चाहे वे पाकिस्तान से थे, लंका से थे अथवा सिंगापुर से या तिब्बत से आये, सबकी सहायता की है। यही हमारी सरकार की नीति है। हो सकता है कि हमारे कुछ दोस्तों को किसी की वजह से, चीन की वजह से, तिब्बत वालों के साथ वह हमदर्दी न हो जो दरअसल होनी चाहिये। लेकिन, जहां तक भारत सरकार का सम्बन्ध है उसके चीन की सरकार के साथ मैत्री सम्बन्ध हैं और चीनी लोग उसके दोस्त हैं। लेकिन, यह सब होते हुए भी जैसे कि हिन्दुस्तान की पहले से प्रथा और परम्परा चली आ रही है जो भी हमारे देश में शरण

लेने आयेगा उसको हमारी सरकार शरण देगी और उसकी सहायता करेगी। यही बात तिब्बती लोगों के लिए भी लागू है जो हमारे यहां शरण लिए हुए हैं।

इसके अलावा श्री बनर्जी ने जो कहा वह कुछ मेरी समझ में नहीं आया क्योंकि, उन्हें तो बहुत खुशी मनानी चाहिये थी कि कलकत्ते का रेफ्यूजी कैम्प तोड़ा नहीं जा रहा है। मंत्री महोदय के पास यह शिकायत थी कि उन उजड़े हुए भाइयों से जिनको सरकार इमदाद देती है, कुछ पार्टियां उस इमदादी रुपये में से चन्दे की शक्ल में पैसा वसूलती है और उस पैसे से अपनी पार्टियों को मजबूत करते हैं और चलाते हैं। ऐसे लोग अलबत्ता यह चाहते होंगे कि यह कैम्पस जारी रहें और कायम रहें ताकि उनका मतलब निकलता रहे।

यह ठीक है जैसा कि हमारे श्री पाणिग्रही ने कहा कि दण्डकारण्य का जो इलाका है वह एक खासा खराब इलाका है। इसको कि खेतों में बदल कर चलाना बहुत आसान नहीं है। इस कारण या और किन्हीं मुश्किलात की वजह से उन लोगों को उधर बसाने में कुछ देरी हो। लेकिन, एक बात का ख्याल रिहैब्लिटेशन मिनिस्टर साहब को जरूर रखना चाहिये कि जो बात उन्होंने इस सदन में कही थी कि कुछ सियासी पार्टियां उजड़े हुए भाइयों की इमदाद का नाजाएज फायदा उठा रही हैं, उनको यह नाजाएज फायदा उठाने का मौका न दिया जाए। कितने ही दिन उनको वहां रखने के लिये मजबूर होना पड़े, यह जो अवगुण हैं इसको दुबारा जिन्दा नहीं होने देंगे। हमारे मित्रों को दो ही फिक्र दामनगीर हैं, एक तो जंतर मंतर की ओर दूसरी टौडी कीपर्स की और इसका इजहार वे हर मौके पर चाहे उसका रेफ्रेंस रैलेवेंट हो अथवा नहीं, कर दिया करते हैं। अब जो भाई हमारे उजड़ कर आये हैं, और सरकार उनको बसाने के लिये जो रुपये की इमदाद देती है, हमें फिक्र इस बात की है कि कोई भी शख्स अथवा राजनैतिक पार्टी उस मिलने वाली इमदाद का नाजाएज फायदा न उठाये। मैं चाहता हूँ कि कोई भी सियासी पार्टी जो ऐसे गरीब और हालात से मजबूर लोगों से चन्दे की शक्ल में नाजाएज फायदा उठाना चाहे, उससे सरकार को इन उजड़े हुए और मुसीबतजदा भाइयों को जरूर बचाना चाहिए।

द्वितीय लोकसभा

मंगलवार, 25 अगस्त, 1959 *

पशु क्रूरता निवारण विधेयक

चौधरी रणबीर सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल का समर्थन करते हुए मैं यह कहे बिना नहीं रह सकता कि हमारे देश में पशुओं और पक्षियों के प्रति दया करने की और उनका पालन करने की भावना शुरू से रही है। लेकिन, अगर हम अपने पशुओं का दूसरे देशों के साथ मुकाबला करें जहां वह भावना नहीं है जो हमारे देश में है। हम अपने पशुओं में और उनके पशुओं में बड़ा फर्क पाते हैं। इस कानून में यह रखा गया है कि एक बोर्ड बनाया जाएगा जो पशुओं के प्रति हमदर्दी पैदा करने के लिये आरगेनाइजेशन को सहायता देगा। ऐसी संस्थाओं की इस देश में कोई आवश्यकता नहीं है। पहले ही लोग इस देश में जहां तक जबानी हमदर्दी का ताल्लुक है पशुओं के साथ जबानी हमदर्दी रखते हैं। लेकिन, वह हमदर्दी से आगे नहीं जाती। जो भाई हमदर्दी रखते हैं बन्दर के साथ, जो भाई हमददी रखते हैं गऊ के साथ जब ये जानवर उनकी दुकान के सामने जाते हैं। वे उनके पीछे लाठी लेकर भागते हैं। जब वह जानवर किसी दूसरे का खेत चरते हैं और उसका नुकसान करते हैं। उनकी हमदर्दी उन जानवरों के साथ रहती है, चूंकि उनका अपना कोई नुकसान नहीं है। शायद वह लोग यह समझते हैं कि बन्दरों के फसल को खाने से ज्यादा पैदावार होती है। लेकिन, जिसने मेहनत से खेत कमाया है और गन्ना या अनाज पैदा किया है उसकी फसल को जब बन्दर खाते हैं। वह अनुभव करता है कि यह पशु पक्षियों की हमदर्दी किस हद तक जानी चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय। लेकिन, इस सारी भावना के बावजूद, जैसा कि मैंने शुरू

** संसदीय बहस (कार्यवाही लोकसभा 1957-62), 25 अगस्त, 1959, पृष्ठ 4392-4399*

में कहा, जब हम अपने देश के पशुओं का मुकाबला दूसरे देशों के पशुओं से करते हैं तो हमारा सिर शर्म से झुक जाता है। मैं किसी देश के नाम का हवाला नहीं दूंगा। मैं केवल इतना ही कहूंगा कि दूसरे देशों के अन्दर जो गायें हैं, वे हाथी जैसी हैं। हम लोग गाय के नाम की बड़ी दुहाई तो देते हैं। लेकिन, हमारे यहां बहुत सी ऐसी गायें हैं, जो केवल एक सेर ही दूध देते हैं। दूसरे देशों में आप देखें कि गायें 35 और 40 सेर दूध देते हैं और गायें हाथी जैसी शक्ल की हैं। इसको देखकर हमको अन्दाजा होता है कि हम न केवल कारखानों में ही दूसरे देशों से पिछड़ गये हैं, बल्कि जो डंगर पालने का तरीका है, उसमें भी हम उनसे पीछे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : अगर गाय की शक्ल हाथी जैसी हो जाये तब तो हम उसको नहीं पूजेंगे।

चौधरी रणबीर सिंह : मैं समझता हूँ कि अगर उससे फायदा होगा तो चाहे हम पूजा का नाम न लें। लेकिन, उसकी रक्षा जरूर करेंगे।

आपको पता ही है कि पंजाब से बहुत अच्छी-अच्छी भैंसें और गायें कलकत्ता में जाती हैं, जहां बहुत सारे करोड़पति लोग रहते हें, जो गऊ के नाम पर आंसू बहाते हैं और गाय की दुहाई देते हैं। लेकिन, इन शहरों में गायों और भैंसों का यह हाल है कि जहां उसने दूध देना कम किया या बन्द किया कि उनको कसाई के यहां भेज दिया जाता है और इस तरह से देश की बहुत बढ़िया नस्ल के पशु गो कि वह दूसरे देशों के मुकाबले में ज्यादा अच्छे नहीं होते, नष्ट कर दिये जाते हैं। एक बार मैं और डा. पंजाबराव देशमुख कलकत्ता गये थे। हम दोनों बुचड़खाने में बाबू ठाकुरदास भार्गव के साथ पहुंचे और हमने वहां गायों को खड़े देखा। मैंने मजाक में डा. पंजाबराव देशमुख से कहा कि जहां तक आपके प्रदेश का वास्ता है, मैं समझता हूँ कि वहां की अच्छी से अच्छी गायें भी यहां जो बुरी से बुरी गायें काटी जा रही हैं, नका मुकाबला नहीं कर सकतीं। हमारे देश के पशुओं की यह हालत है। आज मध्य प्रदेश और दूसरी जगहों में गऊ पर बहुत ज्यादा श्रद्धा रखी जाती है। लेकिन, वहां अगर गाय और बैल की हालत को देखा जाये तो पता चलेगा कि दो बैल की जोड़ी दस मन से ज्यादा बोझ उठाकर नहीं चल सकती और गाय एक सेर से ज्यादा दूध नहीं दे सकती। गाय और बैल के नाम पर चाहे कोई कुछ कहे, लेकिन दरअसल हमारे यहां पशुओं के साथ एक बड़ा भारी जुल्म हो रहा है। पंजाब में गाय और बन्दारों की दुहाई नहीं दी जाती है। लेकिन, अगर हिन्दुस्तान के किसी दूसरे हिस्से का आदमी वहां के गाय, बैल या भैंस को देखता है तो उसका दिल खुश हो जाता है,

अगर, उसके दिल में पशुओं के लिए श्रद्धा है। जब वह वहां पर दूध की मिकदार को देखता है तो उसका दिल खुश हो जाता है। आज अगर पंजाब का किसान हिन्दुस्तान के दूसरे हिस्सों के किसान से ज्यादा खुशहाल है, तो उसके दो तीन कारण हैं। बड़ा कारण तो पंजाब की नहरें हैं। लेकिन, दूसरा बड़ा कारण है पंजाब का पशुधन तो मैं अपने जिले के बारे में जानता हूँ। अकेल हमारे जिले को गाय और भैंस बाहर भेजने से, जोकि उत्तर प्रदेश से लेकर बंगाल तक जाते हैं, करोड़ों रूपये की आमदनी होती है। हमारे जिले में किसानों की खुशहाली की यह हालत है कि जिस किसान के पास तीन चार एकड़ जमीन है, उसके पास भी पक्का मकान है, उसकी औरत के कपड़े अच्छे हैं, उसके रहने-सहने का तरीका और उसका खानपान अच्छा है।

उपाध्यक्ष महोदय : वह कपड़े औरत के ही अच्छा रखता है या अपने भी ?

चौधरी रणबीर सिंह : साबुन का कारखाना यू.पी. में है। अभी वह पंजाब में लगा नहीं है। जब लग जायेगा तो उसके कपड़े भी अच्छे हो जायेंगे।

मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि वहां किसान की हालत अच्छी है, उसकी एक वजह यह है कि वहां का पशु अच्छा है। वहां पशु के लिये जबानी हमदर्दी नहीं है। मुझे याद है कि जेल में मेरे साथ एक कैदी थे। जब उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं कौन से जिले का हूँ तो उन्होंने मुझसे मजाक किया कि आपके जिले में आदमी गाय और भैंस को अपनी औरत और बच्चों से ज्यादा प्यार करता है और उनके पालन-पोषण और उनके नहलाने-धुलाने का काम इतने प्यार से करता है। उनका इतना ख्याल रखता है, जितना कि वह अपने बच्चों और औरत का नहीं रखता है। उपाध्यक्ष महोदय, अगर हमने पशु का पालन करना है, उसकी नस्ल सुधारनी है और उसको जुल्म से बचाना है तो यह कुदरती बात है कि उससे बहुत ज्यादा प्यार करना होगा, उसको अच्दी खुराक देनी होगी और अच्छी तरह नहलाना-धुलाना होगा और हर तरह से उसकी सेवा में तत्पर रहना होगा। उसमें सिर्फ जबानी जमा-खर्च से काम नहीं चलेगा।

हमारे देश की हालत यह है कि लोग कहते तो यह हैं कि हमें पशुओं से प्यार है। लेकिन, वे उनको मारना चाहते हैं--एकदम किसी हथियार से नहीं, बल्कि वे उनको भूखा मारते हैं, उनको खुराक नहीं देते हैं। मुझे खुशी है कि इस बिल में उसका भी जिक्र किया गया है और कहा गया है कि जो डंगर की अच्छी तरह से सेवा-शुश्रुषा नहीं करेगा, उसको अच्छी खुराक नहीं देगा और उसको कमजोर रखेगा

तो उसको भी एक महीने की सजा दी जा सकती है। मैं समझता हूँ कि यह बहुत जरूरी है। इससे हिन्दुस्तान के दूसरे प्रदेशों का इम्तहान होगा कि वे अपने पशुओं को किस तरह से रखते हैं। अभी मेरे साथी बोले और उन्होंने पशुओं के लिये हमदर्दी जाहिर की। लेकिन जब इनके पशु जाकर देखें तो हमारे सूबे के लोगों को दु:ख होता है।

एक वक्त था कि जब बाबू ठाकूर दास भार्गव ने बड़े जोर से कहा था कि इस देश में किसी डंगर को नहीं मारना चाहिये। हमारे कृषि मंत्री डा. पंजाबराव देशमुख ने कहा कि यह कैसे हो सकता है। जब मैं बीच में बोलने लगा तो मैंने कहा कि जब बाबू ठाकुरदास भार्गव के सामने डंगर को मारने का सवाल आता है तो उनकी आंखों के सामने हिसार के बैल और सांड, गाय और भैंस आते हैं और जब डाक्टर साहब के सामने यह सवाल आता है कि खराब और नाकारा डंगर को मारा जाय या नहीं, तो उनकीं आंखों के सामने मध्य प्रदेश की पतली पतली गायें और नाकारा सी भैंसे और बैल होते हैं। उन्हें मालूम है कि वे न खेती के काम के हैं और न वे काश्तकार की आमदनी को बढ़ा सकते हैं। उनसे तो नुकसान ही होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि मिसाल मशहूर है कि खोटा पैसा खरे पैसे को बाजार से निकाल देता है। जो अच्छे डंगर हैं, उनको इसलिये पनपाया नहीं जा सकता है कि इतने ज्यादा खराब और दुबले-पतले डंगर हैं, जिनकी परवरिश व करना चाहते हैं और वह उनकी शक्ति के बाहर होता है। दूसरे प्रदेशों के लोग इस बारे में बड़ी भावना रखते हैं कि डंगरों के ऊपर जुल्म न हो। लेकिन जब उनके पशुओं को देखा जाता है तो उनकी भावना का तोल हो जाता है कि वे दरअसल किस हद तक सच्ची है।

श्री खादीवाला (इन्दौर) : मध्य प्रदेश की गाय और बैल हथिनी के बच्चे की तरह होते हैं। शायद माननीय सदस्य समझ रहे हैं कि मध्य प्रदेश के गाय बैल बहुत कमजोर होते हैं। हमारे यहां मालवा के गाय बैल बहुत अच्छे होते हैं।

चौधरी रणबीर सिंह : मध्य प्रदेश तो अब तक एक बहुत लम्बा चौड़ा इलाका है। उसमें मध्य भारत का भी हिस्सा है, पुराने मध्य प्रदेश का भी हिस्सा है। मालवा क्के गाय-बैल अच्छे होते हैं, यह बात ठीक है।

मुझे खुशी है कि इसमें यह प्राविजन रखा गया है कि जो अपने पशुओं को अच्छी खुराक नहीं देगा, उसको सजा होगी। इसमें यह भी लिखा है कि जो बोर्ड बनेगा, वह ऐसी आरगेनाईजेशन को बढ़ावा देगा, जो पशुओं की रक्षा और उनकी नस्ल सुधार के बारे में काम करती हैं। मुझे इसमें कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन, मैं यह

निवेदन करना चाहता हूँ कि ऐसे आरगेनाईजेशान्ज इस देश में अब भी बहुत हैं। लेकिन, वे जिस तरह से काम करती हैं, मैं समझता हूँ कि वे देश के हित के लिए नहीं हैं और न ही वे पशु-पालन के हित के लिये हैं। ऐसी आरगेनाईजेशन्ज के लिये उस बोर्ड को पैसा नहीं देना चाहिये। मैं चाहूंगा कि बेशक इस क्लाज को निकाल दिया जाये। मैं चाहता हूँ कि बोर्ड का जितना रूपया खर्च हो, वह इस तरह की अच्छी संस्थायें बनाने के लिये खर्च हो। पशु और पक्षियों की नस्ल सुधारने व उनको जुल्म से बचाने के लिए खर्च हो। यह भावना देश में काफी है और यहां तक कि मेरी राय में वह पशु और पक्षियों की नस्ल सुधार के खिलाफ जाती है। हमारे जैसे लोग, जिनके पास बड़े अच्छे पशु हैं और जो पशु की बड़ी रक्षा करते हैं। लेकिन जब यहां पर हम उनकी बात को सुनते हैं तो हम मजबूर होते हैं, उनकी बातों के खिलाफ कहने को तो बन्दरों की यहां जब बात की जाती है तो हमें ताज्जुब होता है, यह देख कर कि उनकी जो कथा है, उसको वे लोग भूल जाते हैं, दुकानदार लोग जब उनकीं दुकानों के नजदीक बन्दर आते हैं तो उनको पास फटकने नहीं देते कि उनके दिल में हमदर्दी जाग्रत हो जाती है, जब वे यह कहते हैं कि इनको क्यों मारा जाता है। हिन्दुस्तान के जो 70 फीसदी किसान हैं वे बन्दरों को देख करके इतना घबराते हैं और उनको मारने के लिए इतने उतावले हो जाते हैं कि कई बार उनको जब वे मारने के लिये गोली चला देते हैं तो इन्सान भी जख्मी हो जाते हैं। जहां उनकीं भावनाओं की हमारे दिलों में कद्र है और जहां हम उन्हें इस बात पर ऐतराज करते हुए सुनते हैं कि यहां से बन्दर क्यों अमरीका इत्यादि देशों को भेजे जाते हैं, इसके साथ ही साथ मैं उन्हें कहना चाहता हूँ कि वे जरा इस बात पर भी ऐतराज करें कि हमारे अच्छे बैल, अम्छी गायें, अच्छी भैंसे, जोकि मद्रास, कलकत्ता और बम्बई जाती हैं, उनको वहां क्यों कत्ल कर दिया जाता है ? मुझे खुशी होती, अगर वे इस बात पर ऐतराज करते और इसके बारे में कोई सुझाव देते। उन्हें चाहिये था कि वे बताते कि किस तरह से हिन्दुस्तान की अच्छी नस्लों को बचाया जा सकता है ?

मैं इस बात से कभी सहमत नहीं हो सकता कि अच्छी नस्ल का जो फायदा है, दूध का जो फायदा है, वह कलकत्ता, बम्बई इत्यादि वालों को न दिया जाये और पशुओं के यहां से वहां ले जाने पर पाबन्दी लगा दी जाए। जिस तरह से अनाज के ऊपर कंट्रोल लगाना कोई बुद्धिमानी की बात नहीं साबित हुई है, उसी तरह से जो लोग यह समझते हैं कि अच्छी नस्ल के पशुओं को यहां से मद्रास, कलकत्ता इत्यादि न जाने दिया जाये ताकि उनकी रक्षा हो सके, ठीक नहीं है। मैं उनके साथ सहमत

नहीं हो सकता हूँ। लेकिन, मैं चाहता हूँ कि इस बिल के पास होने के बाद जो बोर्ड बने, वह इस बात पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दे कि जो अच्छी नस्ल हिन्दुस्तान की आज कलकत्ता, बम्बई, मद्रास इत्यादि में जाकर खत्म हो जाती है, वह खत्म न होने पाये, उसकी रक्षा हो सके और इसकी तरफ और अधिक ध्यान दिया जाए।

जहां तक संस्थायें बनाने की बात है और उसके बारे में जो आपकी सब-क्लाज है, उसको मैं चाहता हूँ कि इस ढ़ंग से बदला जाये, जिससे कि प्रचार वाली बात तो निकल जाये और किस तरह से सही तौर पर अच्छी नस्ल वाले जानवरों की रक्षा हो सकती है, किस किस्म की आर्गेनाईजेशन और संस्थायें इस काम को अच्दी तरह कर सकती हैं ? उस किस्म की संस्थाओं को बढ़ावा दिया जाना चाहिए और बोर्ड द्वारा उनको ग्रांट्स दिये जाने का प्रबन्ध होना चाहिये।

द्वितीय लोकसभा

बुधवार, 2 सितम्बर, 1959*

अविलंबनीय लोक महत्व पर ध्यानाकर्षण

चौधरी रणबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस के कोई 13 सदस्य अभी परसों वैस्ट बंगाल से वापिस आये हैं और हमने देखा कि वैस्ट बंगाल के अन्दर कोई भी देहाती या शहरी आदमी जो 8 आने तक या बिलकुल लोकल टैक्स नहीं देता है, ऐसे हर एक व्यक्ति को राशनकार्ड के ऊपर चावल और गेहूँ दिया जाता है।

एक माननीय सदस्य : उसकी क्वालिटी कैसी होती है?

चौधरी रणबीर सिंह : वहां पर अध्यक्ष महोदय उन 13 सदस्यों ने चारों तरफ कलकत्ते के अन्दर और दूसरे जिलों में जाकर देखा और जहां कहीं भी वे पहुंचे, फेयर प्राइस शौप्स पर, हिन्दुस्तान की सरकार के गोदामों पर या वैस्ट बंगाल सरकार के गोदामों पर, उन तमाम गृहों पर जो अनाज की क्वालिटी थी उसे खराब नहीं कहा जा सकता। हां यह बात सही है कि मध्यप्रदेश के इलाके का जो चावल आया हुआ था चूंकि वह पहाड़ी इलाके में पैदा होता है और उसकी थ्रैशिंग पहाड़ी इलाके में की जाती है। इसलिये, उसमें थोड़ी बहुत पथरीली कंकड़ी थीं जो मैं समझता हूँ कि लाजिमी अम्र है। अब वैस्ट बंगाल को यदि मध्यप्रदेश के चावल पर निर्भर रहना है और वह उतना चावल पैदा नहीं कर सकता जितना वैस्ट बंगाल को जरूरत है। यह लाजिमी अम्र है। एक मन चावल के अन्दर कुछ कम या आधी छटांक पत्थर की किनकी उसमें आ जाए और थोड़ी बहुत किनकी को कोई एवाएड नहीं कर सकता।

** संसदीय बहस (कार्यवाही लोकसभा 1957-62), 2 सितम्बर, 1959, पृष्ठ 5882-5883*

मेरे उस ओर के बैठने वाले साथी जिन्होंने वहां पर एक मुवमेंट चला रखा है और उसमें हजारों आदमियों को जेलों में भेज रहे हैं और उस इलाके के अन्दर एक इस तरह की हवा पैदा कर रहे हैं कि अनाज की कमी है। इस देश के अन्दर कुछ हालत ऐसी है कि यदि अनाज के भाव जरा ऊंचे जाने लगते हैं। एक तरफ से मंदी मंदी की आवाजें आने लगती हैं और दूसरी तरफ से तेजी तेजी की आवाजें उठने लगती हैं। दूसरे देशों के अन्दर कुछ आदमी सोचते हैं कि मंदी किस लिए आती हैं और तेजी किस लिए आती है। लेकिन, इस देश के अन्दर हालत ऐसी है कि अगर यह हवा चलती है कि अनाज की कमी है। कमी की वजह से भाव ऊंचे चढ़ जाते हैं। कमी की हवा चलने से जो खुले बाजार में अनाज के भाव चढ़ जाए करते हैं उसको कोई रोक नहीं सकता है। इसलिये, मेरे साथी जो वहां पर अनाज का भाव सस्ता मांगते हैं वह मुश्किल है और गलत है। मेरे मित्र जो मंत्री महोदय को वैस्ट बंगाल ले जाना चाहते हैं। मैं उनको बतलाना चाहता हूँ कि सम्भवत : मंत्री महोदय ने पहले से ही वहां पर जाने का प्रोग्राम बनाया हुआ है। मेरी समझ में आज उनके द्वारा जो वैस्ट बंगाल में मूवमेंट चलाया जा रहा है वे अगर उसको वापिस ले लें। ऐसा करके वे वैस्ट बंगाल के इंटरेस्ट्स को ही सर्व करेंगे और भाव को नीचे लाने में मदद करेंगे।

द्वितीय लोकसभा

वीरवार, 3 सितम्बर, 1959*

राजभाषा पर संसदीय समिति की रिपोर्ट

चौधरी रणबीर सिंह : सभापति महोदय, चूंकि मेरे पास समय बहुत कम है और मुझे दस मिनट में अपना भाषण समाप्त कर देना है। इसलिये, मैं इस विषय पर अधिक विस्तारपूर्वक निदेवन कर सकूंगा।

जिस तरीके से अंग्रेज लोग जब वह इस देश पर हकूमत करते थे। वे अपना उल्लू सीधा करने के लिये और इस देश पर अपना शासन सदा के लिये जमाये रखने के लिए यहां हिन्दू, मुसलमानों और सिक्खों आदि लोगों को आपस में लड़ाया करते थे। उसी तरीके से आज मुझे यह बड़े दु :ख के साथ कहना पड़ता है कि अंग्रेजी के पढ़े लिखे विधायकों, प्रशासकों, न्यायधीशों और वकीलों ने देश में अंग्रेजी को बनाये रखने की साजिश कर दी है।

यह कितनी बदकिस्मती की बात है कि बावजूद इस बात के कि जिस वक्त हमारा संविधान बना। श्री एन्थनी भी संविधान परिषद के हमारे साथ सदस्य थे और उनका भी विधान बनाने में योग रहा और संविधान सभा ने देश की भाषा का प्रश्न प्राय : एकमत से और सर्वसम्मत राय से, सिवाय टंडन जी के कोई उसके विरोध में नहीं था। उनका भी विरोध एक अपने ढंग का खास विरोध था। लेकिन, बाकी सब लोग भाषा संबन्धी निर्णय से सहमत थे, जिसके अनुसार यह तय पाया गया कि सन् 1965 के बाद से हिन्दी इस देश की राजभाषा के पद पर आसीन हो जाएगी और वह अंग्रेजी का स्थान ले लेगी। इस निश्चय के बाद भी जैसे कि यहां पर अंग्रेज शासक भारतवासियों को आपस में लड़ा कर शासन करते थे, वही नीति मैं आज यह कहने

** संसदीय बहस (कार्यवाही लोकसभा 1957-62), 3 सितंबर, 1959, पृष्ठ 6288-6294*

के लिये मजबूर हूँ कि अंग्रेजी पढ़े लिखे ऐडमिनिस्ट्रेटर अपना रहे हैं। वह लड़ाई पैदा करते हैं बंगाली के नाम पर, वह लड़ाई पैदा करते हैं तामिल और तेलगू के नाम पर और हिन्दी के नाम पर। लेकिन, मैं कहना चाहता हूँ कि लड़ना तामिल, तेलगू और बंगाली की नहीं है। मुझे तो खुशी होती अगर बंगाल की सरकार डिस्ट्रिक्ट लेविल पर वहां बंगाली चलाती होती। इसी तरह अगर तमिल या तेलगू के इलाके में डिस्ट्रिक्ट लेविल के ऊपर जो आज पत्र व्यवहार होता है वह तामिल और तेलगू भाषाओं में होता तो मुझे खुशी होती। लेकिन, आज हो यह रहा है कि अंग्रेजी पढ़े लिखे एडमिनिस्ट्रेटर प्रान्तों में एक तरफ तो पंजाबी वाले को बहका देते हैं और उन्होंने 10 हजार आदमियों को पंजाबी के नाम से जेल में भिजवाया और दूसरी तरफ मेरे जो साथ बैठे हैं श्री प्रकाश वीर शास्त्री, उनको और उनके साथियों को बहकाया और दस हजार आदमियों को हिन्दी के नाम पर जेल में भेजा। अब ज्यादा नहीं तो कम से कम गांव की लेविल पर। उनकी क्षेत्रीय भाषा चलती है। लेकिन, पंजाब में आज तक गांव की लेविल पर न तो पंजाबी चलती है और न हिन्दी चलती है। पंजाबी और हिन्दी के नाम पर लोगों को लड़ाया जाता है।

सभापति महोदय, आज वास्तव में लड़ाई हिन्दी और अंग्रेजी के बीच नहीं है, वह भारतीय भाषाओं और अंग्रेजी के बीच है। आज लड़ाई अंग्रेजी और हिन्दी की नहीं है, बल्कि लड़ाई अंग्रेजी और बंगाली की है, अंग्रेजी और तामिल की है, अंग्रेजी और तेलगू की है और अंग्रेजी और हिन्दी की है। हिन्दी बोलने वाले सूबों के अन्दर भी आज जिले के लेविल पर हिन्दी के पत्र व्यवहार नहीं होता है। हिन्दी सन् 1947 में जहां थी उससे आगे कम से कम सरकारी कामकाज में नहीं जाने दी गई है, न ही बंगला जाने दी गई है और न ही तामिल और तेलगू।

मेरे साथी 42 फीसदी की बात करते हैं। लेकिन, मैं उनको बतलाना चाहूँगा कि इस देश के अन्दर अगर कोई ऐसी भाषा है जो कलकत्ते में समझी जा सकती है, मद्रास में समझी जा सकती है या बम्बई में समझी जा सकती है। वह अकेले हिन्दी ही है। हिन्दी ही एक ऐसी भाषा है जिसके माध्यम से एक प्रान्त का निवासी दूसरे प्रान्त के आदमी को अपनी बात, भले ही टूटी फूटी हिन्दी में ही सही, समझा सकता है और उसकी बात को स्वयं समझ सकता है। दक्षिण भारत के अन्दर कोई अन्दाजन् 5000 के करीब हाई स्कूल और 200 कालिजेज हैं जिनके अन्दर हिन्दी लाजिमी तौर पर पढ़ाई जाती है। आन्ध्र के अन्दर हिन्दी लाजिमी तौर पर पढ़ाई जाती है और तामिलनाडू में जहां हिन्दी लाजिमी नहीं है वहां 75 फीसदी बच्चे हिन्दी पढ़ते हैं। मैं चाहता हूँ कि

यह हिन्दी का और दूसरी जबानों का झगड़ा अंग्रेजी के साथ खत्म हो। उस झगड़े को ज्यादा देर तक न बढ़ने दिया जाए और उसके लिए जरूरी है कि हिन्दुस्तान की सरकार की और उसके अफसरों की नीति सही लाइन पर चले।

अब इस कमेटी की 20 नम्बर की सिफारिश के अनुसार वे सरकारी कर्मचारी, जिनकी आयु 45 वर्ष से अधिक की हो गई हो उनके लिये यह हिन्दी की शिक्षा लेना जरूरी न समझा जाए। हमारी इस कमेटी ने जो सिफारिश की है मैं उसका कोई विरोध नहीं करना चाहता। लेकिन, मैं चाहता हूँ कि जितने यह हमारे सदस्य जो अहिन्दी इलाकों से आते हैं और जो हिन्दी नहीं जानते थे, अगर कोई हिन्दी का इम्तिहान पास कर ले। सरकार या हमारी लोकसभा का जो सचिवालय है वह उनको एक हजार रुपया वजीफा दे दे। मैं तो चाहूँगा कि हिन्दुस्तान के जितने भी अहिन्दी प्रदेशों के लेजिसस्लेटर्स हैं, वे अगर एक खास हिन्दी की परीक्षा पास कर लें। हर एक विधायक को एक-एक हजार रुपया इनाम दिया जाए। यही नहीं, मैं तो चाहूँगा कि जो उनको पढ़ाने वाले और सिखाने वाले अध्यापक हैं उनको भी दो-दो सौ और तीन-तीन सौ रुपया बतौर स्पेशल एवार्ड के दिये जाएं। मैं उससे भी आगे जाकर कहना चाहता हूँ कि अंडर सेक्रेटरी के लेविल से ऊपर के जो उच्च सरकारी कर्मचारी जैसे आई.ए.एस. और आई.सी.एस. वाले अगर कोई हिन्दी की परीक्षा पास कर लें। उनको एक-एक हजार रुपये का इनाम दे दिया जाए और जो उनको पढ़ाये उनको दो सौ रुपया इनाम दिया जाए, ताकि सही मायने में यह जो हमारी जनरेशन है जिसने अंग्रेजी में शिक्षा दीक्षा पाई और जो अंग्रेजी में ही पढ़ना लिखना जारी रखना चाहते हैं हालांकि वह यह अच्छी तरह जानते हैं कि अब हिन्दी का जमाना आने वाला है। लेकिन, अंग्रेजी का मोह उनका पिंड नहीं छोड़ता और वह उससे दायें बायें नहीं होना चाहते हैं, वे आज के बदले हुए वातावरण को समझकर उसके अनुरूप अपने को ढाल सकें और हिन्दी को अपना सकें और उसको व्यवहार में ला सकें। मुझे बहिन वेद कुमारी ने हिन्दी के प्रति जो अपनी आशंका और विचार प्रकट किये उनको सुनकर बड़ा दु :ख हुआ, क्योंकि, मेरा ख्याल था कि वह एक नवयुवती होने के नाते शायद हिन्दी के बारे में ठीक और अच्छे ढंग से सोच सकेगी। लेकिन, उन्होंने भी जो ख्याल प्रकट किया उससे मुझे दु :ख हुआ।

अब जो सुनने में आ रहा है कि सरकारी कर्मचारियों की रिटायरी की आयु 55 वर्ष से बढ़ाकर 58 वर्ष की जा रही है। उस हालत में 42 वर्ष से अधिक के सरकारी कर्मचारियों को हिन्दी की आवश्यक शिक्षा प्राप्त करने से जो छूट दी जा रही

है। क्या होम मिनिस्ट्री अगले पन्द्रह सालों तक इस देश का तमाम शासन कार्य अंग्रेजी में ही चलने देना चाहती है? हमें हिन्दी का उत्तरोत्तर विकास करना है और उसको धीरे-धीरे एक योजना के साथ 1965 के बाद से अंग्रेजी के पद पर आसीन करना है।

मैं चाहता हूँ कि जिस तरीके से बंगाल विधानसभा के अन्दर यह व्यवस्था की गई है कि जो आदमी वहां पर बंगला में भाषण देता है उसका अंग्रेजी में ट्रांसलेशन अन्य लोगों की सुविधा के लिए सुलभ कर दिया जाता और जो अंग्रेजी में बोलता है उसका बंगला में अनुवाद कर दिया जाता है, उसी तरीके से लोक सभा के अन्दर इन्तजाम किया जाए और जल्दी से जल्दी किया जाए ताकि हिन्दी में भाषण करने वालों के भाषण अंग्रेजी में और अंग्रेजी में भाषण करने वालों के भाषण हिन्दी में सुने जा सकें। लोक सभा ही क्यों इसमें पीछे रहे और ऐसी व्यवस्था की जाए कि जो हिन्दी में बोलते हैं उनका सिम्पल ट्रान्सलेशन अंग्रेजी में उन लोगों के लिये जो हिन्दी नहीं समझते हैं सुलभ किया जाए और इसी तरह जो भाई अंग्रेजी नहीं समझ सकते हैं उनकी सुविधा के लिये अंग्रेजी भाषणों का हिन्दी में अनुवाद किया जाए। मैं तो चाहता हूँ कि जितनी भी अन्य भाषाएं हैं वे आगे आयें और इस सदन के अन्दर उनका भी हिन्दी में तर्जुमा हो। इसी तरह से विभिन्न प्रान्तों में भी जो बिल और ऐक्ट वगैरह छपें वे वहां की प्रादेशिक भाषाओं में छपें। मैं चाहता हूँ कि इस देश के अन्दर राजकार्य वहां के लोगों की जबानों में चलेन कि अंग्रेजी में। आज हमें यह अंग्रेजी को बरकरार रखने की साजिश चल रही है इसको तोड़ना होगा। यह बड़े दु :ख की बात है कि इस साजिश में केवल अंग्रेजी पढ़े लिखे ऐडमिनिस्ट्रटर्स ही शामिल नहीं हैं, बल्कि लेजिस्लेटर्स भी हैं, वकील भी है और जजेज भी हैं। अब एक अंग्रेजी पढ़ा वकील यह समझता है कि उसके हक में तो यही अच्छा है कि अंग्रेजी जबान ही बनी रहे, क्योंकि, उसमें वह अच्छे तरीके से वकालत कर सकता है और अब तक करता रहा है। लेकिन, मैं कहना चाहूँगा कि वह वकील अगर उसके इलाके की जबान में कार्यवाही हो। वह शायद अंग्रेजी के मुकाबिले में ज्यादा अच्छी तरह से पैरवी कर सकता है और वकालत में ज्यादा पैदा कर सकता है। भरूचा साहब को डर है कि अगर हिन्दी चली। मुमकिन है कि उनकी वकालत उतनी न चमक सके और कोई उनसे बाजी मार ले जाए। मैं समझता हूँ कि यही डर हमारे एन्थोनी साहब को सता रहा है कि अगर कहीं अदालतों में हिन्दी आ गयी। वह शायद उतनी अच्छी वकालत नहीं कर सकेंगे जैसी कि आज करते हैं। हिन्दी में मैं शायद उनसे ज्यादा अच्छा काम कर सकूं। लेकिन, मैं यह समझता हूँ कि वकीलों की बहुत ज्यादा बहस से देश की या

राजकाज की या मुकदमों के फैसलों की हालत सुधरती नहीं है। वकील दोनों तरफ से ऐसी शक्ल पेश कर देते हैं कि जिससे मुकदमा उलझ जाता है और जज के लिये उसको सुलझाना मुश्किल होता है। मैं चाहता हूँ कि वकीलों की आवाज बहुत ज्यादा न सुनी जाए। जो देश के लोगों की आवाज है कि उनकी जबान में राजकाज चलाया जाए उसको जल्दी से जल्दी माना जाए। इस बारे में राष्ट्रपति को खास अधिकार दिया गया था। जिस तरह से और मामलों में उनको वजारत की सलाह पर चलना होता है वैसा इस मामले में जरूरी नहीं है। मैं यह भी समझता हूँ कि वह इस चीज को आगे बढ़ाना चाहते हैं। इस देश के निजाम को देश में बोली जाने वाली भाषाओं में जल्दी से जल्दी चलाया जाए, यही मैं चाहता हूँ।

द्वितीय लोकसभा

बुधवार, 9 सितम्बर, 1959*

कर्मचारी राज्य बीमा निगम की वार्षिक रिपोर्ट

चौधरी रणबीर सिंह (रोहतक) : उपाध्यक्ष महोदय, यहां यह बतलाने की कोशिश की गई कि एम्प्लायीज स्टेट इंश्योरेंस स्कीम की तहत जो काम चल रहा है वह शायद इस ढंग से नहीं चल रहा है जिससे कि वर्कर्स को उसके अन्दर एतमाद हो सके। यह भी बताने की कोशिश की गई है कि जितना वर्कर देते हैं उतना उनको फायदा नहीं मिलता है। वर्कर्स का जो कंट्रीब्यूशन है वह 2 करोड़, 90 लाख, 24 हजार,80 रुपये और 92 नये पैसे हैं। इसके मुकाबले में उनको जो कैश या दूसरी शक्ल के अन्दर बेनिफिट्स दिये गये वह 4 करोड़, 15 लाख, 15 हजार, 845 रु., 37 नये पैसे हैं। इससे साफ जाहिर है कि मेनन साहब ने जो दिखाने की कोशिश की कि वर्कर्स जो देते हैं उनको उतना भी नहीं मिलता है, यह बात सही नहीं है।

इसके अलावा उन्होंने शिकायत की कि जो कारखानेदार हैं वह अपना पूरा पैसा नहीं देते हैं। श्री रामसिंह भाई ने एक गिला किया। मैं उनसे सहमत हूँ कि कम से कम ऐसे कारखानेदारों के खिलाफ, जो मजदूरों का पैसा इकट्ठा करके अपनी वर्किंग कैपिटल में लगाते हैं, सरकार को पूरी कानूनी कार्रवाई करनी चाहिये। लेकिन, इसके साथ मैं यह कहे बगैर नहीं रह सकता कि मेनन साहब ने यह दिखाने की कोशिश की है कि शायद कारखानेदारों से कोई पैसा ही नहीं मिलता है। इस स्कीम के तहत सन् 1958 में 2 करोड़, 81 लाख, 11 हजार 994 रुए 74 नये पैसे कारखानेदारों की मार्फत् आये।

इसके अलावा मुझे यह खबर है कि आज कारपोरेशन के पास जो 16 करोड़

** संसदीय बहस (कार्यवाही लोकसभा 1957-62), 9 सितंबर, 1959, पृष्ठ 7314-7316*

से ज्यादा रुपया जमा है उसका क्या व्यय है। मैं उनको बताना चाहता हूँ कि इस साल जो ब्याज से आमदनी हुई वह कोई 50 लाख से ऊपर है और खर्चा जो ऐडमिनिस्ट्रेशन का है वह 72 लाख 29 हजार, 353 रु. है। मैं तो चाहता हूँ कि एक दिन आये कि यह जो ऐडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा है वह सारा सूद से चले। जिसके दिल में मजदूरों के लिये हमदर्दी होगी वह यह कह बगैर नहीं रह सकता कि एम्प्लायीज स्टेट इंश्योरेंस कारपोरेशन की नींव इतनी मजबूत हो कि किसी के दिल में शक न पैदा हो कि वह फेल हो सकता है। वह दिन दूनी, रात चौगुनी तरक्की करे और जिन मुश्किलात का सामना करने का मौका बुरे दिनों में पड़े, उनका वह मुकाबला कर सकें। इसलिये, मैं चाहता हूँ कि उन्हें इस बात का गिला नहीं होना चाहिये कि रुपया क्यों बचा है। जहां, अगर यह रुपया बचा करके, जिस तरह से श्री रामसिंह भाई ने कहा कुछ कारखानेदार वर्किंग कैपिटल में लगाते हैं, सरकार उसी तरह से करे। गिले की गुंजाइश हो सकती है। लेकिन, सरकार का जितना पैसा इस स्कीम की तहत मिलता है उसको वह मजदूरों की भलाई के लिये लगाती है। जो उससे बचेगा वह भी कभी न कभी मजदूरों के भले के लिये किसी शक्ल में इस्तेमाल होगा। जब यह विश्वास है तो हमें इस बात का गिला क्यों हो कि यह रुपया क्यों बचा?

मैं समझता हूँ कि अगर यह शिकायत होती कि इतने केसेज में इलाज ठीक तौर से नहीं किया गया, या जो मुआवजा देना चाहिये था वह मुआवजा नहीं दिया गया तो बात समझ में आ सकती थी। लेकिन, यहां यह एतराज नहीं सब उसको नहीं दे दिया गया। बल्कि एतराज इस बात का है कि पैसा क्यों बचा? मैं समझता हूँ कि बजाए इसके कि वह धन्यवाद देते मंत्री महोदय को कि उन्होंने कारपोरेशन का काम इतनी होशियारी से चलाया, वह गिला करते हैं। जहां तक मेरा वास्ता है, मैं समझता हूँ कि मंत्रालय इस कारपोरेशन को बड़ी होशियारी से चला रहा है और मजदूरों के मफाद के लिये चला रहा है। इससे मजदूरों का विश्वास उन्हें मिलेगा। लेकिन, जो भी कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से कहा गया वह मेरी समझ में नहीं आया। वह क्यों स्कीम के खिलाफ हैं, वह क्यों चाहते हैं कि वर्कर्स स्कीम में शामिल न हों, उनकी कोई बात मेरी समझ में नहीं आती है। एक आम समझ का आदमी यह समझ सकता है कि उन्होंने जितनी बातें कहीं, एक रिजर्वेशन के साथ कहीं और उससे जो भी पढ़ा लिखा आदमी न हो, उसके दिल में यह ख्याल पैदा हो सकता है कि शायद यह स्कीम अच्छी न हो। इसका नतीजा यह होगा, जैसा कि वह चाहते हैं, कि हिन्दुस्तान के सारे वर्कर्स इस स्कीम के अन्दर आयें। सरकार ऐसी हालात पैदा करे ताकि सब लोग

इंश्योरेंस कारपोरेशन का सहारा लें। जो उनका ध्येय पूरा नहीं होगा, जिस तरह की बातें उन्होंने कहीं उससे। मैं चाहूँगा कि वह आगे इस का ध्यान रखें। वह ऐसे ढंग से बोलें जिस से यहां के मजदूरों के विश्वास को धक्का न पहुंचे क्योंकि, वह इस बात को शायद मानते हैं कि यह स्कीम कारपोरेशन की अच्छी है।

द्वितीय लोकसभा

वीरवार, 10 सितम्बर, 1959*

भाखड़ा बांध दुर्घटना

चौधरी रणबीर सिंह (रोहतक) : उपाध्यक्ष महोदय, भाखड़ा डैम का नाम हमने तब से सुनना शुरू किया था जब हम छोटे-छोटे बच्चे थे। जैसे-जैसे हम बड़े होते गये त्यो-त्यों उसका नाम और जिक्र भी ज्यादा बढ़ता गया और जब देश आजाद हुआ। भाखड़ा डैम बनने का स्वप्न कुछ पूरा होता हुआ दिखाई देने लगा तो यह आशा होने लगी कि जिस बात को आज तक हम सुनते आये हैं वह अब अमल में आयेगी।

उपाध्यक्ष महोदय, जिस वक्त यह भाखड़ा डैम का नाम शुरू हुआ था उस वक्त इसके मुताल्लिक पंजाब लेजिस्लेटिव कौंसिल में जो चर्चा हुई थी और बहस हुई थी उसको अगर पढ़ा जाए। आप पायेंगे कि उस वक्त माना जाता था कि पंजाब का यह जनूबी हिस्सा जिसको कि आज हिन्दी रीज्न कहते हैं, जो एक सूखा हुआ इलाका था उसको सैराब करने के लिये सतलुज के अन्दर एक डेम बनाया जाएगा ताकि उस इलाके को खुशहाल बनाया जा सके। अब हिन्दुस्तान आजाद हुआ और जैसा कि आप जानते हैं कि डेमोक्रेटिक सिस्टम के अन्दर कई किस्म के दबाव पड़ते हैं और जब यह दबाव यहां भी पड़ने शुरू हो गए और उसका नक्शा बदलना शुरू हो गया। जो उसकी ऊंचाई के अंदाज़े का नक्शा था वह भी बदला। उसका पानी कहां जाएगा उसका भी नक्शा बदला जिस इलाके के सैराब करने वास्ते यह डैम बनाने का विचार किया गया था वह केवल एक तिहाई ही रह गया। उसके बाकी दो हिस्से इस डैम से सैराब होंगे वह पंजाब का दूसरा इलाका सैराब करने के लिये मखसूस किया गया।

** संसदीय बहस (कार्यवाही लोकसभा 1957-62), 10 सितम्बर, 1959, पृष्ठ 7603-7608*

अब उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह तो कहना नहीं चाहता कि शायद यही एक कारण हो कि यह जो बहुत बड़ा वाकया हुआ हादसा हुआ, वह इस पालिसी के बदलने के वायस हुआ सही या गलत तौर पर बदला, शायद यह उसी का नतीजा हो . . . . . .

उपाध्यक्ष महोदय : क्या मेम्बर साहब की यह सब कहने से यह मंशा है कि उस इलाके की बददुआ लग गई जो यह हादशा हुआ ?

चौधरी रणबीर सिंह : बददुआ की कोई बात नहीं है। हम तो सबसे ही हमदर्दी रखते हैं। जैसे हम अपने गरीब भाइयों से हमदर्दी रखते हैं वैसे ही दूसरे इलाके के भी गरीब आदमियों से भी हम पूरी-पूरी हमदर्दी रखते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, अब इससे पहले कि मैं कोई और बात कहूँ मैं यह कहे बगैर नहीं रह सकता कि वहां के इंजीनियर्स ने एक बहुत बड़ा काम हिन्दुस्तान के लिए किया और जिन इंजीनियरों ने उसकाम को आगे बढ़ाया उनका नाम हिन्दुस्तान के इतिहास में हमेशा जिन्दा रहेगा इसमें मुझे कोई शक नहीं है। इसके साथ ही मैं यह भी कहे बगैर नहीं रह सकता कि इस देश के अन्दर केवल एक डैम ही नहीं बना और केवल एक ही मल्टीपरपज प्रोजेक्ट नहीं बना था। बल्कि, और भी कई थे। दामोदर बैली का और हीराकुंड डैम भी थे जो इतने बड़े तो शायद नहीं होंगे। लेकिन, यह सही है कि डैम बनने के बाद भी वहां का जो पानी है वह आज तक इस्तेमाल नहीं होता। अगर किसी डैम ने अपने वहां के एक-एक चुल्लू पानी का इस्तेमाल किया है। वह केवल भाखड़ा डैम ही है, जिसमें कि वहां के किसान की भी मदद है। वहां के काश्तकार लोग कभी इस बात से नहीं घबराये कि कम्युनिस्ट पार्टी वाले लोग आकर उन्हें क्या-क्या बहकाते हैं और बरगलाने की कोशिश करते हैं कि उन पर कितना सारा बेटरमेंट टैक्स लगेगा या उस पानी का उन्हें लाभ भी होगा तो कितना ? वहां के काश्तकारों ने जितना भी पानी मयस्सर था जितनी भी पानी की कैपेसिटी थी उस तमाम पानी का इस्तेमाल किया है। इसके इस्तेमाल करने के वास्ते पंजाब के इंजीनियरों ने नहरें बनाई। इसलिये, मैं वहां के इंजीनियरों को बधाई दिये बगैर नहीं रह सकता कि दूसरे इलाकों में जो बड़े-बड़े बांध बन रहे हैं उनके मुकाबिले में यहां के इंजीनियर्स ने ज्यादा अक्लमंदी से काम करना शुरू किया। अभी जब बांध बन ही रहा है और उसका बनना खत्म नहीं हुआ है, लाखों एकड़ जमीन को सैराब करने में उसका फायदा उठाया गया है और पहले की अपेक्षा करोड़ों मन गल्ला अधिक पैदा किया है। गल्ला ही क्यों कपास भी पहले से अधिक पैदा की गई और चीनी पैदा करने

का भी इंतजाम हुआ है। देश को उस बांध से बहुत अधिक लाभ पहुंचा है। इस बड़े डैम को बनाने के लिये अमरीकी विशेषज्ञों को यहां पर बुलाया और उनकी मदद ली। यह तो ठीक ही किया। लेकिन, इसके साथ ही मैं यह कहे बगैर भी नहीं रह सकता कि एक छोटी सी बात जो एक छोटे से किसान के दिमाग में आ सकती है, वह बात इतने बड़े-बड़े विशेषज्ञों के दिमाग में क्यों नहीं आई? जैसा अभी सरदार इकबाल सिंह ने बताया कि जब टनल बनने लगा। चैम्बर बनाने की जो तजवीज थी वह उनके दिमाग में उस समय नहीं आई और जो तजबीज उनके दिमाग में आई वह कुछ पीछे आई।

इसके अलावा, भाखड़ा और नांगल के दो डैम हैं। अब नांगल डैम के अन्दर आप जाएं। वह जो केबुल गैलरी है उस गैलरी के दो रास्ते हैं एक नीचे से और एक ऊपर से रास्ता है। अब उस होआएस्ट चैम्बर को हम ऊपर से खोलते। शायद वह मशीन ठीक जगह निशानों पर नहीं टिकती। मेरी समझ में नहीं आता कि इतने बड़े-बड़े विशेषज्ञ थे वह आसानी से सोच सकते थे कि जहां तक कि मशीन के लगाने का ताल्लुक है वह उसी होआएस्ट चैम्बर से लगाये और वहीं से फिट करें। लेकिन, जहां तक होआएस्ट चैम्बर से ताल्लुक कायम करने का सवाल है उसको ऊपर से भी किया जा सकता था और लिफ्ट के जरिए भी किया जा सकता था। मैं मानता हूँ कि मुरम्मत का जो कम से कम खर्चा पड़ने का अन्दाजा दिया गया है 55 लाख रुपये का वह 55 लाख से कम ही होता। मेरी तो समझ में नहीं आता कि जहां इतने बड़े-बड़े इंजीनियर्स और विशेषज्ञ हों, वहां उनके दिल में यह ख्याल तक न आये कि उस होआएस्ट चैम्बर से ताल्लुक हम ऊपर से क्यों न करें और यदि हमें केबुल गैलरी के जरिए पहुंचना हो। उस गैलरी को जल्दी से बन्द करें और लिफ्ट से आयें। इसका फायदा यह होता कि वहां पहुंचने में कम वक्त लगता।

इसके अलावा आज जिन बातों के ऊपर सोचा जाता है वह जरा देर में सोचा जाता है जैसे कि उसकी दीवारों को तोड़कर पानी निकालने का दो जगह से इंतजाम किया गया। अब यह कहा जा रहा है कि पावर हाउस के अन्दर पानी को आने से जब रोक सकेंगे तभी काम चलेगा अन्यथा नहीं। क्या, यह बात पहले से नहीं सोची जा सकती थी। यहां पर एक बात मैं कहे बगैर नहीं रह सकता कि ऐसे बहुत ही थोड़े भाई होंगे जो भाखड़ा डैम की स्थिति का स्वयं अध्ययन करने वहां पर जाएंगे। शायद उनके दिल में यह ख्याल पैदा हो गया हो कि भाखड़ा डैम का सारा ही काम बंद हो गया है। मैं उनकी इस आशंका का निवारण करना चाहात हूँ और उनको विश्वास दिलाना

चाहता हूँ कि ऐसी कोई बात नहीं है। भाखड़ा बांध को जहां तक ऊंचा करने का सवाल है वह काम जारी है और वह उसी स्पीड से जारी है जिस स्पीड से कि यह नुकसान होने से पहले शुरू किया गया था। अलबत्ता, जहां तक उसके पासर हाउस बनाने का ताल्लुक है उसका काम जरूर रुका हुआ है। जब तक वहां पानी खुश्क नहीं होगा तब तक पावर हाउसका काम दुबारा शुरू नहीं किया जा सकता है। उन्होंने इसके लिए रोक लगाने की सोची है और उसके लिए कोशिश शुरू हो गई है। मैं पूछना चाहता हूँ कि यह सेफ्टी वाल्व के तौर पर पहले क्यों नहीं बनाया गया और इतने बड़े-बड़े इंजीनियर्स वहां पर मौजूद थे उनके दिमाग में पहले यह चीज क्यों नहीं आई ? कि अगर भगवान न करे कभी कोई हादसा हो जाए तो उसका क्या इंतजाम होगा ?

आखिर इन्सान के काम में बहुत सारी खराबियां आ सकती हैं और उनके लिए सेफ्टी वाल्व छोड़े जाते हैं। मैं यह जानना चाहूँगा कि इसके लिए सेफ्टी वाल्व क्यों नहीं छोड़े गए।

अब पानी रोकने का सवाल है तो मैं तो समझता हूँ कि पहाड़ के बड़े-बड़े टुकड़े डालने से यह काम हो सकता है। आज भी पानी का खतरा है उसने तो एक तरह से आर्टिजन वैल की शक्ल ले ली है। अगर पहाड़ के टुकड़े डाले जाएं। वह रुक सकता है। वह तो फव्वारा सा हो गया है। टनल को बन्द करने से नुकसान तो होगा। लेकिन, बहुत ज्यादा नहीं होगा। मैं समझता हूँ कि जहां तक टनल को बन्द करने का काम है उसको जल्दी से जल्दी करना चाहिए। उसमें बड़े-बड़े पहाड़ के टुकड़े या सीमेंट के वेग डाले जाएं और टनल को जल्द से जल्द बन्द किया जाए।

इसके अलावा मैं एक चीज और अर्ज करना चाहता हूँ। एक तजवीज है कि उस टनल का रास्ता, एक छोटी टनल बनाकर, हाइस्ट चेम्बर को छोड़ते हुए, आखिरी टेल के साथ जोड़ें। उस टनल के बनाने में दो तीन माह का वक्त लगेगा। उस टनल को भी उसी तरह बना सकते हैं जैसे कि पहली टनल्स बनी। लेकिन, जो आखिर का टुकड़ा है उसको उड़ाकर वह उसका रास्ता जोड़ना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर गौर किया जाए। जैसा सरदार अजित सिंह जी ने जिक्र किया पहले बलास्ट करने से पहाड़ कमजोर हो गया था। यह उसी का नतीजा है कि यह पानी आ गया। मैं चाहूँगा कि इसको तोड़ने से पहले इस पर शान्ति से गौर कर लिया जाए।

द्वितीय लोकसभा

सोमवार, 23 नवम्बर, 1959 *

भारतीय दंड संहिता (संशोधन) विधेयक

चौधरी रणबीर सिंह (रोहतक) : सभापति महोदय, इस विधेयक का स्वागत करते हुए मैं यह कहे बगैर नहीं रह सकता कि अगर यह विधेयक आज से दस बारह वर्ष पहले आता। हम इसका दिल से स्वागत करते। आज 12 सालों के बाद जबकि हम दूसरी पंचसाला योजना खत्म करने जा रहे हैं और उसके ऊपर 7200 करोड़ रुपया खत्म करने जा रहे हैं, हमारे देश के अन्दर ऐसे भिखारी लोग हैं जो उसके तहत नहीं आते, यह हमारे देश के लिये कोई बहुत उत्साह की बात नहीं। किडनैपिंग ही बुराई नहीं है, भिखारी भी हमारे लिये बुराई है। अगर अपना बच्चा हो और वह भिखारी बनता है। भी बुरा है। उसे भी कानूनी तौर पर सजा मिलनी चाहिये। जहां तक सरकार का वास्ता है, मैं समझता हूँ कि जब उसने 7200 करोड़ रु. खर्च किया है। इस देश की बेकारी को खत्म करना उसका पहला फर्ज होना चाहिये था। जहां मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूँ वहां मैं गृह मंत्रालय से यह प्रार्थना करता हूँ कि वह इस बारे में स्कीम बनाए, ताकि थर्ड फाइव इअर प्लैन में इस देश के अन्दर न भिखारी रहें और न भिखारी बनाने वाले रहें।

श्री जगदीश अवस्थी (बिल्हौर) : जेबकतरे रहें ?

चौधरी रणबीर सिंह : जेबकतरों की शायद आपको ज्यादा जरूरत होगी, हमें जेबकतरों की आवश्यकता नहीं है या शायद पी.एस.पी. को ज्यादा जरूरत हो। हमारे यहां तो इसकी ज्यादा गुंजाइश नहीं है। मैं समझता हूँ कि सबको इस विधेयक का स्वागत करना ही चाहिये। लेकिन, इसके साथ-साथ हमको क्या देखना चाहिये ?

** संसदीय बहस (कार्यवाही लोकसभा 1957-62),23 नवंबर, 1959, पृष्ठ 1285-1286*

अभी जैसा भय जाहिर किया गया, मुझे भी मालूम होता है अगर कोई ड्रामा पार्टी को चलाने वाला हो। वह भी सही मानों में इस विधेयक से बच सकेगी या नहीं। कोई भी पुलिस अधिकारी अगर कोई ड्रामा पार्टी आर्गेनाइज करता है। उसका भी चालान कर सकता है, यह कह कर कि तुमने इस 14, 15 साल के बच्चे को किडनैप किया है, या। तुम यह साबित करो कि तुमने इसको किडनैप नहीं किया है। आपके इस कानून में कोई ऐसी चीज नहीं रखी गई है, जिससे कि जो ड्रामा पार्टीज चलाते हैं या कल्चरल प्रोग्राम्स चलाते हैं, उनके ऊपर कोई आफत न आये। क्या इसके बारे में भी ध्यान रखा जाएगा ?

द्वितीय लोकसभा

शुक्रवार, 27 नवम्बर, 1959 *

आपराधिक प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक

चौधरी रणबीर सिंह (रोहतक) : उपाध्यक्ष महोदय, हमारी बहन सुभद्रा जोशी जी ने जो संशोधन करने वाला बिल इस सदन में पेश किया है, मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ।

मैं समझता हूँ कि हमारे सामने असल सवाल यह है कि जिस ढंग का समाज हम बनाना चाहते हैं, उस ढंग का समाज बनाने के लिए हम सही ढंग अपनाने के लिए तैयार हैं या नहीं। साथ ही साथ जो कानून हमने बनाया है उसको दिल से लागू करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। जैसा कि मेरे साथी अजित सिंह सरहदी साहब ने पुलिस का डर दिखाया है, मैं उनसे इस बात में सहमत नहीं हूँ। आज हमारी वह पुलिस नहीं है जो सन् 1947 से पहले हुआ करती थी। आज वह एक वैलफेयर स्टेट की पुलिस है, कोई पुलिस स्टेट की पुलिस नहीं है। मैं यह भी मानने के लिए तैयार हूँ कि कभी-कभी वह गलती भी कर सकती है। लेकिन, उसका भी हमें इलाज करना होगा, उसके बारे में भी सोचना होगा।

मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि आज कोई तीस बरस हो गए हैं जबकि शारदा एक्ट बना था, जिसके द्वारा हमने छोटी उम्र की शादियों पर रोक लगाई थी। बावजूद इस बात के कि उसको बने हुए तीस साल हो गए हैं और बावजूद इस बात के कि इसके बारे में हमने काफी प्रापेगंडा किया है, वह बिल कागज पर ही है, इनईफैक्टिव है। अगर उसी हद तक इनईफैक्टिव नहीं है जिस हद तक पहले था।

** संसदीय बहस (कार्यवाही लोकसभा 1957-62), 27 नवंबर, 1959, पृष्ठ 2248-2250*

काफी हद तक वह इनईफेक्टिव है। मैं समझता हूँ कि जो कानून हम हिन्दू विवाह के सम्बन्ध में पास कर चुके हैं उसको गवर्नमेंट दूसरा शारदा एक्ट बनने नहीं देना चाहती है। अगर वह चाहती है कि वह बने तो दूसरी बात है। लेकिन, अगर हम चाहते हैं कि हिन्दू समाज में कोई भी भाई जब तक उसकी पहली पत्नी जीवित है, दूसरा विवाह न करे। इसको रोकने के लिए हमें जरूरी कदम उठाने होंगे।

यह हो सकता है कि कुछ आदमी यह सोचते हों कि पुलिस को घरेलू मामलात में दखलअंदाज़ी करने की इज़ाजत नहीं दी जानी चाहिए। वह भी यह जानता है कि पुलिस की दखलअंदाज़ी घरेलू मामलात में करवाना मुश्किलात पैदा करना या उनको बुलाना होता है। बहरहाल हमने इस देश में दो मन तक अनाज रखने को गैर-कानूनी करार दिया था और पुलिस को अखत्यार दिया था कि वह दो मन अनाज रखने वाले को पकड़ कर तीन चार या पांच साल तक की सज़ा करवा सकती है। यह हमने इसलिए, किया कि हम चाहते थे कि देश के अन्दर होर्डिंग न हो, उसे हम बन्द करना चाहते थे। जब दो मन अनाज के लिए किसी भाई की आजादी में पुलिस को दखलअंदाजी करने की इज़ाजत दी जा सकती है। मैं समझता हूँ कि जब कि एक बहन की आजादी का सवाल हो, उसके राइटस का सवाल हो, उसमें पुलिस दखलअंदाजी क्यों न करें?

उपाध्यक्ष महोदय : दो मन अनाज और दो औरतों को क्या आप एक जैसा समझते हैं?

चौधरी रणबीर सिंह : मैं नहीं मानता हूँ। मैं समझता हूँ कि दो औरतों को रखना उससे कहीं बड़ा जुर्म है और जब दो मन अनाज जैसी छोटी चीज़ के लिए पुलिस को दखलअंदाजी करने का मौका दिया जाता है, उसको गैर कानूनी करार दिया जाता है, दो सेर चीनी के लिए पुलिस को मौका दिया जाता है कि वह लोगों की आजादी में दखलअंदाजी करे। जो भाई दो औरतों से शादी करना चाहता है एक बहन के जिन्दा रहते। मेरी समझ में नहीं आता है कि हम पुलिस की दखलअंदाजी से क्यों घबरायें। अगर हम यह कहते हैं कि पुलिस की दखलअंदाजी बहुत बुरी है, बहुत ही अवांछनीय है। वह तो सभी चीज़ों के लिए बुरी और अवांछनीय ही हो सकती है यह नहीं कि कुछ के लिए बुरी और कुछ के लिए अच्छी। इसलिए, मैं कहना चाहता हूँ कि पुलिस को यह अख्तयार देना चाहिये। हो सकता है कि कहीं वह कोई खराबी करे। लेकिन, पंडित पन्त जी के रहते, जो आज हमारे होम मिनिस्टर हैं, पुलिस को यह हौसला नहीं हो सकता है कि वह कहीं किसी किस्म की नाजाएज कार्रवाई करे।

पुलिस का यह हौंसला नहीं हो सकता है कि किसी की अपनी बातों में, किसी के घरेलू मामलात में गलत तौर पर जा कर वह दखलअंदाज़ी कर। अगर कोई आदमी दूसरी स्त्री के साथ विवाह करता है, और कसूर करता है या कसूर करने की कोशिश करता है तो उसे भी कानून द्वारा निर्धारित दंड दिया जाना चाहिए। यह जो आफेंस है, इसे कागनिजेबिल होना ही चाहिए।

द्वितीय लोकसभा

मंगलवार, 1 दिसम्बर, 1959 *

केरल राज्य विधान (शक्तियों का प्रत्यायोजन)

चौधरी रणबीर सिंह (रोहतक) : मैं इस विधेयक का स्वागत करने के लिये खड़ा हुआ हूँ। जैसे कि कम्युनिस्ट साथियों ने कहा कि वे चाहते हैं कि लैण्ड रिफार्म्स जल्दी से जल्दी लागू हों। मैं उनके साथ इसमें सहमत हूँ। मैं भी यह नहीं चाहता कि वे किसी भी कारण से चाहे वह असेम्बली न होने के कारण हो या दूसरी असेम्बली के आने के चूंकि देर है इसलिये, उसमें देर की जाए। मैं नहीं चाहता कि दूसरी असेम्बली के आने तक उसमें देरी की जाए। उसके बारे में उन्होंने अन्देशा जाहिर किया वह तो मेरी तो समझ में नहीं आया कि उस कथन के पीछे कौनसा डर है? कई दफा तो उन्होंने इस बिना पर आपत्ति प्रकट की कि शायद अगले चुनाव के अन्दर उनकी पार्टी मैजारिटी में न आये और दूसरी पार्टी मैजारिटी में आ जाए। अगर वह आपत्ति है। भी मैं समझता हूँ कि इस बिल का पास करना उनके हित की बात है, क्योंकि, मेरा ख्याल है कि इस सदन की उस कमेटी के अन्दर उनका खासा रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर होगा जो शायद वहां न हो। अगर उनका यह ख्याल हो कि वहां पर उनके मैजारिटी आयेगी। फिर मेरी समझ में नहीं आया कि वे आपत्ति क्यों कर रहे हैं? अगर दो-ढाई महीने के लिये कोई ऐसी बात है। मुझे पूरा विश्वास है कि राष्ट्रपति मंजूरी देते हुए कानून के अन्दर कोई ऐसा मैटारियल चेंज नहीं करेंगे जिसकी कि जरूरत न हो। अलबत्ता जैसा कि श्री गोपालन ने कहा संविधान की धारा के खिलाफ यदि कोई बात की जाती है तो उसकी जल्दी से जल्दी तबदीली करने की आवश्यकता है।

** संसदीय बहस (कार्यवाही लोकसभा 1957-62), 1 दिसंबर 1959, पृष्ठ 2782-2786*

इस बीच में हकूमत करने के सिलसिले में राष्ट्रपति को जो जरूरत दिखाई दे और कानून में कोई तबदीली करना आवश्यक जान पड़े अथवा कोई नया कानून लाना जरूरी महसूस हो तो वह जल्दी से जल्दी पास किया जाना चाहिए, क्योंकि, यह केन्द्रीय सरकार की जिम्मेदारी है जिसने कि वहां राज्य के खराब हालात को देखते हुए वहां की असेम्बली को भंग किया। उनकी मंशा वहां के हालात को खराब करने की नहीं हो सकती बल्कि केरल के हालात को सही और दुरुस्त करने की उनकी दिली मंशा थी और आज भी है। मेरी राय में तो इस बिल को पहले आना चाहिए था। मेरी तो समझ में नहीं आ पाया कि कम्युनिस्ट साथी इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? यह तो उनके मफाद की बात है। मैं यह चीज़ नहीं मानता कि जो कांग्रेसी सरकार यहां पदारूढ़ है वह किसी खास एलीमंट को सपोर्ट करना चाहती है। वह किसी खास एलिमेंट को या किसी जगह के किसी खास एकोनामिक हित को सपोर्ट करने के लिए नहीं हैं। कांग्रेस पार्टी का एक मैनिफैस्टो है और वह सारे देश के लिए है। उस नुक्तेनिगाह से अगर वह संविधान के अनुकूल हो। उन्हें तबदील करने का पूरा हक है। मैं समझता हूँ कि इसमें प्राविन्शियल आटोनमी के भंग का सवाल नहीं है क्योंकि, दो, तीन या चार महीने के बाद जब नई असेम्बली चुनकर आएगी और अगर वह इस या किसी कानून को रिपील करना मुनासिब ख्याल करेगी। वह उसको रिपील कर सकती है, स्टेट का जो भी कानून होगा उसको वह रिपील कर सकती है अथवा उसमें जो भी वह जरूरी समझ तबदीली कर सकती है। मैं तो नहीं समझता कि इसमें कौन सी ऐसी बात आ गई जिसकी वजह से मेरे उधर के भाई यह समझ रहे हैं कि इससे कोई प्राविंशिएल आटोनमी के ऊपर घात आने वाली है। मुझे पूरा विश्वास है कि जिस किसी कानून की आज जरूरत नहीं होगी उस कानून को लाने की जल्दी नहीं की जाएगी। मैं समझता हूँ कि जैसे पंजाब के अन्दर और पैप्सू के अन्दर जबकि वहां पर राष्ट्रपति का राज्य लागू हुआ। उस दौरान में केन्द्र की ओर से कोई भी अहम कानून जिसकी कि जरूरत नहीं थी उसको राष्ट्रपति राज्य के दौरान पास नहीं किया गया। वह आज भी पास नहीं किया जाएगा, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। उन्हें जो आशंका है और उनके दिमाग में जो एक डर की भावना काम कर रही है वह शायद इस डर के कारण है कि अगले चुनावों में हम हारें या जीते, इस एच पेंच के कारण है।

मेरे कई भाई समझते हैं कि यह जो केरल का कर्जे का कानून मसौदा है यह शायद उनका सबसे अच्छा हो। मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि पंजाब के अन्दर कर्जे का कानून जो 20, 25 साल पहले बना था वह आज के उनके कानूनी मसौदे से कहीं

आगे का कानून था। इसलिए, यह नहीं समझ लेना चाहिए कि जो कायदे कानून केरल की साम्यवादी सरकार द्वारा बनाये गये थे वह सारे के सारे प्रोग्रेसिव हैं और बाकी देश के अन्दर कोई प्रोग्रेसिव ला ही नहीं है। ऐसा नहीं समझ लेना चाहिए कि उनके अलावा कोई प्रोग्रेसिव ख्याल रखता ही नहीं है। इसके बारे में मैं चाहूँगा कि वे उनके साथ जो उधर हमारे विरोध में बैठते हैं, मसानी साहब से पूछें और दूसरे स्वतंत्र पार्टी वालों से पूछें कि आया प्रोग्रेसिव हम लोग हैं या नहीं जो हमारे खिलाफ गिला करते हैं। उनको यह मालूम हो जाना चाहिए कि हमारे मसानी साहब और दूसरे उनके साथी इसीलिये स्वतंत्र पार्टी में सम्मलित हुए हैं कि हम बहुत ज्यादा प्रोग्रेसिव हो गये हैं। हमारा विरोध करने के लिए ही उन्होंने इस नई स्वतंत्र पार्टी की स्थापना कर डाली है। इसलिए, हमारे कम्युनिस्ट भाइयों को तो इस बात की जरा भी आशंका नहीं होनी चाहिए और शिकायत नहीं होनी चाहिए कि हमारा दल किसी खास एकोनामिक हित के लिए इस कानून में तबदीली करना चाहता है। सही बात तो यह है कि संविधान की किसी धारा को यदि कोई मस्विदा भंग करता है भले ही वह सर्वसम्मति से पास किया हो अथवा कोई ऐसा बिल पास किया जो संविधान के विपरीत जाता हो। उसमें तबदीली की जाएगी। मैं समझता हूँ कि इसमें किसी को कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। भले ही कोई सरकार अथवा असेम्बली सर्वसम्मति से कोई प्रस्ताव या कानून पास कर दे इस किस्म का पार्लियामेंट का जो अधिकार है वह छीन लिया जाए। वह छीना तो नहीं जा सकता है भले ही इस तरह का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास किया हुआ हो अथवा मैजारिटी से। मैं नहीं समझता कि मेरे उन कम्युनिस्ट भाइयों ने जो यहां पर डर और आशंका प्रकट की है उसके लिए कोई कारण है। मैं समझता हूँ कि यह उनके हित में है कि जल्दी से जल्दी यह कानून पास हो ताकि लैंड रिफार्म्स उस स्टेट के अन्दर जल्दी से जल्दी लागू हो सके।

द्वितीय लोकसभा

शुक्रवार, 11 दिसम्बर, 1959 *

न्यूनतम मजदूरी (संशोधन) विधेयक

चौधरी रणबीर सिंह (रोहतक) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं बाल्मीकी जी के विधेयक का समर्थन करता हूँ। जब तक श्रम के हिसाब से कम से कम मजदूरी मुकर्रर नहीं होती है उस वक्त तो हमें यह मानना ही होगा कि जो समय से फालतू काम करता है उसे फालतू मजदूरी नहीं है वहां उसी हिसाब से जो बाल्मीकी जी ने बताया है वह मजदूरी दी जानी चाहिए। इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। समाज का जो वर्ग सफाई का काम करता है, मुझे यह देखकर दु :ख होता है कि वह वर्ग ही सबसे ज्यादा पिछड़ा हुआ है। उसको उचित मजदूरी मिलनी चाहिए। यह वर्ग अधिकतर नगरपालिकाओं में और जिला बोर्डों में काम करता है। ये संस्थाएं भी सरकार का ही एक अंग है। जिस तरह सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी जगह पर है, राज्य सरकारें अपनी जगह पर हैं, उसी प्रकार ये नगरपालिकाएं और जिला बोर्ड भी अपनी जगह पर वहीं काम कर रहे हैं। अगर सरकार का कोई हिस्सा अपने मजदूरों को उचित मजदूरी नहीं देता। यह अच्छी बात नहीं है। जबकि हम दूसरे काम लेने वालों से, जैसे खेती का काम लेने वालों से, यह तवक्के करते हैं कि वे उचित मजदूरी दें। सरकार को तो अपने कर्मचारियों को उचित मजदूरी देनी चाहिए। खेती में जो आदमी मजदूरी करते हैं उनकी कोई मजदूरी निश्चित नहीं की गयी है, फिर भी इस बात का ख्याल किए बिना कि किसान को खेती से लाभ होता है या नहीं यह तवक्को की जाती है कि उन मजदूरों को एक निश्चित मजदूरी मिलनी चाहिए। जहां यह मुकर्रर नहीं है वहां मुकर्रर होनी चाहिए। ऐसी हालत में जो संस्थाएं सरकार का ही अंग हैं अगर अपने मजदूरों को

** संसदीय बहस (कार्यवाही लोकसभा 1957-62), 11 दिसम्बर, 1959, पृष्ठ 4737-4739*

उचित मजदूरी नहीं देती। यह हमारे लिए कोई इज्जत की बात नहीं है। श्री बाल्मीकी जी ने कहा कि इन मजदूरों का लाखों रुपया बकाया है जो अभी तक नहीं मिल रहा है। वह उनको मिलना चाहिए। मैं समझता हूँ कि देश की तरक्की के लिए ऐसा होना आवश्यक है। आज दुनिया में समाजवादी देश भी इस बात को मानते हैं कि एक मजदूर को एक निश्चित मजदूरी तो अवश्य मिलनी ही चाहिए और जो ज्यादा काम करता है उसको ज्यादा पैसा मिलता है। ऐसा न होने से आदमी आलसी बन जाता है और उसका ध्यान काम न करने की तरफ जाता है, उसका ध्यान केवल समय पूरा करने की तरफ जाता है। मैं समझता हूँ कि हमको मिनिमम वेज़ेज के उसूल को जल्दी काम के हिसाब से जल्दी लागू करना चाहिए। उसी हिसाब से मजदूरी देनी चाहिए। एक आदमी को कम से कम कितना काम करना चाहिए उसके हिसाब से स्टेंडर्ड मजदूरी मुकर्रर की जानी चाहिए। जो आदमी उससे ज्यादा काम करता है उसको उसी हिसाब से ज्यादा मजदूरी मिलनी चाहिए। इसी में देश का भला है। समाजवादी देश को तो यह जरूर ही करना चाहिए। पूंजीवाद में भी वह चीज जरूरी होती है। लेकिन, आज जबकि देश बन रहा है, उस वक्त। देश की और भी ज्यादा जरूरत है कि हर आदमी ज्यादा से ज्यादा काम करे। इसके लिए उसको प्रलोभन देने की जरूरत है। जब तक स्टेंडर्ड काम के लिए स्टेंडर्ड वजेज निश्चित नहीं होगी और जब तक यह सिद्धान्त नहीं तय होगा कि जो ज्यादा काम करेगा उसको ज्यादा मजदूरी मिलेगी, उस वक्त तक मजदूरों में उत्साह पैदा नहीं होगा और वह ज्यादा काम नहीं करेगा। इसलिए, अगर हम दुनिया के दूसरे देशों के साथ चलना चाहते हैं या उनको पकड़ना चाहते हैं। यह जरूरी है कि हम अपने मजदूरों के दिल में जोश पैदा करें। चाहे खेती काम करता हो, या किसी छोटे-मोटे कारखाने में काम करता हो या जिला बोर्ड या म्यूनिसिपल बोर्ड में काम करता हो हमें सबके लिए यह नियम बनाना चाहिए कि जो ज्यादा काम करेगा उसको ज्यादा मजदूरी दी जाएगी।

द्वितीय लोकसभा

मंगलवार, 15 दिसम्बर, 1959 *

मणिपुर भूमि राजस्व और भूमि सुधार विधेयक

चौधरी रणबीर सिंह (रोहतक) : उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल का समर्थन करते हुए मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जैसे पूर्व वक्ता ने कहा कि इस देश को मुख्तलिफ रियासतों के लैड रिफार्म्स का तजुर्बा हुआ है और उस तजुर्बे का ध्यान इसमें रखेंगे। सेलेक्ट कमेटी को इस बिल में जितनी धाराएं हैं, उनमें जहां कामयाबी से लैंड रिफार्म्स और भूमि सुधार आ सके हैं उनके मुताबिक तबदीली करनी चाहिए।

इस देश की एक स्टेट के अन्दर कम्युनिस्ट पार्टी का भी राज्य रहा है। बाकी स्टेट्स के अन्दर कांग्रेस की हुकूमतें रही हैं। सबसे बड़ी कामयाबी अगर किसी स्टेट में भूमि सुधार के सिलसिले में रही है। वह हमारे पंडित गोबिन्द बल्लभ पंत का अपना उत्तर प्रदेश है। उस समय पंत जी चीफ मिनिस्टर थे। आज उनकी तरफ से दातार साहब इस बिल को पायलेट कर रहे हैं।

श्री दी.चं. शर्मा : दातार साहब की अपनी स्टेट के अन्दर क्या हुआ।

चौधरी रणबीर सिंह : उत्तर प्रदेश के अन्दर किसी ऐसे आदमी को जिसका जमीन से सीधा सम्बन्ध था, जो जमीन को जोतता था उस जमीन के जोतने वाले को किसी कारण से भी बेदखल नहीं किया गया। मुझे मालूम नहीं कि जो तजुर्बा पंत जी को आज से काफी साल पहले हुआ उस तजुर्बे में हमें आगे जाना चाहिए था या पीछे आना चाहिए था। मेरे नुक्तेनिगाह से यह जो रिजरवेशन का क्लाज है यह बिलकुल फालतू सा है। इस बिल के अन्दर इसको रहना नहीं चाहिए और

** संसदीय बहस (कार्यवाही लोकसभा 1957-62), 15 दिसम्बर, 1959, पृष्ठ 5167-5175*

इसको उत्तर प्रदेश की मानिन्द जहां कि ऐसी कोई धारा नहीं थी, रहना चाहिए क्योंकि, खासतौर पर इस इलाके में जहां से कि कुछ एक कागज बनेगा उसमें आप और हम अन्दाजा कर सकते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, आप भी पंजाब स्टेट से आते हैं और मैं भी पंजाब स्टेट से आता हूँ। वहां हर छिमाही के अन्दर हर जमीन के टुकड़े का साल का रेकार्ड बनता है जिसमें दर्ज होता है कि मालिक कौन है और मुजारा कौन है। वहां पर जो मुजारों के संरक्षण के लिए कानून बने, उन कानूनों का जिसको फायदा हुआ यह आपको भी मालूम है। मुझे भी मालूम है और तमाम हमारे प्रदेश को मालूम है। वह मुजारे जो सोलहा साल से इंतजार में थे कि अब देश के अन्दर एक हुकूमत आई है जो जमीन बोने वालों को जमीन बोने का और मिलिक्यत का हक देगी, कई जगह उन्हें बहुत धक्का लगा और उनको जो हक था वह उनसे और जिम्पशन के नाम से छीना गया। वहां पर जहां बाकायदा गिरदावरी के रेकार्डस है और वह देखा जा सकता है कि यह सही है या गलत। आप जानते हैं यहां दिल्ली स्टेट के कानून में गिरदावरी का, पीछे की कई साल की गिरदावरी का जिक्र किया। लेकिन, उसका क्या नतीजा हुआ वह हमारी आखों के सामने है। कई जगह पटवारियों को हजारों रुपये लोगों ने दिये। कुछ गिरदवारियां तबदील हुई और झूठी गिरदावरियां बनीं। उसमें कई आदमियों के चाहे वे मुजारों के या दूसरे भाइयों के, कत्ल भी हुए। जमीन बोने वालों के लिए जमीन एक पेशा है और जो भाई उसका लगान लेते हैं उनके लिए जमीन का वह रिश्ता नहीं है जो बोने वाले के लिए है।

मुझे जब बोलने के लिए अभी बुलाया गया। शायद मेरे बुजुर्ग भाई शर्मा साहब ने यह कहा कि मेरा वास्ता जागीरदारी से है। मैं कहूँगा कि शायद उन्हें मालूम नहीं कि जिस वक्त भी यहां इस सिलसिले में कोई बिल आया या कोई चर्चा हुई। मैंने कभी उन आदमियों का, जिन्हें ऐबसेंटी लैंडलार्ड कहते हैं, कभी साथ नहीं दिया। मैं चाहता हूँ कि सरकार और सेलेक्ट कमेटी इस मामले पर दो नुक्तेनिगाह से गौर करे। एक तो यह कि कुछ ऐसे मालिक हैं जो कागज के तौर पर मालिक हैं, जिन्होंने या तो अंग्रेजों के साथ वफाई की थी या किसी राजा के साथ वफाई की और उस सिलसिले में उनको मिल्कियत के हकूक दे दिये गये तो जो भाई पीढ़ी दर पीढ़ी उन जमीनों को जोतते बोते आते थे उनके हकूक को छीन लिया गया, क्योंकि, उस वक्त की हुकूमत के मुताबिक वे नहीं चले। उस बारे में मेरी राय बिलकुल साफ़ है कि ऐसे लोगों के साथ न्याय होना चाहिए जिनके साथ इस तरह की बेइंसाफी की गई है। आज तक जो भाई उनको एक तरीके से कूनन के नाम पर लूटते रहे और उनकी आमदनी का

हिस्सा लेते रहे, वह लूट अब बंद होनी चाहिए। जहां तक उन भाइयों का वास्ता है जिनकी यह जमीनें जागीरदारी की शक्ल में न मिली हो बल्कि विरासत की शक्ल में मिली हो तो भी मैं कहूँगा कि उनके साथ भी हमारी हमदर्दी नहीं है।

जो जमीन जोतते हैं उनका कागज बड़ी होशियारी से तैयार किया जाए। मेरी राय है कि उत्तर प्रदेश के खासतौर पर वे अधिकारी जिन्होंने उत्तर प्रदेश के जमींदारी एबोलिशन बिल के अन्दर काम किया और ईमानदारी से काम किया उनके जिम्मे यह काम सुपुर्द किया जाए। मुझे मालूम नहीं कि आज मनिपुर या त्रिपुरा के अन्दर कौन से अफसर वहां यह काम करते हैं, वे प्रोग्रेसिव हैं या नहीं। वे किसी जागीरदार या जमींदार फैमिली से हैं या नहीं, मुझे कुछ मालूम नहीं। इसलिए, मैं उनके खिलाफ कोई बात यहां पर नहीं कहना चाहता। लेकिन, मैं समझता हूँ कि जिस स्टेट के अन्दर यह कामयाबी से चला और जहां कि अफसरान इस कानून को सही तौर पर अमल में लायें। उसका नतीजा यह हुआ कि आज पंजाब के बहुत सारे भाई यह समझ गये थे कि उत्तर प्रदेश के अन्दर जमीन उसकी है जो बोता है और जोतता है। चाहे वे कानूनी तौर पर कहीं परेशान भी हों। लेकिन, एक विश्वास उनमें पैदा हुआ। देश के अन्दर एक विश्वास पैदा हुआ कि उत्तर प्रदेश के अन्दर एक ऐसी अच्छी और स्वच्छ फिजा आई है कि जो जमीन जोतेगा और बोवेगा, वह जमीन का मालिक बनेगा। मैं चाहता हूँ कि मनिपुर और त्रिपुरा के लिए जो हम यह भूमि सूधार सम्बन्धी कानून बना रहे हैं, वहां पर उत्तर प्रदेश की फिजां आनी चाहिए। मुझे विश्वास है कि पंत जी जो इस मंत्रालय के मंत्री हैं, उनके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रित्व काल में उस प्रदेश के अन्दर जो स्वस्थ और अच्छी भावना पैदा हुई थी, वह भावना वहां भी पैदा होगी। उसके लिए यह जरूरी है कि जो रिजम्पशन की बात है यह बिलकुल फालतू बात है। अलबत्ता उत्तर प्रदेश के अन्दर मैं जानता हूँ कितने आदमी ऐसे थे जिन बेचारों के पास कोई जरिया नहीं था। कोई 5 रुपये के जागीरदार थे। कोई 15 रुपये के जागीरदार थे। ऐसे लोगों को मुआविजा कुछ ज्यादा दे दिया गया। मुआविजे की जो तादाद थी उसके अन्दर उनका ख्याल रखा गया और बिस्वेदार को कुछ मुआविजा मिला, रिहैब्लिटेशन ग्रांट मिली। लेकिन, जहां तक जमीन का ताल्लुक था जमीन का ताल्लुक उससे हटा दिया गया, क्योंकि, उसका जमीन से कोई ताल्लुक नहीं था। वह एक कागज का सम्बन्ध था और उस कागज के सम्बन्ध को तोड़ा गया। मैं चाहता हूँ कि जमीन के साथ सीधा सम्बन्ध उनका होना चाहिए जो जमीन को जोतते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके बाद मैं दूसरी बात की तरफ ध्यान दिलाना चाहता

हूँ जिसके बारे में आपने जिक्र किया। मंत्री महोदय जो उधर बैठे हैं उन्होंने जिक्र किया था। स्टैन्डर्ड एकड़ के लिए उन्होंने कहा कि मनिपुर के अन्दर कोई फर्क ही नहीं है। मुझे ताज्जुब हुआ कि इस बिल के मुताबिक तो जाहिर होता है कि शायद मंत्रालय के पास न कोई मालूमात हैं और न उनके पास कोई लैंड रिफार्म्स के रेकार्डस हैं जिनसे कि वे कोई अंदाजा कर सकें कि मनीपुर की जमीन सारी यकसां है। या मनीपुर की जमीन कुछ खराब है और कुछ अच्छी है। मैं समझता हूँ कि वहां पर जो लैंड रेवेन्यू या दूसरे किस्म का रेंट लिया जाता है उससे यह साबित किया जा सकता है कि कौन सी जमीन अच्छी है और कौन सी जमीन खराब है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस सारे देश के अन्दर किसी एक प्रदेश की बात नहीं है -- हर जमीन का यकसां रेंट हो सकता और इसी तरह से मनिपुर के अनदर भी हर जमीन का रेट यकसां नहीं होगा। यह मेरा विश्वास है। भाई अचल सिंह जी को ज्यादा पता होगा, शायद उनका जमीन से सीधा वास्ता रहा हो। पता नहीं शहर में रहकर उनका यह वास्ता हुआ है या देहात में रहकर। लेकिन, हमसे तो उनका वास्ता ज्यादा है। हमने तो वह इलाका और वह स्टेट भी नहीं देखा, आसाम से आगे हम कभी नहीं गए।

आप जानते हैं कि जिन हालात में इस कानून को लागू किया जाएगा वह भी दूसरी स्टेटों के मुकाबले में निराले होंगे। गो वहां अधिकार पार्लियामेंट का है। लेकिन, पार्लियामेंट के पास इतना समय नहीं कि वह इतनी छोटी-छोटी बातों के ऊपर गौर कर सके। न वहां के सवाल आ सकते हैं। इसलिए, मैं यह मानता हूँ कि अगर रिजम्शन की बात रहेगी। वहां के मजारे के साथ कभी कोई न्याय नहीं हो सकता। हमें एक कलम से यह तय कर देना चाहिए कि उस इलाके के लिए रिजम्शन ठीक नहीं है। उससे कभी न्याय नहीं हो सकता, न उसके साथ न्याय होगा जिसके लिए वह जमीन रिज्यूम की जाएगी और न उसके साथ न्याय होगा जिससे वह जमीन छीनी जाएगी। नतीजा वह होगा जैसा हम पंजाब में देखते हैं कि लोग दस-दस साल से परेशान हैं और आज भी उनके अदालत में मुकदमें चल रहे हैं। एक मुजारे से मालिक जमीन छीनना चाहता है और मुजारा रेजिस्ट करता है। उन दोनों का जो मुकदमे में खर्च हुआ है, अगर उसका हिसाब लगाया जाए। मालूम होगा कि वह उस जमीन की कीमत से कहीं ज्यादा रुपया वकीलों को दे चुके हैं। अगर हम चाहते हैं कि वहां के लोगों को भी इस तरह के झगड़ों में डाला जाए, तब तो हम यह रिजम्शन रखें। लेकिन, अगर हम उनको इन झगड़ों से निकालना चाहते हैं और वहां पर जो पिछड़े हुए इलाके के लोग हैं उनके साथ न्याय करना चाहते हैं तो हमें इस चीज को

निकालना होगा।

दूसरी बात मैं स्टेंडर्ड एकड़ के बारे में अर्ज करना चाहता हूँ। जैसा कि मैंने पहले कहा, मैं माननीय मंत्री महोदय से इस बात में इत्तिफाक नहीं करता कि वहां सब जमीन यकसां है। मुझे मालूम है कि एक बीघे और दूसरे बीघे में फर्क होता है चाहे वह जमीन नहरी हो, बरौनी हो या कुवें की हो। पंजाब में कंसोलीडेशन का काम बहुत तेजी से आगे बढ़ा और बहुत ज्यादा काम हुआ। जिनको कंसोलीडेशन का तजुर्बा है वह जानते हैं कि एक-एक खेत की अलाहिदा कीमत होती है। अगर हम यह समझें कि किसी एक स्टेट की सारी जमीन एक ही कीमत की होगी। हम बड़ी मोटी गलती करेंगे, जिसे कि हमें नहीं करना चाहिए।

मुझे मालूम नहीं कि आया मनिपुर में कुछ ऐसे भाई हैं जिनके पास सीलिंग से ज्यादा जमीन है और वह उस पर खुद खेती करते हैं। अगर कोई भाई ऐसे हैं। मैं समझता हूँ कि उनके साथ न्याय होना चाहिए। उनको उसी यार्डस्टिक से नहीं नापा जाना चाहिए जिससे कि एबसेंटी लैंडलार्ड को नापा जाता है। आप जानते हैं कि इस देश के अन्दर आमदनी पर कोई सीलिंग नहीं है। एक तरफ एक आदमी लाखों और करोड़ों रुपया कमा सकता है, दूसरी तरफ जो आदमी खेती पर रात दिन मेहनत करता है वह तीस एकड़ या पचास एकड़ से ज्यादा जमीन नहीं रख सकता। जहां तक उस भाई की जमीन की सीलिंग का सवाल है हमको जो उसूल प्लानिंग कमीशन ने रखा है उसको तो मानना ही चाहिए। अगर उस भाई को उससे ज्यादा भी रियायत दे दी जाए। देश का कोई नुकसान नहीं होगा। जिनकी जमीन पर मुजारे की शक्ल में किसी दूसरे का हिस्सा नहीं है और जो खुद उस पर खेती करते हैं और आम आदमी से ज्यादा पैदावार करते हैं उनको कुछ ज्यादा रियायत दी जानी चाहिए। वह जमीन से ज्यादा पैदावार दे सकेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इस बिल के अन्दर एक बहुत बड़ी कमी दिखायी दी। इसके अन्दर कोई ऐसा क्लाज नहीं रखा गया है जिससे यह बतलाया गया हो कि जो जमीन सीलिंग से ली जाएगी उसका बंटवारा किस तरह से होगा। क्या उस जमीन को वहां के अफसरों को बतौर जागीर के दे दिया जाएगा जिसका बंटवारा चाहे वह ईमानदारी से करें या खराबी से करें? आप जानते हैं कि जमीन के बंटवारे में कितनी खराबियां होती हैं। इस बिल में कोई उसूल नहीं दिया गया है कि जो जमीन सीलिंग के बाद हासिल होगी उसका बटवारा किस तरह किया जाएगा। इसलिए, मैं चाहता हूँ कि जब वह बिल सिलेक्ट कमेटी से यहां आए उसके बाद इसमें यह दर्ज होना चाहिए

कि सीलिंग के बाद जो जमीन मिलेगी उसका बटवारा किस उसूल के मुताबिक होगा।

इसके साथ-साथ मैं एक और अर्ज करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि उन आदमियों के हकों का ध्यान रखा जाना चाहिए . . . . . .

श्री अमजद अली (धुबरी) : दफा 144 देखिए।

चौधरी रणबीर सिंह : वह मैंने देख लिया है।

इस सदन में जहां हम बैठे हैं यहां पर भी पहले खेती होती थी। इस सदन की भूमि में किसी खेत लहलहाते थे। उन खेतां के मालिकों की औलाद अभी दो मिनट पहले मुझसे बातें कर रहे थे। उनको यहां से बेदखल किया गया और उनको पंजाब में जमीन दी गयी। जब पंजाब का बटवारा हुआ। उनको दिल्ली स्टेट के अन्दर क्रासी परमानेंट बेसिस पर जमीन दी गयी। उनमें से 9 आदमियों को जो किरकी गांव में हैं अब तिवारा उठाने की कोशिश है। जमीन एक पेशा है। इसलिए, मैं चाहता हूँ कि जिन भाइयों की जमीन ली जाती है उनके साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए। जिन भाइयों की जमीन ली जाए सड़क निकालने के लिए, नहर निकालने के लिए, अस्पताल बनाने के लिए या दूसरे अच्छे काम करने के लिए, सीलिंग से जो जमीन बचे उसके अन्दर उनका ख्याल रखा जाए।

इसके अलावा मेरी राय है कि मुजारे की जमीन मालिकों के लिए रिज्यूम न की जाए। अगर आपको मालिकों के लिए जमीन चाहिए और अगर आप उनको लाजिमी तौर से जमीन देना चाहते हैं और नए काश्तकार बनाना चाहते हैं। जो सीलिंग से जमीन मिलती है उसमें से उनको जमीन दीजिए, मुजारे को जमीन रिज्यूम करने के लिये बेदखल न कीजिए। अगर उन लोगों को, मालिकों को, आप जमीन देना लाजिमी समझते हैं। जो जमीन सीलिंग से फालतू मिले वह उकने लिए रखनी चाहिए।

द्वितीय लोकसभा

बुधवार, 16 दिसम्बर, 1959 *

दिल्ली लैंड होल्डिंग्स (सीलिंग) विधेयक

चौधरी रणबीर सिंह : सभापति महोदय, मैं श्री पटेल का जो यह अमेंडमेंट है कि इस बिल को पब्लिक ओपीनियन एलिसिट करने के लिये सर्कुलेट किया जाए, मैं उसके खिलाफ हूँ। मेरी समझ में नहीं आता कि हमारे मंत्री महोदय ने इसको सेलेक्ट कमेटी में भेजना क्यों मान लिया। इस बिल में जो फाइनैंशियल मेमोरंडम दिया गया है उसको देखने से मालूम होता है कि गवर्नमेंट इस तरह से एक्सेस लैंड के एवज में जो मुआविजा देने वाली है वह करीब 1,20,000 रुपये के होगा। कम्पेंसेशन के नाते कुल एक लाख 20 हजार रुपये देने होंगे जबकि सेलेक्ट कमेटी जिसके यह बिल सुपुर्द किया जा रहा है वह अगर एक दिन के लिये भी बैठे तो कम से कम उसके ऊपर 10 हजार रुपया खर्च आयेगा। जिसके मानी यह हुये कि दस फीसदी के करीब खर्चा तो इस बिल को ऐक्ट बनाने में आयेगा। जितना मुआवजा उन लोगों को मिलेगा उसका दस फीसदी खर्चा। इस एक दिन की सेलेक्ट कमेटी की बैठक करने में ही हो जाएगा। इतना ही नहीं, जिस तरह का यह कंट्रोवरशियल ईश्यु है उसको देखते हुये यह कहा जा सकता है कि यह कमेटी शायद 5, 6 दिन तक बैठे। उस हालत में बहुत आसानी से उसका डबल खर्चा हो सकता है और 10 हजार या 20 हजार तो खर्च हो ही जाएगा। मैं यह इसलिये, भी कहना चाहता हूँ कि मेरे नुक्तेनिगाह से जिन भाइयों ने इस मुआविजे का हिसाब रखा है शायद उन्हें दिल्ली के बारे में मालूम नहीं है कि दिल्ली में सरकार ने काफी एकड़ जमीन लोगों से ली है। उसका हिसाब भी

** संसदीय बहस (कार्यवाही लोकसभा 1957-62), 16 दिसम्बर, 1959, पृष्ठ 5442-5449*

सरकार के पास है। कोई भी आदमी उस हिसाब को देखे और मुझे बता दे कि दिल्ली में जहां कहीं भी सरकार ने जमीन ली है वह 2, 3 और 4, 6 हजार रुपये एकड़ से कम ली है। उस हालत में मैं उस हिसाब को मान जाऊंगा। जब हर एक जगह सरकारी तौर पर जिस आदमी के पास भी सरप्लस जमीन हो अगर आज से एक साल पहले मान लिया जाए कि उसकी कोई 10 या 15 एकड़ जमीन स्कूल बनाने के लिये या सड़क बनाने के लिये ली गई। उसको उसका मुआविजा 200 रुपये एकड़ के हिसाब से दिया गया। अगर उसने किसी तरह से वकील के जरिये लड़ भिड़ करके अपनी उस जमीन को छुड़ा लिया। उसको सिर्फ 2000 रुपया प्रति एकड़ दिया गया। कहां 6000 या 4000 रुपये एकड़ और 2000 रुपये एकड़ और कहां यह 200 रुपये एकड़? आप इससे अन्दाजा लगा सकते हैं कि जहां तक दिल्ली का वास्ता है क्या उसके लिये यह ठीक है? इस सदन के अन्दर बहुत बड़े-बड़े माननीय सदस्य हैं और वे हर एक मामले पर बड़ी गम्भीरता से सोचते हैं। लेकिन, उन्हें अन्दाजा नहीं है कि दिल्ली के आसपास की जमीनों के क्या भाव हैं। यह भाई जिनके पास आज हम कानून के मुताबिक सरप्लस जमीन पाते हैं यह कोई किसी रजवाड़े के एजेंट नहीं हैं। किसी अंग्रेज को गदर में सहायता देने की वजह से उनकी जमीन नहीं मिली है। उन्होंने वह जमीन खरीदी है और खरीदी है हजार रुपये और दो हजार रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से तो अब 10 दिन पहले भी 2, 3 हजार रुपये एकड़ के हिसाब से कुछ भाइयों ने जमीन बेची होगी। अगर किसी ने ईमानदारी से काम किया और समझा कि सरकार जिस भाव उसको एक्वायर करेगी उसका हम इंतजार करेंगे। उनको हम सजा दें यह मेरी समझ में नहीं आया। मेरी खबर के मुताबिक तो शायद उन्हें कोई एक एकड़ जमीन भी देने वाला नहीं है। जितना रुपया हम इस प्रवर समिति के ऊपर खर्चेंगे उतना रुपया भी हम बतौर मुआवजे के लिये लोगों को देने वाले नहीं हैं क्योंकि, मैं जानता हूँ कि दिल्ली के आसपास के काश्तकार रोहतक और दूसरी जगहों के काश्तकारों से कहीं ज्यादा समझदार हैं और जानकारी रखने वाले हैं। यहां तो जमीन की फसल क्या, जमीन की मिट्टी भी बिकती है। जमीन की मिट्टी भी दिल्ली के अन्दर जिस भाव से बिकती है उस भाव पर अन्य जगहों की फसल भी नहीं बिक पाती है, फसल के उतने दाम हम नहीं उठा सकते हैं। ऐसे हालात में हम दिल्ली के बारे में सोच रहे हैं।

इसके अलावा अभी जब पंडित ठाकुर दास भार्गव बोल रहे थे। कई एक मेरे साथी बड़े जोर से बोल रहे थे। मुझे मालूम है कि आज का क्या कायदा है? एक तरफ ऐसे भाई जिन्होंने देहातों की जमीनों को खरीदा और जमीन पर खेती की और

जिनकी जमीन के ऊपर कोई मुजारे नहीं, उनके ऊपर हम क्या कायदा रखना चाहते हैं। जो यह 200 रुपये फी एकड़ का हमने हिसाब रखा है। तीस एकड़ की कीमत जाकर 6000 रुपये होती है। अब इसके बरअक्स हम देखें कि हमारे श्री राधा रमण 10 हजार या 14 हजार की मोटर के मालिक होंगे। उनके अलावा दूसरे और भी साथी हैं जो मोटर रखते हैं और मकान भी रखते हैं। यह भाई और मैं भी उनमें शामिल हूँ कि जो कायदे कानून बनाते हैं। हम खुद 8000 रुपया साल कम से कम लेते हैं बल्कि उससे भी ज्यादा 9000 रुपये साल के करीब हमको मिलता है। इसी तरह से यह प्लानिंग कमिशन के भाई जो हमें लैंड पर सीलिंग करने का सुझाव देते हैं वे खुद 36 हजार रुपये साल तनख्वाह लेते हैं। वह सेक्रेटरी जिसने कि इसके ऊपर तसदीक की है वह 30 हजार रुपये साल की तनख्वाह लेता है। यह भाई जो इस कानून के मुताबिक यह फैसला करने बैठेगा कि यह एक एकड़ जमीन सीलिंग में आती है या नहीं वह भी कम से कम 10 हजार रुपये साल की तनख्वाह लेता होगा। अब आप देख सकते हैं कि एक तरफ तो यह लम्बी-लम्बी तनख्वाहें पाने वाले लोग हैं और दूसरी तरफ वे आदमी हैं जिनकी कुल जाएदाद 6000 रुपये की है। यह कहां का इंसाफ है कि आप रूरल लोगों पर तो यह सीलिंग लगायें और शहर वालों पर जो उनसे अधिक आमदनी करते हैं, उनको टच न करें? मैं पूछना चाहता हूँ कि आखिर वे लोग जो 400 रुपये महीना तनख्वाह लेते हैं और 400 रुपये बतौर भत्ते के लेते हैं, उनके मौरेल्स क्या है? वे आखिर जरा अपने दिल पर हाथ रखकर सोचें कि वे क्या करने जा रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि आमदनी पर सीलिंग लगे और मैं उसके हक में हूँ। भले ही 5 एकड़ पर सीलिंग लगा दीजिये। लेकिन, ऐसा तो न कीजिये कि आप सिर्फ एक तबके पर ही यह सीलिंग लगायें और दूसरी तबके को अछूता छोड़ दें। अब एक तरफ जिनके पास है उनसे हम छीनते हैं और दूसरी तरफ जिसे हम मिडिल इनकम ग्रुप कहते हैं उसको मकान बनाने के लिये सरकार 25 हजार रुपये का कर्जा देती है। जिसे लो इनकम ग्रुप का आदमी कहते हैं उसे 8 हजार रुपया कर्जा सरकार मकान बनाने के लिये देती है। मैं पूछना चाहता हूँ कि वे जरा जवाब दें कि क्या यह न्याय है? आज जो हमारा टैक्सेशन का आय-कर कानून है उसके मुताबिक 3600 रुपये के ऊपर कोई इनकम टैक्स नहीं हो सकता। श्री मू.चं. जैन पर 3600 रुपये तक कोई टैक्सन नहीं हो सकता। उनके ऊपर कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा। उनकी इनकम टैक्सेबिल नहीं है। अगर दिल्ली के किसी काश्तकार की जमीन की कीमत 3600 रुपये है तो वह जमीन सीलिंग में जरूर आनी चाहिये। इन बातों को हमें गम्भीरता से सोचना चाहिये।

मैं मानता हूँ कि इस बिल में एक-दो चीजें अच्छी रखी हैं। हम मानते हैं कि पाच सा छ : घंटे काफी थे इसको पास करने के लिये। इसको पास करने में मुझे कई बहुत ज्यादा एतराज भी नहीं है, क्योंकि, मुझे विश्वास है कि एक एकड़ जमीन भी। कोई बाकी नहीं है। हमें उसूली तौर पर कानून बनाना है। वह हम बना लें; इसको प्रवर समिति के सामने भेजने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस तरह देश का 20,000 रुपया और खर्च करने की आवश्यकता नहीं है।

इसके अलावा एक बात मैं और कहना चाहता हूँ। आप देखें कि जिनकी जमीन मारगेज होगी उनके मुआवजे का किस तरह से हिसाब होगा। मैं आपकी मारफत मंत्री महोदय को बताना चाहात हूँ कि दिल्ली स्टेट के अन्दर जो जमीन मारगेज होती है वह दो हजार और डेढ़ हजार रुपये की एकड़ से कम में मारगेज नहीं होती । आप उसको देंगे 200 रुपया फी एकड़ और उसमें वे दोनों हिस्सेदार होंगे। मुआवजा मिलने के बाद जिसकी जमीन है उसको अपने पल्ले से 1300 रुपये उस आदमी को और देने होंगे जिसको जमीन मारगेज की गई है। क्या यह न्याय है? आनरेबिल मिनिस्टर चाहें। इस पर एक उसूल की बहस कर सकते हैं। लेकिन, यह न्याय तो नहीं है। सुभद्रा बहिन ने कहा कि दिल्ली में इस कानून से बहुत थोड़े, आदमियों पर असर होगा। इस बिल को लाने की भी जरूरत थी, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं थी। वह यहां पंजाब का कानून ला सकते थे, उसको यहां लागू कर सकते थे। इस सदन का इस कानून के लिये इतना वक्त लेना और प्रवर समिति का इतना समय लेना मेरी समझ में नहीं आता। आप वहां पंजाब का सीलिंग का कानून ला सकते थे, उत्तर प्रदेश का सकते थे या जिस किसी स्टेट के कानून को बहुत अच्छा समझते हों उसको ला सकते थे और लागू कर सकते थे। हमें कोई गिला नहीं होता। हम इस बात से कोई हमदर्दी भी नहीं है। लेकिन, एक बात मैं जरूर चाहात हूँ। एक जज के नाते हमको यह सोचना है कि न्याय होता है या नहीं। कम्पेन्सेशन को आप देखें कि एक तरफ राधा रमण जी का जिस वक्त मामला आता है, इम्पीरियल बैंक के शेअर्स के मुआवजे का मामला जब आता है तो जिस शेअर की फेस वैल्यू 100 रुपया है . . . . . .

श्री राधा रमण (चांदनी चौक) : मैंनें तो शेअर नहीं खरीदे।

चौधरी रणबीर सिंह : मैं तो यह आपसे शहर के नाते कह रहा था। मैं अर्ज कर रहा था कि जिन शेअर्स की फेस वेल्यू 100 रुपया है उनको यह सदन कम्पेन्सेशन देता है 300 रुपया। यह ऐसी बात है जिसे हमें जरा शान्ति से सोचना चाहिये। मुझे मालूम नहीं, शायद इस बिल को लिखने वाले को जमीन से कोई दुश्मनी है। इसमें

लिखा है कि अगर मकान बना हुआ हो--खेत के ऊपर और वह जमीन सीलिंग में आ जाती है। मकान का कम्पेन्सेशन तो मार्केट वैल्यू के हिसाब से दिया जाएगा। लेकिन, खेत को कम्पेन्सेशन, जिसमें इस देश के लिये फसलें पैदा होती हैं, जिसमें देश के लिये लाखों मन गल्ला पैदा किया गया है उस खेत का मुआवजा 200 रुपया फी एकड़ के हिसाब से दिया जाएगा चाहे वह उसकी कीमत का बीसवां हिस्सा हो या चालीसिवां हिस्सा हो। यह हमारा न्याय है। यह सोचने की बात है।

दूसरे मैं आपसे यह अर्ज करना चाहता हूँ कि इसमें यह दिया गया है कि जो जमीन सीलिंग से बचेगी--वह एक, दो, चार एकड़ जो भी हो--वह जमीन गांव पंचायत को तभी मिल सकती है जबकि चीफ़ कमिश्नर साहब का उसके लिये हुक्म हो। उसमें न जाने चीफ-कमिश्नर साहब कहां से आ गये। इसके लिये आप कोई उसूल रख सकते थे जैसे कि उत्तर प्रदेश के एक्ट में लिखा है कि 25 एकड़ तक जमीन गांव के लिये होनी चाहिये। इस तरह की बात आप यहां भी कर सकते थे। मैं तो चाहता हूँ कि इसमें यह साफ किया जाना चाहिये कि जो जमीन बचेगी वह किन आदमियों को मिलनी चाहिये। मेरे मित्र ने कहा कि इसमें उनका हक है जिनका जमीन हमने ली है। अभी कल परसों मुझे दिल्ली के एक भाई मिले जिनकी चार एकड़ जमीन के एक भाई मिले जिनकी चार एकड़ जमीन में से दो एकड़ नहर के लिये ले जी गई। मैं समझता हूँ कि जिसकी जमीन से इस तरह दूसरे काश्तकारों को फायदा पहंचता है उसकी बची हुई जमीन दी जानी चाहिये। जैसा कि मैंने अर्ज किया था, जहां इस सदन की इमारत है वहा पर कुछ लोगों की जमीन थी। उनकी जमीन लेकर उसमें से कुछ को। बिलकुल बेघर कर दिया गया और कुछ को पंजाब के पाकिस्तान वाले हिस्से में जमीन मिल गई। जब पार्टीशन हुआ। वह वहां से उठकर भागे और यहां दिल्ली में आये। यहां पर उनको क्रासी परमानन्ट बेसिस पर जमीन अलाट हुई। वे 76 कुनबे थे। उनमें से 70 को। हक मिल्कियत मिल गया। लेकिन, 6 बदकिस्मत हैं जो किरकी गांव में है। उनसे कहा जा रहा है कि क्योंकि, वह एरिया शहर के एरिया में आ सकता है इसलिये, उनको वहां से भी हटना होगा। यह जमीन उनको क्रासी परमानट बेसिस पर एलाट हुई थी। उस पर उन्होंने मकान बना लिय हैं, कुवें भी बना लिये हैं। उनका कोई लिहाज नहीं रखा जा रहा है। उनको हटाया जा रहा है। मैं समझता हूँ कि अगर हमें उनको हटाना पड़ता है। उनकी जिम्मेवारी हमारे ही ऊपर आती है। ऐस आदमियों को जिनकी जमीन सड़क निकालने के लिये या देश और कौम के किसी और सफाद के लिये ली जाती है। उसका सबसे पहले जमीन दी

जानी चाहिये। उनकी हक लैडलैस लेवरसं से भी अचछा उनकी जमीन से दो चार होने का तजुर्बा है। हमें देश के लिये अनाज की जरूरत है और वह लोग जमीन से अनाज पैदा कर सकते हैं।

द्वितीय लोकसभा

वीरवार, 17 दिसम्बर, 1959 *

गन्ना और चीनी मूल्य

चौधरी रणबीर सिंह (रोहतक) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले खाद्य और कृषि मन्त्री श्री एस.के. पाटिल का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने किसानों की आवाज को सुना और उसे मान कर गन्ने की कीमत 1 रु. 7 आ. मन से 1 रु. 10 आ. मन तक बढ़ाई। लेकिन, यह कहते समय मैं यह कहे बगैर नहीं रह सकता कि आज जो चीनी की अहमियत है, जो खांड की अहमियत है, इस देश के अन्दर वह बहुत ज्यादा है। बावजूद इस बात के कि कल अध्यक्ष महोदय ने कहा था कि चीनी के बगैर हम मर नहीं सकते। एक बात सही है कि पिछले दस सालों के अन्दर अगर किसी चीज की खपत देश में दुगुनी हुई है तो वह चीनी की है। यह अच्छी बात है या बुरी बात है देश के लिये, इस सम्बन्ध में मुझे कुछ कहना नहीं है। यह बात सच है कि दस सालों में इसकी खपत दुगुनी हो गई है और आगे भी दस सालों में इसकी खपत दुगुनी या इससे ज्यादा बढ़ेगी। ज्यों-ज्यों देश की तरक्की के लिये ज्यादा रुपया खर्च होता जाता है, चीनी की मांग और मिठाई की मांग बढ़ती जाती है। अगर उसे हमें और भी बढ़ाना है तो मैं यह कहे बगैर नहीं रह सकता कि जब हमारी यू.पी. की स्टेट कांग्रेस पार्टी सदस्यों और दूसरे सदस्यों ने मिलकर एक प्रस्ताव पास किया और इसी तरह से बिहार के सदस्यों ने प्रस्ताव पास किया कि गन्ने का मूल्य जो है वह 1 रु. 12 आ. निर्धारित होना चाहिये। मेरी समझ में नहीं आता कि हम लोगों के पास, जो प्रजातन्त्र के हिमायती हैं, कैसे यह हक रह जाता है कि हम

** संसदीय बहस (कार्यवाही लोकसभा 1957-62), 17 दिसम्बर, 1959, पृष्ठ 5729-5733*

उनकी इस सलाह को न मानें। अगर हम पिछले साल उनकी सलाह नहीं मान सके। मैं चाहता था कि हम इस साल तो जरूर उनकी सलाह को मानते और अच्छा होता कि 1 रु. 10 आ. मन के बजाए 1 रु. 12 आ. मन गन्ने की कीमत रखते।

श्री दी.चं. शर्मा (गुरदासपुर) : अब तो वह 2 रु. मांगते हैं।

चौधरी रणबीर सिंह : मैं मानता हूँ कि समय आयेगा जब हमको उन्हें 2 रु. मन भी देना होगा।

श्री बलराज सिंह : अभी देना होगा।

चौधरी रणबीर सिंह : हमें मालूम होना चाहिये कि इसकी क्या वजह है कि इस देश के अन्दर हर एक चीज की कीमत, हर एक आईटेम की कीमत बढ़ रही है। लेकिन, 10 सालों के अन्दर किसी चीज की कीमत घटी है। वह गन्ने की घटी है। चीनी की भी कीमत बढ़ी है। लेकिन, गन्ने की कीमत घटी है। आखिर गन्ने को भी कोई पैदा करता है, और गन्ने को पैदा करने वाले कोई एक, दो आदमी नहीं, दो करोड़ इन्सान हैं। अगर कोई यह समझता हो कि उन पर किसी एक पार्टी का असर है तो वह गलती करता है। उन पर किसी पार्टी का असर नहीं है। आज का किसान काफी समझदार है, वह समझता है कि किसी चीज के बोने में उसका नफा है। अगर इस चीज को देखा जाए तो पिछले दस बारह सालों के इतिहास में जिस-जिस चीज की कीमत बढ़ी उसी-उसी चीज की पैदावार अगले सालों में बढ़ गई। अगर हम चाहते हैं कि चीनी की पैदावार बढ़े। इसके लिये जरूरी होगी कि जो गन्ना पैदा करने वाले हैं उनको गन्ने की कीमत को बढ़ायें। हम इस मसले को हल नहीं कर सकते अगर हम कहें कि यह दक्षिण भारत और उत्तर भारत का झगड़ा है। इससे भी मसला हल नहीं हो सकता अगर कोई कहे कि यह खंडसारी और शुगर फैक्ट्रीज का झगड़ा है। यह भी गलत है। अभी हमारे दोस्त ने कई आंकड़े पेश किये। मैं उन आंकड़ों में नहीं जाना चाहता। लेकिन, मैं चाहता हूँ कि इस झगड़े की मिटाने के लिये ताकि देश की हुकूमत के लिये यह झगड़ा पैदा न हो, अगर इस प्राइस बोर्ड की जरूरत पढें और सरकार उसे न बनाना चाहे तो जरूरी है कि सारे देश को जितनी शुगर मिलें हैं वह सब कोआपरेटिव सोसायटी की मिलें बना दी जाएं। हमने जब इस चीज को पास किया, इस सदन ने पास किया और कांग्रेस पार्टी ने भी इसे माना है कि हम इस देश के अन्दर कोआपरेटिव को बढ़ावा देगें। मेरी समझ में नहीं आता कि इसको छोड़कर कौनसी ऐसी चीज है जिसके द्वारा हम कोआपरेटिव को बढ़ावा दे सकते हैं। गन्ने की मिलें ही ऐसी चीज है जिनके अन्दर घाटे की कोई सम्भावना नहीं। बगैर घाटे के डर

के हम आगे बढ़ सकते हैं। इससे यह झगड़ा भी खत्म हो जाता है कि गन्ना पैदा करने वालों को क्या मूल्य मिले। अभी कई लोगों ने कहा कि कमीशन बने। कमीशन बनकर क्या करेगा यह मेरी समझ में नहीं आया। वह किस तरह से इमदाद कर सकता है किसानों की, यह भी मेरी समझ में नहीं आया। मैं चाहता हूँ, और यह एक ऐसी चीज है जिसका बगैर किसी कमीशन के फैसला किया जा सकता है, कि गन्ने को जितनी मिलें हैं वह सारी की सारी समाजवादी ढांचे पर कोआपरेटिव सोसायटी की बनें। इस सम्बन्ध में कहा जाता है कि मिलें जो हैं उनकी मशीनज़ पुरानी हैं। जब हम कोआपरेटिव सोसायटी की मिलों को बढ़ावा देना चाहते हैं। कई सदस्यों का विचार है कि इसकी क्या जरूरत है कि हम पुरानी मिलों की खरीद कर कोआपरेटिव बनायें। उपाध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि हर एक मिल की एक बुक वैल्यू होती है। उस पर डिप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है। डिप्रिसिएशन चार्जेज को छोड़कर इन्कम टैक्स के अन्दर कमी भी कराई जाती है। इस सबके हिसाब से एक कीमत मुकर्रर होकर हर एक मिल की, इनकम टैक्स के कागज के मुताबिक जिस शुगर फैक्टरी की जो कीमत हो उस कीमत के ऊपर वह किसानों को दे दी जाए। सरकार से मैं यह कहना चाहता हूँ कि अगर किसान इतना रुपया न इकट्ठा कर सकें। सरकारी बैंक जो हैं, रिजर्व बैंक उनकी मदद के लिये आये और उनको रुपया दे। इसके अलावा एक बात कहे बगैर मैं नहीं रह सकता क्योंकि, मेरा तजुर्बा एक शुगर कोआपरेटिव फैक्टरी का है कि यह जो सरकार का कहना है कि हम शुगर कोआपरेटिव फैक्टरीज को बढ़ावा दे रहे हैं वह मेरी समझ में नहीं आया है। शुगर कोआपरेटिव फैक्टरीज को जो सूद देना पड़ता है। उस सूद की दर वही है जो एक आम आदमी को या कोई एक कम्पनी जो शुगर फैक्टरी चलाती है उसको देना पड़ता है और जो सहूलियत एक कारखानेदार और एक कम्पनी को मिलती है वही सहूलियतें कोआपरेटिव शुगर फैक्टरी को मिलती है। ऐसी हालत में मेरी समझ में नहीं आता कि हम किस मुंह से यह कह सकते हैं कि हम कोआपरेटिव शुगर फैक्टरीज को बढ़ावा दे रहे हैं। हम ब्याज की दर में उनकी कोई रियायत नहीं देते हैं और न कोई और ही रियायत उनको देने को तैयार हैं। हर एक कोआपरेटिव शुगर फैक्टरी को तकरीबन 40, 50 लाख रुपया सूद पर लेना होता है। उनको भी उसी भाव से और उसी सूद पर कर्ज दिया जाता है जैसे कि एक आदमी या कम्पनी को दिया जाता है। ऐसी हालत में मेरी समझ में तो यह कहना कि सरकार कोआपरेटिव शुगर फैक्टरीज को पनपाना चाहती है और प्रोत्साहन देना चाहती है केवल जवानी जमाखर्च ही हो जाता है। अगर हम

वाकई जो कहते हैं उसको करना चाहते हैं। यह होना चाहिये कि जितनी भी शुगर कोआपरेटिव फैक्टरीज के जिम्मे कर्जा हो, उस पर रिजर्व बैंक की जो बैंक रेट है उसके हिसाब से उनसे सूद लिया जाए, जो रुपया उन्होंने शुगर फैक्टरीज को लगाने के लिये लिया हो या वह वर्किंग कैपीटल की शक्ल में हो और चाहे वह इंस्टाल करने की शक्ल में हो उस सारे के सारे कैपिटल के ऊपर जो सूद की दर हो वह रिजर्व बैंक की दर से हो। मैं चाहता हूँ कि यह हिदायत लागू हो।

इसके अलावा जितनी और दूसरी शुगर फैक्टरीज है वह शुगर फैक्टरीज तमाम की तमाम बुक वैल्यू पर किसानों को दे दी जाएं। वहां पर उनकी सोसाइटियां बनाई जाए। इसके बाद मैं एक और चीज निवेदन करना चाहता हूँ और वह यह है कि यहां पर उत्तर और दक्षिण का झगड़ा खड़ा किया जाता है। लेकिन, यह अजीब हालत है कि दक्षिण की शुगर मिलों के मिल मालिक शुगर की अपने यहां रिकवरी 16 फीसदी तक दिखाते हैं। वहां पर चीनी का भाव उत्तर की अपेक्षा अधिक होता है। इस चीज का फायदा कौन उठाता है? अजीब बात है कि उत्त प्रदेश की चीनी जो खर्चा डालकर बम्बई या मद्रास के अन्दर पड़ती है उस भाव से उसकी दर मुकर्रर करना चाहते हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि जहां 16 परसेंट रिकवरी हो उसका तो भाव वहां दक्षिण भारत के अन्दर या बम्बई के अन्दर हमारे वहां से कहीं सस्ता होना चाहिये, वह क्यों महंगा है? वह क्यों सस्ता नहीं करते? उसका कौन मुनाफा उठाता है? मैं कहना चाहता हूँ कि उसका बहुत ज्यादा हिस्सा कारखानेदार की जेब में जाता है और इसलिये, उचित यह होगा कि कारखानेदार की जेब को हमारी सरकार को देश की भलाई के वास्ते इस्तेमाल करना चाहिये।

Section-II

Questions
&
Answers

Second Lok Sabha

Wednesday, 27th November, 1957*

Written Answers

C.P.W.D.

756. Chaudhry Ranbir Singh : Will the Minister of Works, Housing and Supply be pleased to state :

(a) whether it is a fact that 700 tons of slack coal have been lying with rehabilitation circle, Central Public Works Department at Delhi for many years;

(b) whether it is also a fact that a multipurpose Cooperative Society offered to purchase the coal on the condition that the society may be allowed to export it outside Delhi;

(c) whether it is also a fact that on receipt of the permission from Deputy Coal Controller, Calcutta to export the coal outside, the Cooperative Society has not been offered the full quantity for sale;

(d) if so, the reasons therefor; and

(e) the reasons for the delay in the disposal of the slack coal?

The Deputy Minister of Works, Housing and Supply (Shri Anil K. Chandra) : (a) Yes Sir.

(b) Yes, A Multi-purpose Co-operative Society offered to purchase a part of the stocks. There are 6 other applicants for the purchase of coal.

---

* *Parliamentary Debates (Lok Sabha Proceedings 1957-62),* 27th November, 1957, Page. 25040

(c) The question of disposal of this coal in still under consideration.

(d) Does not arise.

(e) The Coal was not fetching the money that Govt. had spent on it in the Delhi Market but it has a ready market outside Delhi. Permission had been received on 8.10.57 to export the coal outside Delhi & Govt. is considering the question of meeting the genuine demands of the various applicants.

Second Lok Sabha

Thursday, 4th September, 1958*

Written Answers

Property Rights for Scheduled Castes and other Backward Classes

***913. Chaudhry Ranbir Singh :Will** the Minister of Rehabilitation and Minority Affairs be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Rehabilitation Ministry has advised the Punjab State Government to confer property rights to the local members of Scheduled Castes and other Backward Classes on payment of nominal price for the residential sites underneath the houses constructed and occupied so far by them in the rural areas of the Punjab State; and

(b) if so, whether the Ministry is satisfied with the progress made so far in the implementation of the scheme?

The Minister of Rehabilitation and Minority Affairs (Sh. Mehr Chand Khanna) : (a) Certain instructions have been issued in regard to the disposal of rural houses in the occupation of 'Kamins' in Punjab.

(b) There has not been much progress because certain difficulties in regard to the land on which these houses stand had arisen. These are being resolved and it is expected that the progress now will be rapid.

---

* *Parliamentary Debates (Lok Sabha Proceedings 1957-62),* 4 September, 1958, Page 4650

Second Lok Sabha

Thursday, 4th September, 1958*

Written Answers

Electricity Consumption

1587. Chaudhry Ranbir Singh : Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the private electric supply companies (licensee) charge full cost of the service lines laid for the temporary connection from the poles to the premises of the consumer;

(b) whether it is also a fact that the Punjab Government advised the companies to charge the rent for the said service lines, instead of the cost laid down and schedule of rent for this purpose;

(c) whether it is also a fact that the companies have failed to implement the advice of the State Government and observe the schedule of rent;

(d) whether representation has been made by the consumers to amend the legislation to achieve the above objective;

(e) if the reply to parts (a), (b), (c) and (d) above are in the affirmative, whether Government propose to sponsor the amending legislation shortly; and

(f) if not, the reasons therefor?

---

* *Parliamentary Debates (Lok Sabha Proceedings 1957-62),* 4 September, 1958, Page 4963-4964

The Deputy Minister of Irrigation and Power (Shri Hathi): (a) The usual practice with the private electric supply companies is to charge rental, and not full cost of temporary service lines. The only instance brought to Government's notice in which full cost has been recovered in respect of such lines is that of the licensee at Rohtak.

(b) and (c) Yes, the Punjab Government advised the licensee at Rohtak to charge for temporary service lines on the rental basis. It is understood, however, that the licensee has not yet complied with the Punjab Government's instructions in the matter.

(d) Yes.

(e) Yes.

(f) Does not arise.

Second Lok Sabha

Thursday, 9th December, 1958*

Written Answers

Welfare Board for P & T Employees

1186. Chaudhry Ranbir Singh : Will the Minister of Transport and Communications be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 408 on the 16th August, 1958 and state :

(a) the amount placed at the disposal of the Welfare Board for P&T employees; and

(b) the number of schemes sponsored and approved by the Board so far since its inception?

The Minister of Transport and Communications (Shri S.K. Patil) : (a) The Board is advisory in character and no funds are placed at its disposal.

(b) The Board has recommended six schemes, out of which Government has already approved one and the others are under consideration.

---

* *Parliamentary Debates (Lok Sabha Proceedings 1957-62),* 9 December, 1958, Page 3947-3948

Second Lok Sabha

Friday, 12th December, 1958*

Written Answers

Report of Telegraph Enquiry Committee

1427. Chaudhry Ranbir Singh : Will the Minister of Transport and Communications be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the All India Telegraph Traffic Employees Union Class III have demanded advance copy of the Telegraph Enquiry Committee report;

(b) whether the Government propose to ascertain the views of the Union about the recommendations made by the Committee at the consideration stage; and

(c) if not, the reasons therefor?

The Minister of State in the Ministry of Transport and Communications (Shri Raj Bahadur) :- (a) Yes.

(b) and (c). The report is under examination. The question of ascertaining the views of the Union before decisions are taken will also be considered during the course of examination.

---

* *Parliamentary Debates (Lok Sabha Proceedings 1957-62),* 12 December, 1958, Page 4702

Second Lok Sabha

Friday, 12th December, 1958*

Written Answers

P & T Building at Jammu and Kashmir

1428. Chaudhry Ranbir Singh : Will the Minister of Transport and Communications be pleased to state :

(a) whether there is any scheme under consideration to construct departmental buildings and staff quarters for the Telegraph Traffic at Jammu and Srinagar; and

(b) if not, how does the departmental propose to meet with the staff difficulty of quarters and inadequate office accommodation?

The Minister of State in the Ministry of Transport and Communications (Shri Raj Bahadur) : (a) and (b). No proposal for the construction of a building for the Telegraph Traffic Office at Jammu and Srinagar is under consideration at present. As regards quarters, the State Government has been approached for the allotment of 40,000 sq.ft. of land at Srinagar and 26,780 sq.ft. at Jammu for the construction of staff quarters. The matter is being pursued by the Postmaster-General, Ambala with the State Government authorities.

---

* *Parliamentary Debates (Lok Sabha Proceedings 1957-62),* 12 December, 1958, Page 4702-03

Second Lok Sabha

Friday, 12th December, 1958*

Written Answers

P & T Building, Chandigarh

1429. Chaudhry Ranbir Singh : Will the Minister of Transport and Communications be pleased to state :

(a) whethers there is any scheme to construct Post and Telegraph office building at Chandigarh;

(b) if so, whether the building plan has been approved by the Chandigarh Capital Project authority;

(c) if not, the reasons thereof;

(d) whether 200 quarters proposed to be purchased from the Punjab Government have been taken over; and

(e) whether there is any scheme to increase the staff quarters at Chandigarh in view of the conditions prevailing there?

The Minister of State in the Ministry of Transport and Communications (Shri Raj Bahadur) : (a) Yes.

(b) They are being consulted in regard to the plan.

(c) Does not arise.

(d) Not taken over yet but are likely to be taken over shortly.

(e) 200 quarters are being purchased.

---

* *Parliamentary Debates (Lok Sabha Proceedings 1957-62),* 12 December, 1958, Page 4703-04

Second Lok Sabha

Friday, 12th December, 1958*

Written Answers

Building for C.T.O. Amritsar

1430. Chaudhry Ranbir Singh : Will the Minister of Transport and Communications be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the present Amritsar Central Telegraph Office building was originally meant for use of 10/12 officials;

(b) whether it is also a fact that the staff has increased to about 150 and the building continues to be the same;

(c) whether the scheme to construct a separate building for the telegraph office has been considered and sanctioned;

(d) whether there is any proposal to construct quarters at Amritsar; and

(e) if so, the details thereof?

The Minister of State in the Ministry of Transport and Communications (Shri Raj Bahadur) : (a) Office was opened with sufficient accommodation and has been extended from time to time as the strength of staff increased. The accommodation in the present building is 3,850 sq.ft. and is sufficient for 130 men according to departmental standards.

(b) The strength of the staff has increased from time to time and the building has also been extended as and when required. The present

---

* *Parliamentary Debates (Lok Sabha Proceedings 1957-62),* 12 December, 1958, Page 4704-05

strength of the staff is 172 and the accommodation justified is 4,775 sq.ft. against available accommodation of 3,850 sq.ft.

(c) A scheme for the construction of Central Telegraph Office is under consideration. Plans and estimates have been finalised.

(d) and (e). The scheme for the construction of a P and T Colony at Amritsar of Rs. 11.54 lakhs for construction of 158 quarters has been sanctioned. A site for the construction of this colony has been selected and the District Collector has been approached for starting acquisition proceedings.

Second Lok Sabha

Wednesday, 17th December, 1958*

Written Answers

Posts and Telegraphs Buildings

1869. Chaudhry Ranbir Singh : Will the Minister be pleased to lay on the Table of the House the detailed programme of office buildings and staff quarters to be constructed by the Posts and Telegraphs Department during 1958.

The Minister of Transport and Communications (Shri S.K. Patil) : A statement is laid on the Table of the Lok Sabha [*See* Appendix IV, Annexure No. 76].

---

* *Parliamentary Debates (Lok Sabha Proceedings 1957-62),* 17 December, 1958, Page 5615

Second Lok Sabha

Wednesday, 17th December, 1958*

Written Answers

P and T Building at Secunderabad

1870. Chaudhry Ranbir Singh : Will the Minister of Transport and Communications be pleased to state :

(a) whether the scheme to construct a Telegraph Office building and staff quarters at Secunderabad (Deccan), has been sanctioned and approved; and

(b) if so, when the project is expected to be completed?

The Minister of Transport and Communications (Shri S.K. Patil) : (a) and (b). No proposal for the construction of a Telegraph Office building at Secunderabad has been sanctioned or approved. A scheme for the construction of staff quarters at the station has been sanctioned and the work is in progress. This scheme is expected to be completed during 1959-60.

---

* *Parliamentary Debates (Lok Sabha Proceedings 1957-62),* 17 December, 1958, Page 5615-5616

Second Lok Sabha

Wednesday, 17th December, 1958*

Written Answers

P and T Building at Salem

1871. Chaudhry Ranbir Singh : Will the Minister of Transport and Communications be pleased to state :

(a) whether the scheme to construct a building for the Departmental Telegraph Office at Salem has been approved and sanctioned.

(b) whether the land has been acquired and construction has been started; and(c) if so, when the building is expected to be completed and made available for use?

The Minister of Transport and Communications (Shri S.K. Patil) :(a) Yes.

(b) Departmental land is available. The work is already in progress.

(c) The building is nearing completion. It is expected to be available for use early in 1959-60.

---

* *Parliamentary Debates (Lok Sabha Proceedings 1957-62),* 17 December, 1958, Page 5616

Second Lok Sabha

Wednesday, 17th December, 1958*

Written Answers

P and T Building at Jaipur

1872. Chaudhry Ranbir Singh : Will the Minister of Transport and Communications be pleased to state :

(a) whether the scheme to construct Telegraph Office building and staff quarters at Jaipur has been approved and sanctioned.

(b) how which land has been acquired for that;

(c) when the construction is expected to start; and

(d) when the building and quarters will be made available for use?

The Minister of Transport and Communications (Shri S.K. Patil): (a) Yes.

(b) 4 acres for a combined building for General Post Office and Central Telegraph Office and staff quarters.

(c) Construction has already started.

(d) The office building and quarters are likely to be made available for use during 1959-60.

---

* *Parliamentary Debates (Lok Sabha Proceedings 1957-62),* 17 December, 1958, Page 5616-17

Second Lok Sabha

Wednesday, 17th December, 1958*

Written Answers

Building for D.T.O., Calcutta

1873. Chaudhry Ranbir Singh : Will the Minister of Transport and Communications be pleased to state :

(a) whether the scheme to construct Telegraph Office building for Calcutta Bara Bazar D.T.O. has been approved and sanctioned.

(b) whether land for the said building has been acquired and construction started; and

(c) if so, when the building is expected to be made available for use?

The Minister of Transport and Communications (Shri S.K. Patil) : (a) and (b). A plot for the proposed Telegraph Office building has been selected and the acquisition proceedings have been started.

(c) It is not possible at this stage to indicate any definite date when the new building will be available for use. It may take a couple of years after the land is available.

---

* *Parliamentary Debates (Lok Sabha Proceedings 1957-62),* 17 December, 1958, Page 5617

Second Lok Sabha

Wednesday, 17th December, 1958*

Written Answers

Telegraph Staff Quarters at Kozhikode

187**4. Chaudhry Ranbir Singh :** Will the Minister of Transport and Communications be pleased to state :

(a) whether the scheme to construct telegraph staff quarters at Kozhikode has been approved and sanctioned.

(b) whether land has been acquired and construction started; and

(c) when the project is expected to be completed and the buildings made available for use?

The Minister of Transport and Communications (Shri S.K. Patil) : (a) and (b). Negotiations for the purchase of some from the Ministry of Defence, which was understood to be surplus to their requirements, were started. However, it is understood that this land is not available. Post-master-General has been asked to search for another site.

(c) Does not arise.

---

* *Parliamentary Debates (Lok Sabha Proceedings 1957-62),* 17 December, 1958, Page 5617-5618

Second Lok Sabha

Wednesday, 17th December, 1958*

Written Answers

New Flag Station

1885. Chaudhry Ranbir Singh : Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a representation on behalf of the villagers of Bahadurgarh, Sila Kheri, Singhana, Rajhalas Hath, Chhapar and Jaipur of District Sangrur (Punjab) has been received for opening a new flag station between Budha Khera and Safidon station on Panipat - Jind branch line on Northern Railway;

(b) whether it is also a fact that villagers have offered *shram dan* and necessary cash contribution for construction of the flag station; and

(c) if so, the action taken in the matter?

The Deputy Minister of Railways (Shri S.V. Ramaswamy):(a) and (b). Yes.

(c) The proposal is under detailed investigation.

---

* *Parliamentary Debates (Lok Sabha Proceedings 1957-62),* 17 December, 1958, Page 5624

Second Lok Sabha

Wednesday, 17th December, 1958*

Written Answers

Railway Siding

1886. Chaudhry Ranbir Singh : Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the cultivators of village Samar Gopalpur and surrounding villages of District Rohtak have requested that a railway siding be provided at Samar Gopalpur station on Delhi-Bhatinda lines to facilitate the transport of sugarcane to the Haryana Sugar Co-operative Factory, Rohtak.

(b) whether it is a fact that five lakh maunds of sugarcane was supplied to the factory in the last season by these villages;

(c) if so, whether Government propose to provide the siding facility at the station; and

(d) if not, the reasons therefor?

The Deputy Minister of Railways (Shri S.V. Ramaswamy): (a) Yes, Sir.

(b) Not known to the Railway.

(c) The provision of a siding at Samar Gopalpur Station has been included in the Railway's Works Programme for 1958-59.

(d) Does not arise.

---

* *Parliamentary Debates (Lok Sabha Proceedings 1957-62),* 17 December, 1958, Page 5624-5625

Second Lok Sabha

Friday, 7th May, 1959*

Written Answers

Acquisition of Land for Government Servants House Building Society Ltd.

***2257-A. Chaudhry Ranbir Singh, Shri Bahadur Singh :** Will the Minister of Health be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a piece of agricultural land in urban area of Masjid Moth, New Delhi, which was purchased in an open auction by the displaced persons for building purposes from the Ministery of Rehabilitation in the year 1958-59 is being acquired for Government Servants House Building Society Ltd.

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) the action Government propose to take in the matter?

The Minister of Health (Shri Karmarkar) : (a) The Delhi Administration have issued a notification under Section 4 of the Land Acquisition Act, 1894 notifying their intention to acquire 1410 bighas and 3 biswas of land in villages Masjid Moth, Kharera, Shahpur, Raipur Khurd and Yusuf Sarai Jat for the Government Servants Co-operative Houose Building Society Ltd., of which about 584 bighas of land is in village Masjid Moth. This may include some agricultural land which was purchased in open auction by the displaced persons for building purposes

---

* *Parliamentary Debates (Lok Sabha Proceedings 1957-62),* 7 May, 1959, Page 15206-15207

from the Ministry of Rehabilitation.

(b) and (c) The object of the present notification is to invite public objections. the displaced persons, like other persons interested in the land proposed to be acquired, have the legal right to be heard by the Land Acquisition Collector, proceedings before whom are of the quasi-judicial nature. The Delhi Administration will give due consideration to the report of the Land Acquisition Collector.